C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXXV, Fourteenth Session, 2013/1935 (Saka)
No. 19, Wednesday, September 4, 2013/Bhadrapada 13, 1935 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
PAPERS LAID ON THE TABLE	2
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	3
COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (LOK SABHA)	
Statement	4
MOTION RE: JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE TO EXAMINE MATTERS RELATING TO ALLOCATION AND PRICING TELECOM LICENCES AND SPECTRUM -- EXTENSION OF TIME	4
MATTERS UNDER RULE 377	5-21
(i) Need to provide drinking water in Jaitaran in Rajasthan from Indira Gandhi Canal Project	
Shri Gopal Singh Shekhawat	5
(ii) Need to set up Terminal Market at Sambalpur in Odisha	
Shri Amarnath Pradhan	6
(iii) Need to undertake repair of National Highway No. 37 from Barak to Kambiron	
Dr. Thokchom Meinya	7

(iv) Need to provide adequate health care facilities in ESI hospital at Mukkudal, Tirunelveli district, Tamil Nadu

Shri S.S. Ramasubbu 8

(v) Need to review the plan of setting up of Bio-diversity Park in Yamuna Khadar region in Delhi

Shri Jai Prakash Agarwal 9

(vi) Need to develop the sites of Buddhist monuments and caves in the country as tourist destinations

Shri Eknath Mahadeo Gaikwad 10

(vii) Need to increase the pension under Employees Pension Scheme, 1995

Shri M.K. Raghavan 11

(viii) Need to train the youth of Cuddalore district of Tamil Nadu to avail the benefits of National Rural Livelihood Mission

Shri S. Alagiri 12

(ix) Need to impress upon the Government of Bangladesh to ensure safety and security of Hindus and other minority communities living there

Shri Kabindra Purkayastha 13

(x) Need to provide stoppage of superfast AC train running between Bhuj and Mumbai at Samkhairi railway station in Kutch district of Gujarat

Shrimati Poonam Veljibhai Jat 14

(xi) Need to expedite gauge conversion work of Ratlam-Fatehabad-Indore-Mhow-Khandwa-Amalakhurd-Akot-Akola section

Shri Sanjay Dhotre 14

(xii) Need to provide full benefit of educational loan by State Bank of India to students of Indian Maritime University, Kolkata, West Bengal

Shri Hari Manjhi 15

(xiii) Need to take necessary measures for construction of sewerage and drainage system under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission in Fatehpur city in Uttar Pradesh

Shri Rakesh Sachan 16

(xiv) Need to address the problems of women working as cooks under mid-day meal scheme in schools in Uttar Pradesh

Shri Ramashankar Rajbhar 17

(xv) Need to open branches of Nationalised Banks in Samastipur parliamentary constituency, Bihar

Shri Maheshwar Hazari 18

(xvi) Need to convert National Highway No. 60 in Birbhum parliamentary constituency in West Bengal into a four lane road

Shrimati Shatabdi Roy 18

(xvii) Need to set up Research and Development Centres and colleges in the field of agriculture, horticulture, fisheries and rubber in Kanyakumari district of Tamil Nadu

Shrimati J. Helen Davidson 19

(xviii) Need to provide immediate financial assistance to Kerala distressed due to heavy rains

Shri P. Karunakaran 20

(xix) Need to provide funds for construction of building for Kendriya Vidyalya at Bhadrak in Odisha

Shri Arjun Charan Sethi 20

(xx) Need to increase the Minimum Support Price of Jute

Shri Nripendra Nath Roy 21

SUBMISSION BY MEMBERS 46-50
Re: Need to resolve the issue of reservation policy for SC/ST/OBC for applying to newly created AIIMS like institutes and other institutes in the country

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2011 56-72, 93-194

Shri P. Chidambaram 56-58, 131-136,182

Shri Sanjay Nirupam 59-62

Prof. Saugata Roy 63-65

Shri Shailendra Kumar 66-67

Shri T.K.S. Elangovan 68-69

Shri Basu Deb Acharia 72, 93-98

Shri Nishikant Dubey 99-105, 107-109

Shri Dara Singh Chauhan 110-111

Shri Bhartruhari Mahtab 112-115

Shri Anant Gangaram Geete 116

Shri S. Semmalai	117-118
Shri Gurudas Dasgupta	119-123
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	124-126
Shri Nama Nageswara Rao	127
Shri Narahari Mahato	128
Dr. Thokchom Meinya	129-130
Clauses 2 to 55 and 1	137-182
Motion to Pass	182-194

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 124
52nd Report

DISCUSSION UNDER RULE 193
Government of India's response and measures taken for relilef and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand 195-291

Shrimati Sushma Swaraj	195-207
Shri Satpal Maharaj	208-215
Shri Shailendra Kumar	221-224
Shri Jagdish Singh Rana	225-226
Shri Mahendrasinh P. Chauhan	227
Shri Arjun Ram Meghwal	228
Shri Sharad Yadav	229-230
Prof. Saugata Roy	231-233
Shrimati J. Helen Davidson	234-235
Sk. Saidul Haque	236-239
Shri Bhartruhrai Mahtab	240-243
Shrimati Pratibha Singh	244-245
Dr. Sanjeev Ganesh Naik	246-247
Shri C. Sivasami	248-249
Shri Nama Nageswara Rao	250-252

Shri Sanjay Singh Chouhan	253-254
Shri Prabodh Panda	255-257
Shri Jagadanand Singh	258-260
Shri Prem Das Rai	261-262
Shrimati Mala Rajya Lakshmi Shah	263-266
Shri Pradeep Tamta	267-272
Shri N. Peethambara Kurup	273-274
Shri Rajendra Agarwal	275-276
Shri Mullapally Ramachandran	277-288
	290A-291
Shri Sushilkumar Shinde	288-290A
RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL, 2013	218-220
Motion to Consider	218
Shri V. Narayanasamy	218-219

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Satpal Maharaj

Shri Jagdambika Pal

SECRETARY GENERAL

Shri S. Bal Shekar

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, September 4, 2013/Bhadrapada 13, 1935 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARIQ ANWAR): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

(1) S.O.2474(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2013 notifying the specifications, mentioned therein, in respect of provisional fertilizer Zinc Poly Phosphate to be manufactured in India for a period of two years from the date of publication of this notification.

(Placed in Library, See No. LT 9710/15/13)

(2) The Fertiliser (Control) Third Amendment Order, 2013 published in Notification No. S.O.2475(E) in Gazette of India dated 16th August, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 9711/15/13)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI P. BALRAM NAIK): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Handicapped and Finance Development Corporation and the Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 9712/15/13)

<u>11.01 hrs.</u>

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd September, 2013 agreed without any amendment to the National Food Security Bill, 2013 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th August, 2013."

11.01 ½ hrs.

COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (LOK SABHA)
Statement

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): I beg to lay the Statement (Hindi and English versions) on Final Action Taken replies of the Ministry of Statistics and Programme Implementation on the recommendations contained in the 8th Report (15th Lok Sabha) of the Committee on MPLADS regarding Action taken by the Government on the recommendations contained in the 4th Report of the Committee on the subject "Effective monitoring of the MPLAD Scheme to avoid delays in execution of the MPLADS works".

11.02 hrs.

MOTION RE: JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE TO EXAMINE MATTERS RELATING TO ALLOCATION AND PRICING OF TELECOM LICENCES AND SPECTRUM – EXTENSION OF TIME

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): I beg to move:

> "That this House do extend up to the last day of the next Session, the time for presentation of the report of the Joint Parliamentary Committee to examine matters relating to allocation and pricing of telecom licences and spectrum."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do extend up to the last day of the next Session, the time for presentation of the report of the Joint Parliamentary Committee to examine matters relating to allocation and pricing of telecom licences and spectrum."

The motion was adopted.

11.03 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within twenty minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

… (*Interruptions*)

(i) Need to provide drinking water in Jaitaran in Rajasthan from Indira Gandhi Canal Project

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद) : मेरे लोक सभा राजसमंद (राजस्थान) के अंतर्गत जैतारण विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है जो जल भूगर्भ में है वह भी फ्लोराइड युक्त है तथा उसकी मात्रा भी बहुत कम है । वर्तमान में सरकार ने इस क्षेत्र को पीने के पानी के लिए ''जवाई बांध'' से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है । जवाई बांध से पूर्व में ही पाली जिले में अनेक जगह पानी देने की योजनाएं बनी हुई है जिससे इस दूरस्थ क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा । इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि जैतारण को इंदिरा गांधी नहर योजना से जोड़ा जाए क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का पानी जैतारण क्षेत्र से लगे हुए नागोर एवं जोधपुर के क्रमशः जशनगर एवं खारिया तक पूर्व में ही आ चुका है ।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to set up Terminal Market at Sambalpur in Odisha

SHRI AMARNATH PRADHAN (SAMBALPUR): The farmers of Sambalpur and the neighbouring districts are facing difficulties of storage facility of their agricultural produce as 30% of their harvest presently going waste due to lack of high tech storage facility at Sambalpur. I am thankful to hon'ble Minister of Agriculture who had announced in Lok Sabha on 8th December, 2009 for setting up of Terminal Market at Sambalpur in order to ensure good support price to farmers as this Terminal Market will have all modern facilities to minimize waste while collecting agricultural produce from farm gate to storage gate. I request the Government to start this Terminal Market as this will be the best gift to the farmers of Sambalpur and entire western Odisha region by the UPA Government.

(iii) **Need to undertake repair of National Highway No. 37 from Barak to Kambiron**

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): BRTF/BRO has sought three days' time for repairing the worst section (from Barak to Kambiron) of NH-37 connecting Manipur with the rest of the country. Accordingly, movement of vehicles along the highway was prohibited from 21 to 23 August, 2013.

But when around 900 trucks left Jiribam for Imphal on 28 August, the highway section was found in the same condition as was before August 21. On that day, a large number of trucks loaded with fertilizers, rice, cement and other assorted goods were heading for Imphal. While some 100 trucks could somehow cross the Barak-Kambiron section with much struggle, some of the trucks plying behind got stuck in this sloughy section of the NH. Consequently, around 800 trucks have been stranded at Barak, Sibilong and Nung Dolan. Recently hon'ble Union Minister of State for Home Affairs had also inspected the condition of NH-37 along with hon'ble CM of Manipur. Now I seek to inform you that construction of this NH-37 (53) was started in the beginning of 60s. Even after 50 years, this 222 km. long NH could not be constructed as an all weather road. I urge the Union Government to kindly repair the damaged section of N.H. 37. The construction of NH-37 (53) may also be expedited and make it an all weather road.

(iv) Need to provide adequate health care facilities in ESI hospital at Mukkudal, Tirunelveli district, Tamil Nadu

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI):At Mukkudal in my Tirunelveli District, Tamil Nadu, an ESI Hospital is functioning. It serves to a large number of villages Viz., Mukkudal, Alangulam, Kadayam, Pappakkudi Unions, etc. comprising of more than 60 villages. The poor people in this region are mostly engaged in the beedi industries and used to avail medical facilities from this hospital only.

However, this hospital is lacking certain basic facilities such as doctors, nurses, technicians, supporting staff, essential medicines, etc. It is having only 4 doctors out of the sanctioned strength of 14. Adequate number of specialists are also not available. About 400 patients are daily coming for treatment in the OPD. There are reports that even available doctors are not taking proper care of the patients. Though infrastructure is adequately available, because of scarcity of trained professionals, existing facilities are not being utilized properly. Salary given to the medical professionals is also consolidated *i.e.* very less. It is one of the biggest hospitals in this region. As a result, the poor workers are facing a lot of difficulties and they are also not able to afford huge cost of medicines and treatment from outside.

I shall, therefore, humbly urge upon the Union Government to improve the facilities and appoint adequate number of doctors, nurses and other allied medical staff at the ESI hospital, Mukkudal, Tirunelveli District, Tamil Nadu without delay which will benefit a large number of poor beedi workers in this region.

(v) **Need to review the plan of setting up of Bio-diversity Park in Yamuna Khadar region in Delhi**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 श्री जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा दिल्ली के गरीब, पिछड़े हुए एवं भूमिहीन किसानों के रोजगार के लिए अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन के अंतर्गत दिल्ली यमुना खादर की वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक की भूमि को वर्ष 1949 में खेती के लिए सोसायटी के माध्यम से लीज पर आवंटित की थी ।

कृषकों ने खादर की इस भूमि को न केवल हरा-भरा बनाया, बल्कि इसको सुरक्षित भी रखा । उन्होंने इस भूमि पर खेती करके दिल्ली निवासियों के लिए ताजा सब्जियां, फल, फूल एवं अनाज उपलबध करवाया । अब दिल्ली विकास प्राधिकरण इन गरीब लोगों से खादर की भूमि लेकर इस पर बायोडायवर्सटी पार्क बनाना चाहता है ।

यह विदित ही है कि यह सारी भूमि यमुना नदी क्षेत्र की है, जिसमें हर वर्ष बाढ़ आती है तथा जब किसान भी भिन्न-भिन्न मौसमी फसल पैदा करके पार्क का ही कार्य कर रहे हैं तो उनकी रोजी-रोटी को ध्यान में रखते हुए डी0डी0ए0 की इस यमुना खादर में बायोडायवर्सटी पार्क बनाने की योजना उचित नहीं है। इस देश में पार्कों से ज्यादा लोगों को रोजगार की आवश्यकता है और पार्क संस्कृति के नाम पर खादर की भूमि को गरीब किसानों से लेना उचित नहीं है । ऐसा करने से उनका रोजगार छिन जाएगा और वे भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाएंगे ।

यह ध्यान में लाना भी उचित होगा कि दिल्ली यमुना खादर की 9792 हेक्टेयर भूमि भूजल, पुनर्भरण एवं यमुना की रेती स्पंज की तरह जल को शुद्ध करके राजधानीवासियों के लिए पानी की आपूर्ति करती है । इसलिए, यदि इस पर बायोडायवर्सटी के नाम पर पक्का कार्य किया गया तो यमुना की रेती का पुनर्भरण रूक जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप दिल्लीवासियों को पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यमुना खादर भूमि से जुड़े कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां पर बायोडायवर्सटी पार्क बनाए जाने की योजना को रद्द करते हुए यमुना खादर भूमि पर कृषकों का यथावत कब्जा कायम रखने हेतु आवश्यक कदम उठाए ।

(vi) Need to develop the sites of Buddhist monuments and caves in the country as tourist destinations

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड (मुम्बई दक्षिण-मध्य): मैं सरकार का ध्यान देश में स्थित बौद्ध स्मारक स्थलों एवं गुफाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । महोदया, देश भर में लगभग 772 बौद्ध स्मारक स्थल हैं इसमें से बहुत कम स्मारक स्थलों की सरकार द्वारा निगरानी व्यवस्था की जाती है । अधिकांश बौद्ध स्मारक स्थल और गुफाएं खंडित अवस्था में हैं । कराड़ जिला सतारा, महाराष्ट्र में लगभग 60 बौद्ध गुफाएं हैं जिनकी हालत काफी दयनीय है । बिहार राज्य द्वारा बोध गया के बौद्ध विहार के लिए गठित कमेटी में हिन्दुओं की सदस्य संख्या ज्यादा है ।

अतः मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि देशभर में स्थित बौद्ध स्मारक स्थलों एवं गुफाओं को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और बोध गया के बौद्ध विहार के लिए गठित कमेटी में बौद्ध समाज के ही प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ।

(vii) Need to increase the pension under Employees Pension Scheme, 1995

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): There are around 35 lakh pensioners under the Employees Pension Scheme, 1995. More than 80% of these pensioners receive paltry sum as pension which is even Re. 1/- in a good number of cases. This is a mockery of the whole system of pension itself.

There has been a demand to fix a moderate pension scheme for these pensioners. It is under such a necessity that the Central Board of Trustees (CBT) EPFO on the recommendations of the Expert Committee dated 12th June 2009 had recommended a minimum of Rs. 1000/- as pension to these pensioners. It is understood that the CBT have further recommended the following:-

(a) the existing Government contribution to EPS, 1995 to be raised from the existing 1.6% to 1.79% so as to increase the minimum pension to Rs.1000/-; and (b) the additional cost involved could be met by withdrawing grant of two year bonus after completion of 20 years. This will also provide relief up to 5% to those pensioners who are drawing pension of Rs.1000/- and more.

The Government has been introducing various welfare measures including the Food Security Bill, etc as a social commitment to the citizens. While there is a suggestion for increasing the minimum pension to Rs.1000/- as part of the social commitment it is suggested that this amount is too less in the present context and it should be increased to Rs.3000/- per month.

In view of the same, it is requested to consider the subject matter as a welfare measure and sanction Rs. 3000/- as pension to the EPF beneficiaries. This will give a larger security cover to 35 lakh working class.

(viii) Need to train the youth of Cuddalore district of Tamil Nadu to avail the benefits of National Rural Livelihood Mission

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): The Government launched the National Rural Livelihood Mission (NRLM) to improve the living standard of people living in rural areas. The number of trained youth came down to 356 in 2011-12 in comparison to trained youth in 2010-2011 in Cuddalore district resulting in deprivation of the large illiterate youth from availing the scheme of NRLM. The preference be given to local youth for training because the local youth is fully aware of location and condition of village where they are placed to work.

In this regard, it is requested that training may be given to the youth as per requirement of local people in Cuddalore district.

(ix) Need to impress upon the Government of Bangladesh to ensure safety and security of Hindus and other minority communities living there

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): Unfortunately, atrocities like targeted attack against temples, open theft of Hindu property and rape of Hindu women and enticements to convert to Islam have increased sharply in recent years after the Jamaat-e-Islami joined the coalition Government led by the Bangladesh National Party. It is said that the Jamaat is totally and openly backed by Pakistan and the ISI. On the other, there is terrorist outfit like Huji. With the help of the BNP, anti minority forces have started heinous acts against Hindus and Buddhists.

The International Crime Tribunal of Bangladesh sentenced to death Delwar Hussain Sayeedi, the vice President of Jamaat-e-Islami who is notoriously known for his hatred for non-muslims. The people of Bangladesh rose in protest against the verdict of the Tribunal. This movement was led by Jamaat-e-Islami and BNP. It is so unfortunate that the main purpose of the protest is to attack Hindus and Buddhists and destroy their houses and businesses, vandalize their temples, set them on fire and rape the Hindu women. Many Hindus and Buddhists had to flee to India for safety of lives and their women folk. The criminal attacks on Hindus took place mainly in Chittagong Division and districts scattered all over the Bangladesh.

I request the Government of India to take up seriously the matter with the Government of Bangladesh to ensure safety of Hindus and other minorities and also protect their business, property and honour.

(x) **Need to provide stoppage of superfast AC train running between Bhuj and Mumbai at Samkhairi railway station in Kutch district of Gujarat**

SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): I request the Hon'ble Railway Minister that there is need to provide a stoppage of Superfast AC train running between Bhuj and Mumbai at Samkhairi railway station in the Kutch district of Gujarat.

(xi)Need to expedite gauge conversion work of Ratlam-Fatehabad-Indore-Mhow-Khandwa-Amalakhurd-Akot-Akola section

SHRI SANJAY DHOTRE (AKOLA): The gauge conversion of Ratlam-Fatehabad-lndore-Mhow-Khandwa-Amalakhurd-Akot-Akola section popularly known as North-South Link was sanctioned in the year 2008-09. However, the most important section of the project i.e. Akola-Khandwa has not been completed till date despite the fact that the rate of return of this section is 25.02 per cent, the highest ever in the history of Railways. It is also a fact that the development work of backward regions of Malwa, Vidarbha, Marathwada and Telangana will be affected in the absence of such North-South Link.

The recent collapse/closure of Sewagram-Nagpur section for 3-5 days due to heavy rainfall and washing away of bridge and accumulation of soil under the tracks have thrown the Indian Railways out of gear causing large scale hardships to the passengers and residents of the affected regions. It has now become imperative that the work of gauge conversion of the Akola-Khandwa section, an important section of North-South Link, may be completed at the earliest to protect the interests of the passengers, residents and to give impetus to the development work of the backward regions.

(xii)Need to provide full benefit of educational loan by State Bank of India to students of Indian Maritime University, Kolkata, West Bengal

श्री हरी माझी (गया): भारत सरकार ने ऐसे मेधावी छात्र छात्रायें जो गरीब परिवार से आते हैं तथा दूसरे राज्य में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अपनी शिखा पूर्ण करने में किसी तरह की आर्थिक कमी न हो इसके लिए रियायती दर पर सरकार शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है जिससे हर वर्ष हजारों गरीब एवं मेधावी छात्रों को देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई पूरी कर अपना भविष्य संवारने का मौका मिलता है । निःसंदेह सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सराहनीय है । परंतु कुछ बैंकों द्वारा अनावश्यक रूप से ऋण लेने की प्रक्रिया को जटिल बनाकर लाभार्थियों की संख्या में कमी की जाती है ।

देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में एक इंडियन मेरीटाईम विश्वविद्यालय कलकत्ता कैम्पस विद्यार्थियों के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है । वहाँ के भारतीय स्टेट बैंक के अलीपुर शाखा द्वारा उक्त संस्थान के विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 9 लाख रूपये ऋण उपलब्ध कराया जाता था किन्तु वर्तमान वर्ष में यह राशि घटाकर 7 लाख रूपये कर दी गई है । आज जबकि महंगाई बढ़ रही है ऐसी स्थिति में ऋण को घटाना समझ से परे है। पहले ऋण उपलब्ध कराने का तरीका सहज था लेकिन इस वर्ष तरीका जटिल होता जा रहा है । अभिभावकों से अपने स्थायी पते पर निकटतम बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र माँगा जा रहा है जबकि बैंक पहले यह काम स्वयं कराती थी ।

(xiii) Need to take necessary measures for construction of sewerage and drainage system under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission in Fatehpur city in Uttar Pradesh

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत अभी तक किसी भी योजना की स्वीकृति नहीं मिली है । फतेहपुर शहर में सीवरेज कार्य के लिए लगभग 275 करोड़ रूपये का एस्टीमेट तथा ड्रेनेज कार्य के लिए लगभग 150 करोड़ रूपये के दोनों एस्टीमेट प्रदेश की स्टेयरिंग कमेटी में लंबित है । फतेहपुर शहर की आबादी ढाई लाख के लगभग है और यहां पर अभी तक सीवरेज का कार्य नहीं हुआ है जिससे गंदा पानी नालियों में भरा रहता है साथ ही गंदे पानी की निकासी न होने से पानी खुले स्थानों पर ठहरा व भरा हुआ रहता है जिससे यहां पर मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है । शहर के गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होने से फतेहपुर शहर के निवासियों ने अपने घरों के भीतर एवं बाहर भूमिगत सोख्ता गंदे पानी के लिए बना रखा है जिससे शहर का भूमिगत जल भी दूषित हो रहा है । शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति भी भूमिगत जल के द्वारा की जाती है और इस दूषित जल के पीने से शहर के लोगों में किडनी व अन्य प्रकार की बीमारियां यहां के लोगों को हो रही है । ड्रेनेज की कोई व्यवस्था न होने से शहर का पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है जिससे फतेहपुर के नागरिकों का जीवन नारकीय हो गया है ।

अतः मेरा भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से यह मांग है कि वह फतेहपुर शहर हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत सिवरेज व ड्रेनेज सिस्टम के जो दो प्रस्ताव प्रदेश की स्टेयरिंग कमेटी में लंबित है उन्हें मंगाकर जल्द स्वीकृति प्रदान की जाये जिससे फतेहपुर शहर में सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम के कार्यों को शीघ्र किया जा सके । फतेहपुर शहर के इन दोनों कार्यों के होने से नागरिकों को नारकीय जीवन एवं प्रदूषित हो रहे पर्यावरण से बचाया जा सकेगा ।

(xiv)Need to address the problems of women working as cooks under mid-day meal scheme in schools in Uttar Pradesh

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): देश में मिड-डे-मिल योजना संचालित है, इस योजना में सभी प्राथमिक विद्यालयों में रसोइयों की नियुक्ति की गयी है । यह रसोइयां भोजन को कैसे गुणवत्ता युक्त बनाए, जब खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त नहीं आ पाती । अगर यह सड़े-गले सामग्री का विरोध करें तो देश में आए दिन इस योजना से बीमार पड़ने व मरने वाले बच्चों को बचाया जा सकता है । परन्तु अगर यह विरोध कर दे तो इनको कार्य पर लगाने वालों की भृकुटी तन जाती है और इनको काम से निकाल दिया जाता है । इसलिए यह सड़े-गले सामान बनाने को मजबूर है । यहीं नहीं उत्तर प्रदेश में तो एक शासनादेश लागू कर दिया गया है कि जिस रसोइया का बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा वहीं भोजन बनाएगी । अब आप ही बताएं जब योजना प्रारंभ हुई तो स्कूलों पर रसोइयों की नियुक्ति की गयी । जिसमें 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएँ व विधवाएँ थीं । वर्षों तक इनसे कार्य कराने के बाद इनको इसलिए हटाया जा रहा है कि इनके बच्चे स्कूल में नहीं है । इनके वेतन का कोइ शासनादेश नहीं मिलता है । मेरी केन्द्र सरकार से गुजारिश है कि मिड-डे-मिल योजना को व्यवस्थित कर इनमें भोजन बनाने वाली महिलाओं की समस्याओं का निदान करें एवं इनकों खराब भोजन हेतु जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है ।

(xv) Need to open branches of Nationalised Banks in Samastipur parliamentary constituency, Bihar

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): बिहार राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी हेतु बिहार सरकार विभिन्न माध्यमों से केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से मांग करती रही है कि बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को बढ़ाया जाए । इस मांग के अनुरूप अभी तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पाई है जिससे बिहार राज्य की जनता को बैंकों की सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे संसदीय क्षेत्र में निम्न स्थानों पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की नई शाखाएं खोलने हेतु मैं मांग करता हूं । प्रथम समस्तीपुर जिला के सिंधिया प्रखण्ड मुख्यालय में, द्वितीय, समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखण्ड के बाघोपुर बाजार में, तृतीय, समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखण्ड के श्रीपुर गाहर चौक पर, चौथा, दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान बाजार में, पांचवां दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पिश्चिमी प्रखण्ड में सती घाट एवं छठा, इसी प्रखंड के सहोरबाघाट में ।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं उपरोक्त स्थानों पर अविलंब खोली जाएं जिससे बिहार की जनता लाभान्वित हो सके ।

(xvi)Need to convert National Highway No. 60 in Birbhum parliamentary constituency in West Bengal into a four lane road

SHRIMATI SHATABDI ROY (BIRBHUM): I want to draw your attention towards N.H. 60, the major portion of which falls in my Birbhum parliamentary constituency in West Bengal.

The said national Highway is a very busy road. Lorry, buses and other vehicles ply on the road. It is needless to mention here that the number of the vehicles is so high that it causes jam every day. The said vehicles cannot run smoothly. Not only that accident takes place every day, this has become the accident prone zone.

I would appeal to the Government to convert this busy road into a four lane one as it will benefit both the people and business.

(xvii) Need to set up Research and Development Centres and colleges in the field of agriculture, horticulture, fisheries and rubber in Kanyakumari district of Tamil Nadu

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Kanyakumari district has 98% literacy rate compared to other districts in Tamil Nadu. Keeping in view the high literacy rate, Kanyakumari district has to be given more importance in the development of educational sector and other related facilities. Kanyakumari district depends on agriculture from where its major revenue is being generated. There are a total of 808 schools and 178 colleges in Kanyakumari district.

I would like to draw the attention towards the fact that there is no Research and Development Centre in Kanyakumari. For the development of agriculture, horticulture and fisheries, establishment of Research and Development Centre along with the relevant colleges will boost the educational sector very much. To safeguard the interests of population depending on the manufacturing and making of rubber, more and more avenues are required. Indian rubber, especially from Kanyakumari is having more demand in international market because of its good standard and quality. In order to sustain the quality and increase in production of rubber, a Research Education Centre is very much essential. To attract more students and to render qualitative education, establishment of Research and Development Centres alongwith colleges in the relevant fields are much needed.

Hence, I urge upon the Government to establish Research and Development Centres in the relevant fields in Kanyakumari District for the larger interest of the people.

(xviii) Need to provide immediate financial assistance to Kerala distressed due to heavy rains

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to place before the Government the loss occurred in Kerala due to monsoon calamity from 1st June to 1st July 2013. Almost all the agricultural produce and cash crops were severely affected. Infrastructure facilities such as bridges, roads, electricity have been damaged to a great extent. Scores of persons have died. The preliminary estimated loss comes to about Rs. 500 crores in real terms. Government of Kerala has already submitted a representation for immediate financial assistance to the State. Earlier there was heavy loss due to severe drought in the State. The drought and flood have adversely affected the economic and financial structure of the state. Therefore, I request the Government to take immediate steps to give financial assistance to the State.

(xix) Need to provide funds for construction of building for Kendriya Vidyalya at Bhadrak in Odisha

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): The Kendriya Vidyalaya at Bhadrak of Odisha State has been functioning in a makeshift building ever since it was established in the year 2006. The Hon'ble Minister of Human Resource Development assured on the floor of the House that funds will be provided soon for the purpose by the Ministry.

Hence, I urge upon the Government to provide funds required for construction of school building for Kendriya Vidyalya at Bhadrak in Odisha at the earliest.

(xx) Need to increase the Minimum Support Price of Jute

SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR): This year the production of Jute is upto the satisfaction level in most districts of West Bengal. The quality of Jute is undoubtedly superior and glossy this year in comparison to last few years. Due to enough rainfall throughout the State, the farmers did not face any problem regarding the rotting of the Jute. But, the problem arose when Jute Corporation of India fixed the Minimum Support Price of the Jute to Rs.2,300/- per quintal. You will be surprised to know that this is only Rs.100/- more from the previous year. It is a known fact that the prices of fertilizers have increased by more than 15% compared to last year and also there is huge input cost in the form of labour and making the soil ready for plantation. Now, after the declaration of MSP of Jute by Jute Corporation of India, the poor farmers are agitated throughout the State and also burnt dry jute in protests. I, therefore, request the Hon'ble Minister of Textiles, to increase the Minimum Support Price of Jute to Rs.5,000/- per quintal from Rs.2,300/-, so that poor farmers of West Bengal are benefitted.

MADAM SPEAKER: Shri Jaswant Singh.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. You have given these notices. I am asking you to speak on these motions.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, you have given me notices. You please sit down. If you sit down, I will call you. I have received notices also from your side. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. I have received your notices. Please sit down. Whatever notices I have, we will start with them. Please sit down. Notices of Adjournment Motion are disallowed, but I will give you time to speak. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव जी, आपको बुलाएँगे, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

MADAM SPEAKER: Shri T. R. Baalu, I will ask you to speak, but turn by turn.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आपको भी बुलाएँगे, आपका नाम भी है। आप बैठ जाइए। हम सबको बुलाएँगे। हम ऑनरेबल जसवंत सिंह जी से शुरू कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

MADAM SPEAKER: Shri Jaswant Singh please.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Jaswant Singh does not want to speak.

… (*Interruptions*)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : मेरा एडजर्नमैंट मोशन है। पैट्रोल और डीज़ल के बढ़ते हुए दामों के बारे में मेरा एडजर्नमैंट मोशन है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। एक मिनट बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let me speak.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष जी, मैं केवल दो मिनट लूँगा। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, हम सबको बारी बारी से बुलाएँगे। पहले तो मैं यह बताना चाह रही हूँ कि यह जो मुझे एडजर्नमैंट मोशन मिले हैं, उन्हें मैंने डिसअलाऊ किया है और ज़ीरो आवर में मैं सबको बोलने का मौका दे रही हूँ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया : ऐसे क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं करिये। अनंत कुमार जी, आप बोलिये।

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: Madam Speaker, I had given my notice for Adjournment Motion on the issue of petroleum and diesel price hike. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Ananth Kumar, this is under 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : It is very unfortunate that this UPA Government led by the Congress is raising the prices of petrol and diesel every day. … (*Interruptions*) Recently, the price of petrol has gone up to Rs. 75 and that of diesel has reached Rs. 52. Our hon. Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Veerappa Moily, who hails from my State, has announced that the petrol pumps should be closed between 8 p.m. and 8 a.m. … (*Interruptions*) All the newspapers across the country and channels have reported his statement. … (*Interruptions*) Why is the hon. Minister disturbing? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: What is the major reason for petroleum price hike? What is the major reason for diesel price hike? The reasons is only the mismanagement of our country's economy by Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram. … (*Interruptions*) It is because of their mismanagement. … (*Interruptions*) Today, the rupee is devalued. The parity of rupee with the dollar has gone for a six. It is because of the mismanagement of the economy by the UPA Government. It is because of the mismanagement of the economy by the Congress.

We want to ask the hon. Minister of Finance why the rupee is getting devalued day by day like this. It is because of rupee's devaluation, the prices of petroleum and diesel are hiked.

We want only one thing. We want a clear assurance from the hon. Minister of Finance and the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas that there will be no curfew or no closure of the petrol pumps across the country between 8 p.m. and 8 a.m. … (*Interruptions*)

Not only that, we also demand that the petrol and diesel price hike should be rolled back. We want the roll-back of petrol and diesel prices. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. Thank you so much, Shri Ananth Kumar.

SHRI ANANTH KUMAR : I want to put forth one more submission. I have not completed.

What is the tax component? They are collecting more than Rs. 1,40,000 crore. Last year they had collected Rs. 1,40,000 crore from the taxes on petroleum products. This year, it might have gone up much further. Therefore, I urge upon the Government, through you, Madam, that the taxes have to be reduced. The Central Taxes on petroleum products and diesel products should be reduced. On LPG, it should be reduced; on Kerosene, it should be reduced. It will be having a cyclic effect.

Madam, if they raise the price of petrol, price of diesel, there will be a cascading effect on the economy. There will be further inflation, further price rise. Already, in the market, we are getting onion at Rs.80 per kilogram. What about sugar? It is sold at Rs.42/- per kilogram. Even rice is sold at Rs.40/- per kilogram. This UPA Government, this Congress Party is not for the *Aam Admi*. It is for the *Khaas Admi*. It is for the hoarders. It is for the blackmarketeers and dalals. (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right, thank you so much.

SHRI ANANTH KUMAR : Therefore, the Finance Minister and the Petroleum Minister both should assure this House that first, there will not be any curfew on petroleum products that will be imposed on the country. Second, They should assure that they will roll back the petroleum price hike immediately.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shrimati Darshana Jardosh, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Virender Kashyap, Shrimati Jayshreeben Patel, Shri Hari P. Choudhary, Prof. Ramshankar, Shri Ramsinh Rathwa and Shri Shivarama Gouda are allowed to associate with Shri Ananth Kumar on price rise of petrol and diesel which he raised during the 'Zero Hour' today.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मैडम, मैंने भी नोटिस दिया है, मुझे भी बुलाइए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हां-हां, आपको भी बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, it is a matter of grave concern that the prices of almost all essential commodities are rising.… (*Interruptions*) Inflation has already crossed 10 per cent. The livelihood of the people of our country is in a very bad condition. The Government are deciding

and they have deregulated the prices of petrol and diesel. Earlier, they deregulated the prices of petrol. Subsequently, they have deregulated the prices of diesel. As a result of this, the oil companies are increasing the prices of diesel and petrol every month. This time the increase in the price of petrol is almost, approximately Rs.3/- During this year, the increase in the prices of petrol and diesel has been for more than six times. He has also made a statement. He should clarify in this House that every month the price of diesel will be increased by Rs.5. He made a statement. He has also made a Statement that petrol pumps throughout the country would be closed from 8 p.m. to 6 a.m.… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI M. VEERAPPA MOILY): No such Statement has been made.… (*Interruptions*) No such curfew is imposed. It is only an increase in the price.… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, this House is demanding that there should be restructuring in the tax, duties and cess. Whenever there is an increase in the price of petrol and diesel, there is an increase in the tax collection, realization of taxes. Whenever there is an increase in the price of petrol and diesel, it has its cascading effect. When the country is facing inflation, when the prices of almost all the essential commodities are rising beyond the capacity of the people of our country, by increasing the prices of diesel and petrol, this Government has increased the burden on the common people of our country. Without restructuring the tax, if the Government has reduced the tax and duties by 10 per cent on diesel and petrol, they need not increase the price of petrol, diesel and LPG. The price of LPG has been increased by Rs.50/- That means, this Government is reducing the subsidy putting burden on the common people.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : We, therefore, demand that the increase in the prices of petrol and diesel should be rolled back forthwith. The Minister of Petroleum should make a Statement immediately to clarify in regard to what he has stated that every month there would be an increase in the price of petroleum

by Rs. 5 … (*Interruptions*) The increase in the prices of petroleum, diesel and LPG should be rolled back forthwith. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri M.B. Rajesh, Shri P. Karunakaran, Sk. Saidual Haque, Shri Shivkumar Udasi and Shri Shailendra Kumar are allowed to associate with the issue raised by Shri Basu Deb Acharia.

… (*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, यह महत्वपूर्ण मामला है। हम सबको बोलने का समय दें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हें बोलने का समय दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): महोदया, हमें भी इस पर बोलने का समय दें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रभुनाथ जी, आप इस विषय से अपने को संबद्ध कर लीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदया, हमें बोलने आता है। इसलिए हम स्वयं बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, हमें भी बोलना है।

अध्यक्ष महोदया : प्रभुनाथ सिंह जी के बाद आपको बोलने का समय देंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मुलायम सिंह जी, हम आप की ही बात बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : आपको उनकी बात नहीं बोलनी है। जिस विषय पर आपका नोटिस है, उस विषय पर आपको बोलना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, हम ने नोटिस दिया है कि जो बार-बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे जनता पर अनावश्यक बोझ बार-बार लादा जा रहा है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन पर इस से असर पड़ता है। खासकर, डीजल के दाम बढ़ाने से किसानों पर इसका ज्यादा बोझ बढ़ रहा है क्योंकि जो सूखा इलाका है, वहां लोग डीजल से ही खेती का काम कर रहे हैं। यह आए दिन की बात हो चुकी है। हम समझते हैं कि डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाने के बाद राज्यों में जो टैक्स लगते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, वैट इत्यादि जितने भी टैक्स है, उससे इस पर भार बढ़ जाता है और इससे खासकर किसान वर्ग त्राहिमाम कर रहा है।

हम सरकार से कहेंगे कि इस पर जो टैक्स लेते हैं, उस टैक्स में कटौती करें और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनके दाम घटाएं। अगर ये टैक्स में कटौती नहीं कर सकते हैं तो ये किसानों को जो डीजल देते हैं, उसमें सब्सिडी देने की व्यवस्था करें ताकि किसानों को राहत मिले और किसान इस पर उचित खर्च कर के, अपनी पैदावार कर के इस देश का भार उठा सकें। डीजल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे इसका अंतिम मूल्य भी तय नहीं किया गया है कि कितना तक बढ़ेगा। जब मन करता है, तब यह बढ़ता जाता है।

अध्यक्ष महोदया, हम सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं। हमें लगता है कि सारा सदन इस पर सहमत है कि जिस ढंग से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात चल रही है, उस पर नियंत्रण किया जाए और इसके मूल्य को नहीं बढ़ाया जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केवल दो मिनट में आपके सामने बात रखूंगा। सत्रह जातियां हैं जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति में लेने का निर्णय लिया था और वह लागू भी हो गया था। उन्हें सुविधा मिलनी शुरू हो गयी थी। उसके बाद जो दूसरी सरकार आयी, उसने उस आदेश को निरस्त कर दिया। उस समय बूटा सिंह जी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के पहले के निर्णय को स्वीकार किया था। उनके द्वारा स्वीकार करने के बाद ही उन जातियों को सारी सुविधाएं मिलीं।

मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि इनमें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अति पिछड़ी जातियां हैं। इनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बातम, तुराह, गौड़, मांझी तथा मछुआ हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के सबंध में मंत्रिपरिषद् ने स्वीकार किया। पांच सदस्यों की उप-समिति ने इसकी पुष्टि की है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण ने मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा से

प्रस्तावित कराकर माननीय प्रधान मंत्री जी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को मार्च, 2013 में सम्पूर्ण प्रस्ताव सहित पत्र केन्द्र सरकार को भेजा है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन सत्रह अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कृपा करें। ये जातियां पहले अनुसूचित जाति में रह चुकी हैं। उन्हें वह सुविधा मिली है। बाद में दूसरी सरकार ने उस आदेश को निरस्त किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उठाए गए विषय से श्री विश्व मोहन कुमार एवं श्री रमाशंकर राजभर स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I am going by the notices which I have received. I am going by that. Please allow me to do that.

… (*Interruptions*)

श्री बसुदेव आचार्य : पिछड़ी जातियों के मामले में हम इसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप तो बोल चुके हैं। आप क्यों खड़े हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, दादा मुलायम सिंह जी के विषय से अपने को संबद्ध कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, आपका नोटिस है। आपको बोलने का समय देंगे। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सौगत राय जी।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, thank you for allowing me. I want to bring to the notice of the House that the economy continues to be in a mess, in spite of the Prime Minister's assurance the rupee fell by 61 points to reach 68, and then came down to 67 point something. The Sensex also fell very drastically, the highest in at least 15 days. With the falling value of the Rupee, the price of petroleum products, including Petrol, Diesel, Cooking Gas, Kerosene and Aviation Turbine Fuel, have all increased or are going to increase. The

Government is waiting for the Parliament Session to end to increase the prices. The Government has been a total failure in managing the economy, and preventing the drastic fall of the Rupee which has pushed up the price of imports, especially oil imports where 70 per cent of oil has to be imported from abroad. This is putting a terrible pressure on the economy. The price of public transport will go up, air fares will go up and the economy will be in a total mess. In spite of the Prime Minister assuring the House, the Government has not taken one drastic step to prevent the fall of the Rupee which has had a cascading effect on the economy, thereby raising inflation and the prices of common products as has been mentioned, including onions and sugar.

I, again, demand that the Government announce drastic steps to prevent the sharp fall in the value of the Rupee vis-à-vis the US Dollar and the English Pound and assure the countrymen. Goldman Sachs has said that growth will come down to 4 per cent. What will happen to employment? Some economists are predicting that the Rupee is going to touch 72 per Dollar in a month's time. Our imports will go through the roof and the common people will be subjected to tremendous misery against which we have protested, on behalf of our Party, yesterday. I reiterate our protest against the Government's total failure to manage the economy of the country.

MADAM SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi will associate himself with the matter raised by Prof. Saugata Roy.

SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING): Madam Speaker, I have been endeavouring for the past several days to draw the attention of the House to, what I think is, an extremely important issue. That is the increasingly destructive conflict that has afflicted Syria. I think it is necessary for us to recognize that though civil wars, by their very nature, are extremely brutal and uncivil which Syria is currently going through, Syria is also being torn apart simultaneously by a fanatical, religious and sectarian conflict.

Madam, it is a matter of some regret to me that all these days that the threat of attack on Syria by Western Powers has been there, the Government and the House have not been able to mention this at all. I had occasion to mention this to the very affable, but not so able, Minister of External Affairs that this is a very dangerous situation that has arisen. I also drew his attention to, what I found was, a very objectionable statement by the Prime Minister of Great Britain, while speaking in the House, where he has spoken of having consulted with the Indian Prime Minister about wanting to attack Syria.

I did bring it to the notice of the Minister concerned and because of that, I am very glad, a Statement was issued, but I take objection even to that Statement because the Statement correcting the situation came across in a very strange language. Somebody from the High Commission announced that it was an 'innocent mistake' on the part of the Prime Minister of little Britain. This is a new language, Madam, in the world of diplomacy about mistakes becoming 'innocent mistakes.'

We, now, witness the US President having gone to the Congress to seek permission, without UN sanctions, to attack Syria. I do submit, Madam, that the Western world are not the policemen, or the keepers of global peace. This is unacceptable, and this must be unacceptable to India that the world in general takes a stand and most unfortunately the Indian Government reacts only belatedly to what I think is a globally very destructive situation.

I submit, Madam, that Syria is our neighbour. It is also the fulcrum of the Arab World. It is a civilisation that has nurtured Christianity and Islam. In fact, those of us who have studied this matter know that the Epiphany of St. Paul was when he was riding into Damascus, fell off his horse; a voice came, 'why are you going to kill the Christians' and he converted to Christianity on that account and became, in process, a saint. Surely, those who have studied history and military history know that Allenby, at the end of the Mesopotamian Campaign, rode into

Damascus on a charger because he wanted to see it as an extension of the great campaigns of Christendom against Islam.

Either way it is unacceptable. The West has no authority to take action against any country whatsoever and having already caused so much damage to our neighbourhood because, I submit, Madam, that we have to consider very seriously that US military intervention in Asia starting from Korea, Vietnam, Iraq, Afghanistan, half of western Pakistan, all this is now a desert from Peshawar to Morocco and it is entirely on account of Western intervention.

I do believe that the Government of India has to speak with much sounder and stronger voice against this kind of global policing or hegemony that we are witnessing. That is my appeal, Madam.

MADAM SPEAKER: Shri Virender Kashyap, Shri Virendra Kumar, Shri Ashok Argal, Shri Bhartruhari Mahtab, Shri Ramen Deka, Shri K. D. Deshmukh, Shri Shivarama Gouda, Shri Shivkumar Udasi, Shri Ramesh V. Katti, Shri A. Sampath, Shri M.B. Rajesh, Shri P.K. Biju, Dr. Kirit P. Solanki, Shrimati Darshana Jardosh, Shri Mahendrasinh Chauhan, Shri Naranbhai Kachhadia, Sk. Saidul Haque, Shri Arjun Meghwal, Shrimati Jayshreeben Patel, Shri Ravindra Kumar Pandey, Shri Ramsingbhai Rathwa, Dr. Ram Shankar, and Shri Hasraj Ahir associate themselves with the matter raised by Shri Jaswant Singh.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I have also given a notice on this… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैसीमुथियारी जी को बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Madam Speaker, I am quite thankful to you for giving me an opportunity to speak about the long pending genuine issue for the creation of a separate State of Bodoland… (*Interruptions*) I would like to urge upon the Government of India to take appropriate steps to help create the much long awaited….(*Interruptions*) separate State of Bodoland carving out of the present State of Assam… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनकी बात सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे, वे सुन रहे थे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : The claim of the Bodo people for getting a separate State of Bodoland is very legitimate, very genuine, very democratic and it is our historical prerogative. Our question to the Government of India is, if the present Government of India could take a political decision to create the much, long-awaited separate State of Telangana, why there cannot be a similar kind of political decision in the case of the Bodoland State also? So, Madam, through you, I would like to urge upon the Government of India, once again, to take the political decision to create the much-awaited separate State of Bodoland without any furthermore delay…. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Somebody is speaking.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : श्री बैसीमुथियारी जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैसीमुथियारी जी को बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY: I am sorry to say.… (*Interruptions*)

Listen to me.

MADAM SPEAKER: You continue.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : We are in a great trouble; we are in a great tragedy these days..… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You continue.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Respected Madam, Speaker, through you, I would like to urge upon the Government of India and all the learned Members of this august House to take appropriate steps to help create the much, long-awaited separate State of Bodoland in line with Telangana. Our vital question to the Government of India is, if the present Government of India could take a political decision in the matter of the creation of the much, long-awaited separate State of Telangana, why there could not be similar kind of a political decision in the case of the creation of a separate State of Bodoland? Why should there be double standard in Government of India's policy? Why there should be discriminatory policy? Let there be an inclusive policy approach from the Government of India to create the much, long-awaited separate State of Bodoland also … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Thank you. Now Dr. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, thank you very much. Already I have given the notice for Adjournment Motion regarding the Cauvery river issue. This is a very important issue.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी डा. तम्बिदुरई की बात को सुनिए।

…(व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written D.O. Letters to the hon. Prime Minister regarding the Cauvery river issue. It is a very serious matter. I wish to bring, through you, to the urgent notice of the Union Government an important issue related to the proposals of the Government of Karnataka to build reservoirs across the river Cauvery at Mekedatu for generation of hydroelectric power.

Also, Madam, another important issue is this. Cauvery Neeravari Nigama Limited, a Government of Karnataka Enterprise, has put out advertisements in newspapers inviting Expression of Interest for the restoration and rejuvenation of river Arkavathy and for the modernization of the Hemavathy canals. If the proposals are taken like this, it will affect Tamil Nadu. In this connection, Tamil Nadu Chief Minister has written to the Prime Minister to take necessary action and stop the Karnataka Government not to construct this kind of a new project; and without the consent of Tamil Nadu Government, Karnataka Government must not take up new projects on the river Cauvery.

Also, Madam, in a federal structure, no upper riparian State can unilaterally interfere with the natural flow of an inter-State river without the consent and concurrence of the lower riparian State.

Under the circumstances, I would request the Government of India to intervene in the matter and advise the Government of Karnataka and its Cauvery Neeravari Nigama Limited not to proceed with any projects in the Cauvery Basin till the Cauvery Management Board is formed. Further, the Government of Karnataka may be instructed to advise the Cauvery Neeravari Nigama Limited appropriately to withhold the Invitation for Expression of Interest called for by it

for these two projects and also not to call for any Invitation for Expression of Interest for the projects of Karnataka lying in the Cauvery Basin till the Cauvery Management Board is formed and request the Government of India to form the Cauvery Management Board immediately and the Cauvery Water Regulatory Committee as suggested by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri S.S. Ramasubbu, Shri P. Lingam and Shri P.L. Punia are allowed to associate with the issue raised by Dr. M. Thambidurai.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only what Shri T.R Baalu is saying will go in record.

(Interruptions) … [*]

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, the farmers of Tiruchirappalli Thanjavur Thiruvarur Nagapattinam and Pudukottai are depending on the Cauvery water.

MADAM SPEAKER: No, you wanted to speak on Katchatheevu. You please come on Katchatheevu.

SHRI T.R. BAALU : They have already lost the first crop, kuruvai crop. Now they are depending upon the second crop, that is samba crop.

MADAM SPEAKER: Come on Katchatheevu, Baalu *ji*.

SHRI T.R. BAALU : Yesterday, the Law Minister of Karnataka Government has gone on record to construct dams across Cauvery. It is against lower riparian rights.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No. You please speak on Katchatheevu.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : No, Madam. I have given a notice on the Cauvery issue… (*Interruptions)* It is on the same issue, Madam. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

---

[*] Not recorded.

SHRI T.R. BAALU : My leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi was in power as the Chief Minister. … (*Interruptions*) He opposed the construction of dams at Megadadu in Karnataka and written to the Government of India for intervention to stop them. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. Thank you.

… (*Interruptions*)

11.35 hrs

At this stage, Shri Suresh Angadi, Shri P. Kumar, Shri T.K.S. Elangovan, Shri R. Thamaraiselvan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: Shri Syed Shahnawaz Hussain.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं भागलपुर की बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) भागलपुर में बहुत ज्यादा बाढ़ आई है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Syed Shahnawaz ji is speaking now. Allow him to speak now. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : गंगा नदी में बाढ़ है। भागलपुर में पूरी मिर्जा चौकी, पीरपैंती, कहलगांव का एरिया डूबा हुआ है।...(व्यवधान) किसानों की हालत बहुत खराब है क्योंकि केले की खेती नौगछिया बैल्ट में होती है, वह पूरी तरह डूब गई है।...(व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्राकृतिक आपदा है क्योंकि फरक्का का फाटक नहीं खुला, पूरा पानी भागलपुर और बंगाल के बार्डर तक जाकर रुका हुआ है। वहां बहुत भयंकर बाढ़ आई है।...(व्यवधान) भागलपुर में त्राहि-त्राहि है। वहां की सरकार को लोगों को टोटल रिलीफ देना चाहिए। नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां व्यवस्थाओं की कमी दिख रही है।...(व्यवधान) आम लोगों में बहुत परेशानी है। अध्यक्ष महोदया, मैं इस मुद्दे को कई दिनों से उठा रहा हूं क्योंकि भागलपुर की बैल्ट में बहुत बड़ी तादाद में खेती होती है। वहां किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए।...(व्यवधान) गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। उसकी वजह से बाढ़ आई है। इसलिए केन्द्र सरकार भी इसका पूरी तरह संज्ञान ले। जिस तरह कोसी की बाढ़ आई थी उसी तरह गंगा जी की बाढ़ है। पूरा भागलपुर

जलमग्न है। इस वजह से मैं इस विषय को कई दिनों से आपके संज्ञान में ला रहा था।...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सरकार इसका संज्ञान ले क्योंकि भागलपुर में पीरपैंती, कहलगांव, नाथ नगर, नौगछिया, गोपालपुर आदि पूरा इलाका डूब गया है। बगल में खगरिया का एरिया डूब गया है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He is speaking on a different subject. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : गंगा के तट पर यह बहुत बड़ी बाढ़ है। केन्द्र सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। भारत सरकार ने जिस तरह कोसी की बाढ़ के समय पैसा दिया था, उसी तरह गंगा की बाढ़ के लिए भी पूरा सहायता देनी चाहिए।...(व्यवधान) बिहार सरकार को भी उस इलाके में राहत कार्य तेजी से करना चाहिए।...(व्यवधान) किसान परेशान हैं क्योंकि जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान) पूरा नार्थ बिहार बेगुसराय, खगरिया, भागलपुर, बंगाल, फरक्का तक गंगा के तट पर बसा हुआ है। गंगा में जब ज्यादा पानी आता है तो फरक्का तक फाटक से पानी रोक दिया जाता है। फरक्का में बंगलादेश से एग्रीमैंट है। अगर फरक्का का पानी खोला जाएगा तब जाकर वहां बाढ़ का प्रकोप कम होगा।...(व्यवधान) इसलिए गंगा जी का जलस्तर ऊंचा उठता जा रहा है और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस बारे में संज्ञान ले और भागलपुर के इलाके में राहत कार्य तेजी से चलाया जाए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats. He is speaking on a different subject. That subject is over. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: We are on a different subject now. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: We have other works to do. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : बाढ़ राहत के नाम पर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं चल रहा है।...(व्यवधान) लोगों के घर डूब गए हैं।...(व्यवधान) हमारा अनुरोध है कि सरकार इस पर बयान दे। भागलपुर और साथ ही गंगा तट पर जो बाढ़ है,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार का दर्द यहां रख रहा हूं। बिहार में एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सुखाड़ है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, बिहार की बाढ़ पर सरकार को युद्धस्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात पूरी हो गयी।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : बिहार की बाढ़ पर सरकार को युद्धस्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। ...(व्यवधान) सरकार को युद्धस्तर पर कार्य चलाना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश सहित देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की जो हालत खराब हुई है, उस तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। ...(व्यवधान) हमारे यहां 4,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन वे सब गड्ढों में तब्दील हो गये हैं। वहां गाड़ियां फंसी हुई हैं, आवागमन रुका हुआ है। ...(व्यवधान) एनएच 3, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, पुणे, मुम्बई भी प्रभावित है। ...(व्यवधान) एनएच 7, एनएच 25, एनएच 59, एनएच 69 और एनएच 75 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उन सड़कों के सुधार के लिए आवश्यक धनराशि देने का काम करे। आज बरसात के कारण सड़कें पूरी तरह से गड्ढों में समा चुकी हैं। ...(व्यवधान) जगह-जगह पर अवरोध उत्पन्न हो चुका है।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सार्वभौम सदन की अधिष्ठात्री, सभा अध्यक्ष महोदया जी, मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी वेदना को सम्वेदना दी है।...(व्यवधान)

मैडम, बिहार में गंगा की अप्रत्याशित बाढ़ से 42 वर्षों में यह संकट उपस्थित हुआ है। गंगा की बाढ़ से लगभग 60 लाख आबादी त्रस्त है और विशेषकर मैं बेगूसराय जिले के बारे में कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) बेगुसराय जिले में मटिहानी प्रखंड में रामदीरी, सिहमा, चाक, बलहपुर, महेन्द्रपुर और बेगुसराय प्रखंड में रचियाही, कचहरी, टौला, धोबियाटोल. आकाशपुर, कमुरूद्दीनपुर, झुमरी, तेघड़ा प्रखंड में बरौनी, निपनिया, मधुरापुर, बजलपुरा, बछवाड़ा प्रखंड में चमथा, चिड़ैया टोक, रूपसवाज और बलिया प्रखंड में प्रयारपुर, दहादपुर, सदानन्दपुर, हुसैना, भगतपुर, मनेसरपुर इस तरह से सारे हिस्से बाढ़ से तबाह हैं, बर्बाद हैं, बेपनाह हैं। राज्य सरकार इतनी बड़ी बर्बादी के संबंध में उदासीनता बरत रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल. पुनिया अपने आपको श्री भोला सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

…(व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, राष्ट्रीय नदी की बाढ़ से पूरा पूर्वांचल तबाह हो चुका है। …(व्यवधान) मैंने पिछली बार भी इसी सदन में गंगा नदी की बाढ़ के मामले को उठाया था। …(व्यवधान) किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गयीं। …(व्यवधान) उनके घर गिर गये हैं। पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। गंगा राष्ट्रीय नदी है और मैंने पिछली बार भी इसी सदन में केन्द्र सरकार से यह मांग की थी कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जो सहायता राशि दी जाती है, उसकी मात्रा कम होती है।…(व्यवधान)

11.44 hrs

At this stage, Shri T.K.S. Elangovan, Shri R. Thamaraiselvan and some other hon. Members went back to their seats.

श्री रामकिशुन : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल केन्द्रीय बाढ़ सहायता के लिए एक दल भेजे और उत्तर प्रदेश सरकार को बाढ़ के लिए सहायता भेजने का काम करे। …(व्यवधान) हमारी जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका मुआवजा, उनकी राशि बहुत कम मिलती है, केवल 200-300 रुपया एकड़ मिलती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की फसलों के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाये। …(व्यवधान) जिन किसानों के मकान गिरे हैं, सरकार उन्हें कम से कम 50 हजार रुपये मुआवजा देने का काम करे। …(व्यवधान) जिनके जानवर मर गये, उन्हें भी मुआवजा देने का काम केन्द्र सरकार करे। केन्द्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। मध्य प्रदेश के पूरे पानी ने वहां आकर पूर्वांचल को तबाह करने का काम किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार वहां एक केन्द्रीय सहायता दल भेजने का काम करे। …(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह (आरा) : मैडम, मैं आपकी आभारी हूं, आपने मुझे बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर बोलने का मौका प्रदान किया है। समय से वर्षा न होने के कारण आधा बिहार सूखे से प्रभावित है। …(व्यवधान) किसानों ने किसी प्रकार पम्पिंग सेट चलाकर धान की खेती की थी, वह गंगा, सोन, पुनपुन एवं घाघरा आदि नदियों में आयी बाढ़ के कारण पूर्णतः नष्ट हो गयी है। मेरे संसदीय क्षेत्र आरा के छः प्रखण्ड- शाहपुर, बिहिंया, बढैरा, कोइलवर, आरा सदर एवं उदवंतनगर बाढ़ की चपेट में हैं। …(व्यवधान) जिससे सैकड़ों गांवों के लाखों आबादी प्रभावित है। बाढ़ के कारण वहां की जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इन प्रखण्डों

का जिला मुख्यालय से सम्पर्क टूट गया है। ...(व्यवधान) हजारों हेक्टेयर की भूमि में लगे किसानों की फसल बर्बाद हो गयी है। दर्जनों लोग बाढ़ के पानी में डूबकर मर गये हैं। बाढ़ के कारण वहां के लोग अपना घर छोड़कर बांध पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आज के दिन यदि कोई महिला या पुरुष बीमार पड़ जाता है, तो उसे खाट पर या नाव पर लेटाकर हॉस्पीटल ले जाया जाता है। ...(व्यवधान) मवेशी चारे के बिना मर रहे हैं। वहां बाढ़ समाप्त होने के बाद भयंकर महामारी फैलने की संभावना है। बिहार सरकार राहत पहुंचाने के लिए अपने साधनों से हर संभव प्रयास कर रही है। ...(व्यवधान) इसके लिए मैं बिहार सरकार एवं भोजपुर के प्रशासन को धन्यवाद देती हूं। परन्तु केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना इस आपदा को झेल पाना मुश्किल है। ...(व्यवधान) अतएव, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से मांग करती हूं कि यथाशीघ्र केन्द्रीय टीम को बिहार भेजकर इस आपदा से हुई क्षति का जायजा लिया जाए एवं केन्द्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को हर आवश्यक सहयोग दिलाया जाए ताकि वह जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था कर सके। ...(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, मैं श्रीमती मीना सिंह द्वारा शून्यप्रहर में उठाये गये विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मैडम, मैं आपका धन्यवाद करता हूं , आपने मुझे जनहित के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) पूरे बिहार के अड़तीस जिले या तो बाढ़ की चपेट में हैं या सुखाड़ की चपेट में हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद एवं गया जिले का पूरा का पूरा भाग, साथ ही साथ दक्षिण बिहार के सारे जिले सूखे की चपेट में हैं। ...(व्यवधान) औरंगाबाद जिले में देव, कुटुम्बा, नवीनगर और विशेषकर नवीनगर के दक्षिणी भाग का टंडवा क्षेत्र, जो उत्तर कोयल नहर से दक्षिण का हिस्सा है, पूरी तरह से सूखे की चपेट में है। ...(व्यवधान) मदनपुर, देव, रफीगंज आदि प्रखण्ड तथा गया जिले का डुमरिया, बांके बाजार, गुरुआ, गुरारु, परैंया, कोंच, टिकारी आदि सभी प्रखण्ड सूखे से प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के बल पर डीजल पर सब्सिडी देकर धान की फसल को बचाने का काम किया है। ...(व्यवधान) लेकिन राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं। उससे बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भारत सरकार से इस आपदा से राहत पहुंचाने के लिए अनुरोध करता हूं। ...(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस स्थिति से बचने के लिए औरंगाबाद और गया जिले के क्षेत्र में सिंचाई का प्रबंध कराया जाए। ...(व्यवधान)

11.49 hrs

At this stage, Shri R. Thamaraiselvan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : अध्यक्ष महोदया, आपने शून्य प्रहर में मुझे प्राकृतिक आपदा झेल रहे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की समस्या को उठाने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि यह मेरा और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जिस करिश्माई व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का सुख भोगा, ...(व्यवधान) आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथीगण, उस निर्वाचन क्षेत्र और उनकी कर्मभूमि की समस्या से, जहां की जनता त्राही-त्राही कर रही है ...(व्यवधान) उसकी समस्या बताने के लिए मैं सदन के समक्ष खड़ा हुआ हूं, तो ये लोग वेल में आकर शोर मचा रहे हैं, उनको इन्होंने अपने पर्चे से गायब कर दिया।...(व्यवधान)

महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जनपद बलरामपुर की उतरौला तहसील के गलिबा, कुंदनमहरा, मझारी, महुआ, इब्राहीम, रंड़वरिया समेत लगभग तीस गांव राप्ती नदी के तटबंध के टूटने से बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहां के लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त है, खाने के लिए कुछ नहीं है। पशुओं का चारा भी नहीं बचा, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। आज वहां की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी महोदय ने अपने स्तर से जितना संभव था, व्यवस्था की है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि ...(व्यवधान) अविलम्ब जिलाधिकारी बलरामपुर से, पेट्रोलियम मंत्रालय के ओएनजीसी से सहायता की मांग की है।,...(व्यवधान) सीएसआर फण्डिंग के तहत वहां सहायता दी जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपकी बात आ गयी है।

श्री रमाशंकर राजभर ।

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदया, मैं डॉ. विनय कुमार पाण्डेय जी द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

11.50 hrs

At this stage, Shrimati J. Helen Davidson and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदया, हमारे बलिया जनपद में, हमारे संसदीय क्षेत्र के देवरिया जनपद में बाढ़ से एक लाख लोग बेघर हुए हैं, 18 हजार लोग आज टेन्ट में रह रहे हैं। गंगा, घाघरा, राप्ती आदि नदियों में आई बाढ़ से सम्पूर्ण बलिया जनपद और सम्पूर्ण देवरिया जनपद में बाढ़ ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारी बाढ़ आई हुई है।...(व्यवधान) सभी पशु-पक्षी, जानवर तक एकदम बिल्कुल बेहाल हो गए हैं। लोग खाने के बिना मर रहे हैं, दवाइयों का संकट आ गया है, पशुओं के लिए चारे का संकट आ गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि भारत सरकार वहां के लोगों को अविलंब सहायता पहुंचाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, हो गया। आपकी बात हो गयी।

श्री शरद यादव ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, क्या आपको बोलना है?

...(व्यवधान)

11.51 hrs

At this stage, Shri Suresh Angadi, Shri P. Kumar, Shrimati J. Helen Davidson *and some other hon. Members went back to their seats.*

11.52 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Need to resolve the issue of reservation policy for ST/OBC for applying to newly created AIIMS like institutes and other institutes in the country

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मैंने कल एक सवाल उठाया था। मंत्री जी यहां बैठे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आज फिर मैं इस मामले को उठाना चाहता हूं। आज माननीय कपिल सिब्बल जी यहां हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ...(व्यवधान) अल्तमस कबीर जी के समय में सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है, सरकार की तरफ से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे एश्योर किया गया था कि आठ दिन में इसको ठीक कर देंगे। आपने प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एम्स में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट्स की एक कमेटी बनाई थी, उसने भी इसके फेवर में निर्णय दिया, उसका फैसला भी रिजर्वेशन वाले लोगों के हक में आया है। अब जो एम्स ओडिशा, रायपुर, पटना में खुले हुए हैं, इन सभी में कई तरह की गड़बड़ी हो रही है। पटना में तो कई डिपार्टमेंट बना दिए, नम्बर-1, नम्बर-2, नम्बर-3, तीनों जगहों पर रिजर्वेशन नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा था कि इसे ठीक करेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चेयर को एड्रेस करके बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): शरद यादव जी, मैंने कहा था कि इसको ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं उसी पर आ रहा हूं।

इसके बारे में आपने कहा था कि रिव्यू पेटीशन के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने, मुलायम सिंह यादव जी, बालू जी, दारा सिंह चौहान जी और बसुदेव आचार्य जी ने कहा था कि संविधान संशोधन कीजिए। यह 80 फीसदी लोगों का मामला है। यह आदिवासी, दलित और पिछड़ों का मामला है। इन्द्रा साहनी केस में नौ जजों का निर्णय है, उन्होंने जो मशविरा दिया था, उसको आपने नहीं माना। इस कांस्टीट्यूशन बेंच ने उसको मजबूत कर दिया, उसने कहा है कि "इम्पोज अपॉन", जिसका मतलब बहुत अलग है। दूसरी चीज इन्होंने कही है कि वीकर सेक्शन्स के लोग बहुत ही नाकाबिल होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है। वर्तमान सत्र के सिर्फ दो दिन और बचे हैं। आपने संविधान संशोधन विधेयक लाने की बात कही थी, वह नहीं आ पाएगा, जबकि हमने 16 दिन पहले ही कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम यह कहना चाहते हैं कि संविधान संशोधन

लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे ऐसा रास्ता निकाला जाए कि अदालतों में यह मामला आना ही नहीं चाहिए। सदन के अंदर हम सब लोग इस चीज को समझते हैं और वे जानते हैं कि कमजोर तबकों का जो यह मामला है, इसे ठीक करना है। लेकिन जितने बाहर के लोग हैं, हजारों वर्षों की जाति व्यवस्था है, उनका माइंड सेट है। इस रिजर्वेशन के बारे में कितने ही फैसले आए हैं, जो चाहे जैसा फैसला दे देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसका पक्का, मुकम्मल इंतजाम करे। यदि यह ऐसे ही घुनघुनाता रहता है, तो इसे स्थाई रूप से छुड़ा लीजिए। इसलिए ठोस बात कहें और संविधान संशोधन के बगैर यह मसला हल नहीं होगा। लोग बहाना बनाकर रास्ता निकालते रहेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। अब डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब इस विषय पर और कोई नहीं बोलेगा। रघुवंश जी आप अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप चाहें तो उक्त विषय पर अपने आपको सम्बद्ध कर सकते हैं और अपना नाम सभा पटल पर दे दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री शरद यादव ने जो विषय उठाया है, उस विषय के साथ, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री पी.एल. पुनिया, डॉ. राम चन्द्र डोम, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री किरीट सोलंकी, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्रीमती ज्योति धुर्वे, डॉ. अनुप कुमार साहा, श्री पुलीन बिहारी बासके, श्रीमती सुस्मिता बाउरी, श्री महेन्द्र कुमार राय, श्री गणेश सिंह, श्री शक्ति मोहन मलिक, श्री विश्व मोहन कुमार, श्री रमाशंकर राजभर, श्री राकेश सचान, श्री आर.के. सिंह पटेल, श्री अशोक कुमार रावत, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीराम सिंह राठवा, श्री सोहन पोटाई, श्री पी.के. बिजू, श्री सी.आर. पाटिल, श्री रामसिंहभाई पातलभाई राठवा, श्री अशोक अर्गल, श्री हंसराज अहीर, श्री रतन सिंह, श्री टी.के.एस. इलेंगोवन, प्रो. रामशंकर. डा. संजीव गणेश नाईक, श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट और श्री वैद्यनाथ महतो अपने को सम्बद्ध करते हैं।

MADAM SPEAKER: Please do not ask for a discussion. What is all this?

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय जी कुछ कहना चाहते हैं, रघुवंश बाबू आप बैठ जाएं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): अध्यक्ष जी, माननीय शरद यादव जी ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है। पिछली बार जब आपने यह मुद्दा उठाया था तो मैंने

इस सदन में कहा था कि हम तुरंत ही रिट पीटिशन फाइल करेंगे। अगर रिट पीटिशन में हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता तो और सुझावों पर विचार करेंगे, हो सकता है कि हम संविधान संशोधन लाएं। पिछली बार 14 अगस्त को जब यह मामला उठा था तो उसी दिन रिट पीटिशन फाइल हो गई थी। उसके बाद 17 अगस्त को हमने अर्जेंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि इसकी तुरंत सुनवाई की जाए। मैंने उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल से खुद बात की कि इस रिट पीटिशन को जल्द से जल्द लगाएं, क्योंकि सारा सदन चिंतित है कि जो रिजर्वेशन पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आरक्षण की नीति पहले थी, वह आज भी लागू है, कल भी लागू रहेगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: पहले सुन लीजिए। We are not having a discussion. Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...[*]

MADAM SPEAKER: Please sit down. What is this?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: First you wanted the Minister to reply. Now he is replying; you do not want to listen.

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं तुरंत ही एटॉर्नी जनरल से ओपीनियन लेकर सारे हिन्दुस्तान में डीओ द्वारा यह जारी करूंगा कि जो आरक्षण की नीति हम आज तक अपना रहे थे, वहीं आज भी लागू है और कल भी लागू रहेगी।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister wants to say something.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): On the AIIMS.

MADAM SPEAKER: All right.

… (*Interruptions*)

12.00 hrs.

श्री मुलायम सिंह यादव : आप गोल-मोल जवाब मत दीजिए।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : रिव्यू-पिटीशन के बाद बात होगी। ...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री गुलाम नबी जी क्या कह रहे हैं उन्हें सुन लीजिए। गुलाम नबी जी आप बोलिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, जो प्रश्न यहां आज माननीय शरद जी ने, मुलायम सिंह जी ने और बहुत से साथियों ने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उठाया है और इससे पहले भी उठाया था, उस पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो एडवर्टाइजमेंट दिसम्बर 2012 में 148 असिस्टेंट प्रोफैसर्स की निकली थी उस पर रिजर्वेशन कई सालों से चल रही थी, उसमें इस जजमेंट से कोई असर नहीं पड़ा है और न ही हमने अभी तक कंसीडर किया है। उसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी तक थी लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी का एक फैसला था जिसमें दो बैचिज में पीजी का रिजल्ट निकलता था, एक पहली जनवरी को और एक पहली जुलाई को। उसमें जीबी की मीटिंग में यह तय हुआ था कि यदि कभी जनवरी का बैच निकले और जनवरी में लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हों तो उन्हें 6-7 महीने रुकना चाहिए ताकि जो दूसरा बैच पहली जुलाई को निकलेगा, तो वह भी उसमें शामिल हो सकता है। लिहाजा जनवरी से उस पर कार्रवाई नहीं की और 31 जुलाई जो लास्ट डेट थी, सैकिंड बैच पीजी को भी उसमें एप्लीकेशन देनी थी। अब एक ही महीना हुआ है और तकरीबन 1800 एप्लीकेशन्स आई हैं, मैंने कल वापस इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट की हैसियत से डायरेक्टर को लिखकर दिया है कि अब आपके पहले और दूसरे बैच की एप्लीकेशन्स मिल गयी हैं, अब इसमें जल्दी इंटरव्यूज लेने चाहिए।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, we were asking about appointment in super speciality posts. He has not answered that.

श्री शरद यादव : महोदया, पहले तो इस बारे में एडवर्टाइजमेंट में निकल गया था। ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : उसका भी जवाब मेरे पास है। पिछले साल 37 प्रोफैसर्स का भी इसी के साथ ही एडवर्टाइजमेंट निकला था, लेकिन वे इस कारण से नहीं रोके गये, वे आरक्षण और नो-आरक्षण के कारण नहीं रोके गये। हमारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफैसर लेवल के दो कैडर हैं, एक तो डायरेक्ट इंटरव्यू से प्रोफैसर्स आ जाते हैं जिनके लिए अलग संख्या फिक्स है और जो एश्योर्ड प्रमोशन स्कीम से आते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफैसर भर्ती होता है, उसमें रिजर्वेशन है। फिर वह एसोसिएट बनता है, फिर एडीशनल होता है और फिर वह प्रोफैसर बन जाता है। वर्ष 2005 के बाद डायरेक्ट प्रोफैसर की कोई नियुक्ति नहीं हुई। उसका कारण यह रहा कि जो प्रोफैसर्स एपीएस रूट से आते थे, वे चाहते थे कि हमें जो डायरेक्ट प्रोफैसर की जगह निकले, उसमें भी इंटरव्यू देना अलाऊ होना चाहिए। यह वर्ष 2005 तक नहीं होता था।

उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी लेकिन हमने इस दफा उन्हें अनुमति दी कि डायरेक्ट भी प्रोफैसर के लिए इंटरव्यू दे देंगे और जो पहले प्रोफैसर्स एपीएस रूट से बने हैं उन्हें भी अलाऊ किया जाए। उसमें बड़ा विवाद हुआ और उस विवाद के कारण जो एपीएस के रूट से आते थे उन्हें ये स्वीकर करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जो दोनों प्रोफैसर्स एक एपीएस रूट से आता है और जो दूसरा डायरेक्ट रूट से आता है, उनके बीच में झगड़ा पड़ गया, इसीलिए वर्ष 2005 से इसे रोका गया था। हमने प्रयास किया था कि सात साल के बाद इस झगड़े को सुलझाएं लेकिन यह सुलझ नहीं पाया और उसके चलते ही वह रोका गया।

MADAM SPEAKER: Let us not have a discussion on this. No, we are not in the middle of a discussion.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please, let us not have a discussion on this. What is this?

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा में लाखों लाख देश में प्रतियोगी लगे हुए हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what he is saying.

*(Interruptions) ...**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, लोकमान्य तिलक थाने में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। महोदया, सिविल सर्विसेज यानी आईएस की जो प्रारम्भिक परीक्षा होती है, चूंकि आप जानती हैं कि उनकी कैसी पीड़ा है। वह पेट काटकर दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी करते हैं। लेकिन अकस्मात आईएएस का पैटर्न बदल दिया गया है, पहले प्रारम्भिक परीक्षा में और बाद में फाइनल परीक्षा में। सन् 1979 में भी ऐसा ही हुआ था और उस समय उनको तीन साल का अतिरिक्त मौका दिया गया था। इस बार एक साल का भी मौका नहीं दिया गया है। इसीलिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं जो गरीब आदमी दिल्ली में पेट काट कर के पढ़ रहे हैं, कम्पीटिशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं 80 में से 9 क्वेश्चन को अनिवार्य कर दिया गया है। सदन में यह फैसला हुआ था कि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी फिर भी अंग्रेजी अनिवार्य है।
इन दोनों मामलों पर सरकार तुरंत जवाब दे कि क्यों बार-बार प्रतियोगियों के साथ अन्याय होता है...(व्यवधान) और हिन्दीभाषी लोगों के साथ खास कर के विदेशी भाषा के लिए...(व्यवधान) महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री गणेश सिंह, डॉ. राम शंकर, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री ए. सम्पत, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू, श्री प्रहलाद जोशी, श्री पी.एल, पुनिया अपने आपको डॉ. रघुवंश प्रसाद द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, Shri Gurudas Dasgupta.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No discussion on this, please.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Now, Shri Gurudas Dasgupta.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Ananth Kumar.

... (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

SHRI ANANTH KUMAR(BANGLORE SOUTH) : Madam, the State Government of Karnataka and people of Karnataka have every right to continue with their ongoing projects in the Cauvery basin. … (*Interruptions*) It is well within our rights to continue with the Mekedatu Reservoir Project also. … (*Interruptions*) The Cauvery Tribunal has given its final award, which is against the interest of the people and the farmers of Karnataka. … (*Interruptions*) It is like a death-sentence for us. … (*Interruptions*) The Karnataka Government has challenged this final award of the Cauvery Tribunal in the hon. Supreme Court. … (*Interruptions*)

12.08 hrs

At this stage, Shri P. Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

This being the case, the people and the farmers of Karnataka have every right to continue with our ongoing projects and new projects in Cauvery, Hemavati, Kabini and Arkavathi rivers. … (*Interruptions*)

12.08 ½ hrs

At this stage, Shri Adhi Sankar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

The Government of Tamil Nadu should not try to meddle and restrain the irrigation projects of Karnataka. … (*Interruptions*) Therefore, I urge the Government of India to restrain the Tamil Nadu Government from interfering in the irrigation projects of Karnataka. … (*Interruptions*) All the farmers and the people of Karnataka will continue with the ongoing and new projects, and we will be doing so to fully utilize Karnataka's share of Cauvery river waters. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members Shri Pralhad Joshi, Shri Shivarama Gouda, Shri Nalin Kumar Kateel and Shri Suresh Angadi are allowed to associate with the issue raised by Shri Ananth Kumar.

12.09 hrs

At this stage, Shri P. Kumar, Shri Adhi Sankar and some other hon. Members went back to their seats.

…(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदया, जब से 15वीं लोकसभा बनी है और पिछली लोकसभा में भी मैंने कई बार इस विषय को उठाया कि कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।…(व्यवधान) जनजाति मंत्रालय अलग बन गया और सरकार ने इसे आरजीआई को भेज दिया। आरजीआई ने 1931 के सेंसस के आधार पर उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिया जाए।…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

श्री रेवती रमण सिंह : उत्तर प्रदेश की लड़की की शादी अगर मध्य प्रदेश में होती है तो उसको जनजाति का दर्जा मिलता है …(व्यवधान) और जब मध्य प्रदेश की लड़की की शादी उत्तर प्रदेश में होती है तो…(व्यवधान) तो उसको अनुसूचित जाति में रख दिया जाता है।…(व्यवधान) माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने…(व्यवधान) उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मुलायम सिंह जी ने दो बार इस बात को भेजा है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब जनजाति का मंत्रालय अलग हो गया है तो जनजाति मंत्रालय के द्वारा इसका फैसला होना चाहिए। आरजीआई के द्वारा नहीं होना चाहिए।…(व्यवधान) यही आपसे मेरा अनुरोध है। …(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, जवाब आ जाने दीजिए।….(व्यवधान) यह बहुत गंभीर मामला है। ….(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी, अब बैठ जाइए। हर चीज में मत खड़े होइए। उनको बोलने दीजिए। शून्य प्रहर चल रहा है। हर चीज में जवाब कहां से आएगा? अब आप बैठिए।

---

* Not recorded.

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Gurudas Dasgupta, please be very brief.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, through you, I wish to draw the notice of the entire House to a very serious situation which concerns the sovereignty, integrity and national privacy of the country.

There is news that American Administration are having surveillance over India. There is news that India is under surveillance and NASA is doing the surveillance. In the list of the countries under watch of the American imperialism, first is Brazil, second is Egypt, and third is India.

We are under surveillance. The most astonishing point is there is a report that very near to Delhi, there is a post, there is a pillar, and there is a mechanism which allows the NASA to even know what Mr. Chidambaram is saying to the Prime Minister. … (*Interruptions*) Be careful when you are talking to your girlfriend. … (*Interruptions*) Madam, the point is NASA is even recording telephonic conversations, Internet messages, and also E-mail. Everything is being recorded.

Madam, I would like to know from the Government whether it is a serious infringement of the political sovereignty of India. It is a serious intrusion into the privacy of the Indian citizens, as also of the Government. It is a serious security hazard. There is nothing secret. Our Defence Minister having a discussion with the leaders of the Army is also being recorded. This is a serious onslaught on the sovereignty of India, just like Syria.

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : This is a question of international importance. America cannot be allowed to become the guardian of the entire world and do whatever they like. I wish the entire House joins me in condemning this. I am

demanding a statement from the Government and also removal of all mechanism which is connecting with NASA surveillance.

I am making this appeal to the patriotic Government. They should believe it is a slur on them, on the Government, on us, and on everybody. Let the House join me in condemning American action. I am demanding a statement from the Government immediately. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shri Shivkumar Udasi, Shri Devji M. Patel, Shri M.B. Rajesh and Shri Pralhad Joshi are permitted to associate with Shri Gurudas Dasgupta on the issue raised by him.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Rest of the 'Zero Hour' matters will be taken up at the end of the day. We will now take up item No. 7, and the hon. Minister to continue, please.

… (*Interruptions*)

12.15 hrs.

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2011 – Contd.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, may I continue my speech? … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): The Government has not reacted so far. … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: The hon. Speaker has called me now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Government has not reacted so far. … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: About what? … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए। It is a time barred notice.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The notice is time-barred. It has come after the time.

…(व्यवधान)

12.15½ hrs.

At this stage, Shri C.R. Patil and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: Now, Shri Chidambaram to continue.

… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Madam, may I continue? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes, please continue.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

(Interruptions) …[*]

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I am continuing my speech.

(iii) The Standing Committee on Finance recommended that it should be mandatory for pension fund managers to ensure the safety of funds deposited by subscribers in order to provide complete security for their funds. It has already been provided in the PFRDA Bill, 2011 that the interests of subscribers would be protected by ensuring safety of the contribution of subscribers and by keeping the operational costs in check.… (*Interruptions*)

(iv) The Standing Committee on Finance recommended permitting withdrawals and repayable advances from the pension account of the subscriber. The official amendments provide that withdrawal not exceeding 25% of the contribution made by subscriber will be permitted from the individual pension account subject to conditions, such as purpose, frequency and limits as may be specified by regulations by the PFRDA. … (*Interruptions*)

(v) The Standing Committee on Finance recommended providing minimum assured/guaranteed returns to the subscribers of the NPS. The official amendments provide that the subscriber seeking minimum assured returns shall be allowed to opt for investing his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the PFRDA. … (*Interruptions*)

(vi) The Standing Committee on Finance recommended that at least one-third of the fund managers are selected from the public sector. It is already provided in the PFRDA Bill, 2011 that at least one of the pension fund managers shall be from the public sector. This implies that there is no prohibition in the PFRDA Bill, 2011 that prevents more than one public

---

[*] Not recorded.

sector pension fund managers from being chosen by the PFRDA, if these are selected on a competitive basis. … (*Interruptions*)

(vii) The Standing Committee on Finance recommended establishment of a vibrant Pension Advisory Committee with direct representation from all major stakeholders to advise PFRDA on *suo moto* basis even on matters not referred to it. The official amendments provide that the objects of the Pension Advisory Committee shall be to advise the authority on matters relating to the making of regulations under Section 51. Further, the Pension Advisory Committee may advise the Authority on such matters as may be referred to it by the Authority and also on such matters as the Committee may deem fit. … (*Interruptions*)

12.17 hrs

At this stage, Shri M.B. Rajesh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

Further, the recommendation of the Standing Committee on Finance on PFRDA Bill, 2011 on making NPS a truly National Pension System is already under implementation as the Government has already launched a co-contributory pension scheme called "Swavalamban" for unorganized sector workers, where some States are also co-contributing additional contribution to workers in specified sectors. … (*Interruptions*)

It is expected that with the additional amendments to the PFRDA Bill, 2011, the concerns of all stakeholders including the Standing Committee on Finance would be adequately addressed. … (*Interruptions*)

I commend the PFRDA Bill, 2011 for consideration and passing by this august House. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interests of subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

Now, Shri Nishikant Dubey.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैडम, हाउस में पहले ऑर्डर तो हो जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बुलाइए। अपने लोगों को वापस बुलाइए। आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदया, मैं नेता नहीं हूं।...(व्यवधान) पहले हाउस ऑर्डर में आ जाए वर्ना हम कैसे बोलेंगे?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। श्री संजय निरुपम जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, आदरणीय वित्त मंत्री महोदय आज सदन में पेंशन फंड रेगुलेट्री डवलपमेंट ऑथोरिटी बिल 2011 लेकर आए हैं।...(व्यवधान) यह 2005 में जो पीएफआरडीए बना था, पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ...(व्यवधान) उसे कानूनी अम्लीजामा पहनाने के इरादे से आदरणीय वित्त मंत्री महोदय इसे लेकर आए हैं, ... (व्यवधान) मैं वित्त मंत्री महोदय के इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि इस बिल के माध्यम से जो पोस्ट रिटायरमेंट की समस्या होती है,... (व्यवधान)) जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके जीवन को एक राहत मिलेगी।...... (व्यवधान) हमारे देश में पेंशन के पहले से बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन .... (व्यवधान) वे डिफाइन्ड बैनेफिट्स पर आधारित स्कीम्स हैं।

2003 में सरकार ने फैसला किया कि एक डिफाइन्ड एक्वीजिशन के आधार पर पेंशन स्कीम आनी चाहिए अर्थात् एक नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया। 1 जनवरी, 2004 से लेकर 1 जनवरी, 2004 के बाद से सैंट्रल गवर्नमेंट में जो भी नए एम्पलाइज़ हैं, उन कर्मचारियों के लिए यह नई पेंशन स्कीम लागू की गई। .... (व्यवधान) इसके तहत ऐसा इंतजाम किया गया है जो प्रत्येक सैंट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाई के लिए कम्पलसरी होगा, इस देश के नागरिकों के लिए वोलेंटरी होगा। .... (व्यवधान) 2009 में

आखिरकार बजट में प्रस्तुत किया गया कि आम नागरिक भी इसमें नियमित तौर पर शामिल हो सकते हैं और पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।...... (व्यवधान)

महोदया, पेंशन क्या है? पेंशन दरअसल आम आदमी को उस उम्र में सहारा देती है जब उसके पास सहारे के लिए कोई नहीं रहता।....... (व्यवधान) मैं इस सत्र को एक ऐतिहासिक सत्र मानता हूं क्योंकि इस सत्र में एक साथ तीन बड़े विधेयक पास हुए हैं। पहला विधेयक पास हुआ, गरीब लोग, जो भुखमरी के शिकार थे, कुपोषण के शिकार थे, उनकी भूख मारने का इंतजाम फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से हुआ। .... (व्यवधान) दूसरा इंतजाम लैंड एक्वीजिशन बिल के माध्यम से हुआ, जिसमें इस देश के किसानों को एक अधिकार दिया गया ताकि उनकी जमीन कोई जैसे-तैसे, अनाप-शनाप या कौड़ी के भाव पर न खरीदे और उनको बेघर या भूमिहीन न बना दे। यह तीसरा बिल है जो इस देश के बूढ़े, बुजर्गों के लिए एक लाठी का काम करेगा, उनको सहारा देगा। .... (व्यवधान) इस हिसाब से यह सत्र ऐतिहासिक सत्र माना चाहिए। हालांकि तमाम अवधान, विरोधों और व्यवधानों के बावजूद यह ऐसा सत्र निकला जिसमें हम तीन ऐतिहासिक कानून बनाने जा रहे हैं। ....(व्यवधान) मैं पेंशन बिल के माध्यम से, आपके माध्यम से देश को और अपने तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश इस समय सबसे नौजवान माना जाता है। कहा जाता है कि लगभग 60 से 65 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है। .... (व्यवधान)) याद रखिए 30 साल बाद यही नौजवान लोग बुजर्ग होंगे और ऐसे बुजर्गों के लिए आने वाले 30 साल बाद कोई इंतजाम होना चाहिए, फुलप्रूफ इंतजाम होना चाहिए और इस विधेयक में फुलप्रूफ इंतजाम किया गया है।

महोदया, मैं दो बातें बिल के संदर्भ में कहना चाहता हूं। एनपीएस को रेगुलेट करने के दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है। एनपीएस ही क्यों? हमारे देश में पहले से ईपीएफओ के माध्यम से तमाम अलग-अलग पेंशन फंड हैं। उसके लिए अलग-अलग कायदे हैं। ...... (व्यवधान) मैं चाहूंगा कि सरकार धीरे-धीरे जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं, उन सबको पीएफआरडीए के तहत लेकर आए। मुझे मालूम है कि जो पहले की पेंशन स्कीम्स हैं, वे डिफाइन्ड बेनिफिट पर आधारित हैं लेकिन दूसरी पेंशन स्कीम्स, जो अभी शुरु होरही हैं, ये डिफाइन्ड कंट्रीब्यूटरी से हैं यानी कंट्रीब्यूटरी ही मानी जाती हैं। ...... (व्यवधान) मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि धीरे-धीरे तमाम पेंशन स्कीम्स को इसके साथ लाया जाए। इस बिल में महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पेंशनधारकों का एक इंडिविजुअल एकाउंट खोलने, चलाने, हैंडल करने का अधिकार मिला है। इस एकाउंट के माध्यम से पेंशनधारकों को पता चलेगा कि उनके एकाउंट में कितने पैसे हैं। ...... (व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिए, उन सारे सुझावों को मानने के बाद एक सुझाव नहीं माना गया है

और वह यह है कि इस एकाउंट से अगर कोई एकाउंट होल्डर विड्रॉ करे और उस विड्रावल को बाद में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे आपने एलाऊ नहीं किया है। ...... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि आपने लोअर विड्रावल का प्रोवीजन एक एकाउंट में रखा है। मेरे ख्याल से चैप्टर 5 या 6 में कहा है कि एक दूसरा एकांउट भी खोला जा सकता है। आप दूसरे एकाउंट में विड्रावल एलाऊ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दो एकाउंट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, एक एकाउंट ही पर्याप्त है। ...... (व्यवधान) इस बारे में सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करे तो बेहतर होगा।

महोदया, पेंशन विधेयक में और भी बहुत सी चीजें हैं। खास तौर से पेंशन फंड रेगुलेटरी अथारिटी कैसे काम करेगी, उसके क्या अधिकार होंगे, उसके क्या दायित्व होंगे, कैसे पेंशनधारकों के हितों की रक्षा करेगी, मैं इस संबंध में सहमत हूं।...... (व्यवधान) ये प्रोवीजन बहुत अच्छे हैं, सख्त प्रोवीजन हैं। इन प्रोवीजनों के माध्यम से निश्चित तौर पर पेंशनधारकों का भला होगा। लेकिन आपने इस पेंशन स्कीम के तहत एक व्यवस्था की है कि कोई भी पेंशनधारक अपने एकाउंट का कुछ हिस्सा इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट में डाल सकता है। दस परसेंट या परसेंट की आप लिमिट तय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह ठीक है, लेकिन कभी भी अगर आपने इक्विटी मार्केट में पेंशनधारकों के पैसे डाले तो रैग्युलटरों के बीच कलैश होने लगेगा। रैग्युलेटरों के बीच क्लैश कैसे होता है? आपको याद होगा, जब यूलिप आया था, जो कि इंश्योरेंस सैक्टर का एक प्रोडक्ट है और जब यूलिप के माध्यम से इक्विटी और डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने लगा, तो सेबी ने एक ऑब्जेक्शन लिया था कि हम भी इसके रैग्युलेटर हो सकते हैं। आज भी आईआरडीए और सेबी के बीच का विवाद खत्म नहीं हुआ है। मुझे डर है कि अगर एनपीएस का एक हिस्सा इक्विटी मार्केट में जाएगा ...(व्यवधान) तो यकीनन आने वाले दिनों में सेबी और ...(व्यवधान) पेंशन रैग्युलेट्री अथॉरिटी के बीच, दोनों रैग्युलेरों के बीच एक क्लैश हो सकता है। ...(व्यवधान) इस संघर्ष को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का इंतजाम होना चाहिए।

आखिरी बात, वर्ष 2003-04 में एनपीएस शुरू हुआ था ...(व्यवधान) लेकिन आज तक सिर्फ 52 लाख लोग एनपीएस के एकाउंट धारक बने हैं। यह बहुत धीमी गति से चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार एनपीएस का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त आम लोगों को एक कंपल्सरी पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए प्रमोट करे, एनकरेज करे। इससे कहीं न कहीं हमारे देश की सर्वसामान्य जनता का, जो सीनियर सिटीजन की एज है, वह सुरक्षित होगी। आखिर में, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे देश में है और वह बीपीएल वगैरह की कैटेगरी के तहत आता है। ...(व्यवधान)

हालांकि यह इस बिल का हिस्सा नहीं है। मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए, आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम को यूनीवर्सल किया जाए और इस देश के सभी नागरिकों के लिए इस स्कीम को लागू किया जाए। मुझे अंदाज है कि इस पर जो कमेटी बनी, उसने बताया कि तीस हजार करोड़ रूपए का प्रति वर्ष खर्च आएगा। फिर भी तीस हजार करोड़ रूपए सरकार को देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के 11 परसेंट सीनियर सिटीजंस की ज़िंदगी की हिफ़ाज़त का प्रश्न है। …(व्यवधान) सभी प्रकार के सीनियर सिटीजंस की हिफाजत करने के लिए एक यूनीवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इस अच्छे विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार और वित्त मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। …(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, on behalf of our party we oppose the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill. … (*Interruptions*)

Madam, since before Independence the main attraction of a government job either in the Central or the State Government was that it ensured a pension which people get till the end of their life. And in Central Government, the spouse could also have the pension money till the end of his or her life. … (*Interruptions*)

This Government, in 2004 started a new pension system. What was the new pension system? The new pension system said that people could invest in a pension fund and there could be several pension funds in the country of which one would be a Government company. … (*Interruptions*)

This Bill has been pending since 2005. It was sent to the Standing Committee and the Standing Committee sent it back. The Government again brought amendments to the Bill in 2009, but so far the Bill was not passed. … (*Interruptions*)

12.30 hrs

At this stage, Dr. Ram Chandra Dome, Shri P. Lingam and some other hon. Members went back to their seats.

PROF. SAUGATA ROY : It is all right if the Finance Minister opens a Pension Fund for the people who are not Central or State Government employees. Let the people in the unorganised sector, those working in the private companies invest or contribute in a pension fund and then you do what you want to do with it. You play the market. But as far as the Government employees are concerned, their security should be ensured and the Government should only invest in the Government security. Maybe the return will be less but let them at least be given a social security for the future. … (*Interruptions*)

What has the Minister done? He has gone ahead. He is setting up a Pension Fund Regulation and Development Authority. It will have a Chairman; it

will have Members. It will have powers to impose service charges. It will have power to impose penalties. It will also have the option of investing in the stock market, in the share market. Now, basically if you play share market with people's social security money, it is subject to market risks. When somebody invests in a mutual fund, it is always written that the mutual fund is subject to market risks. So, you are subjecting the social security component to the market risk. This is an idea to bring more money, the savings of people, into the market so that the share market can move. … (*Interruptions*)

I know that the option is there. If somebody wants, it is an individual based pension fund. So, if the subscriber wants he can decide that he shall only invest in Government securities. That freedom is given to him but what the pension funds will do is they will lure the people with greater returns and let them invest in pension fund where the return will be high. If the market crashes, like it does in America, what happens to the future of this scheme? … (*Interruptions*)

After having set up a pension fund the Minister has set up an elaborate structure. I have nothing to say. If the Government insists it will lead this elaborate structure. It has also set up Advisory Committees on the pension funds. It has also allowed a 'person in place' point. Even bank branches will be able to collect deposits in the Pension Fund. I had said earlier that this pension fund idea takes away the concept of assured future for Government employees and that is why we are opposing this Bill.… (*Interruptions*)

In an amendment the Finance Minister is allowing 26 per cent FDI into the pension fund. Madam, it is not clear to me as to what skill is required in investing money of the pension fund. Why do you want the foreign companies to come into our Pension Fund area and what benefit does it have? On the one hand the Bill says that you cannot invest pension fund abroad and on the other you say that you can have FDI. We oppose FDI up to 26 per cent in pension money.… (*Interruptions*) We have urged the Finance Minister to have a pension fund for non-Government employees but please assure … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Please conclude now. Please take your seat.

PROF. SAUGATA ROY : Please assure the future of Central and State Government employees instead of creating a huge mechanism to promote your pension fund and bring poor man's savings into the market… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, the House must be in order. We have spoken in this din but the Bill should not be passed in a din. That is our point. Let there be order. Such an important Bill affecting the lives and future of millions of people should not be passed in a din, without proper discussion in the House and without discussion on the various amendments which the Members of this House have put forward… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पैंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जब इस बिल के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे याद है, हमारे मित्र वरिष्ठ सहयोगी यशवन्त सिन्हा जी ने भी स्टैन्डिंग कमेटी में प्रबल तरीके से संस्तुति की है कि निश्चित मात्रा में पैंशन की गारंटी सबको होनी चाहिए। इस बिल से ऐसा लग रहा है कि पैंशन के लाभार्थियों को निश्चित मात्रा में पैंशन मिलने की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार से सरकार यह बिल लेकर आई है, केन्द्र सरकार ने न्यू पैंशन स्कीम में बदलाव का फैसला लिया है। जहाँ तक देखा जाए, पूरे देश में आज करीब 27 लाख कर्मचारी हैं जो एन.पी.एस. के दायरे में आएँगे। दो लाख से कम धनराशि हो तो वह पैंशनधारी इसको नहीं निकाल सकता है जबकि एन.पी.एस. छोड़ने का विकल्प उसे चुनना होगा। आज एन.पी.एस. के तहत 60 वर्ष या इससे भी कम उम्र में योजना से बाहर होने की इजाज़त होगी, यह इस बिल में है। अगर देखा जाए तो पैंशन अधिकार के रूप में लागू होना चाहिए। पैंशन का हक एक तरीके से सबको होना चाहिए। भारत के मुकाबले दुनिया में कई ऐसे छोटे और मझोले देश हैं जो भारत से ज़्यादा पैंशन देते हैं। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो केवल तीस रुपये ही बुज़ुर्गों के लिए पैंशन की व्यवस्था की गई है। अभी हाल में ही पूरे देश के 3000 बुज़ुर्गों ने जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर धरना-प्रदर्शन किया जिसमें अपने पैंशन के अधिकार की बात उन्होंने कही है। हमारे तमाम साथियों ने हमेशा इस बात को उठाया है कि आज पूरे देश में जो असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं, उनकी हालत बहुत खराब है।

महोदया, अभी हमने खाद्य सुरक्षा बिल इस सदन में पास किया। अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बिल में बुज़ुर्गों के लिए राशन देने की व्यवस्था बहुत कम की गई है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। भारत में आज भी सभी ज़रूरतमंद लोगों को पैंशन नहीं मिलती, केवल 25 फीसदी लोगों के लिए पैंशन की व्यवस्था की गई है, वह भी छः-छः महीने में मिलती है। अगर अचानक उनको ज़रूरत पड़ जाए तो वह व्यवस्था नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि उन बुज़ुर्गों को इतनी कम पैंशन में गुज़र-बसर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बुज़ुर्ग को जो पैंशन मिलती है, हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि अगर दूसरा कोई पैंशनर मरता है, तब नई पैंशन स्कीम लागू होती है। सरकार क्या करती है कि जो बीपीएल हैं, उन्हीं को देगी और उनके बेटे को नहीं देगी। इसलिए इस प्रकार के कानून बनाएँ कि जिसमें एपीएल, बीपीएल या उनके कमाने वाले बेटे को उस दायरे से बाहर किया जाए। पैंशन के लिए जो तमाम बुज़ुर्गों ने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था, उन लोगों की अपनी कुछ मांग है कि सार्वभौमिक बुज़ुर्ग पैंशन प्रणाली तत्काल बनाई जाए। प्रतिमाह मिलने वाली पैंशन करीब 2500 से 3000 होनी चाहिए। पैंशन

योग्य व्यक्ति को अधिकार के रूप में दिया जाए। पैंशन की समीक्षा हर दो माह या तीन वर्षों में होनी चाहिए। छः माह में महंगाई के हिसाब से पैंशन में बढ़ोतरी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पैंशन में पात्रता की उम्र पुरुषों के लिए 55 वर्ष और महिलाओं के लिए 50 वर्ष रखी गई है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उन्होंने यह भी मांग की है कि आदिवासी, किन्नर, देह व्यापार की शिकार महिलाओं और विकलांगों के लिए भी पैंशन की पात्रता उम्र को 45 वर्ष किया जाए। ...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात आ गयी है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : तीसरी बात, नये कर्मचारियों को इस बिल से बहुत नुकसान हो रहा है। न्यू पेंशन स्कीम में खामियां हैं, उसमें केवल सरकारी कर्मी ही आते हैं। देश भर में 95 परसेंट ऐसे नागरिक हैं, जो इस व्यवस्था से बाहर हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और अपने दल की तरफ से इस पेंशन बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, thank you for allowing me to speak on this very important subject of pension. … (*Interruptions*) When this Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill was introduced in the last Lok Sabha, we had opposed the Bill on the account that the pension fund should not be invested in private sector, and it should not be invested in private securities. … (*Interruptions*)

Now, one more dangerous feature has been added in the Bill by way of an amendment. … (*Interruptions*) Now, 26 per cent of FDI is allowed from the pension fund. … (*Interruptions*) The Government has not taken our views very seriously … (*Interruptions*) You know how the stock market fluctuates. Today, you know how the NIFTY is oscillating. You know how much the NIFTY has come down. … (*Interruptions*) You know about the market fluctuations. … (*Interruptions*) In this period, if the pension fund is allowed to be invested in the public issues, then the Government's burden will increase. … (*Interruptions*) The Government, in fact, has to bear more from their exchequer. … (*Interruptions*) Why should the Government invest the fund in the market? … (*Interruptions*) We have opposed this even when this Bill was introduced during the last Lok Sabha. … (*Interruptions*)

Now, there are many other issues concerning the pensioners. … (*Interruptions*) Under the Family Pension Scheme, I have seen pensioners drawing pension as low as Rs. 10 or Rs. 15. … (*Interruptions*) Even an old-age pensioner draws a pension of Rs. 1,000, whereas a person who has served the public sector undertaking or who has served the Government is drawing a pension as low as Rs. 100 or Rs. 200. … (*Interruptions*) The Government should do something about that. … (*Interruptions*)

In the banking sector there is a problem. … (*Interruptions*) The All India Bank Employees Association has planned to go on hunger strike on 20th of this month. … (*Interruptions*) There are instances where the management has failed to uphold the understanding reached with the trade unions. … (*Interruptions*) So,

there are various other issues regarding pension. … (*Interruptions*) In this condition, the Government trying to invest pension funds in the private sector will not do any good to the pensioners themselves. … (*Interruptions*) They will be affected. … (*Interruptions*)

So, my request is that the hon. Minister should immediately withdraw this clause that allows investment of pension funds in private securities. … (*Interruptions*) It should be only on public securities. … (*Interruptions*) So, I would request the hon. Minister not to invest the pension funds in the private securities and do not allow FDI in the pension scheme. … (*Interruptions*)

With these words, I thank you Madam.

MADAM SPEAKER: Shri A. Sampath.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, on my behalf, my leader Shri Basu Deb Acharia may please be allowed to speak.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri A. Sampath to speak now.

… (*Interruptions*)

SHRI A. SAMPATH : Madam Speaker, Shri Basu Deb Acharia will speak on this Bill.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, do you want to speak?

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam Speaker, I rise to oppose this Bill.… (*Interruptions*) Madam, please bring the House to order.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats and bring the House to order.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, do not do that.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : इस तरह न चिल्लाएं।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: That is very wrong. Do not insult the Chair.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Do not insult the Chair. Do not do that.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : इस स्थान का अपमान न करें। इस तरह न बोलें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हाउस चलाएं और उस में अगर आप लोग हमें सहयोग दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनसे बात कीजिए।

...... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats. Please do not do these things.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोगों को केवल नाराज़ होना आता है, चीखना और चिल्लाना आता है।

...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोगों को केवल हम पर गुस्सा होना आता है।

...... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do what you like.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes, you do what you like.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Yes, you can do what you like. If you want to get angry with the Chair, you get angry with the chair. If you want to insult the Chair, you can insult the Chair!

… (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, this is no way to run the House. I want to say this much.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

12.50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

[*] Not recorded.

14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2011 – Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

…(व्यवधान)

14.0 ½ hrs.

At this stage, Shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy Speaker, Sir, unless you bring the House to order, I cannot speak. … (*Interruptions*) Please bring the House to order first. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

14.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.30 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock

(Shri P.C. Chako *in the Chair*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति महोदय, आज सुबह से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि कोल ब्लॉक आवंटन के संबंध में हमारा एक स्थगन प्रस्ताव था, उस पर हम चर्चा करें। कोल ब्लॉक आवंटन भ्रष्टाचार का एक ऐसा प्रकरण बन गया है, जो अलग-अलग आयाम ले कर, बार बार उभर कर देश के सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले इस प्रकरण का खुलासा सीएजी की उस रिपोर्ट में हुआ, जिसमें यह कहा गया कि कोल ब्लॉक आवंटन में 186000 करोड़ रुपये का घाटा देश के राजस्व को हुआ है और उसमें भयंकर भाई-भतीजावाद का भी आरोप लगा। यह मामला संसद में भी उठा और सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में सी.बी.आई. को इस की जांच सौंपी। जांच चल रही थी, तो एक नया आयाम उभर कर आया। सी.बी.आई. ने जिस समय अपनी ओर से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था, तो तत्कालीन कानून मंत्री ने सी.बी.आई के अधिकारियों को अपने कक्ष में बुलाया और प्रधान मंत्री से संबंधित जो टिप्पणियां रिपोर्ट में उन्होंने लिखी थीं, उन सब को बदलवाया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि उस कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सभापति जी, उसके बाद एक तीसरा नया आयाम आया, जब सी.बी.आई. ने जांच के लिए कोयला मंत्रालय से फाइलें मांगी, तो कोयला मंत्रालय ने हाथ खड़े कर के कहा कि हमारे यहां 150 से ज्यादा फाइलें गायब हो गई हैं और बाद में 189 की संख्या आई। 189 फाइलें गायब हो गईं। फिर इस मामले ने तूल पकड़ा, यह मामला संसद में उठा, प्रधान मंत्री जी से वक्तव्य की मांग की गई, तब प्रधान मंत्री सदन में आए भी और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हां फाइलें गायब हैं। हम लोकेट कर रहे हैं। मेरा यहां सबसे पहला प्रश्न प्रधान मंत्री जी से था, अगर वे यहां रुकते तो मैं उनसे पूछती कि प्रयास का पहला कदम होता है - एफ.आई.आर. दर्ज कराना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दे कर कहा कि क्या आपने एफ.आई.आर.कराई है। हम भी यहां संसद से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज कराई। अब यह मामला मिसिंग का नहीं है, स्टोलेन कैटेगरी का बन गया है।

सभापति जी, मिसिंग वह चीज होती है जो मैं कहीं रख कर भूल जाऊं, ढूंढ़ती रहूं, तो मैं कहूंगी कि मिसिंग है, मिल नहीं रही है। लेकिन, अगर वह चार-छः दिनों तक नहीं मिले तो मुझे समझ आ जानी चाहिए कि वह चीज मेरे से कहीं रखी हुई खोई नहीं है, बल्कि किसी ने चुरा ली है। यह चोरी का मामला

है। इसलिए इसमें तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए, लेकिन आज तक सरकार ने इस में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई।

एक और भयंकर आयाम जो आया, जिसके लिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया। आज दो अखबारों की खबर है। एक इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी लीड न्यूज है कि की ऑफिसर्स, सी.बी.आई. के की जांच अधिकारी ने यह कहा है कि इस जांच को हम तब तक तार्किक परिणति तक नहीं ले जा सकते, जब तक प्राइम मिनिस्टर को इग्जामिन नहीं किया जाता। ...(व्यवधान)

दूसरा, मेल टूडे, जिसमें उन्होंने कहा कि ए.जी. ने स्वयं एक लिस्ट दी थी कि ये-ये फाइलें गायब हैं, इसलिए सो कॉल्ड मिसिंग फाइल्स जो प्रधान मंत्री जी ने कहा है, वह गलत है। वे सो कॉल्ड मिसिंग फाइल्स हैं, पूरी लिस्ट है और मुझे यह पूरी जिम्मेदारी से कहना पड़ता है कि वह जो लिस्ट है, उसमें सारी की सारी सूची उन प्रभावशाली लोगों की है, जो कांग्रेस से संबंधित हैं। इसलिए हम आज यहां इस मामले को उठाना चाहते थे, क्योंकि यह चौथा आयाम आया है और यह एक मात्र ऐसा प्रकरण है, बाकी सब में प्रधान मंत्री तो बरी हो-हो कर निकल जाते थे। ...(व्यवधान) बाकी सारे प्रकरणों में कहीं उन्होंने राजा की बात कर दी, कहीं किसी दूसरे की बात कर दी, लेकिन यह वह प्रकरण है जहां प्रधान मंत्री डायरेक्ट घेरे में आते हैं। क्योंकि वह उस समय स्वयं कोयला मंत्री थे, जिस समय यह घटना घटी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि एक तो सरकार हमें यह बताए कि आप एफ.आई.आर कब तक दर्ज कराएंगे। अगर आप एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराते हैं तो आपकी नीयत पर शक होता है कि आप इन मिसिंग फाइल्स को खोजना नहीं चाहते। इन चुराई हुई फाइलों को खोजना नहीं चाहते और दूसरा कोई दबाव सी.बी.आई पर नहीं आना चाहिए कि एक जांच अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अगर ऐग्ज़ामिन नहीं किया जाता तब तक जांच नहीं होगी, अगर प्रधान मंत्री स्वयं अपने आप को पाक और साफ देखना चाहते हैं तो स्वयं उन्हें वोलैंटियर करना चाहिए ताकी इसमें सत्य सामने आए। इसके लिए मैं स्वयं को आगे कर रहा हूं। आप आइए और जांच कीजिए और मुझे ऐग्ज़ामिन कीजिए ताकि सत्य देश के सामने आए। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज़ बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी सीटों पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण आज तक सीएजी ने उजागर किए हैं, वह चाहे सीडब्ल्यूजी का हो या टू जी का हो, लेकिन कोल ब्लॉक आवंटन उनमें से सबसे ज्यादा गंभीर है क्योंकि स्वयं प्रधान मंत्री जी घेरे में हैं। इसलिए पाक और साफ होने के लिए, इस जांच पर किसी तरह का दबाव न हो और तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जाए, यह मेरी मांग है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, लीडर ऑफ औपोजिशन ने जो मामला उठाया है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। देखा गया है कि देश के अंदर जितने भी घोटाले हुए, चाहे रक्षा घोटाला हो या टू जी स्पैक्ट्रम घोटाला हो, अब 1,86,000 करोड़ का कोल घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसके लिए प्रधान मंत्री जी को बचाया जा रहा है य़ा प्रधान मंत्री जी इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं। दूसरा, सीबीआई की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रही है या सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रही है या सीबीआई की स्वायतता पर सवाल उठ रहा है? यह बहुत गंभीर मामला है। जो फाइल गायब हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। जहां तक एफआईआर का सवाल है, यह भी सवालिया निशान है कि एफआईआर किसके विरुद्ध दर्ज की जाए। प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि अगर फाइल गायब हुई है तो हम इसके जिमेमेदार नहीं हैं। रहा सवाल कि अगर फाइल गायब हुई है तो एफआईआर किसके नाम से हो और इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार की तरफ से इस बारे में स्पष्ट जवाब आना चाहिए।

इस प्रकार के और भी घोटाले हुए जिनमें सीवीसी की तमाम रिपोर्ट आईं। आज जनता का नेताओं के ऊपर एक तरह से विश्वास खत्म होता जा रहा है। इसलिए हमारे सामने कुछ ऐसे प्रकरण हैं, घोटाले, भ्रष्टाचार हैं, वे उजागर होने चाहिए। जनता के बीच नेताओं की जो छवि घूमिल हो रही है, उसे तभी बचाया जा सकता है। मैं यही मांग करता हूं कि सरकार इस पर स्पष्ट जवाब दे।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, जैसे सुषमा जी ने कहा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो सिलसिला चला है, वह काफी लम्बा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

श्री शरद यादव : 1,86,000 करोड़, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो फाइल गायब हुई है, इसकी खबर किसने दी। भारत सरकार के मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा सबसे पहले फाइल गायब होने की साफ-साफ खबर आई। हमारे पास खबर थी, लेकिन साफ खबर आई। उनका यह पहला बयान था। लेकिन उन्होंने दूसरा बयान बदल दिया कि अधिकांश फाइलें मिल गयी हैं और कुछ फाइलें मिसिंग हैं, जिन्हें ढूंढ़ लिया जायेगा। उसके बाद प्रधान मंत्री जी का बयान आता है। वे भी यह नहीं बताते हैं कि

कितनी फाइलें गायब हैं और कितनी हाथ में हैं, जिन्हें सीबीआई को देना है। अब यह गिनती कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सरकार पारदर्शिता से क्यों नहीं जवाब देती? प्रधान मंत्री जी इस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आपकी सरकार में मंत्री अलग-अलग बयान क्यों देते हैं? वैसे ही पूरा बाजार, पूरे देश का अर्थतंत्र ठप्प हो गया है, जिसके कारण हाहाकार मचा हुआ है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार एक जुबान से, एक स्वर से एक रास्ते पर क्यों नहीं चलती। एक मंत्री की तरफ से सुझाव आया कि रात के आठ बजे से लेकर सुबह के आठ बजे तक पेट्रोल पम्प बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री जी के यहां से खंडन आ रहा है। बड़ी अजीब बात है। यह बिगड़ क्यों है? क्या इस बिगाड़ को आपोजिशन कर रहा है? आजकल विजुअल मीडिया आ गया है, जिससे खबर आते ही आंखें चमक जाती है।

आज सबसे बड़ी बात है कि जो फाइलें मिसिंग हैं, जैसे सुषमा जी ने पूछा कि आप इन मिसिंग फाइलों की संख्या बताइये और आपके हाथ में कितनी फाइलें बची हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि यह पता चल जाये कि इस सदन और सदन के बाहर, कांग्रेस पार्टी या हम सब पार्टियों के कितने लोगों की फाइलें गायब हो गयी हैं। ...(व्यवधान) वे फाइलें इसलिए गायब हो गयीं, क्योंकि उन्हें बचाना है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शरद जी, आप अपनी बात संक्षेप में कीजिए।

श्री शरद यादव : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सीधी बात है कि सरकार जब एक्ट करती है, तो देश चलता है। यह सरकार किसी मामले में एक्ट नहीं करती। अफसोस की बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सदन चले, लेकिन सवाल यह है कि सदन चलता है, तो देश चलता है और जब सदन नहीं चलता है, तो ये सब बीमारियां निकलती हैं। हमारे पास काफी मैटीरियल है। अब कोल ब्लाक पर हमें काफी कुछ बोलना था, लेकिन बहुत कम समय मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने यह कहा कि जो फाइल न मिले, उसकी आप रिपोर्ट करना। क्या सुप्रीम कोर्ट को देश की जनता ने चुना है? देश की जनता ने आपको चुना है। आपके यहां से फाइल निकल गयी, तो वह किसकी जिम्मेदारी है। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि मैं कस्टोडियन नहीं हैं। अरे, आप देश के कस्टोडियन हैं, आप खजाने के कस्टोडियन हैं। आप इस देश में अंतिम जगह पर बैठे हैं। इसके बाद तो भगवान आता है। अगर आप ही हाथ खड़े कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी है। ...(व्यवधान) अब श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ऐसा

बोलते हैं, जैसे कोई महापुरुष बोल रहा है। ...(व्यवधान) यानी उनके रिश्तेदार, दोस्त इसमें हैं। इस सदन में जो एमपी हैं, मैंने सोनिया जी से कहा कि आप उनको सस्पेंड कर दीजिए। ...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, where is the Coal Minister? We are discussing the matter regarding coal. … (*Interruptions*) प्रधान मंत्री जी नहीं हैं, आप इस बात को छोड़ो। ...(व्यवधान) Where is the Coal Minister? … (*Interruptions*) The Coal Minister must come. … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, you adjourn the House till the Coal Minister comes. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please wait. There are senior Ministers on the Government side. All that is discussed will be reported to him.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. After him, you will get time.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Sharad ji, please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, this is the discussion regarding coal. … (*Interruptions*) The Coal Minister must come. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes, he will come. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Dasgupta ji, please allow the discussion to take place. The Coal Minister will come. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : सभापति जी, इतने पुराने एम.पी. यहां उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री नहीं हैं। ये साथी तो ठीक बात उठा रहे हैं। हमारी बात ठीक से परकोलेट हो, तो किसके अंडर परकोलेट होगी- फारुख साहब या चिदम्बरम साहब के अंडर। यह तो दूसरा दुर्भाग्य होता, यदि भारत सरकार का डिपार्टमेंट इतना बड़ा होता। मेरी आपसे विनती है कि भारत सरकार तत्काल बताए कि कितनी फाइलें मिसिंग हैं? ...(व्यवधान) दूसरी बात, यह भी बताया जाए कि कितनी फाइलें सी.बी.आई. को दी गयी हैं? तीसरी बात, सरकार पारदर्शिता से चले। ...(व्यवधान) यदि गलती हुई हो, तो माने, गलती न हुई हो, तो माने। देश तभी चलेगा

।...(व्यवधान) मैं माफी चाहता हूं, मुझे बहुत बोलना था। आपने समय कम रखा है, कमलनाथ जी उपस्थित नहीं हैं, वे यहां कहकर गये हैं कि कम बोलो।

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Dara Singh Chauhan.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I am on a point of order on the business that is going on.

MR. CHAIRMAN: Please, first quote the rule.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, it is under Rule 372.

I have no objection to the discussion being carried out on the missing coal files and on the Statement made by the Leader of the Opposition and other very important leaders. I am not speaking on the merits of the matter. But I want to understand, just for my knowledge, that under what rule we are discussing it.

You can say that we are doing this to bring peace in the House. But, at least, Sir, we must observe the Rule and follow the procedures. Rule 372 says that if the Minister makes a Statement, then there will be no discussion on the Statement.

The Prime Minister made a statement yesterday and he left the House. Some Members have pointed out that it is not a proper courtesy to leave the House immediately after speaking. But that was not Rules of Procedure; that was a rule of behaviour. It is written that the Member should not leave immediately after he has given a speech.

MR. CHAIRMAN: Please.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, let me complete. If a discussion was to take place, it can only take place under Rule 342 where any Statement can be taken into consideration. Unless there is a proper notice and if you allow rampant speeches, then the rules of the House are not observed.

I would like you to illuminate me under what rule it is being discussed. I am not speaking on behalf of my party. My colleague Mr. Kalyan Banerjee will be speaking on the subject.

But please explain to me under what rule this discussion on the missing coal files is being carried on. If you say that "we are using discretionary power",

you tell me under what discretionary powers, you are allowing a discussion on this… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, please take your seat.

The hon. Speaker had received a notice, and that notice was disallowed. The Speaker had given the ruling yesterday that after the Prime Minister's speech, there cannot be a discussion on that. But today, considering the precedent in this House, it was allowed. The precedent is that on a matter of public importance, the Speaker can permit; and using that precedent, we are allowing a discussion. So, a few Members would be allowed to speak.

PROF. SAUGATA ROY : Under what rule is this discussion taking place?

MR. CHAIRMAN: Please understand.

SHRI SHARAD YADAV : Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: No. This is enough.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप बैठिए।

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Prof. Saugata Roy, you are very right that on the statement of the Prime Minister, a discussion is not allowed as per Rule 372. But there is a precedent in this House; and the Speaker uses that discretion and allows such discussion. Actually, this is not a discussion. These are only submissions. In a few minutes time, the leaders who want to speak and have already intimated to the Chair that they want to speak, can only make a submission.

This is not a discussion; this is only a submission. Please take only two or three minutes each.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, कोल घोटाले से संबंधित फाइलें गायब होने को लेकर काफी दिनों से संसद में जो अवरोध बना हुआ है, वह काफी चिन्ता का विषय है। चूंकि सदन में अवरोध होने के कारण देश की जो अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं, जिनको लेकर सदन चिंतित है, पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन फाइलें गायब होने को लेकर इसमें जो अवरोध है, उसके बारे में हम सभी लोग चिंतित हैं। ये फाइलें

क्यों गायब हो गयीं, कैसे गायब हो गयीं, कितनी फाइलें गायब हो गयीं, ये फाइलें किस जमाने की हैं, यह जांच का विषय है। इसलिए हमारी पार्टी और मैं चाहता हूं, चूंकि हमारी नेता ने भी मीडिया के माध्यम से देश के सामने यह बात रखी है, कि जो फाइलें गायब हैं और उनके गायब होने का जो कारण है, उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, इस देश की जनता के मन में जो शंका है, आशंका है कि इतने बड़े घोटाले की फाइलें गायब हो गयी हैं, वह देश के सामने आना चाहिए। यह सच्चाई देश के सामने लाने के लिए सही कदम सरकार को उठाना चाहिए।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, the whole procedure of allotment of coal blocks in our country is the greatest scam of the country. Mr. Chairman, Sir, it is very unfortunate that since 1993 when the coal blocks were being allotted to the people, no transparent procedure had been followed in our country. First of all, at the first stage, nobody was aware which coal blocks were being allotted. The persons, who got the benefit of the coal blocks, were only aware of it. After that, notice was being issued that the coal blocks should be allotted. That procedure was followed. Never was any tender floated for the allotment of the coal blocks. The country has given a lot of coal blocks to the persons concerned but this country has not received a single amount of revenue for the coal blocks.

Sir, the most dangerous part is that right from the beginning when the coal blocks were allotted, the minutes are there but in support of the minutes, there is not a single file or a single document. When the Standing Committee took up this matter for consideration, despite the nation's loss, the Ministry had failed to produce the records --I say records--in support of those minutes. Therefore, unless the ascertainment of the loss of coal blocks is on a presumptive value, the actual ascertainment cannot be done even by the Standing Committee since the files were not available. The Standing Committee gave its recommendation four months back that there should be a threadbare investigation by the Central Bureau of Investigation from the inception of the allotment of the coal blocks. It is not only

for the losing of the files either from 2008 or 2009. This country wants to know the truth right from 1993 to 2009.

This is not a political target at all. People must know from 1993 to 2009 on what basis the coal blocks were allotted and what supporting documents are there for every minute. I am not speaking for a particular period. I am not speaking who are the parties in the power. I am speaking as a Member of Parliament that right from 1993 to 2009, there should be a threadbare investigation by the CBI to find out where the files have gone. It is not only the period from 2005 to 2009 but also from 1993 to 2009. That is my greatest submission before you, Sir.

Hon. Chairman, since you have said that it is purely for making a submission, I am making a great submission through you, kindly pass a Resolution that the whole investigation should be done from 1993 to 2009. Since I am the Chairman of the Standing Committee, I have spent a lot of time on this. I did not get a single document from 1993-2009. There must be an investigation to find out all the files during this period.

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, please make your submission briefly.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA) : Mr. Chairman, Sir, I will be very brief in my submission. As we suggested that the Coal Minister would make a statement; then there would be a discussion and the Prime Minister would intervene, it is quite surprising that there had not been any discussion in this House; although there was a discussion in the other House.

The Government agreed for a discussion. Yesterday, the issue of missing of files has been taken very casually by the Prime Minister in his statement. After four months, the Prime Minister said 'so-called missing files'. The Coal Minister has stated that the missing files were pertaining to the period prior to 2004. I want to know as to what the intention of the Government is behind making such a statement. Then afterwards, it was found that many of the files, which are missing, are pertaining to a period when the Prime Minister himself was in charge of Ministry of Coal.

When there is a Screening Committee and justification for allotment of coal blocks was done by it in the files; each and every file was approved by the Prime Minister as he was in charge of the Ministry, I want to know as to why after so many days, after 3-4 months, the House was told that if the files are not found, there would be an enquiry. Why has FIR not been lodged? क्यों एफआईआर आज तक दर्ज नहीं की गई? सबको पता है कि कितनी फाइल्स गायब हुई हैं। Everybody knows about it because this is the biggest scam – Allotment of coal blocks. In 21st Century, this is the biggest scam of Rs.1,86,000 crore. How these coal blocks were allotted? … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Do not listen to the prompting, you please complete your speech.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA: It is a scam of Rs.1,86,000 crore. The highest amount is involved in it. Whose money is this? It is the people's money. जनता का पैसा है, कैसे बांटा गया? The Supreme Court, while giving judgement on 2G Spectrum, not only cancelled 122 licences but it observed that the natural resources, mineral resources belong to the nation, to the people.

MR. CHAIRMAN: Please wind up. This is a brief submission and not discussion.

SHRI BASU DEB ACHARIA : How were these people allowed to loot and plunder the natural resources of our country? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करें। जो एलाटमेंट हुआ है, उसे रद्द किया जाए। This is the demand of the entire Opposition that all the allotment should be cancelled and a time-bound enquiry should be held. It took more than one year. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Acharia ji, please take your seat

Thambidurai ji, you please start.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Acharia ji, I have called the next speaker. Please take your seat.

SHRI BASU DEB ACHARIA : So, we demand cancellation of allotment of the coal blocks and a high level enquiry should be conducted in this case.… (*Interruptions*)

15.00 hrs.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR) : Mr. Chairman, corruption is a serious issue in this country. CAG has indicated so many scams involving the Government. The CAG has indicated scams like Commonwealth Games, 2G Spectrum Allocation, Coalgate, Railgate, land allocation for airport and so many others.

MR. CHAIRMAN : Confine to this.

DR. M. THAMBIDURAI : I am coming to the point. It is the duty of the Government to take action and create confidence among the people that the Government is running properly. When the Government fails, the court takes this power. Unnecessarily the Government and the Parliament are embarrassed now as the judiciary is taking over all the power and is dictating. They are only saying that corruption is there. The court gives dissection to take action by the Government and judgment also. In spite of the judgment, the Government is not taking any action. Therefore, it does not create confidence in the Government is administration and the system. That is why, this is a serious matter.

Now I come to the missing coal block allocation files. Coal is very important for our country. What happened is that allocation of coalfields to particular companies has not been in order. That is what the CAG has indicated. When CAG has pointed it out, the Government should have looked into it, but it failed. Therefore, some persons went to the court with a PIL.

Then the CBI said that it could not get relevant files to report to the court. This is also a very serious matter because at that time, our hon. Prime Minister was in-charge of the Coal Ministry. That is why we are taking it very seriously. Yesterday, when the hon. Prime Minister gave the statement, what he said was that the Government is making all efforts to locate the papers requisitioned by the CBI. That means, they are not in a position to give the files. Still they are making efforts

to identify where they are located. This is the answer the Government is giving. Even when the hon. Prime Minister makes this kind of a statement, it definitely makes all the hon. Members feel agitated. At that time when we wanted to raise this issue, we could not do so because he left the House suddenly. Therefore, today we are discussing this matter. The Government must make all out efforts to see that all the files related to the allocation of coal blocks are located and given. They should file an FIR also against those who are responsible for mishandling the issue and those who are responsible for missing these files. It is very important.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I was listening to the hon. Prime Minister's statement when it was being read out yesterday. After it was distributed, most of us went through it again and again. Some intelligent Members reacted instantly. But, today we are actually discussing on the missing coal files relying on the statement which the hon. Prime Minister has made.

In the statement that the hon. Prime Minister has made, he called it 'so called missing files'. He has also mentioned about more than 1.5 lakh pages of documentation have been handed over to the CBI. He has also mentioned 'if the records in question are indeed found missing…' That means, there is still doubt in the mind of the Prime Minister that the Government can locate some document, some file which is being termed today as missing.

I come to the point very briefly, Mr. Chairman. I have faith in the Prime Minister as the head of the Government when he says in the House of People that the Government shall do its best to locate it. But, at the same time I would say very humbly that the timeframe is being stipulated by the apex court. Can the Government not frame a timeframe that within this time, we will locate it and hand over to the Apex Court? Why do you have to wait for the Supreme Court's direction? Why does the Government has to wait? In this matter, the CBI was asking for certain files. I would not say what transpired in PAC, what transpired between the C&AG and the Coal Ministry and what the Coal Ministry has been saying in different forums, but I will confine myself only to this statement that the

CBI itself has posed before the Supreme Court that 'certain files, which we had asked for, have not been supplied to us." It has not been mentioned how many files they had asked for and how many files have not been given, but it is stated that 'certain files which we had asked for, have not been provided.'

At the same time, I would say that there are two ways of reporting. One is filing a First Information Report which we normally call FIR; and another is to file a station diary. Why is this House asking the Government to file an FIR? Why am I saying that you file a station diary? It is because it will enable us and the whole nation to know how many files are actually required by CBI that are not being provided by the Ministry of Coal. If that is not told to us, there will be a lot of confusion. As such, there has been a disconnect because I believe, most of us believe that CBI is a part and organ of the establishment and if the establishment itself goes to the Apex Court and says that we are not being provided the files which we require for our investigation, then there is a disconnect and there is every logic to agitate it in this House or outside.

I thank, the media – print media as well as electronic media - because they have been persistently pursuing this issue. That is why, there is tremendous pressure on the establishment, on the CBI and also, to a certain extent, on the court to find the actual position. I would say that when all this was coming out in the media, the C&AG came out with a statement.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. It is not a full-fledged discussion, only a submission.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am not making a speech.

These are certain issues, I think. The C&AG says that 'nobody has asked us about the files. It may be with us. We can provide that.' By collating a number of documents from different Departments and from different Ministries also, a file can be prepared and submitted. It is not that everything is missing, but when a doubt is created, the Government should take appropriate measures to clear that

doubt as soon as possible. Time should not be wasted to locate these files and time should not be asked from the court that a time-frame can be made.

With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN: Shri Gurudas Dasgupta.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, first of all, I should tell you that kindly bear with me.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Sir, this is not a discussion, only a submission. So, take two minutes and finish.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, please do not remind me off and on.

MR. CHAIRMAN: I have to because we are running out of time.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Please do not go on reminding from the Chair. … (*Interruptions*) The point is that we cannot decide the time. You must say 'what is the time?' … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Sir, we have already decided the time.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I do not know when you decided. Please let me make my submission, if you want. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes, you can please make it as quickly as possible.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : The first point is that this is an *impromptu* discussion which has been agreed upon without any parliamentary precedent. This *impromptu* discussion has been agreed upon to buy peace in the House so that the Government's agenda can get through. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Do not go into that. Come to the topic.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am free to make my comment. If it is unparliamentary, you can expunge it. You cannot say what I am to say.

MR. CHAIRMAN: Shri Dasgupta, I will call the next speaker after two minutes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, in that case, I will walk out.

MR. CHAIRMAN: When your time is over, I will call the next speaker.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, do not interrupt.

MR. CHAIRMAN: After two minutes, I will call the next speaker.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, you must know that you cannot interrupt. … (*Interruptions*) - [*]

MR. CHAIRMAN: I can even ask you to withdraw that word, but you take your time and finish.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, you can ask me to withdraw from the House. You are only omnipotent. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please say what you want to say on this coal issue.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : You are omnipotent. (*Interruptions*)*

SHRI NEERAJ SHEKHAR (BALLIA): It is wrong to say like that. … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Why am I saying it? It is agitating because firstly, I say, files are not missing; files are not stolen; but files are removed.

Secondly, another thing to be noted is that when the files were removed, it was not told by anybody; it came in the Press because there was somebody among 'you' to give the news to the Press.

First of all, it is a removal with an intention, and the counter-intention was the leakage to the Press that led to the discussion in the House. Secondly, kindly understand, hon. Chairperson, this is an important thing because the highest ever amount is involved in this. It is not a normal issue; *yeh koi chhota chori nahin.* When the country is in deep economic crisis, the highest ever amount is involved in this case.

---

[*] Not recorded.

Thirdly, we are not asking the Prime Minister, but we are asking the Coal Minister -- the Prime Minister was also the Coal Minister at that time, so it is not a question of asking the Prime Minister. Therefore, the Minister in-charge, who happens to be the Prime Minister, must take the moral responsibility.

Fourthly, I am not making a speech, kindly remember, there was a change of statement and because of the change of statement, the Minister had to go. While the change of statement took place, it should be noted that in the whole process, the Attorney-General was thoroughly involved. That makes the whole situation very suspicious.

The Government is not found to be involved in corruption. The Government is found to be involved in suspicion. There are people among ‘you’ to leak the news. There are people among ‘you’ to remove the files. But there are ‘no’ people in ‘you’ to take the moral responsibility. It is the caricature of parliamentary system. That is why we are extremely aggrieved. You have put the country in poor light before the entire world. Parliament is put in poor light because you are doing something unparliamentary.

Therefore, Sir, I ask you to kindly remember that this is not a normal issue. We are discussing it when neither the Prime Minister nor the Coal Minister is there! What is the precedent you are creating before the House? This is a mockery of parliamentary system, which is being done under your Chairmanship, Sir!

MR. CHAIRMAN: I am not expunging anything that you have said because you are a senior Member.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदय, यह कोयला घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है। लगभग 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये का यह घोटाला है। पहले सरकार इस घोटाले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन बाद में सरकार ने यह मान लिया कि घोटाला हुआ है और यह मानकर जिन लोगों को ये कोल ब्लॉक्स आबंटित किये गये थे, उनमें से कुछ लोगों के ये कोल ब्लॉक्स के आबंटन को रद्द कर दिया गया। रद्द करना एक तौर पर यह साबित करता है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि घोटाला हुआ है।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कोल ब्लॉक घोटाले में जितने भी लोग शामिल हैं, जितनी भी कंपनियों को ये कोल ब्लॉक्स आबंटित हुए हैं, वे सारे के सारे रद्द किये जाएं। यह मेरी पहली मांग है। पूरे देश को यह जानने का हक है कि इस घोटाले में जो लाभार्थी हैं, वे कौन हैं? इस देश की जनता को यह जानने का हक है। लाभार्थियों को भी सदन के सामने और देश के सामने आने की आवश्यकता है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है और सरकार की ओर से यह कहा गया कि कुछ फाइलें गायब हैं। वैसे इतने बड़े घोटाले में जब सरकार इस घोटाले को स्वीकार करती है और उसके बाद यदि फाइलें गायब होती हैं और यह बयान यदि सरकार को देना पड़ता है तो यह सरकार और देश के लिए शर्मनाक बात है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि सरकार सही तौर पर इसकी जांच नहीं होने देना चाहती है और चाहती है कि जो इस घोटाले में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो। उनको बचाने का प्रयास एक तौर पर किया जाता है बल्कि एक तौर पर यह साजिश है कि उनको बचाने का यह प्रयास किया जा रहा है।

सभापति जी, मैं एक बात की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कई बार यह कहा गया कि जिस ब्लॉक का आबंटन किया गया है, उसमें से एक दाना भी अब तक नहीं निकला है। मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को वह कोल ब्लॉक आबंटित हुआ है, उस आबंटन के बाद उस कोल ब्लॉक को मॉर्टगेज रखते हुए बैंकों ने कितने हजारों करोड़ों रु. का ऋण उन कंपनियों को दिया है? यह जानकारी भी सदन और देश की जनता के सामने आनी चाहिए कि कितने हजार करोड़ बैंकों ने इन ब्लॉक्स के लिए लोन सैंक्शन किया है और उस पैसे का क्या होगा? भले ही एक दाना भी कोयले का न निकला हो लेकिन हजारों करोड़ रुपए उस कंपनी को लोन, उस ब्लॉक आबंटन की वजह से, उस एलॉटमेंट की वजह से बैंक्स ने दिया है। बैंकों में हजारों करोड़ रुपये इस देश की जनता के हैं। एक तरह से इस देश की जनता का सारा धन इस कोल घोटाले की वजह से क्योंकि कोल घोटाले में 1 लाख 86 करोड़ का नुकसान तो हुआ ही है लेकिन इसके बाद बैंकों के माध्यम से किस प्रकार से लूट हुई है, ये सारी बातें जनता के सामने आनी आवश्यक है तथा इसीलिए सरकार यह कहे कि फाइलें गायब हैं, सरकार को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को तुरंत ये फाइलें उपलब्ध कराकर देनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति जी, जब सीएजी की रिपोर्ट इस सदन में रखी गई थी, तब कोल के बारे में बताया गया था कि 1 लाख 86 हजार करोड़ का स्कैम हुआ है। उसी तरह से इसके एलोकेशन में भी काफी घपला हुआ है। स्वतंत्रता के बाद यह सबसे बड़ा कोल घोटाला है और सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद हाउस में भी हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सीबीआई की इंवेस्टीगेशन स्टॉर्ट हुई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस केस के लिए अगर सीबीआई की जांच शुरु हुई है और उसी केस की यदि फाइलें मिसिंग हैं और मिसिंग क्या हैं, यह तो स्टोलन कर दिया गया है। अगर पर्टिकुलर फाइल्स को निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो इससे यह स्पष्ट है कि पूरे गलत तरह से इन लोगों ने एलोकेट किया है। उसी तरह से बचाने के लिए अभी फाइल्स को उन लोगों ने रिमूव कर दिया है और इसके बारे में प्रधान मंत्री जी की यह पूरी जिम्मेदारी है। हाउस में सभी लोगों द्वारा कहा गया है कि प्रधान मंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट आना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले। लेकिन प्रधान मंत्री जी के स्टेटमेंट में बताया गया है कि प्रधान मंत्री जी भी मिसिंग फाइल्स को लोकेट कर रहे हैं। यह क्या मतलब है? क्या प्रधान मंत्री जी अपने मुंह से बोलेंगे कि मिसिंग फाइल्स को लोकेट कर रहे हैं? ये लोग देश को किस तरह से चला रहे हैं, यह बात देश के लोगों को भी जाननी चाहिए। सबसे ज्यादा स्कैम्स यूपीए के समय में हुए हैं। अभी हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से जो रिपोर्ट दी है, इस संसद में इतने बड़े स्कैम के बारे में प्रधान मंत्री जी ऐसा स्टेटमेंट देकर तुरंत चले जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था।

मेरी मांग है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। सीबीआई की इन्वेस्टीगेशन तो बाद में अभी तो फाइलों की इन्वेस्टीगेशन शुरु करनी पड़ेगी। आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि सरकार इसे सीरियसली ले और जो भी इन्वाल्व हैं, उन पर एक्शन ले।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): माननीय सभापति महोदय, माननीय विपक्ष की नेता द्वारा काफी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चर्चा हो रही है कि फाइलें गायब हो गई हैं, फाइलें चुरा ली गई हैं या फाइलों को हटाया गया है, चाहे जिस परिस्थिति में फाइल नहीं मिल रही है, सीबीआई जांच करना चाहती है और फाइल सीबीआई को उपलब्ध नहीं हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में भरोसा दिया था कि फाइल को खोजा जा रहा है।

सभापति जी, मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सुषमा जी भी मंत्री रही हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री अपने विभाग की सारी फाइलें अपनी अलमारी में बंद करके चाबी अपने पास रखता होगा। अगर एनडीए के शासन में ऐसा होता होगा तो इसका अनुभव सुषमा जी को होगा और शरद यादव जी को भी होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता होगा तो मनमोहन सिंह जी नाममात्र कोयला मंत्रालय के प्रभारी थे और अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत पर सीबीआई का पदाधिकारी यह कह कर उंगली उठाता हो कि हम इन्टेरोगेशन करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह दंड का भागी है। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि किसी भी क्षणिक राजनीति के लिए किसी मर्यादित पद पर इस तरह का आक्षेप न किया जाए। पारदर्शिता के नाम पर इस तरह किसी की इमेज खराब करने का प्रयास न किया जाए। फाइल को निश्चित ढुंढवाया जाए। अगर फाइल नहीं मिलती है तो कार्रवाई की जाए। फाइल चुराने में जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें दंडित किया जाए। सीबीआई के पदाधिकारी जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है, उन पर भी साथ में कार्रवाई की जाए। यही मेरी मांग है और यही आग्रह है।

MR. CHAIRMAN : Thank you very much for the discussion.

Now we take up Item No. 7. Shri Basu Deb Acharia to speak.

15.23 hrs

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2011 – Contd.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill. The UPA Government was trying to provide statutory backing to what has been implemented from 1.1.2004 and an Authority has also been created. Where is the necessity for bringing a Bill for an Authority? Where is the necessity to change from defined return to defined contribution?

Since the time, the Government adopted new liberal economic policy in 1991, we have been observing that one after another, reforms and measures had been taken in the past. The Government's share in the nationalized banks has been reduced.

Our public sector companies are being disinvested, privatised. FDI has been allowed in insurance sector to the extent of 26 per cent, and there is a reform in pension system. Prime Minister, while making a statement on the economic situation or the falling value of rupee, pointed out in this House that certain difficult reform measures are now required to be taken and one such measure was reforms in pension system.

I am surprised, though I should not be, that many of the economic policies being adopted by this Government are on being directed by the United States of America. What is the interest of the United States of America that they are pressuring our Government to change or reform our pension system? What is the interest of the World Bank and the International Monetary Fund? In 2001 itself the International Monetary Fund recommended that there should be a change in our pension system.

We know that the country is facing an economic crisis and this crisis is of Government's own making. Because of the policies that this Government has been pursuing, today the country is confronted with this crisis. But in order to overcome the crisis, should the burden on common man be increased? In order to overcome the crisis, should the social security available to workers and employees of our country be reduced? To overcome this crisis, should contractorisation or outsourcing be resorted to?

We have seen in 2007-08 and 2008-09, the two years of global economic melt. At that time in UPA-I when Mr. Chidambaram was the Finance Minister he made a statement here that our country will be insulated from the global economic crisis, global economic meltdown. But subsequently what we found was that Rs.1,86,000 crore were paid for a bailout package. This bailout package was meant for whom? This bailout package was utilised for what purposes? It is utilised to clear their balance sheet.

And during these two years we have seen the International Labour Organisation Report that more than 35,00,000 have lost their jobs in our country. More than three lakh workers in diamond cutting and polishing industry in Surat lost their jobs. So, workers have lost their jobs, unemployment is growing. Therefore, here is a job-loss growth, not job-less growth.

In order to overcome this crisis, certain measures which appear to be anti-worker and anti-employee had to be taken by the Government and they are being taken. This measure is changed in the pension system of our country. The existing pension system, pay as you go, was initiated long back, when we were not independent.

MR. CHAIRMAN : Please wind up – you have taken seven minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I have just started.

MR. CHAIRMAN: You might have just started speaking on the Bill, but you have taken time – more than seven minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Let me speak.

It was initiated, when we were not independent. Pension was not a charity. We have seen one Pay Commission after another – from the first to the sixth. In regard to pension, all the six Pay Commissions have uniformly recommended or stated that pension is an inalienable right of the employees and workers of this country. So, this is not a charity. You are now taking away this right. With these measures, हमारे देश के मज़दूरों और कर्मचारियों को जो अधिकार दिया गया, वह अधिकार छीना जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: You have exceeded your time.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am addressing you.

What has been done is that there will not be both implicit and explicit assured benefits because it will depend upon the market conditions. In clause 20 of the Bill, it has been stated that there shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except market based mechanism, to be purchased by subscriber. We would move an amendment to this. I do not know how the BJP is satisfied with this; it has no assurance or no assured return; in spite of that, I do not know how they are satisfied and how they have decided to support this Bill.

What will happen and what will be the risk? If there is a major market shock, the subscriber to the new pension scheme may end with no ability to purchase annuity.

He will have to purchase annuity; there are a number of schemes and the employee will have to choose one of those schemes. Since annuity is and cannot be cost-indexed, the real worth of annuity might fall, depending upon the inflationary pressure on the economy. The Minister may reply to this point.

The subscriber, as I have said, is to make a choice of investment portfolio; and the civil servants being mostly uninformed, the Group-D employees, about finance and investment-related schemes, they might end up in making wrong choices which would eventually rob him off the old-age pension. Subscriber has per force to contribute to the choices of investment manager whose priority depends on how much profit he could make through investment of the huge corpus of pension fund in volatile markets. What is being done, Mr. Chairman? Ten per cent is being deducted from the salary of the employees who have joined after 1.1.2004. The Government is contributing another ten per cent. A fund has been created. That fund has been handed over to fund manager. Except one, all the fund managers belong to corporate houses. A huge corpus fund consisting of employees share and the Government's contribution will be handed over to the corporate houses. That means public money will be utilised for private purposes.

There will be two categories of employees. One category of employees will continue to enjoy defined contribution and defined benefit. They will get an assured income. There will be another category of employees, ten per cent of whose salary has been deducted, will be deposited, but the Government will not be able to tell how much pension he will get after his retirement. When we used to extend our support to the UPA I Government, I asked this question several times to the then Minister of Finance, Shri P. Chidambaram as to how much an employee will get after his retirement. He was not able to tell as it depends on the conditions of the market. … (*Interruptions*)

If the market falls, the employees will lose everything. Why are we bringing this Bill? Why are such measures being taken by this Government? A large number of employees are there. There are more than one crore of Central Government, State Government, bank employees and others. Why are you creating two categories of employees now? It is violative of the Constitution. It violates article 14, Right to Equality. This Bill violates article 14 of the

Constitution, Right to Equality, by creating two classes of employees. By whose direction and by whose intent is it being done?… (*Interruptions*)

He has stated that most of the recommendations of the Standing Committee have been accepted except one. Which one? It is the most important recommendation. The Committee in its Report said: "The Committee, therefore, desire that the Government must devise a mechanism to enable subscribers to be ensured of such minimum assured guaranteed returns of their pension so that they are not put to any disadvantage vis-à-vis other pensioners." So, they are being put in a disadvantageous position vis-à-vis other pensioners.

Sir, there has been a historic strike for two days. The entire working class, all the 11 trade unions joined together and called a strike for two days on the 20th and 21st February, 2013. The demand of the entire working class, all the trade unions from the INTUC to the BMS was that the Government should withdraw the New Pension Scheme because this is a discrimination against a large section of employees and workers. This deprives the workers and the employees of the benefit of pension. What will happen after their retirement? Pension is not a charity. The Committee which was appointed by the Sixth Pay Commission observed this…. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, please take your seat now.

SHRI BASU DEB ACHARIA: That Committee has observed this and one of the reasons was this.

MR. CHAIRMAN: I shall be calling the next speaker. You may take your seat.

SHRI BASU DEB ACHARIA : One of the reasons for which the New Pension Scheme has been introduced is to reduce the outflow of money. But the observation made by the Committee appointed by the Sixth Pay Commission is that the Contributory Pension Scheme would, in effect, increase for a period spanning from the next 34 years from the existing Rs.14,284 crore to Rs.57,088 crore! If we go by the New Pension Scheme, the outflow of money will be more than the existing one. So, I demand that the Government should not press for the

passage of this Bill. This is against the workers and the employees of the country. This is an anti-labour and anti-employees Bill. So, the Government should restore the earlier system which is there in our country “Defined contribution with defined returns.” If there is no defined return, how much benefit, how much pension will the employees and workers get? It will depend upon the market conditions. The market will determine how much benefit the employees and workers will get after retirement. There will be no scope for family pension if an employee dies. There is no scope for gratuity also.

As this is an anti-worker, anti-employee Bill, we oppose it. I appeal to the entire Opposition including the Members from the Treasury Benches to oppose this anti-labour, anti-worker measure of this Government.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please be aware of the time allotted to each Party. It was a very good speech but the time allotted to Shri Basu Deb Acharia’s party is 5 minutes whereas you have taken 22 minutes. The observation from the Chair is interpreted as interruption. That is why I am making this clear. Please be aware of the time allotted to the various Parties.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मैं अपनी नेता माननीय सुषमा स्वराज जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बोलना भी चाहता था। संयोग यह हुआ कि माननीय सुषमा स्वराज जी ने जब कहा कि पार्टी की तरफ से इस बिल पर बोलना है तो मेरे लिए यह एक सुखद अनुभूति है । जिस बयान का जिक्र माननीय बसुदेव आचार्य जी कर रहे थे, मैंने सोचा कि वहीं से शुरू करूं, क्योंकि इस सदन में प्रधान मंत्री जी का जो बयान है, वे कहते हैं -

The Prime Minister said, and I quote:

> "Madam, Speaker, the easy reforms of the past have been done. We have the more difficult reforms to do such as reduction of subsidies, insurance and pension sector reforms, eliminating bureaucratic red tape and implementing Goods and Services Tax. These are not low hanging fruit and they need active political consensus."

इसका मतलब यह है कि जो पेंशन रिफार्म्स हैं, वे इस सरकार एवं देश के लिए एक डिफिकल्ट रिफार्म्स हैं, जोकि इस सदन में दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, बसुदेव आचार्य साहब इसका विरोध कर रहे हैं और गुरुदास बाबू विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट इसलिए कर रही है कि देश आज क्राइसेस में है। क्राइसेस में कैसे है, 1991 से भी ज्यादा बड़ा क्राइसेस है। मैं इसको कह सकता हूं कि इस देश में कुछ ऐसे मुद्दे आए, जैसे 15 अगस्त, 1947 को यह देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद जो इकोनोमिक पॉलिसी थी, जब आपने उसको मई, 1991 में प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी ने बदला। 1994 में जब हमने डंकेल ड्राफ्ट पर सिगनेचर किए, उससे जो देश डिटिरियोरेट हुआ, उससे जो सिचुएशन खराब हुई है, उसकी परिणिति है कि आज देश इस तरह के क्राइसेस से जूझ रहा है, जिसमें पेंशन रिफार्म्स की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 1991 से ज्यादा बड़ा क्राइसेस कैसे है, वह क्राइसेस इसलिए है कि 1991 में हमारा जो शोर्ट-टर्म लोन था, वह मात्र दस परसैंट था और आज इस देश का शोर्ट-टर्म लोन 25 परसैंट है। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि यह देश क्राइसेस में नहीं है। वित्त मंत्री जी हमारी बात से सहमत नहीं हैं। मैं इतिहास के पन्नों पर जा रहा था - 67-68 और इसी कांग्रेस का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मैं देख रहा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लड़ाई शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस अलग हो गई, इंदिरा जी अलग हो गईं, पार्टी लेकर। ठीक इसी प्रकार का क्राइसेस था। क्राइसेस यह था कि अमेरिका से हमको गेहूं आयात करना था। क्राइसेस यह था कि हमने रुपए का डिवेल्यूएशन कर दिया था। जितना रुपए का डिवेल्यूएशन आज हुआ है, उसी तरह से 1967-68 में जब इंदिरा जी जॉनसन से मिलने के लिए अमेरिका गई थीं तो उस वक्त एक डॉलर की कीमत 4 रुपए 75

पैसे थी। इंदिरा जी जब अमेरिका से लौट कर आई थीं तो उन्होंने दो एग्रीमेंट किए - एक तो गेहूं आयात किया जाएगा और दूसरा, उन्होंने जो डॉलर 4 रुपए 75 पैसे का था, उसको उन्होंने 6 रुपए 75 पैसे कर दिया था। लगभग तीस परसैंट का डिवेल्यूएशन हुआ था। उस क्राइसेस से निकलने के लिए इंदिरा जी ने जो सुझाव दिए, जो चीजें कीं, उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। कोल में बहुत बड़ा स्केम था, तो कोल सैक्टर और माइनिंग सैक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ था।

आज जब मैं इस सारी सिचुएशन को देख रहा हूं तो मैं पा रहा हूं कि ठीक देश उसी जगह पर है और कहीं 1975 की तरह इस देश में इमर्जेंसी लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। मैं यह समझूंगा, क्योंकि आप नेशनालाइज्ड कर नहीं सकते। वह सिचुएशन खत्म हुई, जब आप बैंकों का नेशनलाइजेशन करने लगे। जिस तरह की बातें सारे वक्ता कर रहे थे कि बैंक का एनपीए बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर बैंक का एनपीए बढ़ रहा है। बैंकों को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हैं। जिस तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपका जैसे जे.पी. मोर्गन, नोमुरा और एचएसबीसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि आपका जो अगला जीडीपी ग्रोथ है, वह 4.1, 4.2 से ज्यादा नहीं होने वाला है तो ये 120 करोड़ की पापुलेशन में आप क्या करेंगे? इस तरह से जो कोल स्केम चला है, 1967-68 की यदि बात देखें, नेशनलाइजेशन की बात देखेंगे तो ठीक इसी तरह की सिचुएशन थी। क्या यह देश 1967-68 या 1991 की तरह जा रहा है? ये बताने के लिए कांग्रेस सरकार को तैयार होना चाहिए। बड़ा गुस्सा आता है, जब प्रधान मंत्री जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का इस पार्लियामेंट में उपयोग किया जाता है। मैं प्रधान मंत्री जी की बात से सहमत हूं, प्रधान मंत्री जी के ऊपर इस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी को करने का अधिकार नहीं है। मैं कभी-कभी अपनी पार्टी से भी रूष्ट होता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि जिस विभाग के आप मंत्री हो, आप ही की सीबीआई ने, आप ही के मंत्री हैं दासरी नारायण राव, बरगोडिया साहब, हमने नहीं, आपकी सीबीआई ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट के ऊपर एफआईआर कर दिया है। तो कैबिनेट मिनिस्टर के नाते आप उस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? उसके बाद यदि कोई आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करता है, सही चीजें दिखाने का प्रयास करता है तो आपको लगता है कि अपोजीशन इसको चलने नहीं दे रहा है, चीजें नहीं करने दे रहा है। ...(व्यवधान)

श्री नीरज शेखर (बलिया): यह पेंशन बिल पर है।

श्री निशिकांत दुबे : मैं पेंशन बिल पर ही बोल रहा हूं। इसीलिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह पेंशन रिफॉर्म ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If you speak on the Bill, you will get more time.

… (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे : उसका कारण मैं बताऊंगा कि इसके पीछे क्या रीजन्स हैं?

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, एक कहानी है कि शनि शंकर भगवान के सबसे बड़े शिष्य थे। जिस तरह से उस दिन चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि जो अर्थशास्त्री की टीम ने 8 परसेंट ग्रोथ किया है, वही टीम अभी है। केवल एक ही फर्क हुआ है कि 4, 5, 7 साल में उनकी एज थोड़ी ज्यादा हो गयी है, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि यही हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, मोंटेक सिंह आहलूवालिया साहब हैं, रंगराजन साहब हैं, इन्हीं की टीम ने यह सारा कुछ किया था। लेकिन कारण यह है कि आज देश की इकॉनामी के बारे में आप अहंकार में समझना नहीं चाहते।

शनि की कहानी यह है, जिस पर मैं था कि सबको साढ़े साती लगती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में बहुत हंगामा मचा हुआ है, शनि भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके ऊपर अब साढ़े साती लगने वाली है। शंकर भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर साढ़े साती आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं सबसे मजबूत भगवान हूं, सबसे जानकार भगवान हूं। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने अपने नंदी को कहा कि तुम चले जाओ, साढ़े सात साल के बाद तुम हमसे मिलने के लिए आना और पार्वती जी को कह दिया कि आप अपने नैहर चले जाइए और वे अपने मशान में धूनी लगाकर बैठ गए, क्योंकि उनको तो कोई प्रभाव होना नहीं था। जब साढ़े सात साल के बाद शनि भगवान उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे ऊपर क्या असर कर लिया? मैं तो सब कुछ आराम से करता रहा। उन्होंने कहा कि भगवान, आपकी नंदी आपके साथ नहीं है, आपका पूरा का पूरा जो परिवार है, माता पार्वती आपके साथ नहीं हैं, सती नहीं हैं आपके साथ और आप आप कह रहे हैं कि क्या किया, मैं करता क्या हूं? मैं यही करता हूं कि मैं धन लेता हूं, मैं यही करता हूं कि परिवार को तोड़ता हूं। आज जो इस देश की इकॉनामी है, उसमें महंगाई चरम पर है, अनइंप्लायमेंट चरम पर है। …(व्यवधान) शनि आप लोगों के समझने के लिए है कि शनि कौन है? आप अपोजीशन को ब्लेम करते हैं कि वह सदन नहीं चलने देता। …(व्यवधान)

अब मैं पेंशन बिल पर आता हूं। यह पेंशन बिल हमारे लिए कितना इंपोर्टेंट है और हमने कितना सरकार को सहयोग किया है, सरकार हमसे सहयोग लेने को कैसे नहीं तैयार है? जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रिफार्म्स किए, उसमें पेंशन रिफार्म भी एक बहुत बड़ा विषय था। उन्होंने वर्ष 2001 में दो कमेटी बनायी, एक सोशल जस्टिस की कमेटी बनायी, हाई लेवल कमेटी बनायी गयी और ओएसिस कमेटी बनायी। दो कमेटी उन्होंने इसीलिए बनायी कि इस देश में युवाओं की संख्या यदि बढ़ रही

है तो इस देश में धीरे-धीरे बूढ़े लोगों की संख्या भी बढ़ने वाली है। बूढ़े लोग ऐसे हैं, उन्होंने एक मार्केट सर्वे करवाया था कि जो पेंशन फंड बनेगा, वह चार हजार पचपन बिलियन का होगा। यदि आज के हिसाब से आप देखें तो लगभग दो सौ पचास लाख करोड़ रूपए का यह पेंशन फंड होगा। उन्होंने यह सर्वे कराया था। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है, चौदह-पन्द्रह लाख करोड़ का हमारा बजट है। आप समझिए कि हम दो सौ पचास लाख करोड़ रूपए कहां से लाएंगे? जो उसका सबसे कंजरवेटिव एस्टीमेट है, वह यह बताता है कि लगभग एक सौ पचास लाख करोड़ की आवश्यकता है इस पेंशन रिफार्म में। इस कारण से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन दो कमेटीज के आधार पर वर्ष 2003 में नोटिफिकेशन के माध्यम से यह पेंशन फंड बनाया। यह हमारा बिल है। इसके बाद हमने कितनी जल्दबाजी की, आप कहते हैं कोआपरेट नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने वर्ष 2005 में इसे इंट्रोड्यूस किया और वर्ष 2005 के मार्च में जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो जुलाई में, मात्र तीन महीने में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बी. सी. खंडूरी साहब थे, हमने तीन महीने के अंदर आपको लौटा दिया और चूंकि आप सरकार लेफ्ट पार्टी के सहयोग से चला रहे थे, इस कारण से आपमें साहस नहीं हुआ चार साल तक बिल को लाने का, वर्ष 2005 का बिल वर्ष 2009 में आप इंट्रोड्यूस कर पाए। वर्ष 2009 में फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया और वह बिल गिर गया।

इसके बाद 24 मार्च, 2011 को ये बिल ले कर आए, सभापति महोदय डेट याद करिएगा, जिस दिन यह बिल इंट्रोड्यूस होने लगा, बसुदेव आचार्य साहब ने इसका विरोध कर दिया, उन्होंने डिविजन मांग लिया और कांग्रेस के बेंच पर एक आदमी मौजूद नहीं था, उस वक्त जो माननीय वित्त मंत्री थे, आज के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उनके हाथ-पांव फूल गए कि डिविजन हो जाएगा तो यह बिल ही इंट्रोड्युस नहीं हो पाएगा। मैं दौड़ा-दौड़ा अपने नेता माननीय सुषमा जी के पास आया कि करना क्या है? उन्होंने कहा कि यह बिल हमारा है, इसमें हम मदद करेंगे और हम ने इंट्रोड्युस होने में यहां मदद की। जब 24 मार्च, 2011 को यह बिल इंट्रोड्युस हो गया तो 29 मार्च, 2011 को यह हमारी स्टैंडिंग कमेटी में गया। मैं उस कमेटी का मेम्बर हूं। हमने 31 अगस्त 2011 को, मात्र तीन महीने बाद यह दे दिया। आप दो साल तक इस बिल पर बैठे रहे। ऐसी क्या परेशानी हो गई? एक गाना है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आप देर नहीं करते हैं, आप का कोई इंटेंशन नहीं है, विपक्ष सब चीज को रोक रहा है। वर्ष 1956 का कारपोरेट बिल, पूरा का पूरा इतना मोटा बिल हमने आप को बना कर दिया, उसको अभी आप पास करा पाए हैं। वर्ष 1961 का पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स कोड हमने बना कर दिया। स्टैंडिंग कमेट में गुरुदास बाबू भी हैं। यशवंत सिन्हा उसके चेयरमैन हैं। आपके मंत्री लंबे-लंबे भाषण करते हैं, चाहे बैंकिंग रिफार्म्स हो, इश्योरैंस रिफॉर्म्स हो, पेंशन रिफॉर्म्स हो, कोई भी ऐसा बिल नहीं है, जिसमें हम आपको सहयोग नहीं करते हैं। यदि

आप सहयोग लेते हैं, पूरे देश को यह जानने का अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बनाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में आप का सहयोग करने के लिए कहीं भी पीछे नहीं है। आप टेकना चोर वाली कहावत को सत्य नहीं होने दीजिए।

इस पेंशन बिल पर हम क्यों मदद कर रहे हैं? पेंशन बिल पर हम इसलिए मदद कर रहे हैं कि इसमें कई ऐसे हमारे क्लॉजेज हैं, जिन्हें आपने माना है। इनको आपने माना है और हमने इसको बनाने में सहयोग किया है। इसमे दो सबसे बड़ा क्लॉज है, जिनके लिए बसुदेव आचार्य जी कह रहे थे कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि एश्योर्ड रिटर्न का जो बड़ा प्रावधान था, हम यह चाहते थे कि सारे गवर्नमेंट इम्प्लॉयज को एश्योर्ड रिटर्न मिले और उसके लिए आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनको इंवेस्टमेंट करने का अधिकार दिया और आपने यह कहा कि यदि चार पोर्टफोलियो मैनेजर होंगे तो उसमें एक सेन्ट्रल पी.एस.यू. का भी होगा, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी होगा, इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि 26 परसेंट एफडीआई जिसको हमने इंश्योरैंस के साथ जोड़ कर देखा है, उसकी भी एक बड़ी कहानी है। क्योंकि जब हम यहां इंश्योरैंस बिल ले कर आए तो आप ही ऐसे आदमी थे, आप लोगों ने विरोध किया। आपने उस वक्त के वित्त मंत्री जी को कहा कि किसी कीमत पर हम पास नहीं होने देंगे। आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हमारे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी से कमीटमेंट करा लिया कि 26 प्रतिशत से ऊपर किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में इंश्योरैंस में हम आपको एफडीआई की अनुमति नहीं देंगे और आपने इतना ही नहीं किया, आपने कहा कि दस साल के बाद आई.पी.ओ. लाने का इनको अधिकार होगा, क्योंकि उस वक्त का जो हमारा प्रपोजल था कि 26 प्रतिशत एफडीआई होना चाहिए और आप 23 प्रतिशत का भी प्रोविजन कर दीजिए, आपने वह नहीं माना। आज आप आई.पी.ओ. नहीं ला रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि सारा इंश्योरैंस सैक्टर डूबने की स्थिति में है, मरने की स्थिति में है और यहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, क्योंकि यदि हम कारपोरेट की बात करते हैं, इस देश में फैशन हो गया है या तो कारपोरेट का सहयोग करते हुए नजर आएंगे या विरोध करते हुए नजर आएंगे, आप अच्छी बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। आज आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, जो कारपोरेट ने यहां पैसा लगाया है, क्योंकि सभापति महोदय यह बड़ा खेल है, मैं उस सैक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जैसे इन्होंने टेलीकॉम सैक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई कर दिया। हमारी सरकार ने 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत किया और 49 प्रतिशत से वह 74 प्रतिशत करने वाली थी, बाद में यह सरकार है, जिसमें 74 प्रतिशत हो गया। चूंकि अभी इनको एफडीआई चाहिए तो 100 प्रतिशत कर दिया।

सभापति महोदय, इनका खेल यह है कि जितनी कम्पनियां टेलीकॉम की हैं, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़े गंभीरता के साथ और वित्तमंत्री जी को कह रहा हूं कि सारी कंपनियों का जो एफडीआई है,

वह 100 प्रतिशत है, उसको उन्होंने लिग्लाइज करने के लिए, उसको उन्होंने क्लीयर करने के लिए, ये 100 प्रतिशत एफडीआई की बात कर रहे हैं। उसी तरह से जितनी इंश्योरैंस कंपनियां इस देश में हैं, उनका 49 प्रतिशत और 49 प्रतिशत से ज्यादा इक्विटी है, उसको लिग्लाइज करना चाहते हैं। आप उनके पॉकेट में पैसा पहुंचाना चाहते हैं और इस कारण से उस वक्त आपने जो बात की, क्योंकि उस वक्त मल्टीब्रांड की बात आने लगी तो आपने हमको ट्रेटर कहा। आपके चीफ प्रियरंजन दासमुंशी साहब थे, जब आपने इंश्योरैंस में 46 प्रतिशत एफडीआई की बात कही है, तो आज आप को इन चीजों के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए और हम आपकी जो मदद कर रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि वर्ष 2004 के जो बिल थे, उसमें हमने एक तो इनवेस्ट ऑप्शन की बात कही थी, आपने उसको माना है।

16.00 hrs.

इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। हमने टायर वन और टायर टू सिटी के लिए कहा था कि उसमें आप वर्ष 2004-05 में एसैंशियल फीचर डालिए, क्योंकि इस बिल को जितना सुधार सकते थे, उतना सुधारने की बात कर रहे हैं।

16.0 ½ hrs. (Shri Fransico Cosma Sardina *in the Chair*)

यह 80 करोड़ लोगों का सवाल है, केवल सैंट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाइज का सवाल नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी का सवाल नहीं है, प्राइवेट सैक्टर का सवाल नहीं है। इस देश में केवल 12 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैंशन स्कीम है और सरकार का लगभग 13-14 प्रतिशत पैसा लगातार जा रहा है। वह बढ़ता जा रहा है, कहीं 27 प्रतिशत जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने झारखंड के साथ जो अन्याय किया है...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Hon. Chairman, Sir, according to the List of Business of the House, at 4 o'clock, hon. Leader of the Opposition will start a discussion. Now it is 4 o'clock.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, मैं चाहूंगी कि आप इस बिल को पहले खत्म कर लीजिए। उसके बाद मैं तसल्ली से अपनी बात शुरू करूंगी। वर्ना वित्त मंत्री जी यहां बैठे रहेंगे और जब तक वह चर्चा चलेगी, उसके बाद यह बिल आएगा। दोनों सब्जैक्ट्स आधे-अधूरे रह जाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप पीएफआरडीए खत्म कर लें, फिर मैं तसल्ली से उत्तराखंड की चर्चा करूंगी।

MR. CHAIRMAN : There is also a request from the Government, please.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am ready to agree to that suggestion but there has to be reasonable time for the Opposition because the Principal Opposition is supporting the Bill. We are in the Opposition. Therefore, there has to be reasonable time as far as the procedure in the Parliamentary system. is concerned… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you will get your time.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I do not want an advice from the Minister. Please listen to me. I want an assurance that those who are really opposing the Bill will get reasonable time to speak.

MR. CHAIRMAN: All of you, who are supposed to speak, will get enough time. So, we will take up the Bill first.

16.03 hrs.

THE PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2011 – Contd.

MR. CHAIRMAN: Shri Nishikant Dubey, you may please continue.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं कह रहा था कि बिल को हम किन-किन कारणों से सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें हमने कहा था कि सब्सक्राइबर के पास सौ प्रतिशत इन्वैस्टमैंट का एक ऑप्शन होना चाहिए कि वह गवर्नमैंट सिक्युरिटीज में इन्वैस्ट करना चाहता है। उसे इन्होंने क्लॉज़ 20 में इनक्लूड किया है। इसके बाद हमारा था कि पैंशन फंड में से एक पब्लिक सैक्टर का होना चाहिए। इसे इन्होंने क्लॉज 23 में इनक्लूड करने का प्रयास किया है। इसके बाद हमने एफडीआई की बात कही थी। ये 26 प्रतिशत एफडीआई मानने को तैयार हैं क्योंकि इंश्योरैंस में हम इनका इन्वैस्टमैंट 49 प्रतिशत कतई मानने को तैयार नहीं हैं। हम इन्हीं की बात पर निर्भर हैं। इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए किया था जिसमें इन्होंने सब क्लॉज 3 डाला हुआ है। इसके बाद हमने जो स्पैशल कमेटी सैट-अप करने की बात कही थी, उसे इन्होंने न्यू क्लॉज 44 में इनक्लूड किया है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके आधार पर हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे इस देश में लोग बूढ़े हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। उन्हें जो पैसे की आवश्यकता है, वह पैसा देने के लिए सरकार सक्षम नहीं है, क्योंकि आप जो भी पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें इस सरकार की किरकिरी हो रही है। आप चाहे फार्मर्स के लोन वेवर की बात कर लें, उससे किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी है। उसमें कितना बड़ा करप्शन हुआ है, यह सरकार को खुद पता है। इन्होंने खुद जांच की है। स्टैंडिंग कमेटी उन चीजों को देख रही है। इसमें सरकार खुद मान रही है कि बहुत बड़ा करप्शन है। दूसरा, ये नरेगा लेकर आए। एक विजिलैंस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मुझे यह पता है कि उसमें 50-60 प्रतिशत कमिशनखोरी है। उसमें ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। दो लाख करोड़ रुपये, इससे बढ़िया था कि आप लोगों को डायरैक्ट बैनीफिट, ट्रांसफर स्कीम में जो पैसा दे रहे हैं, यदि आप लोगों को पैसा देते और एसैट क्रिएट करवाते तो आज दो लाख करोड़ की आपको कोई न कोई चीज दिखाई देती। आप रोजगार दीजिए। आप क्यों नहीं उन्हें स्टाइपैंड देते, क्यों नहीं पैंशन देते। यदि इसी पैंशन स्कीम में उनके साथ जोड़ने की बात करेंगे तो मुझे लगेगा कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि 88 प्रतिशत लोगों को आज भी पैंशन से मरहूम किया जा रहा है। आज भी 10-11 साल के बाद मात्र 21 हजार करोड़ का आपका फंड हो पाया है। जो फंड 2 लाख 50 हजार करोड़ का होना है, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप होना है, जिस तरह इंश्योरैंस के ऊपर निर्भरता है, उस तरह पैंशन पर कम होना है, आप उस बारे में नहीं देख रहे हैं। नया लैंड

एक्वीजिशन बिल किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कई फियर्स को आप देश में अभी तक खत्म नहीं करवा पा रहे हैं कि इससे इंडस्ट्री लगेगी या नहीं, लोगों का विकास होगा या नहीं, किसानों को उसका फायदा मिलेगा या नहीं, क्योंकि आपने कलैक्टर को वह अधिकार दिया हुआ है।

आपने जो फूड बिल दिया है, उसमें उतनी उपज हो पायेगी या नहीं? मान लीजिए उस वक्त अमेरिका से अनाज आयात करने के बदले, जिस हरित क्रांति की बात माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की थी, देश को उनके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। आज पवार साहब जिस जीएम कॉर्प की बात कर रहे हैं, उसमें आप कितने सहमत हैं। आप उसे दे पायेंगे या नहीं? सब्सिडी का बर्डन कितना बढ़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर लॉबी जिस तरह से कर रही है, इफको, कृभको को जिस तरह से सरकार ने एक प्राइवेट सैक्टर के हाथों दे दिया है, जिस तरह से इम्पोर्ट बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार में आपके मंत्री कह रहे हैं, माननीय वीरप्पा मोइली जी बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम करैंसी एक्सचेंज के आधार पर ईरान से तेल आयात कर सकते हैं या 8 से 12 बजे तक बंद करने की बात कर रहे हैं या आनंद शर्मा साहब सोने को गिरवी रखने की बात कर रहे हैं, ये सब फियर्स इस देश में नजर आ रहे हैं। विश्वास का जो संकट है, उसमें एशियन डेवलपमैंट बैंक की कुछ रिकमेंडेशन्स हैं, जो आपने ही सर्वे करवाये हैं। वे सर्वे कह रहे हैं --

It says:

> "Unorganised sector workers with a capacity to make regular pension contributions and who are interested in voluntarily saving for their old age."

उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? यह मेरा सर्वे नहीं है, यह आपने करवाया है। एशियन डेवलपमैंट बैंक का न्यू पैंशन स्कीम के लिए सर्वे है।

It further says:

> "Persons in salaried employment who are excluded from formal pension and provident fund arrangements including EPFO schemes by virtue of working in firms with less than 20 employees."

उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इसके बाद थर्ड प्वाइंट सबसे इम्पोर्टेंट है।

It further says:

> "Government and private sector salaried employees who are covered by mandatory pension and provident fund arrangements but are not confident that their present retirement benefits will provide an

adequate income replacement and are interested in voluntarily contributing to a supplementary retirement savings programme."

इन तीन चीजों के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने ही यह रिपोर्ट बनायी है। एशियन डेवलपमैंट बैंक की रिपोर्ट है। नये पैंशन सैक्टर, एनपीएस के लिए इन चीजों का कन्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा जरूरी हैं। आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? यदि आप कुछ चीजें लेकर आते हैं और इस बारे में आपके कोई व्यूज हैं, तो इस देश को बनाने की जिम्मेदारी जिस तरह से आपकी है, उसी तरह से आपोजिशन के नाते हम एक कन्ट्रीब्यूटरी रोल प्ले करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव आपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं। हम इस देश को ठीक रखना चाहते हैं और वर्ष 1991 के क्राइसेस में नहीं जाना चाहते हैं। आप बिल को इस तरह से लेकर आयेंगे, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण विधेयक को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों में बहुत ही रोष व्याप्त है, असंतोष है। खासकर वर्ष 2004 के बाद वह सरकारी कर्मचारी जो जिंदगी भर जनता के लिए काम करेगा, आखिरी वक्त में उसके जीने का अधिकार, जो इस देश में आज से नहीं, बल्कि आजादी के पहले से लागू था, वह अधिकार भी आप छीनने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पैंशन भीख नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। इस अधिकार को छीनने की साजिश हो रही है। इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो वर्ष 2004 से पहले सरकारी सेवाओं में हैं, उनके लिए पैंशन की एक व्यवस्था है और उसी देश में जो लोग वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवाओं में जुड़े हैं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था है। यह जो दोहरी व्यवस्था है, इससे देश के सरकारी कर्मचारियों में असंतोष है। जो नयी व्यवस्था आप लागू करने जा रहे हैं, उनके कुल वेतन का 10 पर्सेंट और सरकार की तरफ से 10 पर्सेंट, जो शेयर मार्केट में जाएगा और वहां ले जाने के बाद, उसके उतार-चढ़ाव के बाद जो 60 फीसदी बचेगा, वह उसको दिया जाएगा, जो बचा हुआ 40 पर्सेंट है, यह सूचकांक कहां जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनको वह राशि वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी भी बिल में कोई गारंटी नहीं है।

माननीय सभापति जी, इस शेयर बाज़ार में देशी-विदेशी बड़े पूंजीपति हैं, बड़े घराने हैं, जिनका खेल है यह शेयर बाज़ार, उसमें उतार-चढ़ाव से कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई, जो पेंशन के रूप में वह चाहता है, उसमें डूबने की पूरी-पूरी आशंका है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से निशिकांत जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहयोग का संकेत दे रहे हैं, इसमें दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार होंगे, इस पेंशन में जो मारे जाएंगे। माननीय सभापति जी मुझे कोई लंबा-चौड़ा भाषण नहीं देना है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि शेयर का जो खेल चल रहा है, जिस तरीके से इस शेयर बाज़ार में कर्मचारियों का पैसा लगाया जाएगा, कभी गांव में जो छोटे-छोटे जुआ खेलने वाले लोग थे, अब बड़े-बड़े देश में जुआ खेलने वाले लोग हैं, जो बड़े-बड़े कारपोरेट घराने के लोग हैं, इस शेयर मार्केट की तरह जुआ का खेल करने वाले हैं, आप जानते हैं माननीय मंत्री जी कि जुए के खेल में कभी सबका फायदा नहीं होता है, इसमें केवल एक जीतता है, बाकी लोग हार जाते हैं। मैं समझता हूं कि यही स्थिति यहां पर भी है कि जिस तरीके से पूरे देश में जो कर्मचारियों का पैसा है, जिसे बड़े जुए में लगाया जाएगा, जहां बड़े-बड़े जुआरी शामिल होंगे, उसमें कोई बड़ा जुआ वाला जीतेगा, बाकी कर्मचारी हार जाएंगे। मेरी यह आशंका है। इसलिए माननीय मंत्री जी अगर इसमें संशोधन लाकर, कर्मचारी के हित में आप कुछ करते हैं, उनको लगता है कि यदि उनके भविष्य के

साथ आप खड़े होते हैं, तो इनका जो अधिकार है, भीख नहीं, अधिकार है, उस अधिकार के साथ खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करना चाहता हूं कि जो पुराने लोग हैं, उन्हें तो पेंशन मिल रही है, लेकिन देश में ऐसे बड़े उपक्रम भी हैं, जैसे बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. है, जिसमें आज तक पेंशन की व्यवस्था लागू नहीं है और आकस्मिक मृत्यु पर भी सरकार उन्हें कुछ नहीं देती, ऐसे लोगों के बारे में भी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। देश में कर्मचारियों में जो दहशत है, आशंका है, उस पर आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to participate in the discussion on the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011.

Till 2009, old age pension was available only to the Government employees and individuals in the organized sector. In 2000, the Old Age Social and Income Security Report under the chairmanship of Dr. S.A. Dave, recommended that the pension scheme be extended to the unorganized sector. In October, 2003, an interim Pension Fund Regulatory and Development Authority was constituted through a notification to develop and regulate the pension sector.

In December 2003, the Union Government through a Notification implemented the New Pension Scheme for its employees appointed from January 2004 onwards. The New Pension Scheme shifted the pension scheme for Government employees from the Defined Benefits System to a Defined Contribution System. This Bill, of course, lapsed with the dissolution of the Fourteenth Lok Sabha in 2009. In March 2011, this PFRDA Bill, 2011 was introduced. This seeks to give statutory status to the interim PFRDA and changes the name of the New Pension Scheme under the previous Bill to the New Pension System.

The Defined Benefit System applicable to Government servants appointed before 2004 and Employee Pension Scheme subscribers, promises a fixed monthly pension. This amount is linked to pay drawn, number of years of services, etc., and has no direct linkage to the contribution of the employee or employer towards a pension fund. The entire investment risk is borne by the pension fund managers and the Government. The total benefits liable from such a scheme could amount to be higher than the funds available, which could lead to delays and defaults.

Traditionally, a large proportion of pension fund around the world has been of the DB type. However, many have been under-funded and some have collapsed.

This has led to a debate in a number of countries regarding the sustainability of their pension and social security system.

In the DC system, the employee bears the entire investment risk and there is no risk of default by the fund as the liability of the fund to its subscriber equals the assets owned.

I agree with the view that fiscal stress of the Defined Benefit Pension System was the major factor driving pension reform for the organised public sector Government employees. The new system is available on a voluntary basis to all persons including self-employed professionals and others in the unorganised sector. While making PFRDA a statutory body on account of the burgeoning fiscal stress of pension payments on Central and State revenues and need to provide a viable alternative to the populace at large to save for old age income security, there is a need to correct the flaws in the national pension system and make it an attractive retirement savings product.

The coverage of vast masses of unorganised sector workers under NPS is a tremendous challenge as about 88 per cent of the workers are without the benefit of any formal pension provision. How are you going to popularise the scheme to achieve the intended objective?

It is heartening to observe that the NPS has delivered average returns of 9.33 per cent for State and Central Government employees in the past years. The NPS has outperformed the EPF and GPF. The three public sector fund managers, SBI, LIC and UTI, have done a good job, given the dismal equity market that is prevalent today. Of course, an increase in yields on Government securities and other debt instruments has helped. Nevertheless the performance only reinforces the point that NPS is a sound vehicle for accumulating a corpus for retirement compared to EPF whose management is opaque and return is sub-optimal.

This Bill provides flexibility in investment of the fund. Beneficiary can instruct his chosen management agency to invest higher amounts in share market.

Pension funds are allowed to be invested up to 60 per cent in equities in the United Kingdom. While providing this choice is welcome, a word of caution is required. Pensioners in the United States of America have lost about 1/3rd of their pay outs to the global recession. Yet, I would say it is not a shortcoming of the Bill because beneficiaries are allowed to opt for safe option of investing wholly in Government securities. The Bill allows private citizens to invest in the NPS, however they will not be entitled to a matching grant by the Government.

On the negative side, the returns from NPS are taxable. I would like the Government to respond to this aspect. Can you make certain provisions to free this, to popularise this scheme to take it out from the tax net. One does not understand why cannot the Government provide a guaranteed return on the investments?

Standing Committee on Finance had recommended introduction of minimum guarantee. There should be minimum assured return. The Government issues 20 year treasury bonds and pays a fixed rate of interest on these. The Government can issue 50 year bonds. The money deposited by Government employees, who want an assured return, can wholly invest in these bonds. This should not put additional burden on the Government.

Some, of course, object to the Bill because it allows investment in share market. But, such investment is made only if the beneficiary gives appropriate directions. There is no compulsion. Those, who think that the Bill will help control fiscal deficit, are wrong. I do not think this will happen.

The Government should ease investment norms to allow higher exposure in equities. Central and State Government NPS are allowed to invest up to maximum 15 per cent in equities. The limit is 50 per cent for non-Government employees joining NPS. There is no reason why a person who joins the work force at the age of 21, should not be allowed to invest a large portion of his contribution in equities, if he chooses to take risk in the initial stages?

Lastly, there was no provision for foreign investment policy in the pension sector in the Bill. However, later the Cabinet has cleared FDI in pension sector and it shall not exceed 26 per cent. But, along with that it is also mentioned in the proposed amendment, that is to be moved by the Minister, that and I quote "Or, such percentage, as may be approved, for an Indian insurance company, under the provisions of the Insurance Act, 1938, whichever is higher." This move is fraught with uncertainties. There is need for clarity. Who would come? You want to rope in partners. When it is not happening in insurance sector, how do you expect foreign players will come running to your arms in pension sector?

The pension sector is in nascent stage. Rather allowing foreign investment in pension funds, as per the tune of insurance, would make our sector vulnerable to speculation. I am not against FDI *per se,* but foreign investment of pension intermediaries should be kept at 26 per cent.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति जी, पेंशन रेग्युलेटरी एंड डवलपमेंट अथोरिटी बिल, 2011 को संस्था या अथोरिटी का गठन करने के लिए मंत्री जी ने यहां पेश किया है। इस विधेयक द्वारा जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं और राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद, उन्हें जीवन की सुरक्षा दिलाने के लिए एक अथोरिटी का गठन सरकार करने जा रही है। एक नई पेंशन स्कीम सबके लिए एक समान लागू करने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के तौर पर भविष्य में जाना जाएगा।

सभापति जी, इसमें कर्मचारियों का योगदान होगा। यह स्कीम कंट्रीब्यूट्री है और इसमें कर्मचारियों और सरकार की तरफ से सहभाग करके एक पेंशन फंड बनाया जाएगा। जो पेंशन फंड बनाया जाएगा उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक एस्टेबलिशमेंट का गठन आप इस विधेयक द्वारा कर रहे हैं। वृद्धावस्था में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है चाहे सरकार किसी भी दल की हो। इसलिए इस विधेयक को नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी की ओर से समर्थन दिया गया है। मैं भी इसका समर्थन करते हुए अपनी एक चिंता जताना चाहूंगा।

यह जो पेंशन फंड आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसे इंवैस्ट आप सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में निवेश से जनता के मन में आशंकाएं आती हैं, इसलिए सरकार को स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष इस बात को रखना चाहिए कि वह इस इंवैस्टमेंट को किस प्रकार से करेगी तथा जो इंवैस्टमेंट इस फंड से होगी वह किस प्रकार से सुरक्षित होगी? आज एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं और जनता का विश्वास सरकार से उठने लगा है। ऐसे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, कोई धोखा न हो, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं। नया एस्टेबलिशमेंट बनाकर जो हम उनको सुरक्षा और विश्वास दिलाने जा रहे हैं, वह विश्वास सही हो, इस संदर्भ में जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो थोड़ी जानकारी सरकार की तरफ से अवश्य दें।

हम इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और वह इसलिए कि जो आने वाला समय है, भविष्य है, उसके साथ-साथ चलना आज आवश्यक है। जो इकोनोमिक क्राइसेज हमारे देश में है, जो वित्तीय स्थिति है, जिन समस्याओं से आज देश जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यदि कोई कदम सरकार उठाना चाहती है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आप इस योजना को ला रहे हैं, उस संदर्भ में अधिक विस्तार से आप सदन के सामने अपनी बातों को रखें।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011. If any Bill or any amendment is brought in good faith, it should be beneficial at large, but I do not think that this Bill confers any advantage or any benefit to the pensioners. So, hon. Finance Minister has to explain in what way this Bill is more beneficial and better than the previous scheme. I do not find any social security in this Bill.

To my knowledge, the new National Pension Scheme is brought to rescue the Government from the resource crunch it is now facing, but not for the benefit of the Government servants or pensioners. I think, in order to reduce the commitment of the Government towards pension contribution, this scheme was evolved. At this juncture, it is very pertinent to quote the ruling given by the Apex Court which says:

> "Pension was not a bounty payable on the sweet will or pleasure of the Government and pension is a valuable right vesting in a government servant."

If the spirit and essence of the judgement is understood by those in power, policy prescriptions will be evolved more to the benefit of the pensioners. To put it plainly, the scheme intends to reduce the financial burden of the Government and to pump more funds in the stock market. I am of the strong opinion that the Bill paves the way for the entry of international market players in our economy, which is not conducive to growth. As we all know, pension sector is a capital-intensive industry and requires huge capital. So, allowing FDI in pension sector will eventually help the corporates at the cost of the poor pensioners.

There is a major flaw in the Bill. The absence of assured returns to the subscribers is a dismal aspect of the National Pension Scheme. Depending on the inter-play of market forces, returns are going to be determined. In the Employees' Provident Fund Scheme, there is an assured interest on the subscription made by

the employees, but no such assured return is guaranteed here and depending on the fluctuation of the stock markets, returns are going to be determined. This is a major flaw in the National Pension Scheme. The notice of amendment given by Shri Mahtab and some of our colleagues is a well thought out one. I also endorse their views. The basic lacuna is the absence of minimum assured returns.

Government employees and Government servants under the New Pension Scheme are not happy with the policy because they are not sure of what they would get at the time of their retirement. As senior hon. Member, Shri Basu Deb Acharia pointed out earlier, they cannot plan their future after retirement because they do not know what definite amount they would receive at the time of retirement. They have been compelled to join this scheme. If a choice is given to them, I am sure that they would join the Defined Benefit Based Scheme only. The employees, who have joined service before 1st January, 2004 are placed in a better position as regards their pensionary benefits compared to those who joined service on or after 1st January, 2004 because they are in a highly disadvantageous position. How is the Finance Minister going to convince them or is going to help them?

In short, Mr. Chairman, Sir, this is an action of the Government where we cannot look back with a sense of satisfaction and look ahead with a sense of hope and promise.

Before conclusion, I would like to request the Government, particularly the hon. Minister of Finance, to look at the National Pension Scheme as a social security scheme for the retirees rather than as a way of resource mobilisation.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I rise to point out that this is not a Pension Regulatory Bill; this is only a fixed deposit scheme regulatory bill.

According to the English Dictionary, "Pension is not flexible." 'Pension' is a "Defined income on retirement." This is the accepted definition of 'pension' all over the world.

It is no wonder that this Government is bringing forward a Bill withdrawing the age-old social security for the old people, leaving them in uncertainty, and withdrawing its commitment to the older generation on this or that plea.

This Government is following the footsteps of the Western countries in the world. In different countries in the world, there have been working class agitations. Hon. Minister has the majority since the principal Opposition Party has decided to support it. I know the Bill is going to be passed. But let me tell you frankly that this is a world wide phenomenon – of withdrawal of social security, known as 'pension'. He is only following their footsteps. There, there have been tremendous agitations against it. In India also, there is tremendous agitation against it. But since they have the majority within the Parliament, and since the principal Opposition Party has decided to lend its support, they will get it passed very easily. But the point is it is not a Pension Regulatory Bill; it is a fixed deposit regulatory bill.

The first point I will make is this Fund is being generated. The Minister seems to be very generous. आपको कुछ बोलना नहीं है। हमने दरवाजा खोल दिया। जो जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल सकते हैं। He seems to be very generous, but he is not. He is not what he pretends to be. He is opening the door for the inflow of foreign fund, maybe, a part of the fund to step up or to stimulate the Stock Exchange. Stock Exchange is in crisis. In order to stem the crisis, sometimes, he advises LIC to pump in funds; sometimes, he advises public sector to invest funds because his only concern is to show the world that India has a vibrant economy as it is reflected in Bombay Stock Exchange. The falsification of truth is sought to be justified by showing the upward movement of the Bombay Stock Exchange.

Therefore, in order to stimulate the movement of the price in the stock market, he is opening the door -- that a part of the Pension Fund Scheme will be will be invested in the stock market. This is a new development.

Whatever may be the choice, the Government allows the savings of the common people to be invested in speculation. You pass the Bill. But you will call a spade a spade. For the first time, the savings of the employees have been allowed to be invested in the stock market. This is number one departure. You are allowing speculation at the cost of the savings of the common employees.

The second thing is about FDI. FDI will come or not, that is a different thing. There has been a persistent demand all over the world that Indian market particularly, Insurance and Pension Fund should be opened to FDI. There has been a persistent demand. The hon. Finance Minister has an obligation towards them. Therefore, he is obliged to concede to the demand of FDI. This is a second departure. There have been demands all over the world about FDI in the pension. All over the world, there has been a demand that Insurance and Pension fund should be opened knowing full well, that US Senate, for whom we swear every morning, had produced a Report which called the private insurance companies as the "bunch of swindlers". We are inviting them because we want FDI. But how far is he going to succeed to bring FDI? That is a matter which remains absolutely uncertain. In retail, we have liberalised. How many companies have come? We have liberalised Defence. How much investment has come? We have liberalised every sector. How much of foreign funds have come to help the Government to tide over the crisis of the shortage of foreign funds?

Sir, hon. Minister says that you can invest in the Public Sector. What does it mean? Investment in Public Sector equity will depend on the profit of that company which means it is not a defined income on retirement. It is a flexible return depending on the profit generated by that company. There are people to be misled because if the Government shows the door, then people can enter the door of doom. They have given the option that you can go to the stock market. There

are people knowingly or unknowingly-because they have some belief still now-left for the political system of the country. But what is going to be the fate? I was told by the hon. Finance Minister said that stock market is giving good return – 11 or 12 or 13 per cent. Maybe my information is right. Maybe my information is wrong. But the point is – I am certain - there may be a black Friday. There may be a doomsday. There may be a total blood bath in the stock market which means knowingly or knowingly - leaving it to the choice of the common people allured by the decision of the Government - you ask them to face the uncertainties of the stock market. Where is the retirement? What is the condition of the old people in our country? Every day we come across that old people being ill-treated by their own children. Every day we find an appeal to a court saying that "my son has driven me out". Everyday we come across the complaints that the parents are being beaten by their children. We need a social security. Pension with a defined income had given the security. Now, it is uncertain because the Government cannot bear the burden. Why can the Government not bear the burden? What is the actuarial calculation that was made? Since this pension fund is a long investment fund, maybe for 30 years, the entire fund can be utilized for the development of the infrastructure of the country, it will be in the control of the Government.

But the Government is afraid. That is not the point. The point is, theoretically, this Government is sold out to the wretched philosophy of the Western capitalism. There may be a smile today in the lips of the Finance Minister. But there may be tears tomorrow in the eyes of thousands of people. There may be a smile. But the smile may be deceptive. There may be tears in the eyes of the many. Therefore, let us not smile. We are creating a situation where a section of the employees who had been under Assured Pension Scheme, are left to the mercy of swindlers, speculators in the stock market.

Secondly, even if it is in the Government security, the return on Government security may change. Today it may be eight per cent; the next

Government may declare seven per cent. A section who had invested in eight per cent may be getting more. The next Government may declare six per cent. The new people who are joining, they may be getting less. Therefore, Sir, it is uncertain, uncertain and uncertain. Taking the parliamentary majority, they can bulldoze any enactment they like. Mind it that it is being opposed by a large section of the people whose voice is not heard in the Parliament. Therefore, Parliament is not the only place.

The question is that pension is an age-old security system. It is being demolished. That is being done at the cost of the people who had given their service to the Government for 30 years and a reward to the people who had been serving you. You are throwing them into the womb of lack of security. From light to darkness, from well-defined to flexible, from smile to tears, what remains for the common people? Everyday, hon. Minister is asking the Reserve Bank to reduce the interest rate. Now he has his own man there. The Reserve Bank may fall in line. The earlier Governor did not do it. You are reducing interest rate in the fixed deposits in banks; you are reducing interest rate on small savings; and you are reducing interest rate on Government securities.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I would conclude the sordid story, if I say that it is the betrayal of the interest of the common people who had been obediently serving the social system for a long time. The Government is making the future of the common working people uncertain by reducing the interest rate in banks, by reducing the interest rate in small savings, giving them not a defined pension but a flexible pension and allowing them to go for uncertainties, depending on the speculation in the stock market. This is a sordid story and one of the last chapters of the achievement of my dear Finance Minister because you are not too long here.

This is one of the last chapters added to the story of a great betrayal of the Indian nation by the Government known as UPA-2. Let us believe it. You may do whatever you like. But it will rebound. I am representing the voice of the Indian working people. All the trade unions have united including the INTUC and BMS. I represent them. By representing them, I would say that you are going a wrong way. It would rebound and it would rebound. There will be no smile, only tears.

16.49 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
52nd Report

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to present the Fifty-Second Report of the Business Advisory Committee.

16.50 hrs.

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2011-Contd…

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, यह पेंशन वाला विधेयक जो है, सन् 2003 में यशवंत सिन्हा जी मंत्री थे, तब उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू की और उस समय से इस बिल को खिसकाते-खिसकाते आज दस-बारह वर्ष हो गए हैं और आज यह पास होने आया है। कैसा मेल हो गया सरकारी पक्ष और विपक्ष में, एंटी वर्किंग क्लास यह विधेयक है तो कैसा मेल हो गया दोनों में। जो देश भर की मजदूरों की यूनियन हैं, जिनके लिए आप पेंशन का कानून बनाने जा रहे हैं, वे सब इसके खिलाफ में हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने लिखा है, कोई शिव गोपाल मिश्रा हैं उन्होंने लिखा है, प्रार्थना किया है कि मजदूरों का हित बचाइये, यह जो अहित होने जा रहा है, उससे मजदूरों को बचाइये। ये लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

महोदय, पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत है। भगवान बुद्ध ने आज से ढ़ाई हजार वर्ष पहले कहा कि "बज्जिनाम् सद्‌भाव परिहानिया धम्मा" पाली में, "Seven virtues of Vajjians leading not to decline" सब धर्मों का जिस समाज में पालन होगा, वह समाज तरक्की करेगा। उन सात धर्मों में क्या है? अलग-अलग छह धर्म को मैं छोड़ देता हूं, उसमें एक धर्म है कि जिस समाज में बूढ़ों की इज्जत होगी, बूढ़ों का कहा सुनेंगे, बूढ़ों की सुरक्षा होगी, वह समाज तरक्की करेगा, उसकी अवनति नहीं होगी। उसी सिद्धांत के तहत जो समाज, देश के काम में लगे हुए हैं, उसमें मैं देख रहा हूं कि ओल्ड

पेंशन स्कीम पहले से थी, अब न्यू पेंशन स्कीम आ गयी। उसके गुण-दोष पर सब बोल रहे हैं। मैं भी उस पर अपनी बात बोलूंगा।

महोदय, मेरी पहली बात है कि जो लोग नौकरी में रहे हैं, जब उनको रिटायर करेंगे तो उनके लिए तो पेंशन योजना हुयी, गरीब आदमी जो बीपीएल हैं, उनके लिए बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन योजना, इंदिरा गांधी पेंशन योजना है, लेकिन बाकी बूढ़ों का क्या होगा, यह हमारा सवाल है। यह भेदभाव क्यों है कि कुछ नौकरी में बूढ़े हो गये उनको पेंशन और जो बीपीएल में हैं उनको पेंशन और जो किसानी करता है, उनको कोई पेंशन नहीं है। वे सामाजिक सुरक्षा से क्यों वंचित हैं? इसीलिए हमारा सवाल है समानता का सिद्धांत होना चाहिए, ऊंचा दर्शन बूढ़ों के लिए, सभी प्रकार के बूढ़ों के लिए कम से कम तीन हजार रूपए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यह हमारा सवाल नंबर एक है।

यह भेदभाव क्यों है? अब हम गांव में जाते हैं, तो उधर से विधवा आती है। वह कहती है कि हमारा नाम ही नहीं है, इनका नाम ही बीपीएल में नहीं है। उधर किसान के पास जाते हैं, तो वे कहते हैं कि हमने कौन सा कसूर किया, हमारा नाम ही बीपीएल में नहीं है। बीपीएल और एपीएल का भेद खत्म हो और न्यू पेंशन स्कीम आये, एक राष्ट्रीय पेंशन योजना चलने जा रही है। वह राष्ट्रीय पेंशन योजना चले, जिसमें किसानों को और आम बूढ़ों को, इस देश के तमाम बूढ़ों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि यह देखा जाये कि इस देश में अभी तक 15.4 लाख करोड़ रूपया पेंशन का पैसा जमा है। जिस पर दुनिया भर के पूंजीपतियों, मल्टी नेशनल की आंख लगी हुई है कि कैसे झपटें, कैसे झपटें? शेयर बाजार में इस सबको लगा देंगे, आज हालत खराब है, रूपये का अवमूल्यन, अभी हालत खराब हो रही है, रूपये का अवमूल्यन हो रहा है, करेंट अकाउंट डेफीसिट बढ़ गया, फिस्कल डेफीसिट बढ़ गया। इस शेयर बाजार में गड़बड़ हो जायेगा तो गरीब को पेंशन, बूढ़ों को पेंशन कहां से मिलेगा। उसका क्या होगा, जो आप उसे बाजार पर निर्भर कर रहे हैं, पहले उसका अपना पैसा था, पेंशन मिलती थी, उस पर निर्भर करता था। अब ये कहते हैं कि उसको मैं पूंजी निवेश कर दूंगा, यदि उसका कुछ ठीक निवेश हो जायेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं शेयर बाजार गड़बड़ा गया तो फिर उसका क्या होगा? यह जोखिम वाला काम है, इसीलिए ये सब वामपंथी लोग जोर लगाये हुए हैं, आप लोग कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, हम लोग देखने के लिए हैं। वर्किंग क्लॉस, जो काम करने वाले मेहनतकश लोग हैं, हम उसके पक्ष में हैं। उनका संगठन है, वे लोग लड़ाई की तैयारी मे हैं। इसलिए हमें दबना नहीं है। वर्किंग क्लास के जो काम करने वाले लोग हैं और आम आदमी जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसके लिए हम यह लड़ाई जारी रखेंगे और हम छोड़ने वाले नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से विदेशों में भी जहाँ

यह लागू हुआ है, वहाँ क्या फायदा हुआ है? वहाँ भी घाटा ही घाटा हुआ है। इसलिए अभी जो स्थिति हो गई है, तमाम लोग आशंकित हैं, परेशान हैं, चिन्तित हैं कि कैसे यह होने जा रहा है और इतने वर्षों से, 2003 में जब न्यू पैंशन स्कीम लागू हुई, दस वर्षों तक बीच में क्या हुआ - कोई कानून ही नहीं था। अब ये कानून ला रहे हैं कि हम उसका प्राधिकरण बनाएँगे तो तीन फुलटाइमर रहेंगे और तीन हा...(व्यवधान) मिल गए, एंटी वर्किंग क्लास हैं, मिल ही जाएँगे। ...(व्यवधान) जो काम करने वाला आदमी है, आम आदमी है, गरीब आदमी है, किसी भी हालत में हम उसका ही पक्ष लेंगे। पूँजीपति, शेयर वाला या इधर-उधर करने वाले के खिलाफ़ हम हैं। किसान की पैंशन भी हो जानी चाहिए। किसानों और बूढ़े, सबकी ये पैंशन होनी चाहिए, एक व्यापक पैंशन योजना सरकार लागू करे, यही हमारा कहना है।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011.

सभापति जी, इस बिल के अंदर जो स्टेकहोल्डर्स हैं, मुख्यतः जो इंप्लाइज़ हैं, उन स्टेक होल्डर्स के अगेन्स्ट में, उन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडैन्स में न लेकर उन लोगों के अगेन्स्ट यह बिल सरकार ला रही है। इतने महत्वपूर्ण बिल के संबंध में सभी स्टेकहोल्डर्स की इनवॉल्वमैंट चाहिए थी, सबके साथ डिसकस करना चाहिए था। सोशल सिक्यूरिटी के लिए मिनिमम इनकम सिक्यूरिटी की ज़रूरत थी, मगर यह सब इसमें कंसिडर नहीं किया। इस बिल में सैन्सिटिव पैंशन फंड को स्पैकुलेशन शेयर मार्केट में अलाऊ करने के लिए प्रावधान किये गये हैं और वह भी बिना गारंटीड रिटर्न के। एक तरफ से जो भी इनवैस्ट कर रहे हैं, उसके लिए रिटर्न की क्या गारंटी रहेगी, ये शब्द सबके लिए अलाउड हैं, मगर इस पैंशन बिल में गारंटी का कोई प्रोविज़न नहीं है। ज़िन्दगी भर नौकरी करके, रिटायर होने के बाद ओल्ड एज में पैंशन पर जो उस इंप्लॉई को जीना था, उसकी पैंशन के लिए जो पैसा है, अगर वह शेयर मार्केट में रहेगा और शेयर मार्केट कॉलैप्स होगा या शेयर मार्केट में जिसमें इनवैस्ट किया है, उसमें अगर रिटर्न्स नहीं हैं, जो इनवैस्ट किया, वह भी डूब जाने से सरकार क्या करेगी? उसकी गारंटी क्या है? इसलिए मिनिमम गारंटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उसी तरह से अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। इसमें सिर्फ 10-12 परसेंट का कवरेज हो रहा है, बाकी अनआर्गनाइज्ड सैक्टर की कवरेज नहीं है। और भी इंपॉर्टैन्ट बात है कि ओल्ड एज किसान के बारे में कुछ भी नहीं है

17.00 hrs.

ओल्ड ऐज किसान जो एक ऐज के बाद खेती नहीं कर सकता है, उसके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए। किसान के बारे में यह लोग बिलकुल नहीं सोच रहे हैं। जो किसान अपना काम नहीं कर पाता, जो जिंदगी भर खेत में काम करके पूरे देश के लोगों को वे लोग खिलाते हैं। ऐसे किसान के लिए इस पेंशन बिल में कुछ प्रोविजन होना चाहिए। इसमें जो भी रिटर्न आएगा, उसमें इन्कम टैक्स का प्रोविज़न है। इसको निकाल देना चाहिए। उसके साथ-साथ मिनीमम गारन्टी का एश्योरेंस इसमें मिलना चाहिए। यह सब एमेंडमेंट करने के लिए आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट को डिमाण्ड करते हुए, इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you Chairman, Sir for giving me this opportunity to participate in the Pension Fund Regulatory Development Authority Bill. A number of Members have participated in the discussion on the Bill.

17.01 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

Today, crores of employees throughout the country are looking at the Parliament. I am surprised to find that the Government has brought forward the PFRDA Bill for discussion in the House and the principal Opposition Party is supporting the hon. Finance Minister in this move.

Sir, I would say that pension is the social security of an employee who has served the nation for more than 30 years. In the old age, pension is the only source of one's living. I wonder what was the necessity of bringing this Bill before the House? This Bill had come up before the House in 2003 when NDA was in power. Ten years later this Bill is again before the House. Earlier also, when the Left supported the UPA-1 Government, we opposed this Bill. Pension is the social security of the Central and State Government employees as also the public sector employees. This Bill is very harmful to the future of these employees. The people of our nation are looking at what harm the Government and the principal Opposition are doing to the future of the employees of our country.

I conclude my speech by saying that I oppose the Pension Fund Regulatory Development Authority Bill.

*__DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):__ Sir, I rise to support this important Bill, namely, The Pension Fund Regulatory and Development Authority important Bill, 2011. It is a move in the right direction. After passing this Bill the Interim Pension Fund Regulatory and Development Authority will now become a statutory permanent Authority. This Authority will promote, develop and regulate the National Pension System which was earlier known as New Pension System. Interim Authority was set up in 2003 by a Government Notification. This Interim Authority could not be regularized this authority and make it a statutory body.

Sir, I believe that the entire House would like to extend and expand the scope of the National Pension System. We would like to provide social and income security to all the senior citizens of this country. The present number of subscribers is about 25 lakhs. We need to further popularize this Pension System. We may urge upon the States and Union Territories to encourage this National Pensoin System.

Sir, in times to come, we have to ensure social security and income security to all our senior citizens. In this respect we may look at the American model of social security for elderly citizens.

At present, I would like to request the hon. Finance Minister to fix the annuity amount at 50% not at 40% - that will ensure better pension for our senior citizens.

I believe all of us know the history of this Bill. It is a long pending Bill of 2005 and it has gone through the Departmentally Related Standing Committee. Important recommendations of the Committee have been incorporated – for instance, emergency withdrawal and cap on foreign investment, etc. and it is not a controversial Bill. I hope all of us will support this important piece of legislation; let us pass this Bill in one voice.

Last but not the least, I whole heartedly support the Bill which is brought by our hon. Finance Minister Shri P. Chidambaramji.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Manipuri.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, I am grateful to the hon. Members, 15 of them, who have participated in this discussion on the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill.

Sir, this Bill was first introduced in 2005. It was once reported by the Standing Committee on Finance chaired, at that time, by Maj. Gen. (Retd.) Khanduri. The Standing Committee favourably reported the Bill. There were one or two dissent notes, mainly from the Left Parties. That Bill lapsed with the dissolution of the Lok Sabha.

The Bill was again re-introduced in 2011 and this is one of the rare Bills that went through another Standing Committee procedure. This time, the Standing Committee was chaired by Mr. Yashwant Sinha. This Committee also favourably reported the Bill. There was only one Member who dissented to the Standing Committee's report. The point I wish to make is that, at least, in the Standing Committee, there was very wide consensus for the Bill except one dissenting voice to the Bill that is now under consideration.

Secondly, when my friend, Shri Nishikant Dubey, spoke, I thought he will take credit for the fact that the interim PFRDA was actually notified by Shri Vajpayee's Government in October 2003.

SHRI NISHIKANT DUBEY : I said that.

SHRI P. CHIDAMBARAM: That may have been lost in translation. The notification was made on 22.12.2003 and the New Pension Scheme came into force from 1.1.2004. So, when the UPA Government took office, the Scheme had come into force and all Government servants recruited after 1.1.2004 are covered by the New Pension Scheme. Every Government servant in service prior to 1.1.2004 is under the old scheme. Nobody is affected, nobody is complaining and they are not aggrieved.

The Government servants who were recruited after 2004 have been recruited with the clear stipulation that pension will be under the New Pension Scheme. To the best of my knowledge – I have been in the Finance Ministry

earlier for some time and now again – I think by and large the Government servants have come to accept the fact that the New Pension Scheme is, in the long run, a beneficial Scheme. They may begin to earn pension only 28 or 29 years after they join service.

There are one or two other developments on which I thought I should comment. I know Shri T.K.S. Elangovan and Dr. Raghuvansh Prasad Singh have some reservations. But the point is, the 2005 Cabinet which approved the Bill, had Dr. Raghuvansh Prasad Singh as a member. He was the member of the Cabinet which approved this Bill. Shri Elangovan's Party had many members in the Cabinet which approved this Bill. Therefore, I suppose that memories are short. I acknowledge and I respect their right to express their concerns. But when it comes to supporting the Bill finally, I have no doubt in my mind that our colleagues will support us in this Bill.

Actually, what you must remember is that you cannot turn back the clock. Twenty-six States have already joined the NPS. For example, Shri Semmalai opposed the Bill. But I want to remind him that Tamil Nadu also, by a Notification made on 6th of August, 2003, joined the New Pension Scheme with effect from 1.4.2003. It is hardly necessary for me to point out who was in Government in Tamil Nadu in 2003. Therefore, 26 States have already joined the NPS.

I will give you presently the number of employees who have joined the NPS. Today, the States have 17,76,973 subscribers. The cumulative contribution of the Central Government, the State Government and other NPS-like subscribers runs to Rs. 34,965 crore. … (*Interruptions*) All I am pointing out is, I assume that the State Governments take a decision after a most careful consideration, after considering it in their State Cabinet. The State Governments were not obliged to join. They joined voluntarily. Only for the Central Government employees, it is mandatory from 1.1.2004. Twenty-six State Governments have joined. Total number of subscribers of the Central Government is 12,01,636; of State Governments, as on 14th of August, it is 17,76,973; of the private sector, it is

2,57, 754; in NPS-lite Schemes, like Swalamban and similar Schemes, it is 20,46,849. The total is 52,83,212. The total asset under the management is Rs. 34,965 crore.

Now, the Standing Committee made a number of recommendations. I have accepted all except one. I think some one here quoted the wrong recommendation and alleged that we have not accepted that. That is not correct. The only recommendation that we are not able to accept is the Standing Committee said that we must allow a re-payable advance; now, that would convert the NPS into a current account or even a over-draft account. That is not the purpose of the NPS. The purpose of the NPS is, at the end of his or her career, a man or a woman must have a large amount of money, a cumulative amount, so that forty per cent of that is mandatory annuitisation so that they will get an annuity as pension and the remaining sixty per cent can be taken as lump-sum. This 40 per cent mandatory annuitization is also a minimum. If you want, the entire accumulation can be used for annuitization. We have accepted all the recommendations. In my opening Statement which I made, which many Members may not have heard because of an extra decibel level at that time, I had made it clear. I think all the recommendations of the Standing Committee have been accepted but for one. Only this one recommendation we have not been able to accept and I have given you the reasons.

The NPS actually offers a wide choice, as Shri Mahtab has pointed out. In fact, he was even advancing the other argument: "Why are you placing restrictions? Why do you not allow full freedom of choice?" Now, we think that at the current stage of development of the pension market and the current stage of development of the bond market, the equity market and the other instruments of investment, we should strike a balance. We have, therefore, struck a balance. There are clear restrictions on how much can be invested in the equity market, the e-market; how much can be invested in the Government bond market, the G-market; and how much can be invested in the C-market, the corporate bond

market. The bond market is relatively under-developed in India. Therefore, we have to have this balance. But we have allowed the employees to have a choice that they would like all their money to be invested only in Government bonds. That has been allowed. We have also said that if you want an assured return, then the Authority will notify which are the schemes which are promising an assured return and you can then choose saying : "my money shall be invested only in the assured returns." So, every single recommendation of the Standing Committee which has a bearing on risk, which has a bearing on capacity to take risk, has been accepted. I think this is the way the legislation should be made. Government indeed makes legislation but Government is not the repository of all the wisdom. When it goes to a Standing Committee with opposition parties members on it, which Committee is chaired by a Member of the Opposition party, when Government receives their advice, when we find that there is merit in what they are saying, we accept it. After all, we represent the different shades of opinion of about 130 crore people. So, when we get these recommendations, we are willing to accept. That is how, I believe, legislation should be made. This is a good example of how legislation should be made. It was notified by a previous Government; the Bill was introduced by a new Government; again re-introduced by the second UPA Government; it went to two Standing Committees chaired by two distinguished Members of the Opposition. Then, we have accepted suggestions and now we have reached a very broad consensus.

I think while I have heard all of you, I take your advice seriously for future guidance. The PFRD Authority is sitting in the Gallery. He must have listened to you very carefully; he must have noted your views. We will ensure that the NPS is improved; made more secure and made more attractive for the subscribers.

Sir, I do not wish to make a long speech. The point I am trying to say is that the NPS has been there with us for nine years. We have a non-statutory Authority today and that is not good. A sum of Rs.35,000 crore should not be managed by a non-statutory Authority. It must be managed by a statutory Authority. All that this Bill does is to make the non-statutory Authority a statutory Authority. Now, he has legal powers. He can take action; he can pull up people, he can punish people, he can fine people and he can impose penalties. That power was not available so far. Now, we have got a statutory Authority.

So, with these words, I commend this Bill. I am grateful to all the hon. Members.… (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): किसानों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था करिए।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, many suggestions have been made which are outside the scope of this Bill. We have got this *Swavalamban* Scheme introduced by my distinguished predecessor.… (*Interruptions*) The *Swavalamban* Scheme has been introduced. The *Swavalamban* Scheme is attracting a large number of people. The Government makes a contribution. As they make a contribution of Rs.1000, the Government makes a contribution. It has to still gain currency. It has to be popularized more. We will do so. But the Old Age Pension is not under this Scheme. That is a separate Scheme. That is a very different Scheme. This is a Scheme which is now accepted world-wide, namely, " a Defined Contribution". "Save for your pension as you earn during your career." That is the motto under which all the Schemes around the world are converging. You save as you earn. So, as you earn, you save, not for the current period but you save for your retirement.

So you save, accumulate over a period of time; the accumulation is managed by professionals; the accumulation adds to the total of your total wealth. At the time of retirement, that wealth is available for an annuity which will give you an assured pension every month for the rest of your life. That is the principle under which this has been formed. I am grateful to hon. Members. All other pension schemes which are there – old age pension, or some other pension scheme – they are outside this Act. They will be dealt with by the Ministry or Department concerned; we can make improvements there. For example, there are many other schemes. This is about people who have got a regular income, who can earn. As they earn today, they have got Current Account; they have got Savings Bank Account; some of them have got the Fixed Deposit Account. But they have no saving which actually matures at the time of retirement. Therefore, accumulation for pension is the way to save for retirement. That is what this scheme has introduced – on the day of retirement, there is a lump sum. Forty per cent of it is mandatory annuitisation but you can annuitise the entire 100 per cent, it will give you a larger annuity. You can also take a lump sum out of that.

With these words, Sir, I commend the Bill. I am grateful to the hon. Members for the support, and I request that all hon. Members, irrespective of the reservations they may have expressed, which I respect, I acknowledge, please move this Bill so that this Bill is passed.

MR. CHAIRMAN : Now, motion for consideration of the Bill. The question is:

> "That the Bill to provide for the establishment of an authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interests of subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill. The question is:

> "That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

Clause 4 Composition of Authority

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, to move Amendment No. 3 to Clause 4 of the Bill.

Amendment made:

> Page 3, lines 29 and 30, *for* "experience in economics, finance, law or administrative matters", *substitute* "experience in economics or finance or law". (3)
>
> (Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.
Clauses 5 to 19 were added to the Bill.

Clause 20 **National Pension System**

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister to move Amendment No.4 to Clause 20 of the Bill.

Amendment made:

Page 11, *for* lines 28 and 29, *substitute*—

"(b) withdrawals, not exceeding twenty-five per cent of the contribution made by the subscriber, may be permitted from the individual pension account subject to the conditions, such as purpose, frequency and limits, as may be specified by the regulations;". (4)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, to move Amendment No. 5 to Clause 20 to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

Page 11, *for* lines 33 and 34, *substitute*—

"Provided that—

(a) the subscriber shall have an option of investing up to hundred per cent of his funds in Government Securities; and
(b) the subscriber, seeking minimum assured returns, shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the Authority;". (5)

MR. CHAIRMAN: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your amendment?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes, I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri P. Chidambaram and printed as Sl. No. 5 in List 1 of amendments,--

after "minimum assured returns as may be notified by the Authority;"

insert "Provided further that the rate of minimum assured return shall not be less than the rate of interest for the time being payable on the deposits under the Employees' Provident Funds Scheme framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952;". (14)

I am moving Amendment No.14 to Clause 20 where I had mentioned that relating to the Amendment that has been moved by the hon. Minister to specify because – provided further – this is my amendment, that after minimum assured returns as may be notified by the authority. Of course this was discussed. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister has already replied to your to your points.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : No, he has not specified. My amendment is – provided further that the rate of minimum assured return shall not be less than the rate of interest for the time being payable on the deposits under the Employees Provident Funds Scheme framed under the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. That is my amendment and I move this amendment.

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, do you want to say anything on this?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Chairman, Sir, the Government bond gives a return and everybody knows that the best return given on any bond is the Government bond and that is the assured return. Now, how can I stipulate today that the return will be more than this or less than that? At any given time, the Government bond's return is known and it is notified everyday. So, a person can always choose that his money should only be in Government bonds and that is the end of the matter.

MR. CHAIRMAN : So, Mr. Mahtab, are you withdrawing your amendment?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : No, I am not withdrawing. I want a division on this amendment.

MR. CHAIRMAN : I shall now put Amendment No. 14 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The question is:

That in the amendment proposed by Shri P. Chidambaram and printed as Sl. No. 5 in List 1 of amendments,--

after "minimum assured returns as may be notified by the Authority;"

insert "Provided further that the rate of minimum assured return shall not be less than the rate of interest for the time being payable on the deposits under the Employees' Provident Funds Scheme framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952;". (14)

I think 'Noes' have it.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, 'Ayes' have it. I want division.

MR. CHAIRMAN : Let the Lobbies be cleared--

Now, the Lobbies have been cleared.

The question is:

That in the amendment proposed by Shri P. Chidambaram and printed as Sl. No. 5 in List 1 of amendments,--

after "minimum assured returns as may be notified by the Authority;"

insert "Provided further that the rate of minimum assured return shall not be less than the rate of interest for the time being payable on the deposits under the Employees' Provident Funds Scheme framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952;". (14)

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. 1 **AYES** **17:34 hrs.**

Acharia, Shri Basu Deb

Anandan, Shri M.

Baske, Shri Pulin Bihari

Bauri, Shrimati Susmita

Biju, Shri P.K.

Das, Shri Khagen

Dasgupta, Shri Gurudas

Dome, Dr. Ram Chandra

Haque, Sk. Saidul

Karunakaran, Shri P.

Kumar, Shri P.

Lingam, Shri P.

Mahato, Shri Narahari

Mahtab, Shri Bhartruhari

Malik, Shri Sakti Mohan

Manian, Shri O.S.

Natarajan, Shri P.R.

Panda, Shri Prabodh

Rajesh, Shri M.B.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rathod, Shri Ramesh

Roy, Shri Mahendra Kumar

Saha, Dr. Anup Kumar

Sampath, Shri A.

Satpathy, Shri Tathagata

Semmalai, Shri S.

Sivasami, Shri C.

Sugumar, Shri K.

Tarai, Shri Bibhu Prasad

Thambidurai, Dr. M.

Venugopal, Dr. P.

NOES

Abdullah, Dr. Farooq

Agarwal, Shri Jai Prakash

Angadi, Shri Suresh

Antony, Shri Anto

Awale, Shri Jaywant Gangaram

Baalu, Shri T.R.

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh

Bairwa, Shri Khiladi Lal

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Baitha, Shri Kameshwar

Baliram, Dr.

Bansal, Shri Pawan Kumar

Barq, Dr. Shafiqur Rahman

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri Mohammed E.T.

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhoi, Shri Sanjay

Biswal, Shri Hemanand

Chacko, Shri P.C.

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chaudhary, Dr. Tushar

Chaudhary, Shri Arvind Kumar

Chaudhary, Haribhai

Chauhan, Shri Dara Singh

Chauhan, Shri Mahendrasinh P.

Chidambaram, Shri P.

Chitthan, Shri N.S.V.

Choudhary, Shri Harish

Choudhry, Shrimati Shruti

Choudhury, Shri Abu Hasem Khan

Chowdhary, Shrimati Santosh

Dasmunsi, Shrimati Deepa

Davidson, Shrimati J. Helen

Deo, Shri V. Kishore Chandra

Devi, Shrimati Ashwamedh

Devi, Shrimati Rama

Dhanapalan, Shri K. P.

Dhruvanarayana, Shri R.

Dhurve, Shrimati Jyoti

Dias, Shri Charles

Dikshit, Shri Sandeep

Dubey, Shri Nishikant

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao

Elangovan, Shri T.K.S.

Engti, Shri Biren Singh

Ering, Shri Ninong

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo

Gandhi, Shri Rahul

Geete, Shri Anant Gangaram

Ghatowar, Shri Paban Singh

Gogoi, Shri Dip

Gouda, Shri Shivarama

Handique, Shri B.K.

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hegde, Shri K. Jayaprakash

Hooda, Shri Deepender Singh

Hossain, Shri Abdul Mannan

Hussain, Shri Ismail

Hussain, Shri Syed Shahnawaz

Jahan, Shrimati Kaisar

Jain, Shri Pradeep

Jakhar, Shri Badri Ram

Jardosh, Shrimati Darshana

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Shri Mahesh

Joshi, Shri Pralhad

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kamal Nath, Shri

Kashyap, Shri Virender

Kataria, Shri Lalchand

Khandela, Shri Mahadeo Singh

Kharge, Shri Mallikarjun

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil

Killi, Dr. Kruparani

Kowase, Shri Marotrao Sainuji

Krishnasswamy, Shri M.

Kumar, Shri Ramesh

*Kumar, Shri Shailendra

Kumari, Shrimati Chandresh

Kumari, Shrimati Putul

Kurup, Shri N. Peethambara

Lakshmi, Shrimati Panabaka

---

* Voted through slip.

Lalu Prasad, Shri

Maharaj, Shri Satpal

Mahato, Shri Baidyanath Prasad

Mcleod, Shrimati Ingrid

Meena, Shri Namo Narain

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meghwal, Shri Bharat Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mirdha, Dr. Jyoti

Mishra, Shri Govind Prasad

Mohan, Shri P.C.

Moily, Shri M. Veerappa

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagpal, Shri Devendra

Naik, Shri P. Balram

Naik, Shri Shripad Yesso

Narah, Shrimati Ranee

Narayanasamy, Shri V.

Natrajan, Kumari Meenakshi

Nirupam, Shri Sanjay

Ola, Shri Sis Ram

Pal, Shri Rajaram

Pandey, Dr. Vinay Kumar

Pandey, Shri Gorakhnath

Patel, Shri Dinsha

Patel, Shri Kishanbhai V.

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shri Harin

Patil, Shri C.R.

Patil, Shri Pratik

Pilot, Shri Sachin

Pradhan, Shri Amarnath

Punia, Shri P. L.

Purandeswari, Shrimati D.

Purkayastha, Shri Kabindra

Raghavan, Shri M.K.

Rai, Shri Prem Das

Ramachandran, Shri Mullappally

Ramasubbu, Shri S.S.

Rana, Shri Jagdish Singh

Rao, Dr. K.S.

Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shri Ashok Kumar

Reddy, Shri Gutha Sukhender

Reddy, Shri K.J.S.P

Reddy, Shri K.R.G.

*Reddy, Shri S.P.Y.

Ruala, Shri C.L.

Sachan, Shri Rakesh

Sahay, Shri Subodh Kant

Sanjoy, Shri Takam

Sardinha, Shri Francisco Cosme

Saroj, Shri Tufani

Saroj, Shrimati Sushila

Sayeed, Shri Hamdullah

---

* Corrected through slip for Noes.

Selja, Kumari

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Shanavas, Shri M.I.

Shariq, Shri S.D.

Shekhar, Shri Neeraj

Shekhawat, Shri Gopal Singh

Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Shri Sushilkumar

Shivaji, Shri Adhalrao Patil

Sibal, Shri Kapil

Siddeshwara, Shri G.M.

Singh, Dr. Raghuvansh Prasad

Singh, Rajkumari Ratna

Singh, Shri Ajit

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Ijyaraj

Singh, Shri Jagdanand

Singh, Shri Jitendra

Singh, Shri R.P.N.

Singh, Shri Radhe Mohan

Singh, Shri Ratan

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sukhdev

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Vijay Bahadur

Singh, Shrimati Pratibha

Singla, Shri Vijay Inder

Solanki, Dr. Kirit Premjibhai

Solanki, Shri Makansingh
Suklabaidya, Shri Lalit Mohan
Sule, Shrimati Supriya
Suresh, Shri D.K.
Suresh, Shri Kodikkunnil
Sushant, Dr. Rajan
Swaraj, Shrimati Sushma
Tamta, Shri Pradeep
Tandon, Shrimati Annu
Tanwar, Shri Ashok
Taviad, Dr. Prabha Kishor
Taware, Shri Suresh Kashinath
Tewari, Shri Manish
Thakor, Shri Jagdish
Tharoor, Dr. Shashi
Thirumaavalavan, Shri Thol
Thomas, Prof. K.V.
Tirath, Shrimati Krishna
Tiwari , Shri Bhisma Shankar alias Kushal
Toppo, Shri Joseph
Udasi, Shri Shivkumar
Vardhan, Shri Harsh
Venugopal, Shri K.C.
Verma, Shri Sajjan
Verma, Shrimati Usha
Vishwanath Katti, Shri Ramesh
Viswanathan, Shri P.
Vyas, Dr. Girija
Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Hukmadeo Narayan

Yadav, Shri Anjankumar M.

Yaskhi, Shri Madhu Goud

MR. CHAIRMAN: Subject to correction,[*] the result of the Division is:

Ayes: 32

Noes: 202

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

Page 11, *for* lines 33 and 34, *substitute*—

"Provided that—

(a) the subscriber shall have an option of investing up to hundred per cent of his funds in Government Securities; and

(b) the subscriber, seeking minimum assured returns, shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the Authority;".

(5)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 11 to Clause 20?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, Sir, I am moving. It is a very important amendment. My amendment is that minimum guaranteed pension shall not be less than the pension under the existing defined pension scheme available to the Central Government employees; restore back to the existing pension system. This is very important.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister has already replied to the debate.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

---

[*] The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

Ayes 32 – Shri S. P. Y. Reddy = **31**
Noes 202 + S/Shri S. P. Y Reddy and Shailendra Kumar = **204**

Page 11, *for* lines 39 and 40,--

substitute "(g) minimum guaranteed pension shall not be less than the pension under the existing defined pension system available to the Central Government employees appointed before the 1st day of January, 2004 and referred to in clause (d) of sub-section (3) of section 12;". (11)

MR. CHAIRMAN: You are entitled to move your amendment, no doubt, but the hon. Minister has already replied to the debate in detail and he has already mentioned this point also.

SHRI BASU DEB ACHARIA : He has not replied to this particular amendment. I cannot accept his amendment.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 11 to Clause 20 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I want a division.

MR. CHAIRMAN: The Lobbies have already been cleared.

The question is:

Page 11, *for* lines 39 and 40,--

substitute "(g) minimum guaranteed pension shall not be less than the pension under the existing defined pension system available to the Central Government employees appointed before the 1st day of January, 2004 and referred to in clause (d) of sub-section (3) of section 12;". (11)

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. 2 **AYES** **17:37 hrs.**

Acharia, Shri Basu Deb

Anandan, Shri M.

Baske, Shri Pulin Bihari

Bauri, Shrimati Susmita

Biju, Shri P.K.

Das, Shri Khagen

Dasgupta, Shri Gurudas

Dome, Dr. Ram Chandra

Haque, Sk. Saidul

Karunakaran, Shri P.

Kumar, Shri P.

Lingam, Shri P.

Mahato, Shri Narahari

Mahtab, Shri Bhartruhari

Malik, Shri Sakti Mohan

Manian, Shri O.S.

Natarajan, Shri P.R.

Panda, Shri Prabodh

Rajesh, Shri M.B.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rathod, Shri Ramesh

Roy, Shri Mahendra Kumar

Saha, Dr. Anup Kumar

Sampath, Shri A.

Satpathy, Shri Tathagata

Semmalai, Shri S.

Sivasami, Shri C.

Sugumar, Shri K.

Tarai, Shri Bibhu Prasad

Thambidurai, Dr. M.

Venugopal, Dr. P.

NOES

Agarwal, Shri Jai Prakash

Angadi, Shri Suresh

Antony, Shri Anto

Awale, Shri Jaywant Gangaram

Baalu, Shri T.R.

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh

Bairwa, Shri Khiladi Lal

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Baitha, Shri Kameshwar

Baliram, Dr.

Bansal, Shri Pawan Kumar

Barq, Dr. Shafiqur Rahman

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri Mohammed E.T.

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhoi, Shri Sanjay

Biswal, Shri Hemanand

Chacko, Shri P.C.

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chaudhary, Dr. Tushar

Chaudhary, Shri Arvind Kumar

Chaudhary, Haribhai

Chauhan, Shri Dara Singh

Chauhan, Shri Mahendrasinh P.

Chidambaram, Shri P.

Chitthan, Shri N.S.V.

Choudhary, Shri Harish

Choudhry, Shrimati Shruti

Choudhury, Shri Abu Hasem Khan

Chowdhary, Shrimati Santosh

Dasmunsi, Shrimati Deepa

Davidson, Shrimati J. Helen

Deo, Shri V. Kishore Chandra

Devi, Shrimati Ashwamedh

Devi, Shrimati Rama

Dhanapalan, Shri K. P.

Dhruvanarayana, Shri R.

Dhurve, Shrimati Jyoti

Dias, Shri Charles

Dikshit, Shri Sandeep

Dubey, Shri Nishikant

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao

Elangovan, Shri T.K.S.

Engti, Shri Biren Singh

Ering, Shri Ninong

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo

Gandhi, Shri Rahul

Geete, Shri Anant Gangaram

Ghatowar, Shri Paban Singh

Gogoi, Shri Dip

Gouda, Shri Shivarama

Handique, Shri B.K.

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hegde, Shri K. Jayaprakash

Hooda, Shri Deepender Singh

Hossain, Shri Abdul Mannan

Hussain, Shri Ismail

Hussain, Shri Syed Shahnawaz

Jahan, Shrimati Kaisar

Jain, Shri Pradeep

Jakhar, Shri Badri Ram

Jardosh, Shrimati Darshana

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Shri Mahesh

Joshi, Shri Pralhad

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kamal Nath, Shri

Karwaria, Shri Kapil Muni

Kashyap, Shri Virender

Kataria, Shri Lalchand

Khandela, Shri Mahadeo Singh

Kharge, Shri Mallikarjun

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil

Killi, Dr. Kruparani

Kowase, Shri Marotrao Sainuji

Krishnasswamy, Shri M.

Kumar, Shri Ramesh

*Kumar, Shri Shailendra

Kumari, Shrimati Chandresh

Kumari, Shrimati Putul

Kurup, Shri N. Peethambara

Lakshmi, Shrimati Panabaka

---

* Voted through slip.

Lalu Prasad, Shri

Maharaj, Shri Satpal

Mahato, Shri Baidyanath Prasad

Mcleod, Shrimati Ingrid

Meena, Shri Namo Narain

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meghwal, Shri Bharat Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mirdha, Dr. Jyoti

Mishra, Shri Govind Prasad

Mohan, Shri P.C.

Moily, Shri M. Veerappa

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagpal, Shri Devendra

Naik, Shri P. Balram

Naik, Shri Shripad Yesso

Narah, Shrimati Ranee

Narayanasamy, Shri V.

Natrajan, Kumari Meenakshi

Nirupam, Shri Sanjay

Ola, Shri Sis Ram

Pal, Shri Rajaram

Pandey, Dr. Vinay Kumar

Pandey, Shri Gorakhnath

Patel, Shri Dinsha

Patel, Shri Kishanbhai V.

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shri Harin

Patil, Shri C.R.

Patil, Shri Pratik

Pilot, Shri Sachin

Pradhan, Shri Amarnath

Punia, Shri P. L.

Purandeswari, Shrimati D.

Purkayastha, Shri Kabindra

Raghavan, Shri M.K.

Rai, Shri Prem Das

Ramachandran, Shri Mullappally

Ramasubbu, Shri S.S.

Rana, Shri Jagdish Singh

Rao, Dr. K.S.

Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shri Ashok Kumar

Reddy, Shri Gutha Sukhender

Reddy, Shri K.J.S.P

Reddy, Shri K.R.G.

Reddy, Shri S.P.Y.

Ruala, Shri C.L.

Sachan, Shri Rakesh

Sahay, Shri Subodh Kant

Sanjoy, Shri Takam

Sardinha, Shri Francisco Cosme

Saroj, Shri Tufani

Saroj, Shrimati Sushila

Sayeed, Shri Hamdullah

Selja, Kumari

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Shanavas, Shri M.I.

Shariq, Shri S.D.

Shekhar, Shri Neeraj

Shekhawat, Shri Gopal Singh

Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Shri Sushilkumar

Shivaji, Shri Adhalrao Patil

Sibal, Shri Kapil

Siddeshwara, Shri G.M.

Singh, Dr. Raghuvansh Prasad

Singh, Rajkumari Ratna

Singh, Shri Ajit

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Ijyaraj

Singh, Shri Jagdanand

Singh, Shri Jitendra

Singh, Shri R.P.N.

Singh, Shri Radhe Mohan

Singh, Shri Ratan

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sukhdev

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Vijay Bahadur

Singh, Shrimati Pratibha

Singla, Shri Vijay Inder

Solanki, Dr. Kirit Premjibhai

Solanki, Shri Makansingh

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikkunnil

Sushant, Dr. Rajan

Swaraj, Shrimati Sushma

Tamta, Shri Pradeep

Tandon, Shrimati Annu

Tanwar, Shri Ashok

Taviad, Dr. Prabha Kishor

Taware, Shri Suresh Kashinath

Tewari, Shri Manish

Thakor, Shri Jagdish

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Shri Thol

Thomas, Prof. K.V.

Tirath, Shrimati Krishna

Tiwari , Shri Bhisma Shankar alias Kushal

Toppo, Shri Joseph

Udasi, Shri Shivkumar

Vardhan, Shri Harsh

Venugopal, Shri K.C.

Verma, Shri Sajjan

Verma, Shrimati Usha

Vishwanath Katti, Shri Ramesh

Viswanathan, Shri P.

Vyas, Dr. Girija

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Hukmadeo Narayan

Yadav, Shri Anjankumar M.

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yaskhi, Shri Madhu Goud

MR. CHAIRMAN: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 31

Noes: 204

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 20, as amended, stand part of the Bill."

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

Clauses 21 and 22 were added to the Bill.

Clause 23 Pension Funds

Amendment made:

Page 12, *for* lines 38 and 39, *substitute* –

"Provided that at least one of the pension funds shall be a Government company.". (6)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 12 to Clause 23?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, Sir, I am moving my Amendment. My amendment is, all the pension fund shall be Government companies. There is an amendment by the Minister that there will be one Government company. My amendment is all the companies should be Government companies.

I beg to move:

Page 12, line 38, –

for "at least one of the pensions fund shall be a Government company"

s*ubstitute* "all the pensions fund shall be Government companies". (12)

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

Ayes 31

Noes 204 + Shri Shailendra Kumar = **205**

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 12 to Clause 23 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 23, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister to move the motion.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 7 to the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 7 to the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 23A **'Certain restrictions on foreign companies or individual or association of persons.**

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.7.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I beg to move:

Page 12, *after* line 44, *insert*—

23A. The aggregate holding of equity shares by a foreign company either by itself or through its subsidiary companies or its nominees or by an individual or by an association of persons whether registered or not under any law of a country outside India taken in aggregate in the pension fund shall not exceed twenty-six per cent of the paid-up capital of such fund or such percentage as may be approved for an Indian insurance company under the provisions of the Insurance Act, 1938, whichever is higher. 4 of 1938

Explanation. – For the purposes of this section, the expression "foreign company" shall have the meaning assigned to it in clause (23A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961.'. (7) 43 of 1961

MR. CHAIRMAN : Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your Amendment No. 15 to New Clause 23A?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Sir. I would like to move my amendment and I also want to say something.

Mr. Chairman, Sir, this is an amendment to the amendment that has been moved by the Finance Minister today. Here, I want to omit the last part of the sentence. His amendment says that the aggregate holding of equity shares by a foreign company either by itself or through its subsidiary companies or its nominees or by an individual or by an association of persons whether registered or not under any law of a country outside India taken in aggregate in the pension fund shall not exceed twenty-six per cent of the paid-up capital of such fund.

Up to this point, I agree. My amendment is regarding the line which follows this sentence. My amendment is that you delete the wordings which follow this sentence. Do not tag it with the insurance sector. I agree that you need foreign capital … (*Interruptions*) Let me complete, Sir.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is to reply.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I know that but let me complete. I have a right to express my opinion. I have a right to express my interest. … (*Interruptions*) Sir, please see the Rule book. I do not have to remind the Members who are going to express themselves in a way but I will be demanding a division on this because I want a cap on FDI. Do not relate it because this will relate to further difficulty. When the insurance sector FDI will increase to 49 per cent, here you will get a provision that you will increase it to 49 per cent. My point is that as in the insurance sector a commitment was given by the then Government to keep it at 26 per cent, restrict it at 26 per cent, and do not tag it with the insurance sector. That is my amendment.

I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri P. Chidambaram and printed as Sl. No. 7 in List 1 of amendments,—

omit "or such percentage as may be approved for an Indian insurance company under the provisions of the Insurance Act, 1938, whichever is higher.". (15)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I assume that the hon. Member has read the Report of the Standing Committee. It is the Standing Committee which said, in 2005, and I quote:

> "The Committee is of the view that the decisions relating to permitting FDI in the pension sector and deployment of pension funds should in no way be in variance with the related provisions applicable to the insurance sector."

The Insurance Act provides today 26 per cent. So, what we have provided in the Pension Act is the same as provided in the Insurance Act. If the Insurance Act is amended by Parliament, what we are saying is that amended ratio will also apply to pension. This is introduced on the basis of the Standing Committee's recommendation. The Standing Committee's recommendation had only one dissenting Member and nobody dissented to this recommendation. So, what we are doing is to make it absolutely clear that pension will follow insurance. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): We have opposed to FDI both in pension and insurance. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It would not go on record.

(Interruptions) …[*]

MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, please sit down. You have already moved the amendment and made a speech also.

… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Let us put it to vote. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 15 to the New Clause 23A moved by Shri Bhartruhari Mahtab be adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I want a division.

SHRI P. CHIDAMBARAM: All right.… (*Interruptions*) His amendment does not do away with FDI. … (*Interruptions*)

[*] Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Now, the Lobbies have already been cleared.

The question is:

That in the amendment proposed by Shri P. Chidambaram and printed as Sl. No. 7 in List 1 of amendments,—

omit "or such percentage as may be approved for an Indian insurance company under the provisions of the Insurance Act, 1938, whichever is higher.". (15)

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. 3 **AYES** **17.45 hrs.**

Acharia, Shri Basu Deb

Anandan, Shri M.

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Baske, Shri Pulin Bihari

Bauri, Shrimati Susmita

Biju, Shri P.K.

Das, Shri Khagen

Dasgupta, Shri Gurudas

Dome, Dr. Ram Chandra

Haldar, Dr. Sucharu Ranjan

Haque, Sk. Saidul

Karunakaran, Shri P.

Kumar, Shri P.

*Kumari, Shrimati Putul

Lingam, Shri P.

Mahato, Shri Narahari

Mahtab, Shri Bhartruhari

Malik, Shri Sakti Mohan

Manian, Shri O.S.

Naskar, Shri Gobinda Chandra

Natarajan, Shri P.R.

Panda, Shri Prabodh

Paul, Shri Tapas

Rajesh, Shri M.B.

---

* Voted through slip.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rathod, Shri Ramesh

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shri Mahendra Kumar

Roy, Shrimati Shatabdi

Saha, Dr. Anup Kumar

Sampath, Shri A.

Satpathy, Shri Tathagata

Semmalai, Shri S.

Shetti, Shri Raju

Sivasami, Shri C.

Sugumar, Shri K.

Tarai, Shri Bibhu Prasad

Thambidurai, Dr. M.

Trivedi, Shri Dinesh

*Venugopal, Dr. P.

---

* Voted through slip.

NOES

Abdullah, Dr. Farooq

Agarwal, Shri Jai Prakash

Angadi, Shri Suresh

Antony, Shri Anto

Awale, Shri Jaywant Gangaram

Baalu, Shri T.R.

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh

Bairwa, Shri Khiladi Lal

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Baitha, Shri Kameshwar

Baliram, Dr.

Bansal, Shri Pawan Kumar

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri Mohammed E.T.

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhoi, Shri Sanjay

Biswal, Shri Hemanand

Chacko, Shri P.C.

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chaudhary, Dr. Tushar

Chaudhary, Shri Arvind Kumar

Chaudhary, Haribhai

Chauhan, Shri Dara Singh

Chauhan, Shri Mahendrasinh P.

Chidambaram, Shri P.

Chitthan, Shri N.S.V.

Choudhary, Shri Harish

Choudhry, Shrimati Shruti

Choudhury, Shri Abu Hasem Khan

Chowdhary, Shrimati Santosh

Dasmunsi, Shrimati Deepa

*Davidson, Shrimati J. Helen

Deo, Shri V. Kishore Chandra

Devi, Shrimati Ashwamedh

Devi, Shrimati Rama

Dhanapalan, Shri K. P.

Dhruvanarayana, Shri R.

Dhurve, Shrimati Jyoti

Dias, Shri Charles

Dikshit, Shri Sandeep

Dubey, Shri Nishikant

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao

Elangovan, Shri T.K.S.

Engti, Shri Biren Singh

Ering, Shri Ninong

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo

Gandhi, Shri Rahul

Geete, Shri Anant Gangaram

Ghatowar, Shri Paban Singh

Gogoi, Shri Dip

Gouda, Shri Shivarama

Handique, Shri B.K.

Haque, Shri Mohd. Asrarul

---

* Voted through slip for Noes.

Hegde, Shri K. Jayaprakash

Hooda, Shri Deepender Singh

Hossain, Shri Abdul Mannan

Hussain, Shri Ismail

Hussain, Shri Syed Shahnawaz

Jahan, Shrimati Kaisar

Jain, Shri Pradeep

Jakhar, Shri Badri Ram

Jardosh, Shrimati Darshana

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Shri Mahesh

Joshi, Shri Pralhad

Kachhadia, Shri Naranbhai

Karwaria, Shri Kapil Muni

Kashyap, Shri Virender

Kataria, Shri Lalchand

Khandela, Shri Mahadeo Singh

Kharge, Shri Mallikarjun

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil

Killi, Dr. Kruparani

Kowase, Shri Marotrao Sainuji

Krishnasswamy, Shri M.

Kumar, Shri Ramesh

*Kumar, Shri Shailendra

Kumari, Shrimati Chandresh

Kurup, Shri N. Peethambara

Lakshmi, Shrimati Panabaka

---

* Voted through slip.

Lalu Prasad, Shri

Maharaj, Shri Satpal

Mahato, Shri Baidyanath Prasad

Mcleod, Shrimati Ingrid

Meena, Shri Namo Narain

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meghwal, Shri Bharat Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mirdha, Dr. Jyoti

Mishra, Shri Govind Prasad

Mitra, Shri Somen

Mohan, Shri P.C.

Moily, Shri M. Veerappa

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagpal, Shri Devendra

Naik, Shri P. Balram

Naik, Shri Shripad Yesso

Narah, Shrimati Ranee

Narayanasamy, Shri V.

Natrajan, Kumari Meenakshi

Nirupam, Shri Sanjay

Ola, Shri Sis Ram

Pal, Shri Rajaram

Pandey, Dr. Vinay Kumar

Pandey, Shri Gorakhnath

Patel, Shri Dinsha

Patel, Shri Kishanbhai V.

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shri Harin

Patil, Shri C.R.

Patil, Shri Pratik

Pilot, Shri Sachin

Pradhan, Shri Amarnath

Punia, Shri P. L.

Purandeswari, Shrimati D.

Purkayastha, Shri Kabindra

Raghavan, Shri M.K.

Rai, Shri Prem Das

Ramachandran, Shri Mullappally

Ramasubbu, Shri S.S.

Rana, Shri Jagdish Singh

Rao, Dr. K.S.

*Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shri Ashok Kumar

Reddy, Shri Gutha Sukhender

Reddy, Shri K.J.S.P

Reddy, Shri K.R.G.

Reddy, Shri S.P.Y.

Ruala, Shri C.L.

Sachan, Shri Rakesh

Sahay, Shri Subodh Kant

Sanjoy, Shri Takam

Sardinha, Shri Francisco Cosme

Saroj, Shri Tufani

Saroj, Shrimati Sushila

---

* Voted through slip.

Sayeed, Shri Hamdullah

Selja, Kumari

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Shanavas, Shri M.I.

Shariq, Shri S.D.

Shekhar, Shri Neeraj

Shekhawat, Shri Gopal Singh

Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Shri Sushilkumar

Shivaji, Shri Adhalrao Patil

Sibal, Shri Kapil

Siddeshwara, Shri G.M.

Singh, Dr. Raghuvansh Prasad

Singh, Rajkumari Ratna

Singh, Shri Ajit

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Ijyaraj

Singh, Shri Jagdanand

Singh, Shri Jitendra

Singh, Shri R.P.N.

Singh, Shri Radhe Mohan

Singh, Shri Ratan

Singh, Shri Rewati Raman

Singh, Shri Sukhdev

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Vijay Bahadur

Singh, Shrimati Pratibha

Singla, Shri Vijay Inder

Solanki, Dr. Kirit Premjibhai

Solanki, Shri Makansingh

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

*Suresh, Shri Kodikkunnil

Sushant, Dr. Rajan

Swaraj, Shrimati Sushma

Tamta, Shri Pradeep

Tandon, Shrimati Annu

Tanwar, Shri Ashok

Taviad, Dr. Prabha Kishor

Taware, Shri Suresh Kashinath

Tewari, Shri Manish

Thakor, Shri Jagdish

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Shri Thol

Thomas, Prof. K.V.

Tirath, Shrimati Krishna

Toppo, Shri Joseph

Udasi, Shri Shivkumar

Vardhan, Shri Harsh

Venugopal, Shri K.C.

Verma, Shri Sajjan

Verma, Shrimati Usha

Vishwanath Katti, Shri Ramesh

Viswanathan, Shri P.

Vyas, Dr. Girija

---

* Voted through slip.

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Hukmadeo Narayan

Yadav, Shri Anjankumar M.

Yaskhi, Shri Madhu Goud

MR. CHAIRMAN : Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 40

Noes: 198

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 7 for adding a New Clause No. 23A moved by Shri P. Chidambaram, to the vote of the House

The question is:

Page 12, *after* line 44, *insert*—

'Certain restrictions on foreign companies or individual or association of persons.

23A. The aggregate holding of equity shares by a foreign company either by itself or through its subsidiary companies or its nominees or by an individual or by an association of persons whether registered or not under any law of a country outside India taken in aggregate in the pension fund shall not exceed twenty-six per cent of the paid-up capital of such fund or such percentage as may be approved for an Indian insurance company under the provisions of the Insurance Act, 1938, whichever is higher. 4 of 1938

Explanation. – For the purposes of this section, the expression "foreign company" shall have the meaning assigned to it in clause (23A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961.'. 43 of 1961 (7)

The motion was adopted.

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.
Ayes 40 + Shrimati Putul Kumari and Dr. P. Venugopal = **42**
Noes 198 + Shrimati J. Helen Davidson, S/Shri Ramsinh Rathwa, Shailendra Kumar and Kodikunnil Suresh =**202**

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That New Clause 23A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause23A was added to the Bill.

Clause 24 to 43 were added to the Bill.

Clause 44 **Establishment of Pension Advisory Committee**

Amendment made:

Page 18, *for* lines 40 and 41, *substitute*—

"(4) The objects of the Pension Advisory Committee shall be to advise the Authority on matters relating to the making of the regulations under section 51.

(5) Without prejudice to the provisions of sub-section *(4)*, the Pension Advisory Committee may advise the Authority on such matters as may be referred to it by the Authority and also on such matters as the Committee may deem fit.". (8)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 13 to Clause 44?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, Sir, I am moving my Amendment.

I beg to move:

Page 18, line 35,--

after "associations,"

insert "unions,". (13)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 13 to Clause 44 moved by Shri Basu Deb Acharia, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 44, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 44, as amended, was added to the Bill.

Clauses 45 to 50 were added to the Bill.

Clause 51 Power to make regulations

Amendment made:

Page 20, *after* line 39, *insert*—

"*(fa)*the conditions of its purpose, frequency and limits for withdrawals from individual pension account referred to in clause *(b)* of sub-section *(2)* of section 20;

(fb) the conditions subject to which the subscriber shall exit from the National Pension System referred to in clause *(h)* of sub-section *(2)* of section 20;

(fc) the conditions subject to which the subscriber shall purchase an annuity referred to in clause *(i)* of sub-section *(2)* of section 20;". (9)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 51, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 51, as amended, was added to the Bill

Clauses 52 to 55 were added to the Bill.

Clause 1 Short title, extent and commencement

Amendment made:

Page 1, line 6, *for* "2011", *substitute* "2013". (2)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Sixty-second", *substitute* "Sixty-fourth". (1)

(Shri P. Chidambaram)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I want to speak. In the third reading, one speaks only against the principle of the Bill. Our Party is not satisfied with the Bill as it has come, because it jeopardizes the social security of the salaried class. Instead of protecting or giving social security to the unorganized sector, what it is doing is that it is partly taking away the security enjoyed by the Central and State Government employees under the guise of investing monies of the pension fund into the stock market. This is basically a ploy to boost up the stock market and we are, in principle, opposed to it.

We are also opposed to the introduction of FDI in the pension sector. We do not think that any particular skill is required for fund management of pension so that we need foreign direct investment to the extent of 26 per cent in the pension sector or even in the insurance sector. We have always opposed entry of foreign direct investment in the financial sector of the country because it creates instability in the financial sector and jeopardizes the security of the basic middle classes. Those who are rich can play the stock market. Those who are middle class like us, cannot play this stock market. After retirement we want a steady income.

Lastly, I should mention one short point which is not directly related to this. Many people have petitioned. There is a pension linked to the Employees Provident Fund. This is in a terrible condition as the workers are sometimes getting less than Rs.500 as pension from the EPF linked pension fund also. I feel that in the EPF linked pension fund, the minimum pension should be Rs.1000. That is why, on this principle, we shall vote against the Bill when the Motion to moved that that the Bill be passed is pressed. We shall move for Division on that point.

SHRI BASU DEB ACHARIA : We want Division.

PROF. SAUGATA ROY : We want Division.

MR. CHAIRMAN: The Lobbies are already cleared.

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No.4 **AYES** **17. 54 hrs.**

Agarwal, Shri Jai Prakash

*Angadi, Shri Suresh

*Antony, Shri Anto

Awale, Shri Jaywant Gangaram

*Baalu, Shri T.R.

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh

Bairwa, Shri Khiladi Lal

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Baitha, Shri Kameshwar

Baliram, Dr.

Bansal, Shri Pawan Kumar

*Basavaraj, Shri G. S

Basheer, Shri Mohammed E.T.

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhoi, Shri Sanjay

Biswal, Shri Hemanand

Chacko, Shri P.C.

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chaudhary, Dr. Tushar

Chaudhary, Shri Haribhai

Chauhan, Shri Mahendrasinh P.

*Chidambaram, Shri P.

Chitthan, Shri N.S.V.

Choudhary, Shri Harish

Choudhry, Shrimati Shruti

Voted through slip.

Choudhury, Shri Abu Hasem Khan

Chowdhary, Shrimati Santosh

*Dasmunsi, Shrimati Deepa

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri V. Kishore Chandra

Devi, Shrimati Ashwamedh

Devi, Shrimati Rama

Dhanapalan, Shri K. P.

Dhruvanarayana, Shri R.

Dhurve, Shrimati Jyoti

*Dias, Shri Charles

Dikshit, Shri Sandeep

Dubey, Shri Nishikant

Elangovan, Shri T.K.S.

Engti, Shri Biren Singh

*Ering, Shri Ninong

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo

Gandhi, Shri Rahul

Geete, Shri Anant Gangaram

Ghatowar, Shri Paban Singh

Gogoi, Shri Dip

Gouda, Shri Shivarama

*Handique, Shri B.K.

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hegde, Shri K. Jayaprakash

Hooda, Shri Deepender Singh

Hossain, Shri Abdul Mannan

Hussain, Shri Ismail

---

* Voted through slip.

Hussain, Shri Syed Shahnawaz

Jain, Shri Pradeep

Jakhar, Shri Badri Ram

Jardosh, Shrimati Darshana

*Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha

Jindal, Shri Naveen

*Joshi, Shri Mahesh

Joshi, Shri Pralhad

*Kachhadia, Shri Naranbhai

Kamal Nath, Shri

Kashyap, Shri Virender

*Kataria, Shri Lalchand

Khandela, Shri Mahadeo Singh

Kharge, Shri Mallikarjun

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil

Killi, Dr. Kruparani

Kowase, Shri Marotrao Sainuji

Krishnasswamy, Shri M.

Kumar, Shri Ramesh

*Kumar, Shri Shailendra

Kumari, Shrimati Chandresh

*Kumari, Shrimati Putul

**Kurup, Shri N. Peethambara

Lakshmi, Shrimati Panabaka

Lalu Prasad, Shri

Maharaj, Shri Satpal

Mahato, Shri Baidyanath Prasad

---

* Voted through slip.
** Corrected through slip for Ayes.

Mahtab, Shri Bhartruhari

*Mcleod, Shrimati Ingrid

**Meena, Shri Namo Narain

*Meghwal, Shri Arjun Ram

Meghwal, Shri Bharat Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mirdha, Dr. Jyoti

Mishra, Shri Govind Prasad

Mohan, Shri P.C.

Moily, Shri M. Veerappa

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagpal, Shri Devendra

Naik, Shri P. Balram

Naik, Shri Shripad Yesso

Narah, Shrimati Ranee

Narayanasamy, Shri V.

Natrajan, Kumari Meenakshi

Nirupam, Shri Sanjay

*Ola, Shri Sis Ram

Pal, Shri Rajaram

Pandey, Dr. Vinay Kumar

Patel, Shri Dinsha

Patel, Shri Kishanbhai V.

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shri Harin

---

* Voted through slip.
** Corrected through slip for Ayes.

Patil, Shri C.R.

Patil, Shri Pratik

Pilot, Shri Sachin

Pradhan, Shri Amarnath

Punia, Shri P.L.

Purandeswari, Shrimati D.

Purkayastha, Shri Kabindra

Raghavan, Shri M.K.

Rai, Shri Prem Das

*Ramachandran, Shri Mullappally

**Ramasubbu, Shri S.S.

*Rao, Dr. K.S.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rathod, Shri Ramesh

Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shri Ashok Kumar

Reddy, Shri Gutha Sukhender

Reddy, Shri K.J.S.P

Reddy, Shri K.R.G.

Reddy, Shri S.P.Y.

Ruala, Shri C.L.

**Sachan, Shri Rakesh

Sahay, Shri Subodh Kant

Sanjoy, Shri Takam

Sardinha, Shri Francisco Cosme

Saroj, Shri Tufani

Saroj, Shrimati Sushila

---

* Voted through slip.
**Corrected through slip for Ayes.

Sayeed, Shri Hamdullah

Selja, Kumari

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

*Shanavas, Shri M.I.

*Shariq, Shri S.D.

Shekhar, Shri Neeraj

Shekhawat, Shri Gopal Singh

Shetkar, Shri Suresh Kumar

*Shinde, Shri Sushilkumar

Shivaji, Shri Adhalrao Patil

Sibal, Shri Kapil

Siddeshwara, Shri G.M.

Singh, Dr. Raghuvansh Prasad

Singh, Rajkumari Ratna

Singh, Shri Ajit

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Ijyaraj

Singh, Shri Jagdanand

Singh, Shri Jitendra

Singh, Shri R.P.N.

Singh, Shri Ratan

Singh, Shri Rewati Raman

*Singh, Shri Sukhdev

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shrimati Pratibha

Singla, Shri Vijay Inder

Solanki, Dr. Kirit Premjibhai

---

* Voted through slip.

Solanki, Shri Makansingh

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikkunnil

Sushant, Dr. Rajan

Swaraj, Shrimati Sushma

Tamta, Shri Pradeep

Tandon, Shrimati Annu

Tanwar, Shri Ashok

Taviad, Dr. Prabha Kishor

Taware, Shri Suresh Kashinath

Tewari, Shri Manish

Thakor, Shri Jagdish

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Shri Thol

Thomas, Prof. K.V.

Tirath, Shrimati Krishna

Tiwari , Shri Bhisma Shankar alias Kushal

Toppo, Shri Joseph

Udasi, Shri Shivkumar

Vardhan, Shri Harsh

Venugopal, Shri K.C.

Verma, Shri Sajjan

Verma, Shrimati Usha

Vishwanath Katti, Shri Ramesh

Viswanathan, Shri P.

Vyas, Dr. Girija

*Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Hukmadeo Narayan

Yadav, Shri Anjankumar M.

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yaskhi, Shri Madhu Goud

* Voted through slip.

NOES

*Acharia, Shri Basu Deb

*Anandan, Shri M.

*Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barq, Dr. Shafiqur Rahman

*Baske, Shri Pulin Bihari

*Bauri, Shrimati Susmita

*Biju, Shri P.K.

Chaudhary, Shri Arvind Kumar

Das, Shri Khagen

Dasgupta, Shri Gurudas

Dome, Dr. Ram Chandra

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao

Haldar, Dr. Sucharu Ranjan

Haque, Sk. Saidul

**Karunakaran, Shri P.

Karwaria, Shri Kapil Muni

**Kumar, Shri P.

**Lingam, Shri P.

*Mahato, Shri Narahari

*Malik, Shri Sakti Mohan

Manian, Shri O.S.

Mitra, Shri Somen

Naskar, Shri Gobinda Chandra

Natarajan, Shri P.R.

---

* Voted through slip.
** Corrected through slip for Noes.

Panda, Shri Prabodh

Paul, Shri Tapas

Rajesh, Shri M.B.

Rana, Shri Jagdish Singh

Roy, Prof. Saugata

*Roy, Shri Mahendra Kumar

Roy, Shrimati Shatabdi

Saha, Dr. Anup Kumar

Sampath, Shri A.

Satpathy, Shri Tathagata

Semmalai, Shri S.

Shetti, Shri Raju

Singh, Shri Radhe Mohan

**Sivasami, Shri C.

**Sugumar, Shri K.

*Thambidurai, Dr. M.

Trivedi, Shri Dinesh

Venugopal, Dr. P.

---

* Voted through slip.
**Corrected through slip for Noes.

MR. CHAIRMAN: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 174

Noes: 33

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now the Lobbies may be opened.

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

Ayes 174 + S/Shri Suresh Angadi, Anto Antony, T. R. Baalu, G. S. Basavaraj, P. Chidambaram, Shrimati Deepa Dasmunsi, S/Shri Charles Dias, Ninong Ering, Shri B. K. Handique, Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi, S/Shri Mahesh Joshi, Naranbhai Kachhadia, Lalchand Kataria, Shailendra Kumar, Shrimati Putul Kumari, S/Shri N. Peethambara Kurup, Shrimati Ingrid Mcleod, S/Shri Namo Narain Meena, Arjun Ram Meghwal, Sis Ram Ola, Mullapally Ramachandran, S. S. Ramasubbu, Dr. K. S. Rao, S/Shri Rakesh Sachan, M. I. Shanavas, S. D. Shariq, Sushilkumar Shinde, Sukhdev Singh and Bhausaheb Rajaram Wakchaure – S/Shri P. Karunakaran, P. Kumar, P. Lingam, C. Sivasami, and K. Sugumar = **198**

Noes 33 + S/Shri Basu Deb Acharia, M. Anandan, S. Bandyopadhyay, Pulin Bihari Baske, P. K. Biju, Shrimati Susmita Bauri, S/Shri P. Karunakaran, P. Kumar, P. Lingam, Narhari Mahato, Sakti Mohan Malik, Mahendra Kumar Roy, C. Sivasami, K. Sugumar and Dr. M. Thambidurai – S/Shri N. Peethambara Kurup, Namo Narain Meena, S. S. Ramasubbu and Rakesh Sachan = **44**

<u>17.55 hrs.</u>

DISCUSSION UNDER RULE 193

Government of India's response and measures taken for relief and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand

MR. CHAIRMAN : Now, we take up Discussion under Rule 193.

Shrimati Sushma Swaraj.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We are going to have a very important discussion. Please have silence in the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order please.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति महोदय, बहुत पीड़ा के साथ मैं उत्तराखंड त्रासदी के बारे में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमने सोचा था कि जब पांच अगस्त को मानसून सत्र शुरू हुआ, हम सत्र के पहले दिन ही इस चर्चा को शुरू करते, क्योंकि दो सत्रों के अंतराल में यह सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई, जो देश को झेलनी पड़ी। इसलिए संवेदना का तकाजा था कि सत्र के प्रारम्भ में ही इसकी चर्चा होती, लेकिन किसी न किसी कारण से यह चर्चा टलती रही और आज मानसून सत्र के एक महीने बाद, क्योंकि पांच अगस्त को मानसून सत्र शुरू हुआ था और आज चार सितम्बर है और वह भी शाम के छह बजे चर्चा शुरू हो रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि कम से कम सत्र की समाप्ति से पहले यह चर्चा हो रही है। अगर चर्चा किए बिना सत्र समाप्त हो जाता, तो मेरे मन में भी पछतावा रहता और उन पीड़ितों को भी लगता कि हमारी पीड़ा का बखान किसी ने नहीं किया।

सभापति जी, प्राकृतिक आपदाएं तो इस देश में पहले भी आई हैं। अगर मैं केवल पिछले वर्षों का आकलन करूं, तो बड़ी आपदाओं के रूप में गिन सकती हूं, वह राज्य जहां से आप आते हैं उड़ीसा में

झंझावात आया, गुजरात में भूकम्प आया और दक्षिण में सूनामी आई। ये ऐसी आपदाएं थीं, जिन्होंने क्षण भर में लोगों को लाख से खाक कर दिया। घर-बार भी छीन लिया और रोजगार भी छीन लिया। लेकिन उत्तराखंड में जो आपदा आई, वह इन आपदाओं से दो मायने में अलग है। एक तो इस मायने में अलग है कि उड़ीसा, गुजरात और दक्षिण का सुनामी इनका भौगोलिक व्यास सीमित था। झंझावात और भूकम्प एक-एक राज्य तक सीमित था। सूनामी दक्षिण के तीन-चार राज्यों को प्रभावित कर रहा था। लेकिन उत्तराखंड की आपदा का व्यास पूरे देश में फैला था। पूरे देश के लगभग सभी राज्यों के लोग इसमें प्रभावित हुए, यह पहला अंतर है। दूसरा बड़ा अंतर है कि इस आपदा में हमने पराकाष्ठाएं देखीं। कौन-कौन सी पराकाष्ठाएं देखीं, अगर एक तरफ प्रकृति के प्रकोप की पराकाष्ठा देखी, तो दूसरी तरफ लोगों की लाचारी की भी पराकाष्ठा देखी। अगर एक तरफ सेना और अर्द्धसैनिक बलों के शौर्य की पराकाष्ठा देखी, तो दूसरी तरफ एयरफोर्स के पायलटों के धैर्य की भी पराकाष्ठा देखी। अगर एक तरफ राज्य सरकार की अकर्मण्यता की पराकाष्ठा देखी, तो दूसरी तरफ लूटेरों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी देखी। इन पराकाष्ठाओं के कारण यह त्रासदी न भूतो न भविष्यतः की श्रेणी में आकर खड़ी हुई।

18.00 hrs.

कुछ दिन के बाद जब यह सत्र शुरु हुआ, रक्षा मंत्री जी ने राहत और पुनर्वास से संबंधित एक वक्तव्य इस सदन में रखा था। मैं कहना चाहती हूं, आज गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। गृह मंत्री जी तब अस्वस्थ थे। वह नहीं आ सके थे। गृह मंत्री जी, पता नहीं आपने वह वक्तव्य पढ़ा या नहीं। वह वक्तव्य असत्य का पुलिंदा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : It is 6 o'clock now. If the House agrees, we may take up the RTI Bill after the discussion under 193. Now, it is extended till the discussion is over.

… (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: No. We should take it up tomorrow.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): You have to take the sense of the House. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, इस चर्चा को पहले कर लें।...(व्यवधान) इसे स्कटल न करें। उसके बाद देखेंगे। जो हाउस का मूड होगा, उस तरीके से करेंगे।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: After the discussion is over, next item will be taken up.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं गृह मंत्री जी को बता रही थी कि पता नहीं उन्होंने वह वक्तव्य देखा या नहीं देखा। वह वक्तव्य असत्य का पुलिंदा था। वह निराधार तथ्यों पर आधारित था। उस वक्तव्य में रक्षा मंत्री जी ने कहा:

> "Highly commendable work was done by the State Government and the Central Ministries and agencies in this long hour of crisis."

जहां तक सेन्ट्रल एजेंसी का सवाल है, मैं यहां खड़े होकर सेना, एयर फोर्स, अर्ध-सैनिक बलों, आईटीबीपी और एनडीआरएन के जवानों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए जान हथेली पर रखकर हजारों लोगों की जिन्दगियां बचाईं। आज इस सदन में खड़े होकर समूचे राष्ट्र की तरफ से मैं उनका अभिनन्दन करती हूं और अपनी तथा सदन की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं तथा जो शहीद हो गए, उनको मैं अपना प्रणाम-निवेदन करती हूं। उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। लेकिन जहां तक राज्य सरकार का ताल्लुक है, गृह मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार पूरी तरह से अयोग्य और अक्षम साबित हुई। रक्षा मंत्री कहते हैं:

> "The State Government immediately initiated necessary steps for rescue and relief as the first responder."

सच्चाई यह है कि 16 तारीख की सुबह यह आपदा आई और 18 तारीख की रात तक न राज्य सरकार को, न केन्द्र सरकार को, न मीडिया को और न देश को इसकी गंभीरता का पता था। 18 तारीख की रात को उत्तराखंड के नेता, प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, यह केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई। मैंने कहा क्या! उन्होंने कहा कि केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई है। सारे होटल, सारी धर्मशालाएं, सारी दुकानें बह गई हैं। उन्होंने कहा कि 5000 खच्चर और खच्चरों के हैंडलर्स सब बह गए हैं, लेकिन अभी कोई राहत कार्य शुरु नहीं हुआ है। मैंने कहा कि आप फोन रखो। मैं अभी गृह मंत्री जी से बात करती हूं। शिंदे जी यहां बैठे हैं। मैंने उनका फोन बंद किया और शिंदे जी को फोन लगाया और मैंने कहा कि उत्तराखंड के नेता, प्रतिपक्ष का मुझे फोन आया है और उन्होंने मुझे यह बात बताई है। इस पर शिंदे जी ने कहा कि मैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के सम्पर्क में हूं। इतना ज्यादा भीषण कुछ नहीं है। 10-12 लोगों की मौत हुई है। मैंने आज सेना के 12 हैलीकॉप्टर मंगा लिए हैं और 12 कल मंगा लूंगा। शिंदे जी, आपने कहा था, हूबहू जो बात आपने कही थी, वर्बेटिम मैंने यहां रखी

है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, मामला इससे कहीं बड़ा है इसलिए केवल 12 हैलीकॉप्टरों से काम नहीं चलेगा, सैंकड़ो हैलीकॉप्टरों का काम है, आप सेना को बुलाइए, केवल सेना के हैलीकॉप्टर आएं। इन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूं। मैंने उसी समय ट्वीट किया, एसओएस फ्राम उत्तराखंड और उसमें सारी बातें लिखी कि हजारों लोग मर गए हैं, मेरी अभी गृह मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वे इस बारे में पूरा काम करेंगे। मुझे अगले दिन लंदन जाना था, दो बजे की एयर इंडिया से फ्लाइट बुक थी। सबसे पहले मैंने फ्लाइट रद्द की, यात्रा रद्द की। मैंने अजय भट्ट को फोन किया और कहा कि मेरी शिंदे जी से बात हो गई है और कल से कुछ शुरु होगा। मैं कहना चाहती हूं कि रक्षा मंत्री जिसे फर्स्ट रिस्पांडर कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, 18 तारीख को पहला हैलीकॉप्टर सेना का उड़ा था लेकिन 19 तारीख को विधिवत बचाव कार्य शुरु किया गया जबकि घटना 16 तारीख को सुबह सात बजे की थी।

महोदय, अगर इमीडिएटली का मतलब सात घंटे से ज्यादा होता है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इमीडिएटली का हिंदी में मतलब तत्काल है, तुरंत है। मैं आज यहां जिम्मेदारी से खड़े होकर कह रही हूं कि 18 तारीख को सेना का पहला हैलीकॉप्टर उड़ा और 19 तारीख से विधिवत बचाव कार्य शुरु हुआ। आप हैरान होंगे, जिस राज्य सरकार की रक्षा मंत्री पीठ थपथपा रहे थे, 29 दिन के बाद 15 जून को उन्होंने उन चार जगह पर अतिरिक्त चार जिलाधिकारी लगाए जो आपदाग्रस्त थे। मेरे पास शासनादेश की प्रतियां हैं - 15 जून, श्री सचिन कुर्वे को गुप्तकाशी से केदारनाथ क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी, श्रीधर बाबू अद्दानगी को भटवारी, हरसिल और गंगोत्री क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी, डॉ. वी. शमरगन को गोचर से ठराली ग्वालदाम क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी और डॉ. दीपक रावत को मुनियारी एवं धारचूला क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी। ये चारों शासनादेश 15 जून के मेरे पास हैं, अगर आप अनुमति देंगे या चाहेंगे तो मैं सभापटल पर रख दूंगी। 29 दिन के बाद चारों जगह पर जिलाधिकारी लगाए गए, यह राज्य सरकार का रिस्पांस है।

सभापति जी, 40 दिन के बाद इन क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। 29 दिन के बाद अधिकारी लगे और 40 दिन बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। 30 दिन तक शव नहीं निकाले गए। 30 दिन बाद शव निकाले गए और उन शवों की जो दुर्गति हुई, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं, कलेजा मुंह को आता है। वहां लुटेरों की बन आई और लुटेरों ने शवों की उंगलियां काटकर अंगूठियां निकाली। मृतक देहों के गहने उतार लिए। जब दाह संस्कार किया गया तो अधजले शव पड़े रह गए। वहां जिस समय लुटेरे ऐसा कर रहे थे उस समय गृह मंत्री जी, आपके जनाव सीएम साहब सर्किट हाउस में खड़े होकर गार्ड आफ ऑनर ले रहे थे। वे पुलिस वाले जिन्हें इलाके में लोगों की रक्षा करने के लिए, लुटेरे से उन शवों को बचाने के लिए होना चाहिए था, वे उस समय वहां उनको सलामी ठोक रहे थे। आप कहते हैं कि स्टेट

गवर्नमेंट ने कमेन्डेबल काम किया। रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि कॉम्युनिकेशन सिस्टम तुरंत बहाल कर दिया। मैं कहना चाहती हूं कि अगर तुरंत कॉम्युनिकेशन सिस्टम बहाल कर दिया होता तो परिजन इतने बेबस और असहाय नहीं होते। जितने लाचार पीड़ित थे उससे ज्यादा असहाय और बेबस उनके परिजन थे। अगर कॉम्युनिकेशन सिस्टम बहाल हो जाता तो लोग फोन कर सकते थे, फोन करके घर के लोगों को बता सकते थे कि फिक्र मत करना हम फंसे जरूर हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। लेकिन कोई कॉम्युनिकेशन नहीं था, कोई फोन नहीं चल रहा था, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे बल्कि परिजनों को गलत खबरें दी जा रही थी। बहुत लोगों को कह दिया गया कि तुम्हारे लोग फलां हैलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वे अपने घरों से देहरादून के हैली पैड पर पहुंच गए। वे एक हैलीकॉप्टर उतरता वे देखते, दूसरा उतरता तो देखते, तीसरा उतरता तो देखते, चार-पांच हैलीकॉप्टर उतरने के बाद जब उन्हें परिजन नहीं मिले तो पता चला की गलत खबर चली गई थी, गलत सूचना चली गई थी।

The Defence Minister says,

> "Essential supplies like food, drinking water, medicines, kerosene oil, blankets, etc., were continuously provided by airdropping as well as land routes."

गृह मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहती हूं कि जेसीबी थी, मगर डीजल नहीं था। बद्रीनाथ मंदिर समिति में रसद थी, वे खाना देना चाहते थे, मगर उनके पास गैस नहीं थी। गैस खत्म हो गई तो हमने कहा कि कैरोसिन भेज दो। लेकिन दो दिन तक कैरोसिन नहीं जा सका था। आप कौन सी असेंशियल सप्लाईज़ की बात कर रहे हैं? लोगों ने यहां से ट्रक के ट्रक भर कर भेजे। लेकिन हेलिपैड पर सामग्री पड़ी रही और लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकी। गुप्तकाशी के गोदाम में सामग्री सड़ रही थी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही थी। आप कौन सी बात करते हैं? कौन सी राज्य सरकार की बात करते हैं? वहां राज्य सरकार या प्रशासन का नामोनिशान तक नहीं था। आपने खुद जा कर वहां देखा और कहा कि तालमेल का आभाव है तो आपने केंद्र से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया और कहा कि यह जा कर ताल-मेल का काम करेगा। सेना कहती थी कि हमारे पास राज्य सरकार का कोई कर्मचारी या अधिकारी मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है। हमें तो जगहें भी नहीं पता कि हमको जाना कहां है? हैलिकॉप्टर क्रैश कर गया। उस दिन हमको लगा कि शायद अब कोई दूसरा हैलिकॉप्टर नहीं उड़ेगा। लोग डर जाएंगे। लेकिन मैंने कहा न कि मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को। उधर हैलिकॉप्टर क्रैश हुआ, 20 लोग मरे, 5 क्रू के लोग और 20 दूसरे लोग मरे। लेकिन माथे पर शिकन डाले बिना, दूसरा हैलिकॉप्टर तैयार हो कर के कैप्टंस चढ़ गए और वापस

लोगों को निकालने के लिए लग गए। इसलिए मैंने कहा कि अगर अभिनंदन का पात्र कोई है कि तो सेना और एयरफोर्स के लोग हैं। लेकिन राज्य सरकार की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार इतनी नालायक और निकम्मी साबित हुई है कि मैं यहां खड़े हो कर कहना चाहती हूँ कि यही कारण था कि मैंने राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग की थी।

सभापति जी, यह अनहोनी घटना नहीं है। जो ऐसे ही घट गई। यह ऐसी घटना है जो रोकी जा सकती थी। मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी थी कि 16 जून से वहां बारिश शुरू होगी। इसरो ने चेतावनी दी थी कि बादल फटेगा और इसलिए पहाड़ की यात्रा मना कर दो। मैं आज कहती हूँ कि अगर आपने यात्रियों को अलर्ट जारी किया होता, अगर ऋषिकेश, रूद्रप्रयाग और गौरीकुंड में आपने यात्रियों को कह दिया होता कि आप आगे मत आइए तो बीसियों हज़ार जानें बच सकती थीं। क्योंकि ऋषिकेश, गौरीकुंड, रूद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच में 20 हज़ार से ज्यादा लोग थे। जिनमें से एक भी नहीं बचा। उन सारी जिंदगियों को बचाया जा सकता था। लेकिन मेरा आरोप है कि न तो इस यात्रा की कोई पूर्व तैयारी थी और न ही इस हादसे के बाद कोई संवेदनशीलता थी और न बाद में राहत और पुनर्वास की कोई तत्परता थी।

मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकार आज तक मृतकों का आंकड़ा नहीं दे सकी, आप उस सरकार की पीठ थपथपाते हैं, उसको आप शाबाशी देते हैं?

सभापति जी, आपदा प्रबंधन मंत्री ने 10 दिन के बाद कहा था कि मरने वालों का आंकड़ा 5 हज़ार तक पहुंचेगा। इनके अपने स्पीकर कुंजवाल ने कहा था कि मरने वालों की संख्या तो 10 हज़ार हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे कर कहा था कि 822 लोग मरे हैं। रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि 520 लोग मरे हैं। कहां 5 हज़ार, कहां 10 हज़ार, 822 और आ कर आंकड़ा 520 तक रूक गया। लापताओं की संख्या आप नहीं बता सके। आपको मालूम नहीं है कि कितने लोग लापता हुए। सभापति जी, हमारे यहां कहते हैं कि मरे का सब्र आ जाता है, लापता का सब्र नहीं आता है। जब आदमी मरे हुए का दाह संस्कार कर लेता है तो लगता है कि व्यक्ति चला गया। लेकिन लापता के लिए हमेशा आंखें इंतज़ार करती रहती हैं। एक फिल्म का एक गीत है कि -

" ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। "

हज़ारों पत्नियां आज भी अपने पतियों का इंतज़ार कर रही हैं। हज़ारों मातायें आपने बेटों का इंतज़ार कर रही हैं। हज़ारों बच्चे अपने माता-पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद किसी दिन दरवाज़े की

घंटी बजेगी और हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमें अपना पति खड़ा मिलेगा, अपनी माँ खड़ी मिलेगी, अपना बच्चा खड़ा मिलेगा।

सभापति जी, ये आज तक लापता का आंकड़ा नहीं दे पाए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि क्या सूचना के इस युग में हम सही आंकड़ा भी नहीं दे सकते हैं? गृह मंत्री जी, मैं आपको कहती हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर आप देश के सारे थानों को एक सर्कुलर भेजें और उसको यह कहें कि आपके थाने के नीचे कितने लोग मरे हैं और कितने लोग लापता हैं, तो एक सही आंकड़ा तो आपके पास आ जाएगा। मैंने अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र का आंकड़ा मंगवाया। मेरे पास आंकड़ा आया, मेरे विदिशा जिले के 23 लोग मरे हैं, मेरे रायसेन जिले के 10 लोग और मेरे बुधनी में नसरूलागंज में 23 लोग मरे हैं, लापता हैं। आप हैरान होंगे कि बांयगोड़ी गांव के एक परिवार के सात लोग, रिठवाड़ गांव के एक परिवार के आठ लोग, एक-एक परिवार के आठ-आठ लोग, एक-एक परिवार के सात-सात लोग, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि कम से कम इन लोगों का सही आंकड़ा तो मंगवा लीजिए। आप राहत और पुनर्वास कैसे करेंगे? आप यहां बैठे घोषणायें कर रहे हैं कि हम साढ़े तीन-तीन लाख रूपए उनको देंगे, मगर देंगे कैसे, जब आपके पास पता नहीं होगा? मैं अपने सुझाव को पुनः दोहराती हूं कि केंद्र की तरफ से एक सर्कुलर सारे थानों को भेजिए और उन थानों से लापता और मृतकों की संख्या मंगवाइए, ताकि एक सही आंकड़ा आप लोगों के सामने रख सकें। 520 से लेकर 10 हजार तक का आंकड़ा, आपस में कहीं कोई मेल नहीं खाता है।

महोदय, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेज विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, यह उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों-खरबों रूपए खर्च करके विकास करते जाते हैं, प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाशलीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी, क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं, क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको, उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी-चोटी का जोर लगा रही थीं, उन धारी देवी को बचाने के लिए। वे एक-एक के घर जाती थीं, आड़वाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर, मुझे साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास गयी थीं, पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थीं। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर धारी देवी वहां से हटायी नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वह शिला हैं, जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे।

महोदय, आप जानते हैं कि यह मात्र संयोग नहीं है, मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूं, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुयीं, उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुयीं और इधर केदारनाथ में जलप्रलय आया। यह ऐसा जलप्रलय आया जो हजारों जिन्दगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है - "अपूज्यम् यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम् तुव्यतिक्रमा, त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुःर्भिक्षम् मरणः भयः" अर्थात् जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां तीन चीजें घटती हैं, अकाल, मौत और भय। वहां की पूज्या, उत्तराखण्ड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और ये तीनों चीजें वहां आ गयीं। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह जो विकास वर्सेज विनाश का प्रश्न है, यह आज वहां मुंह बांये खड़ा है। गंगा जी के ऊपर कितने बांध बन रहे हैं, आप जानते हैं योजना आयोग की चतुर्वेदी समिति ने गंगा, भागीरथी और अलकनन्दा पर 70 बांधों की स्वीकृति दी है। आज रेवती रमण सिंह जी यहां बैठे नहीं हैं, दो-दो बार चर्चा करायी है इस सदन में उन्होंने, हम सब सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं।

महोदय, गंगा हमारे लिए साधारण नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए माँ है। पता नहीं उस दिन आप सेंट्रल हॉल में थे या नहीं, मुझे आश्चर्य निश्चित हर्ष हुआ था, इतना हर्षित हुआ था मन, जापान के प्रधानमंत्री जी ने केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सांसदों को सम्बोधित करते हुए गंगा जी का नाम लिया था तो उन्होंने गंगा मैया कहा था। वे लोग हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं, वे हमारी आस्था की कद्र करते हैं। वे गंगा जी को गंगा मैया कहकर संबोधित करते हैं और हमारे लोग गंगा मैया को सुरंग में डालने की योजना बना रहे हैं। गंगा जी की धारा अविरल बहे, गंगा जी की धारा निर्मल बहे, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन गंगा जी को जो लोग सुरंग में डालना चाह रहे हैं, उन उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएँ सहनी पड़ रही हैं जिसका शिकार पूरे का पूरा देश बनता है। इसलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर यह कहना चाहती हूँ कि धारी देवी को पुनर्स्थापित करने का काम करिये। मैं यहाँ से मांग करती हूँ कि गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिये। जितना मर्ज़ी पैसा उन पर खर्च हो चुका होगा, जो पैसा राहत और पुनर्वास पर खर्च होने वाला है, वह उससे कहीं कम होगा। जितना मर्ज़ी पैसा खर्च हो गया हो, आप वह हमें मत दिखाइए। एस्टिमेट्स मत बताइए कि इतना पैसा खर्च हो गया। अमूल्य ज़िन्दगियाँ जा रही हैं, खत्म हो रही हैं। पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव के कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांध निरस्त कर दीजिए। धारी देवी को पुनर्स्थापित करिये। उत्तराखंड को अगर बचाना है तो राहत और पुनर्वास तो अलग है, लेकिन

जब तक धारी देवी का पुनर्वासन नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी राहत और पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो सकेगा।

सभापति जी, जहाँ तक पुनर्वासन और राहत के कार्य का सवाल है, हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे भाई सैयद शाहनवाज़ हुसैन यहाँ से मैम्बर थे, भगत सिंह कोष्यारी जी सांसद वहाँ से मैम्बर थे और उमा भारती जी नेतृत्व कर रही थीं। वे तीनों वहाँ गए थे। एक एक जगह जाकर वे देखकर आए। जो रिपोर्ट उन्होंने मुझे दी, वह बहुत आश्चर्यजनक थी। मैं राहत और पुनर्वासन के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर रही हूँ - एक तात्कालिक कार्य और दूसरा दीर्घकालिक कार्य। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि आप चौंक जाएँगे कि क्या आपने वहाँ दिया है और क्या वहाँ पहुँचा है। सभापति जी, वहाँ की सरकार ने गाँवों को विस्थापित करके पुनर्वासन करने के लिए 8000 करोड़ रुपये और रीकंस्ट्रक्शन के लिए 5000 करोड़ रुपये, इस प्रकार 13 हज़ार करोड़ रुपये मांगे हैं। केन्द्र सरकार ने उसके विरुद्ध 1000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। उस 1000 करोड़ रुपये के विरुद्ध आपने 250 करोड़ रुपये रिलीज़ किये हैं और वे 250 करोड़ रुपये पुरानी आपदा जो आई थी, उसके बकाया थे। वे 250 करोड़ रुपये उसमें एडजस्ट हो गए हैं और ज़ीरो पैसा बचा है आपदा कार्य के लिए। एक पैसा आज उनके पास आपदा राहत कार्य के लिए नहीं है। इसी तरह से बॉर्डर रोड्ज़ आर्गनाइज़ेशन को आपने 300 करोड़ रुपये रिलीज़ किये थे। 270 करोड़ रुपये उनके पिछले बकाया थे। वे एडजस्ट करने के बाद मात्र 30 करोड़ रुपये बचे हैं। 30 करोड़ रुपये में आप कौन सी सड़कें बना देंगे?

तीसरा, खच्चर के लिए 10 हज़ार रुपये केन्द्र सरकार ने और 15 हज़ार रुपये राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। खच्चर 70-80 हज़ार रुपये से कम में नहीं आता है। आपके 15 हज़ार रुपये लेकर वे क्या करेंगे? एक आदमी भी एक खच्चर वहाँ से खरीद नहीं सकेगा। चौथा, वहाँ का पर्यटन पूरी तरह से समाप्त हो गया है और पर्यटन समाप्ति में वहाँ के मुख्य मंत्री के बयान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जानते हैं कि वहाँ के मुख्य मंत्री ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की ओर मुँह मत करना। और अगर कोई आए तो अपनी ज़िम्मेदारी पर आए, हम उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। ऐसा बयान मुख्य मंत्री देते हैं। आप जानते हैं कि आज भी उत्तराखंड में मसूरी, धनौल्टी, औली, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, रामगढ़, हरिद्वार और नैनीताल, ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन पर आपदा का कोई असर नहीं है। इसलिए अगर पर्यटकों को वहाँ आने दिया जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था बहाल हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्य मंत्री, मैंने कहा ना कि वैसे ही सुस्त मार्का हैं, वे तो चाहते ही नहीं हैं कि कोई आए। वे कह रहे हैं कि कोई मुँह मत करना उत्तराखंड की तरफ। वहाँ का पर्यटन पूरी तरह समाप्त हो गया है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आज भी बद्रीनाथ में 1000 वाहन फँसे हुए हैं जिसके विरुद्ध उन्होंने

ऋण लिया हुआ है। उनके लिए रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हुआ है। उस ऋण की माफ़ी के लिए भी मैं आज आपसे अनुरोध करती हूँ कि उस ऋण को भी आप माफ करें। होटल, दुकानें खोलने के लिए बैंकों से लोगों ने ऋण ले रखे हैं। उन ऋण की माफी के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करती हूं। सबसे अधिक किल्लत गैस की है। होटल और दुकानें बंद हो गए हैं। केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे तो हम देंगे। मैंने कहा न कि राज्य सरकार तो ऐसे ही सुस्त मार्का है। वह प्रस्ताव ही नहीं भेज रही है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी नहीं, आप गैस देंगे नहीं तो किस तरह से वह होटल और दुकानें खुलेंगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव की अपेक्षा मत कीजिए, राज्य सरकार को तो बर्खास्त कर दीजिए, अपने नीचे ले लीजिए उत्तराखण्ड को।

सभापति जी, आपदा पीड़ितों की राशि के नाम पर एक रुपया भी किसी को नहीं मिला है। यह जितने नाम मैंने अपने यहां के बताए हैं, रायसेन जिले के दस, विदिशा के 23, नसुल्लागंज के 23, उनको मध्य प्रदेश सरकार ने दो-दो लाख रुपये अपनी तरफ से दिया है। आपने कहा है कि साढ़े तीन-तीन लाख रुपये आप देंगे। उत्तराखण्ड सरकार ने कहा था कि साढ़े तीन वह देंगे। इस तरह से सात-सात लाख रुपये उन्हें मिलने थे। अब उत्तराखण्ड ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार दे और राज्य सरकारें जितना देना है दें।...(व्यवधान)

SHRI S. SEMMALAI(SALEM) : Madam, Tamil Nadu Government has given Rs.5 crore.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : That you will speak.

राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी ओर से जो देना था, वह दिया है। हमारे यहां दो-दो लाख रुपये उन्होंने दे दिए। अगर उत्तराखण्ड सरकार और नहीं देगी तो बकाया भी हम दे देंगे। लेकिन आप साढ़े तीन-तीन लाख रुपये जो देने वाले हैं, साढ़े तीन कौड़ी भी नहीं दिया है आपने अभी तक, साढ़े तीन कौड़ी। मैंने आपसे कहा न कि आपके पास आंकड़ा ही नहीं है तो आप देंगे कहां से? पहले आप आंकड़ा जुटा लीजिए और यह पैसा देना शुरू कीजिए। वह लोग कहां तक इंतज़ार करेंगे? एक पैसा भी आपदा राहत राशि के नाम पर अभी तक आपने नहीं दिया है।

एक और बात सभापति जी, मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि ढाबा, खोमचे और चाय की दुकानों का मुआवजा, एनडीआरएफ में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर यह दुकानें खत्म हो जाती हैं तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री जी इन मानकों को बदलवाइए। वहां लोगों ने ढाबे खोल रखे थे, खोमचे थे, चाय की दुकानें थीं, अगर यह मानक नहीं बदले जाएंगे तो एक रुपया भी उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए इन मानकों को भी बदलवाइए।

दसवीं बात, 256 गांव आज भी वहां सड़क मार्ग से वंचित हैं। इसलिए न खाद्यान्न पहुंच पा रहा है, न मेडिकल एड पहुंच पा रही है, न पेयजल पहुंच पा रहा है। इन 256 गांवों की, जिनकी कनैक्टिविटी खत्म हो चुकी है, वहां जल्दी से जल्दी सड़क मार्ग बनवाकर के उनके साथ कनैक्टिविटी जोड़िए ताकि उनको खाद्यान्न और पेयजल दिया जा सके।

इसके साथ मैं कुछ दीर्घकालिक उपायों की बात कर रही थी। गृह मंत्री जी पन्ने मत पलटिए, मेरी बात सुन लीजिए।

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): मैं सुन रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिए। इसको बंद कर दीजिए, मेरी बात सुनिए।

मैं इसलिए कह रही हूं ताकि दोबारा आपदा न आए। दीर्घकालिक उपाय इसलिए हैं कि ऐसी आपदा दोबारा न आए और उसके लिए हम को क्या करना चाहिए? एक तो पूरे उत्तराखण्ड की जीआईएस मैपिंग करवाइए। जीआईएस मैपिंग से आपको यह पता चल जाएगा कि कहां सड़क है, कहां हेलीपैड है, कहां होस्पीटल है, कहां स्कूल है और यह जीआईएस मैपिंग की सीडी बनवा लीजिए, जो हर अधिकारी के पास होनी चाहिए ताकि कल को खुदा-न-ख्वास्ता अगर दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उनको ढूंढेर न मचानी पड़े। क्योंकि जो अधिकारी वहां आए थे, जो उस समय भी लगे थे, वह कोई उत्तराखण्डी नहीं थे। ज्यादातर लोग दक्षिण महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए लोग थे। उन लोगों को पता भी नहीं था क्योंकि वह तीन-तीन महीने पहले ही वहां लगे थे। उन्हें जगह के बारे में भी मालूम नहीं था। अगर उनके पास जीआईएस मैपिंग की सीडी होगी तो केवल उसी से वह यह अंदाज लगा लेंगे कि कहां स्कूल है, कहां सड़क है, कहां हेलीपैड है। इसलिए आप जीआईएस मैपिंग करवाइए। दूसरा, जब यात्रा शुरू हो तो हर यात्री का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए। उसको एक माइक्रो चिप दीजिए ताकि उसकी लोकेशन का पता लग सके। अगर आपको ढूंढ़ना हो तो माइक्रो चिप से यह पता लग जाए कि उसकी लोकेशन क्या है। तीसरा, आप वहां के सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनवा दीजिए। पता नहीं आपदा कहां आती है, कहां से जाना पड़ता है? यह लोग उसी समय हेलीपैड बनाते हैं। यह जो कच्चा हेलीपैड बना था, उससे ही पहला हेलीकॉप्टर गिरा था। यह जो क्रैश हुआ, जिसमें बीस लोग मरे, उससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर गिरा था, क्योंकि हेलीपैड कच्चा था। इसलिए सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनावा दीजिए। चौथा, हर जिला अधिकारी के पास सैटेलाइट फोन होना चाहिए। आपने लिखा है कि सैटेलाइट फोन्स दिए। कब दिए? आपदा के बाद आपने सिंगापुर और हांगकांग से मंगवाए। मैं यही आप से कह रही हूं कि यात्रा की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। क्या सैटेलाइट फोन्स इस तरह की यात्रा में उत्तराखण्ड में नहीं होनी चाहिए थीं? आप ने ऑर्डर दिया,

मंगवाए और मंगवाने के बाद दिए। सैटेलाइट फोन्स वहां उपलब्ध रहने चाहिए। आप वहां सैटेलाइट फोन दीजिए।

वहां ऑल-वेदर रोड्स बनाइए। वहां से चीन की सीमा 25 किमी0 पर लगती है। वहां ऑल-वेदर रोड्स हैं। अब यह कोई ऐसी तकनीक तो है नहीं कि चीन को मिल सकती है और हमें नहीं मिल सकती है। आखिरकार, इतनी बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया। उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी नॉन-कनेक्टिविटी। हम वहां जा नहीं पा रहे थे, हम केवल एयर-ड्रॉपिंग कर पा रहे थे। वह भी क्योंकि मौसम खराब था तो हेलिकॉप्टर जा नहीं पा रहा था। ऑल-वेदर रोड्स अगर चीन ने बनायी है तो आप वह तकनीक जापान से लीजिए, चीन से लीजिए। लेकिन वह टेक्नॉलोजी ले कर ऑल-वेदर रोड्स बनाइए। अगर ऑल-वेदर रोड्स बने होंगे, सब गांवों में हेलिपैड्स होंगे, जिलाधिकारियों के पास सैटेलाइट फोन्स होंगे, उनके पास जी.आई.एस. मैपिंग होगी और यात्रियों के पास माइक्रो चिप होगी तो यदि कभी भी इस तरह की चीज़ सामने आ जाए तो उसका हम कहीं ज्यादा दुरूस्तगी के साथ सामना कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने दीर्घगामी उपाय आप को कहा है, ये सारे उपाय आप नोट कर लीजिए और ये उपाय करिए।

मैं आप से फिर कह रही हूं कि आप की सरकार ने न तो यात्रा की पूर्व-तैयारी की, न यात्रियों को एलर्ट किया, न यात्रा के दौरान संवेदनशीलता दिखायी। क्या आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने कहा था कि हम दो-दो हजार रुपये हर यात्री को देंगे? राजस्थान की एक महिला का इंटरव्यू मैंने देखा। उस ने कहा कि अधिकारी यहां बैठे हैं। वे दो हजार रुपये की जगह दो सौ रुपये या पांच सौ रुपये दे कर हम लोगों से दो हजार रुपये के ऊपर साईन करवा रहे हैं। यह मैंने जो कहा वह राज्य सरकार की अकर्मण्यता और लुटेरों की संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा थी, वह इन्हीं चीज़ों के कारण कहा था। अगर शवों की उंगलियां काट कर अंगूठियां निकाली जाएंगी, अगर मृतक देहों से गहने उतारे जाएंगे, शवों को अधजला छोड़ा जाएगा तो जिन पराकाष्ठाओं की बात मैंने की है, उन पराकाष्ठाओं को अपने तथ्यों से पुष्ट करने का भी मैंने काम किया है और सुझाव देने का काम भी किया है।

महोदय, मैं चाहूंगी कि अगर इस चर्चा को आप ने सार्थक बनाना है तो इन तमाम चीज़ों को दर्ज़ करिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। मैंने कहा है कि गंगा जी के ऊपर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए। मैं धारी देवी के सामने प्रार्थना करते हुए कहती हूं कि मैया, ऐसी आपदा कभी उत्तराखण्ड में क्या पूरे देश में कहीं किसी को न झेलनी पड़े। यह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और धारी देवी को पुनर्स्थापित कर दें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आप ने उत्तराखण्ड की आपदा के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरा देश रो रहा है, गढ़वाल रो रहा है, कुमायूं रो रहा है, उत्तराखण्ड रो रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को कुछ पौराणिक काल की बातें याद दिलाना चाहता हूं। पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है कि परमात्मा ने मनु महाराज से कहा कि मैं धरती को जलमग्न कर दूंगा। विश्वात्मा प्रभु ने मत्स्य रूप धारण किया और मछली बना कर ऋषियों का उद्धार किया और पृथ्वी जलमग्न हो गयी। इसी प्रकार से नोहा के बारे में आता है कि याहुआ ने नोहा से कहा कि मैं पृथ्वी को पानी से ढंक दूंगा, तुम एक नौका बनाओ और उसमें जीव-जन्तु के एक-एक जोड़े को रखो। इसी प्रकार से, हज़रत नूह को भी अल्ला तालाह ने फरमाया और कहा कि मैं धरती को पानी से ढंक दूंगा। यह पानी पृथ्वी को ढक देता है। आखिर यह किस चीज़ का परिणाम है? अगर इसको हम साइंटिफिकैली देखें, this is nothing but Global Warming. यह जो प्रकृति के अन्दर गर्मी पैदा हो रही है, इससे हमारे हिम शिखर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पहाड़ों के अन्दर जो हमारे गोमुख हैं, जहां से हमारी नदियां प्रारंभ होती हैं, वहां बाढ़ आ रही है। यह केवल मात्र ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है।

महोदय, मैं आपके सामने "दैनिक जागरण" में छपे एक लेख का उल्लेख करना चाहूंगा। यह दैनिक जागरण 2 अगस्त, 2004 का है। लक्ष्मी प्रसाद पंत देहरादून से लिखते हैं - आस्था के सर्वोच्च शिखर से केदारनाथ धाम पर कभी भी चौराबाड़ी ग्लेशियर बम की तरह फट कर कहर बरपा सकता है। मंदिर के ठीक पीछे स्थित छ: किलोमीटर लम्बे इस ग्लेशियर से हिमस्खलन लगातार सक्रिय हो रहे हैं, जब कि मौसम के गर्म होने से चौराबाड़ी के इर्द-गिर्द बर्फीली झील की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, चूंकि ये झीलें ग्लेशियर की पीठ के ऊपर सवार हैं, इसलिए अगर पानी का बोझा बढ़ा तो झीलें फट पड़ेंगी और मौका ताड़ कर यमनोत्री और बद्रीनाथ से भीषण तबाही केदारनाथ धाम में मचाने निकल पड़ेगी। चौराबाड़ी ग्लेशियर का सर्वेक्षण पूरा कर हाल ही में केदारनाथ से लौटे नामचीन हिम विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर अगर आप गौर करें तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे विशेषज्ञों ने 2004 में ही इस बात का उल्लेख कर दिया था। ये उल्लेख यह दर्शाता है कि अगर पानी बरसा, बारिश का जो पानी होता है, वह गर्म होता है और वह गर्म पानी अगर ग्लेशियर पर पड़ता है तो ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं और अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है। ये बात मैंने कही। अभी विपक्ष की नेता जी ने उल्लेख किया, धारी देवी का उल्लेख किया। धारी देवी कोई शिला नहीं है। धारी देवी एक मूर्ति है, जो कालीमठ से पानी में बहते-बहते वहां आई। किसी व्यक्ति को स्वप्न में भगवती ने कहा, मुझे यहां से निकालो, वह मूर्ति निकाली गई और वह शिला के ऊपर

रख दी गई। उस धारी देवी का कोई छत्त वाला मंदिर नहीं है, वह केवल आसमान के नीचे रहती है। वह पानी में बहते-बहते वहां पहुंची। जो उल्लेख किया गया कि धारी देवी को ऊपर उठा दिया गया, जिसके कारण यह बताया जाता है कि बाढ़ आई। मैं यह कहना चाहूंगा कि केदारनाथ के अंदर जो आपदा आई, वह 16 तारीख को छ: बजे सुबह आई। चौराबारी के ग्लेशियर फटे, वर्षा बहुत हो रही थी, वर्षा का पानी गर्म था। गर्म पानी जब ग्लेशियर पर गिरा तो बहुत तेजी से बर्फ पिघलने लगी। पानी की क्वांटिटी बढ़ गई, नदी चौगनी हो गई और चार गुना वोल्यूम से जब बहने लगी तो निश्चित रूप में 16 तारीख को छ: बजे सवेरे हल्की सी बाढ़ आई। भगवती धारी देवी का वहां से जो स्थानांतरण किया गया, वह 16 तारीख को शाम को साढ़े छ: बजे किया गया। दूसरी बात वह आती है, जिसमें हमारे काफी ग्लेशियर फटे, चौराबारी का ग्लेशियर फटा तथा अन्य भी फटे। वह 17 तारीख को आती है और 17 तारीख के अंदर उसने नरसंहार मचा दिया। हमारी नदियां इतनी बहने लगीं कि अगल-बगल में जो बीआरओ की सड़क थी, नेशनल हाईवेज़ थे, वे बह गए और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक तांडव हो गया। उत्तराखंड के पांच जिले आपदा से विकट रूप से प्रभावित हुए हैं। रूद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, कालीमठ, जाल चौमासी, बक्सीर बांगर, रासी, गोंडार तथा चमोली जिले में गोविन्दघाट, पांडुकेश्वर, थराली, घाट, नारायणबगड़, उर्गम, लोहाजंग, उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी, गंगोरी, भटवारी, हर्षिल और पिथौरागढ़ जिले में धारचूला, जौलजीबी, मदकोट, बालुवाकोट, तवाघाट और बागेश्वर जिले में कपकोट आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर गांव बड़े बुरी तरीके से प्रभावित हुए। पानी ऊपर से बहता रहा, लोगों को मकान छोड़ने पड़े। रामबाड़ा पूरे तरीके से बह गया। आज नक्शे में रामबाड़ा नाम की आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। गांव धंसने लगे। इस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में 17 सौ गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और चार हजार गांवों पर गंभीर रूप से आपदा का प्रभाव पड़ा है। आपदा में दूसरे राज्यों से लगभग 4481 लोग लापता हैं, उत्तराखंड राज्य के 800 लोग लापता हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 1898 भवन पूर्णत: क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें रूद्रप्रयाग जिले के 430 तथा चमोली जिले के 355 भवन सम्मिलित हैं। जब आपदा की सूचना लेकर हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोनिया जी का वैसे भी प्रेम चमोली से रहा है। जब-जब वहां भूकम्प आया, जब-जब चमोली में आपदा आयी, सोनिया गांधी वहां देखने के लिए पहुंचीं। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि जो भी मदद होगी, हम पूरी-पूरी उत्तराखण्ड की मदद करेंगे और नवनिर्माण के लिए पूरे तरीके से सहायता करेंगे।

महोदय, हम लोगों ने यह मांग की कि बॉर्डर रोड्स अपना काम चालू करे। जगह-जगह जो सड़क टूट गयी है, उसका रीएलाइनमेंट होना चाहिए। रीएलाइनमेंट से आप सड़क को ऊपर ले जायेंगे। बॉर्डर रोड्स केन्द्र सरकार के अधीन है, बल्कि उत्तराखण्ड के अन्दर जो पीडब्ल्यूडी है, वह भी अपनी सड़कों को और बाईलेन्स को, जो छोटी-छोटी सड़कें हैं, उनको चालू करे।

चमोली जिले के गोविन्दघाट में फंसे हुए दो हजार खच्चर निकाले गये। मैं यह बताना चाहूंगा कि खच्चरों को जब भोजन नहीं मिला, घास नहीं मिली तो खच्चर रेत खाने लगे। यहां तक कि खच्चर आदमियों पर झपटते थे, आदमियों को खाने को दौड़ते थे। उन खच्चरों को बड़ी मुश्किल के साथ निकाला गया। केदारनाथ क्षेत्र में फंसे हुए खच्चरों को निकाला गया और चारा भी उनको दिया गया। उर्गम, गोविन्दघाट, भ्यूंडार, पुलना, सुनाली, जेटी, नोली-हिण्डोली-बांतुली, जस्यारा, नौसारी, बड़सूली, पिंडर व लोहाणी घाट में बादल फटने से भी और भीषण आपदा आयी। उत्तराखण्ड आपदा में रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के 90 मोटर व पैदल पुल मार्ग बह गये, जिनमें 20 महत्वपूर्ण पुल थे। चौथानी, नालाई, मुलुण्ड, मलगांव, बागवान, भूरागाड़, हरमल, सकुलीगाड, चौप्पडियां, कालीमठ, चन्द्रपुरी, सिल्ली, मल्यासू तथा धारचूला में काली नदी का पुल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि इस राज्य में 1,956 सड़कें बंद हो गयीं, 968 पेय जल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गयीं, 135 पुल क्षतिग्रस्त हो गये। इसी प्रकार से बहुत जगह विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी और दूरसंचार सेवाएं ठप्प हो गयीं। मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने तत्काल एक हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, पर्यटन मंत्री जी को, जिन्होंने तत्काल 100 करोड़ की सहायता प्रदान की, विभिन्न मंत्रालयों एवं उनके अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों ने लगभग 840 करोड़ की सहायता प्रदान की। रेल मंत्रालय ने आपदा में फंसे हुए दूसरे राज्य के निवासियों को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाया तथा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री विभिन्न राज्यों से निःशुल्क पहुंचायी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले बीस हजार सोलर लाइटें बांटी, अब फिर वे बीस हजार लाइटें और बांटने को तैयार हैं, ताकि उत्तराखंड के जो घर हैं, उनके अंदर अंधेरा न रहे। डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा आपदा में ध्वस्त हुए मकानों के पुनर्निमाण के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा राजीव गांधी आवास योजना द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि वे मकानों का पुनर्निमाण करायेंगे। श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा नष्ट हुए आंगनबाड़ी भवनों का पुनर्निमाण का संकल्प लिया गया है। एयरफोर्स द्वारा सी-130 जे एयरक्राफ्ट, साथ ही 45 हैलीकाप्टर्स लगाकर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया, सेना द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, साथ ही साथ आईटीबीपी, एसएसबी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा स्थानीय युवकों ने लोगों को बचाने में बहुत-बहुत मदद की।

सांसदों ने अपना वेतन और एमपीलैड से हम लोगों को सहायता पहुंचायी। मैं उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देश की जनता, संस्थायें, कारपोरेट्स, संतों, सरकारी कर्मचारियों ने भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 6,600 करोड़ रूपए के पैकेज की स्वीकृति दी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतनी सहायता देने के बाद और जो सेना ने कमाल किया, हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने, आईटीबीपी, एसएसबी ने लोगों को बचाया, उनके लिए मैं सलाम करते हुए यह कहना चाहूंगा कि कमाल तुम हो, कमाल हम भी कर देंगे, वफा की कायम मिसाल कर देंगे, हम एहले मेला तुम्हें दोस्ती के तोहफे में, चमन के फूल नहीं दिल निकालकर रख देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं सिर्फ दुआ के सिवा, दुआ देकर ही हम तुम्हें मालामाल कर देंगे।

मैं सभी लोगों को जिन्होंने बहुत-बहुत मदद की है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि भारतीय वायु सेना ने 45 हैलीकाप्टर से 23,775 लोगों को बचाया। उन्होंने लगभग 3,470 सोर्टिज भरी, उड़ानें भरीं। भारतीय सेना ने आठ हजार कर्मियों, 150 बलों और 12 हेलीकॉप्टरों की तैनाती से 38,750 व्यक्तियों को बचाया। इस बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के नौ कर्मियों तथा आई.टी.बी.पी. के छः कर्मियों सहित वायुसेना के पांच कर्मियों की एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गयी, मैं उनको अपनी तरफ से तथा सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, परकोट और हरसिल में तत्काल संपर्क प्रणाली स्थापित करने के लिए सौ से अधिक सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गये। भारत सरकार ने अपेक्षित उपकरणों सहित 80 चिकित्सक, 11 मनोचिकित्सक तथा पांच लोक स्वास्थ टीमें भेजकर सहयोग दिया। विभिन्न जिलों के लिए एस.टी.आर.एफ. सी.एम. रिलीफ फंड तथा टी.आर.-24 से जिलाधिकारियों को कुल 28 करोड़ 99 लाख 17 हजार की राशि दी गयी। जिसके सापेक्ष 18 करोड़ 80 लाख 22 हजार की राशि व्यय की गयी। राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 1,998 भवन क्षतिग्रस्त हैं। जिनमें रुद्रप्रयाग जिले के 430 तथा चमौली जिले के 355 भवन सम्मिलित हैं। प्रदेश के लगभग 375 परिवार धर्मशालाओं में तथा 780 परिवार 2000 रु. महीना के किराये पर रह रहे हैं। आपदाग्रस्त गांवों की संख्या करीब एक हजार है। जिसमें अब भी हमें 344 गांवों में खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से और पैदल मार्ग तथा खच्चरों के मार्ग से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय एक समस्या पैदा हो गयी है। जो लोग लापता हैं, उनको परज्यूम्ड डेड माना जाए। आर्मी के अंदर जब लाश नहीं मिलती है, तो यह माना जाता है, एक टेक्निकल वर्ड है, परज्यूम्ड डेड। तो उनको परज्यूम्ड डेड मानकर आर्थिक सहायता दी जाए और सहायता देने के बाद

उनके बच्चों को कमपैसनेट ग्राउंड पर नौकरी मिल सके। उनके पेंशन फंड्स, उनकी तनख्वाह उनको पूरी तरह से मिल सके, तो यह परज्यूम्ड डेड बहुत ही जरूरी है।

मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनामी की तर्ज़ पर, क्योंकि सुनामी में भी लाशें नहीं मिली थीं, तो सुनामी की तर्ज़ पर वे निश्चित रूप से इसे देखेंगे और जो लोग इस समय लापता हैं, उन्हें परज्यूम्ड डेड मान लिया जाएगा। बी.आर.ओ. और पी.डब्ल्यू.डी. तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण कराए और जो कर्मचारी तथा अधिकारी आपदा में दिन-रात काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाए, जिससे उनका मनोबल बढ़े। हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर सेवा की है उनकी पीठ निश्चित रूप से ठोकी जानी चाहिए। तो जिन कर्मचारियों ने रात और दिन पब्लिक को फेस किया, जनता की बहुत सी बातों को फेस किया, उनको निश्चित रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। जगह-जगह ट्रॉलिज लगनी चाहिए, ताकि एक पहाड़ की तरफ कोई महिला प्रेगनैंट है और प्रसव देने जा रही है तो उसको ट्राली के जरिए दूसरी जगह पहुंचाया जाए। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि इस आपदा की सही-सही फोरकास्टिंग कर सकें तो हमें उत्तराखंड के अंदर डॉप्लर राडार लगाने होंगे। इसका मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था और नैनीताल के अंदर डॉप्लर राडार लग गए हैं, परन्तु हमारे गढ़वाल क्षेत्र की तरफ डॉप्लर राडार्स नहीं लगे हैं। इससे हम लोग यह पता लगा लेंगे कि कहा पर बादल फट रहा है और कहां ज्यादा बारिश हो रही है और कहां पर खतरा पैदा हो गया है। उत्तराखंड के अंदर डॉप्लर राडार का लगना बहुत जरूरी है। विस्थापन पुनर्वास के लिए जमीन जो है, लैंड मार्क होना चाहिए और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिपोर्ट आनी चाहिए कि यहां पर जो पुनर्निमाण होगा, वह सुरक्षित होगा, अब यह जमीन नहीं धसेंगी, इस प्रकार का एन.ओ.सी. प्राप्त होना चाहिए। बहुत-से लोगों ने संकल्प लिया है, बहुत से साधु-संतों और कारपोरेट्स ने कहा है कि हम आपके मकान बनाना चाहते हैं। हम उत्तराखंड के अंदर निर्माण करना चाहते हैं। उत्तराखंड हमारा वह प्रदेश है, जहां से गंगा बहती है, यह देवभूमि है, हम देवभूमि का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए जब उन्होंने संकल्प लिया है, उन के अंदर भावना नवनिर्माण करने की है, तो ऐसे समय में हमें जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे ऑफ इंडिया से रिपोर्ट ले कर सुरक्षित स्थानों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोगों को नीचे बसाएंगे तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है, वहां कौन सुरक्षा करेगा।

सभापति महोदय, मेरा यह भी मानना है कि पहाड़ में नीति और माणा बार्डर एरिया चीन से मिलता है। वहां पर लोग बसें, ताकि हमारे देश की सुरक्षा हो। इसीलिए शंकराचार्य जी ने चार धामों की स्थापना की थी। बद्रिका आश्रम धाम की स्थापना इसीलिए की थी कि भारत के मस्तक की रक्षा हो। आज जब हम केदारनाथ और बद्रीनाथ का नाम लेते हैं तो सारे देश की भावना जुड़ जाती है। देश को एक रखने के लिए

उन्होंने चार धामों को चार दिशाओं के अंदर स्थापित किया। इसीलिए हमारे आदि शंकराचार्य राष्ट्रवादी थे। आज उनके विचारों को लेते हुए हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार वहां प्री-फैब्रिकेटेड हाउसेज बना सकते हैं और पहाड़ के लोगों को पहाड़ में ही बसा सकते हैं, क्योंकि उनके देवी-देवता, उनका भूमिया जिसे हम भूमि देव कहते हैं, सब पहाड़ों में ही हैं। उनकी खेती पहाड़ों में ही है। इसलिए उन्हें पहाड़ों में बसाने का काम करना चाहिए।

यहां टूरिज्म की बात कही गई। हम टूरिज़्म में बहुत पिछड़ गए हैं। आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर बार-बार एक चित्र आता था कि शिवजी की मूर्ति बाढ़ के पानी में बह रही है। लोगों ने समझा कि ऋषिकेश और हरिद्वार पानी में डूब गया है। इस प्रकार बहुत नेगेटिव प्रचार हो गया। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और रामनगर सुरक्षित है। निश्चित रूप में मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा कि वे हमारे उत्तराखंड में आएं और देव भूमि का दर्शन करें। वहां हमें धामों का विस्तार करना होगा। आज चार धाम हैं - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। परन्तु वहां जो भगवती के अनेक स्थल हैं, हमें उन्हें भी डैवलप करना होगा। चंद्रवदनी को डैवलप करना होगा, ज्वाल्पा को डैवलप करना होगा। वहां कार्तिकेय स्वामी को डैवलप करना होगा। जो और धाम हैं, अगर उन्हें विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से यात्री उत्तराखंड की तरफ आएंगे। उत्तराखंड में ऐसे स्थान हैं जहां फुनिकुलर रेलवे लग सकता है। ग्रीस के अंदर फुनिकुलर रेलवे से लोग चलते हैं। हमारे उत्तराखंड में भी फुनिकुलर रेलवे लगना चाहिए, रोपवे लगने चाहिए।

मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि 11 सितम्बर को केदारनाथ, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहां पूजा प्रारंभ होने जा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है क्योंकि आप जानते हैं कि जब पांडव आए, पांडवों ने जब अपने स्वजनों की हत्या कर दी तो वे कृष्ण के पास गए। कृष्ण से कहा, महाराज हमारा कैसे उद्धार होगा। कृष्ण ने कहा, तुम जाओ, शंकर जी के दर्शन करो। शिव के दर्शन करोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। जब वे शिव के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे तो केदारनाथ में शंकर जी ने अपना सिर जमीन में डाल दिया। यह माना जाता है कि वह सिर नेपाल में निकला। वही शिव नेपाल में पशुपति नाथ के नाम से हैं, भारत में केदारनाथ के नाम से हैं। वही शिव हैं, एक आत्मा है पर दो देश हैं। इन दोनों देशों को जोड़ने वाली शिव की वह शक्ति है जिसका पूजन 11 तारीख को होगा। मैं इसके लिए भी लोगों को आमंत्रित करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में त्रासदी आई है।

अभी बहुत सी जल विद्युत योजनाओं के बारे में कहा गया कि हम जगह-जगह बांध बना रहे हैं। वैसे टेहरी बांध बनने के बाद पहाड़ों में अब बांध नहीं बन रहे हैं। केवल यह कि रन ऑफ दी रिवर से पानी ले जाकर आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। देश को ऊर्जा चाहिए। सेफ ऊर्जा जल विद्युत योजना है।

आपने देखा होगा कि जापान में फ्यूकोशिमा हुआ। चेरनोबल में न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ। यहां तक कि आज तक गायघर् काउंटर से देखा जाता है कि जो मक्खन आ रहा है, दूध आ रहा है, उसमें रेडियोएक्टिव प्रभाव तो नहीं है। आपने देखा होगा कि जापान से जो टोएटा कारें लाई गई हैं, उन्हें रीकॉल किया गया था क्योंकि समुद्र का रेडियोएक्टिव पानी उनके अंदर घुस गया था। इस प्रकार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो विकल्प है, वह हमारी जल विद्युत योजना है। गंगा मां बह रही है। गंगा मां का मतलब होता है कि मां जो सबका पोषण करे, पालन करे। अगर गंगा बिजली बना रही है और देश के नवनिर्माण, भारत निर्माण में अपना सहयोग दे रही है, तो हमें बड़े सुरक्षित रूप से वैज्ञानिकों की सलाह लेकर, पर्यावरणविदों की सलाह लेकर यह काम करना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए। इसके साथ-साथ सोलर एनर्जी का उत्तराखंड में प्रचार करना है। विंड एनर्जी का प्रचार करना है। हमारे पहाड़ों में बहुत हवा बहती है। उससे हम विंड टरबाइन लगाकर, पवन चक्कियां लगाकर बहुत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। हमारा यही एक विचार है, यही संकल्प है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाएं। इसीलिए हमने उसे ऊर्जा प्रदेश कहा था क्योंकि हमारे अंदर बहुत पोटैंशियल है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जल विद्युत योजनाएं केवल मात्र यह देखकर कि बहुत बड़ी आपदा आ गई, बंद न की जाएं, उन पर विचार-विमर्श हो। आप सब लोगों का उसमें सहयोग हो और विचार-विमर्श के बाद यह तय किया जाये कि अपने देश के निर्माण में कैसे उत्तराखंड का योगदान होगा। इन सब चीजों को सोचकर हमें निर्णय लेना होगा।

सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि --

जब एक कड़ी से बावस्ता एक और कड़ी हो जाती है,
तो रस्में-मोहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है।
हम तो क्या हैं दोस्त, एक इंसा हैं,
पत्थर भी अगर मिल जाते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है।

आइए, इस सदन से हम यह संकल्प लें कि उत्तराखंड का निर्माण करेंगे, अपनी देव-भूमि का निर्माण करेंगे। जैसे आपने अपना एमपीलैड देकर हमें सहयोग दिया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर, संकल्प लेकर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का निर्माण होगा और जो लोग आज आसमान के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं, उनको मकान मिलेंगे, छतें मिलेंगी और रोजगार मिलेगा। इन सबका संकल्प होना चाहिए। हम सबका योगदान होना चाहिए और इसी भावना से कि--

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः,
सर्वे भद्रानि पश्यन्ति मा कश्चिद् दुख भागभवेत।

MR. CHAIRMAN: Let us continue this discussion tomorrow.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I would request the hon. Minister to reply tomorrow to this discussion on Uttarakhand.

Now the RTI Bill may be taken up. … (*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। ...(व्यवधान) हम दस दिन तक उत्तराखंड में थे। ...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी: इस पर कल चर्चा होगी। ...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : ऐसा कैसे हो सकता है। ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Tomorrow I will be continued. आप सेंस ऑफ दी हाउस को देखिये। आप क्यों शोर कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : शोर नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी : आप इस पर कल चर्चा कर लीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, let the Minister speak first.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप क्या बोल रहे हैं? आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

18.58 hrs. (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

DR. M. THAMBIDURAI : It was decided that the issue of Uttarakhand would be taken up today and other Bills would be taken up tomorrow. … (*Interruptions*) Members have left on this assumption. You have not informed clearly at that time. Therefore, you see that discussion on Uttarakhand is taken up. … (*Interruptions*) This is the consensus arrived at that time. You cannot change it now. … (*Interruptions*)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। हम भी बोलना चाहते थे, लेकिन इस मामले में मैं तम्बिदुरई से कहूंगा कि ऊपर प्रैस गैलरी खाली है। यदि सदन में ही बोलना है, तो बोलिए। यदि कल बोलेंगे ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : We will take up Utharakhand tomorrow. There is no problem, we will continue tomorrow.

… (*Interruptions*)

18.59 hrs

RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL, 2013

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up the Right to Information (Amendment) Bill, 2013. Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to move:

> "That the Bill to amend the Right to Information Act, 2005 be taken into consideration."

The Right to Information Act, 2005 was enacted for setting out a framework for effectuating the right to information for citizens and to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. … (*Interruptions*)

The Central Information Commission in one of its decision dated 03.06.2013 has held that the political parties namely AICC/INC, BJP, CPI (M), CPI, NCP and BSP are public authorities under section 2(h) of the said Act. The Government considers that the CIC has made a liberal interpretation of section 2(h) of the said Act in its decision. The political parties are neither established nor constituted by or under the Constitution or by any other law made by Parliament. Rather, they are registered or recognized under the Representation of the People Act, 1951 and the rules/orders made or issued thereunder.

18.59½ hrs

At this stage, Shri C. Sivasami and Shri M. Anandan came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

19.00 hrs.

It has also been observed that there are already provisions in the Representation of the People Act, 1951 as well as in the Income Tax Act, 1961 which deals with the transparency in the financial aspects of political parties and their candidates. … (*Interruptions*)

19.0 ½ hrs

At this stage, Sk. Saidul Haque and Shrimati Susmita Bauri came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please go to your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, declaring a political party as public authority under the RTI Act would hamper its smooth internal working, which is not the objective of the said Act and was not envisaged by Parliament under the RTI Act. … (*Interruptions*) Further, the political rivals may misuse the provisions of the RTI Act, thereby adversely affecting the functioning of the political parties. … (*Interruptions*)

In view of the above, the Government has decided to amend the RTI Act to keep the political parties out of the purview of the RTI Act, with a view to remove the adverse effects of the said decision of the CIC. … (*Interruptions*) It is also necessary to give retrospective effect to the proposed amendment with effect from the date of the said decision of the CIC, that is, 3rd June, 2013. … (*Interruptions*)

With these words, I commend the Bill for consideration of the House and passing.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to amend the Right to Information Act, 2005 be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : This is a very important Bill. We can continue the discussion on Uttarakhand tragedy tomorrow. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Mr. Chairman, Sir, many hon. Members are demanding that we should continue with the discussion on Uttarakhand tragedy. It is a very big tragedy which happened there. The House is supreme and we should continue with that discussion now. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Okay. If you are all insisting, we can continue with that discussion now.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : ठीक है, सबकी यही भावना है, तो उत्तराखण्ड पर चर्चा करा देते हैं।

19.02 hrs

At this stage, Shri C. Sivasami and Shri M. Anandan went back to their seats.

19.02 ½ hrs

At this stage, Sk. Saidul Haque and Shrimati Susmita Bauri went back to their seats

---

19.03 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Government of India's response and measures taken for relilef and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand ....Contd.

MR. CHAIRMAN : Now we shall take up the discussion under rule 193 regarding the natural disaster in Uttarakhand.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Mr. Chairman, Sir, it was decided that we will take up the RTI Amendment Bill and pass it today. If we do not complete it today, we will have to extend the Session.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उत्तराखण्ड पर चर्चा कम्पलीट करा दीजिए, जवाब कल दे दीजिए। ...(व्यवधान)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: We will have to sit late tomorrow.

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस पर हम कल चर्चा कर लेंगे। ...(व्यवधान) आज उत्तराखण्ड पर खुलकर चर्चा होने दीजिए। इस पर सब लोग बोलना चाहते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी है, इस पर चर्चा होने दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Shailendra Kumar.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 193 के अधीन चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। अभी मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी सुना और इधर से मंत्री जी के अलावा आपके विचार भी सुने। लेकिन उत्तराखण्ड पर जो बहस हो रही थी, यह बहस बहुत पहले होनी चाहिए थी। जब सत्र की शुरुआत हुई थी, उस समय यदि प्राथमिकता के आधार पर इसे लिया जाता, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। लेकिन देर से आए, पर दुरुस्त आए। जून के महीने में इतनी जबरदस्त बारिश हुई, जैसा कि अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 440 प्रतिशत ज्यादा वर्षा वहां पर हुई। वहां बादल फटने के अलावा जमीन हिली, भूकम्प आया, ग्लेशियर भी खिसके। ये प्राकृतिक आपदा के मुख्य कारण बने थे। आज हम यहां पर राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए चर्चा कर रहे हैं। जहां तक देखा गया है, अभी प्रतिपक्ष की नेता बहस कर रही थीं कि भारत सरकार ने किस प्रकार के उपाय किये और क्या कार्रवाई की।

रक्षामंत्री जी का भी जो वक्तव्य आया था, वह भी बहुत सही नहीं था। आपने अभी अपने वक्तव्य में सबको धन्यवाद दिया, लेकिन आज भी जब हम टेलीविजन देखते हैं, जिस समय हम लोग प्राकृतिक आपदा

से जूझ रहे थे, उसे टेलीविजन पर देख रहे थे, उस वक्त भी मैंने देखा कि समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर उत्तराखण्ड सरकार के विज्ञापन आ रहे थे। आप जानते हैं कि एक-एक विज्ञापन पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, तो जो पैसा लोग सांसद निधि से दे रहे थे, लोगों ने अपना वेतन दिया, बहुत से लोगों ने मदद की, उस पैसे का दुरूपयोग न हो, इसका ख्याल हमें रखना होगा। दूसरी बात, केन्द्र की जो आपदा प्रबंधन समितियां थीं, वे भी एक तरीके से सफेद हाथी साबित हुईं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जिले और राज्य के बंटवारे के बिल्कुल विरोधी रहे हैं और छोटे राज्य हमेशा दिक्कत, परेशानी और मुसीबतों का सामना करते देखे गए हैं। आज अगर उत्तराखण्ड बना, तो इस त्रासदी का मुख्य कारण यह था कि अपने पैर पर उत्तराखण्ड खड़ा नहीं हो सका था और इस प्रकार की दैवी आपदा आई है। आपदा में जो कंट्रोल रूम खोले गए थे, वहां पर भी सही जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही थी। यह गड़बड़ी थी। पूरे गांव के गांव तबाह हुए, आपने अपने वक्तव्य में कहा है। जहां तक वहां पहुंच पाने की बात है, अभी तक राहत कार्य के लिए लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और न ही राहत सामग्री पहुंची है। उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी कि लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एक हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिए थे, लेकिन 13 हजार करोड़ रुपये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी धनराशि है, इसलिए उसका सही मूल्यांकन करके उत्तराखण्ड का पुनर्निर्माण हो और उसमें केन्द्र सरकार को मदद करनी चाहिए। जहां तक भारतीय वायु सेना और एयरक्राफ्ट्स की बात है, हमारे पायलट भी वहां मरे, एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ, थल सेना के हमारे जवानों ने बहुत मदद की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सड़क संगठन, सशस्त्र सीमा बल, चिकित्सक सेवाओं एवं अन्य विभागों ने बहुत बेहतरी से वहां पर राहत पहुंचाई है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। आज भी वहां की सरकार की ओर से 13 हजार 800 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने केवल एक हजार करोड़ रुपये दिए हैं, जो नाममात्र है।

महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ है, लेकिन उसके माध्यम से जो राहत पहुंचनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं पहुंच पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, हलफनामा मांगा है कि वहां पर आपदा राहत के रूप में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है। जहां तक लोगों के मरने की बात है, कितने लोग मरे हैं, आज भी एक संशय सा बना हुआ है। आज भी हम सही फिगर्स नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग लापता हैं। संशय यह बना है कि लापता लोगों को हम मृत घोषित करें या न करें या फिर वे लोग वापस आएंगे। यह आस लगाए हम इस तरह से ख्याली पुलाव नहीं बना सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग मरे हैं, हमें एग्जैक्ट संख्या बतानी होगी। जून से लेकर सितम्बर महीना आ गया, अब तक अगर किसी को वापस आना होता, तो वह व्यक्ति अपने घर वापस आ जाता,

लेकिन अभी तक लापता और मरने वालों की संख्या ज्ञात नहीं है। ग्यारह हजार लोगों के मरने की बात संयुक्त राष्ट्र संघ ने कही है, तो इसे भी हमें देखना होगा कि वह इनफार्मेशन सही है या नहीं। जहां तक मंत्री समूह की बात है, एंटनी साहब, पवार जी, चिदम्बरम जी और शिंदे साहब की टीम बनाई गयी है, मंत्रिमंडल के बड़े विद्वान सदस्यगण हैं, मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छी राहत का समन्वय होगा और राहत पहुंचाई जाएगी। आज भी वहां पर 245 सड़कें बंद हैं, 1500 करोड़ रुपये उन सड़कों की मरम्मत के लिए मांगे गए हैं, मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसको प्राथमिकता पर दे, ताकि राहत पहुंचाई जा सके। 752 गांव आज भी अलग-थलग पड़े हैं, जहां पर राहत सामग्री और राहत कार्य नहीं पहुंच पाए हैं। किस राज्य से कितने लोग लापता हैं, मैं विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उनमें उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपये की राहत सामग्री और राहत के नाम पर नगद धनराशि के रूप में पहुंचाए हैं और तमाम ऐसे अन्य लोगों ने राहत पहुंचाई है, जिससे तमाम लोगों को इमदाद मिल सके।

जैसा आपने बताया कि आपदा क्षेत्रों में 31 मार्च, 2014 तक बिजली-पानी के बिल नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वहां पर क्या मुहैया करा पाए हैं, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जहां तक बात है, बहुत पुराना मंदिर है और वहां सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। मैं चाहूंगा कि चाहे आईटीबीपी या इंडियन फोर्स या थल सेना के जो जवान शहीद हुए हैं राहत कार्य करते हुए, उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाए और उनके परिवार वालों को मदद दी जाए। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो लोग वहां मर गए हैं या लापता हैं, उनके परिवार आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पर मेरा कहना है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के जो दो लोग वहां मारे गए हैं, उनके आश्रितों को 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस तरह की घोषणा आपको भी करनी चाहिए, जिससे उनके परिवार वालों का जीवन स्तर उठ सके।

सभापति जी, मैं एक सुझाव और देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जो पर्वतीय राज्य हैं, वहां के लिए केन्द्रीकृत नीति बनाई जाए। वहां पर ग्रीन बोनस लागू किया जाए और पहाड़ों के दोहन पर रोक लगाई जाए। जो अतिसंवेदनशील पहाड़ हैं, उन्हें इको सेंसेटिव जोन घोषित करके विकास का कार्य जो भी करना हो, बहुत सोच-समझकर किया जाए। यह भी देखा गया है कि पूरे उत्तराखण्ड में 13,000 लघु उद्योग या व्यावसायिक इकाइयां बर्बाद हो गई हैं। उनकी मदद करने की आवश्यकता है। इस आपदा के बाद जो गरीब हो गए हैं, जीवन गुरबत में गुजार रहे हैं, उसके कारण लड़कियों और बच्चों को अवैध व्यापार में झोंकने का काम किया जा रहा है। इसके लिए कई तत्व वहां पर सक्रिय हैं। सुनने में यह भी आया था कि

जो लोग वहां मर गए थे, उनके कान, हाथ और गला आदि काट कर पहने हुए जेवरों को लूट लिया गया। इसे भी प्रदेश सरकार को देखना चाहिए।

इस आपदा के कारण वहां के खेतों को काफी नुकसान हुआ है और वे मलबे में दब गए हैं। उस जमीन को पुनः खेती लायक बनाने के लिए किसान भूमि सेना गठित की जाए या लोगों को अनुदान दिया जाए। उत्तराखण्ड में 45 बांध हैं। जो अवैध बांध हैं, जिनका निर्माण व्यापक रूप से हुआ है, तो नदियों को बांधने के कारण ही वहां इस प्रकार की दैवी आपदा आई है, क्योंकि इससे वहां की नदियों की धारा बदल जाती है। इसलिए पहाड़ों के साथ खिलवाड़ करने के कारण ही इस तरह की आपदा आई है। मैं चाहूंगा कि तमाम तीर्थ यात्रियों में उत्तराखण्ड का जो डर बना हुआ है, उसे दूर करने हेतु थोड़ी-बहुत यात्रा शुरू कराई जाए। इससे प्रदेश सरकार को भी राजस्व के रूप में कुछ मदद मिलेगी, जिससे राज्य सरकार अपने पैर पर खड़ी हो सकेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य अपनी भाषण लिखित में देना चाहते हैं, वे सभा पटल पर अपना भाषण रख सकते हैं।

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): सभापति जी, आपने मुझे अपने व अपनी बहुजन समाज पार्टी का विचार इस चर्चा में रखने हेतु मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखण्ड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण वहां रहने वाले ज्यादातर लोग बर्बाद, तबाह और उजड़ गए हैं। उनके पास सिर ढंकने के लिए न तो कोई अपना घर है और न ही रोजी-रोटी का कोई साधन बचे हैं। इस तरह से उत्तराखण्ड में बहुत बुरा हाल है। इस दैवी आपदा से उत्तराखण्ड में भारी बेरोजगारी बढ़ी है। यहां से आवागमन के समस्त साधन रोड, पुल इत्यादि सब टूट गए हैं। उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से आर्थिक स्रोत का साधन यहां के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल थे। लेकिन अब वहां का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से यह अपेक्षा रखता हूं कि उत्तराखण्ड में भारी तबाही से बर्बाद हुए उद्योगों, सड़कों, तीर्थ स्थानों व यहां के रहने वाले स्थानीय निवासियों के मकानों का पुनर्निर्माण उत्तराखण्ड में नए रूप में त्वरित गति से कराकर वहां के लोगों को बसाने में मदद करे।

इस क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सुझाव में कहा है कि न केवल उत्तराखण्ड, बल्कि देश में दूसरे जो पर्वतीय बाहुल्य राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहां केन्द्र सरकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है। उन राज्यों के लिए केन्द्र सरकार को केन्द्रीय स्तर पर कुछ ठोस नियम और सख्त नीति बनानी चाहिए। ऐसे राज्यों में पहाड़ों के अंधाधुंध दोहन से रोकने के लिए ग्रीन बोनस और पहाड़ी इलाकों को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की तरफ आवश्यक कदम उठाना चाहिए। केन्द्र सरकार से मैं अपील करता हूं कि सरकार को उत्तराखंड त्रासदी से प्रभावित परिवार के लोगों को फिर से बसाने के लिए, उनकी रोजी-रोटी के स्थायी प्रबंध आदि के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार को पूरी-पूरी हर संभव मदद करनी चाहिए।

उत्तराखंड त्रासदी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये जाने से घटी है। इस प्रकार जहां तक संभव हो सके पर्यावरण का और अधिक क्षरण न हो, इसके लिए भी ठोस व कारगर कदम उठाने की जरूरत है। इतना ही नहीं प्रायः देखने को मिलता है कि इन पहाड़ी इलाकों में बादलों के फटने से भी भारी धन और जन का नुकसान होता है, अर्थात इन हिल एरियाज में कभी भूस्खलन तो कभी बादल फटना और कभी इनसे भी बड़ी त्रासदी झेलने वाले यहां के लोग अपने आपको इसका आदी बना चुके हैं। उत्तराखंड में आयी इस कुदरती त्रासदी से लगभग 13 हजार से अधिक उद्योगों पर भी भारी तबाही आयी है। इन उद्योगों को पुनः पुनर्जीवित करने के लिए बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में सड़कों के किनारे आमतौर पर विकास हुआ है और सड़कें गंगा नदी व उसके अनुसंगीय नदियों के समानांतर बनायी गयी हैं। इस भीषण तबाही में नदी के किनारे बसे समस्त

व्यवसायिक भवन, आवासीय भवन व सड़कें, बिजली के खम्भे, पारेषण लाइनें पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे छोटे-छोटे कारोबार, बिजली इकाइयां, होटल इत्यादि सभी बंद व बर्बाद हो चुके हैं। इन सब चीजों को बसाने के लिए उत्तराखंड को अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है। अब तक केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दिया गया धन एक हजार करोड़ रुपये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं केन्द्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि पुनर्वास हेतु उचित धन देकर उत्तराखंड वासियों को पुनः देश की मुख्य विकास की धारा से जोड़ने का काम करें।

MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to lay their written speeches on the subject can do so.

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में जिस तरह जल-प्रलय की विनाश लीला देखने को मिली उससे पूरा देश अचंभित एवं स्तब्ध रह गया । प्रकृति का यह रौद्र रूप चेतावनी देने के साथ-साथ हमें अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराने वाला है कि अगर चेता नहीं गया तो आगे भी देश को ऐसी ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है । उत्तराखंड की इस विभीषिका के साथ-साथ हाल के वर्षों में सामने आई अन्य अनेक प्राकृतिक आपदाएं यह संकेत दे रही है कि खतरा लगातार गंभीर होता जा रहा है ।

आज प्रकृति की भीषण तबाही से त्रस्त उत्तराखंड वासियों के साथ भावनात्मक रूप से पूरा देश साथ खड़ा हे पर इसके साथ एक सवाल हमारे सामने है कि क्या शासन प्रशासन द्वारा उन गंभीर गलतियों को दूर करने के ठोस प्रयास किए जाएंगे जिनकी वजह से यह अभूतपूर्व तबाही हुई है । बांधों से हो रहे पर्यावरण विनाश को लेकर पर्यावरणविद बरसों से चेता रहे हैं लेकिन हमारी सरकारें बांधों को विकास का प्रतीक बताने का ढ़िढ़ोरा पीटते हुए उनकी नसीहतों को अनसुना करती रही है । देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तमाम तरह की बातें कही जाती हैं लेकिन धरातल पर शायद ही कुछ ठोस किया जाता है ।

आज यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि अति संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में जवाबदेह और त्वरित आपदा प्रबंधन के लिए कैसे उपाए होने चाहिए । पहाड़ों के अंधा धुंध दोहन को करोकने , विकास की सुसंगठित नीति बनाने और पहाड़ों की सुरक्षा के लिए जो रणनीतिक प्रबंध होने चाहिए वह हुए ही नहीं । यदि नदियों के किनारे निर्माण प्रतिबंधित होता तो इस प्राकृतिक आपदा के बावजूद जन-धन की इतनी हानि नहीं होती । इस अनियोजित विकास के साथ ही जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी पहाड़ की दुर्दशा के अहम कारणों में से एक है ।

उत्तराखंड में राहत गतिविधियों की स्थिति देखकर अंदाजा लग रहा है कि भारत आपदाओं से निपटने में अब भी कितना अक्षम है । यह भी सही है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अमेरिका जैसा साधन संपन्न देश भी मजबूर हो जाता है लेकिन अपने देश में यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपदा से निपटने की तैयारी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता । आज हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में एक के बाद एक सरकारों से यह सवाल पूछना एकदम जायज है क्या उन्होंने ऐसी मंजूरियां दी जिससे यह इलाका बाढ़ और भूस्खलन के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हो गया ।

* Speech was laid on the Table.

आज इस प्राकृतिक आपदा ने हिमालय क्षेत्र के विकास पर नए सिरे से सोचने का दबाव दिया है । आज पहाड़ों में पर्वतवासियों के जीवित रहने के लिए हिमायल की हिफाजत जरूरी है ।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** उत्तराखण्ड त्रासदी पर 193 के तहत चर्चा में निम्नांकित बिन्दु ले करना चाहता हूं :-

(1) एमपीलैड के तहत जो राशि प्राप्त हुई है उसके लिए उत्तराखण्ड सरकार को एक पृथक से प्रोजेक्ट मंजूर करना चाहिए जिससे सांसदों का भी सहायता से एक पुनर्वास प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके । ऐसा एक अभिनव प्रोजेक्ट हो ।

(2) जो त्रासदी में मृत घोषित हुए हैं या लापता हैं उनके लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मृतक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए क्योंकि 'डेथ सर्टिफिकेट' के बिना समुचित सहायता या समुचित राहत नहीं मिल पाती है ।

(3) जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या कंपनी है उसकी सीएसआर की राशि उत्तराखण्ड त्रासदी के पुनर्वास में लगनी चाहिए । ऐसा Mandatory Provision किया जाना चाहिए ।

(4) जिन राज्यों से उत्तराखण्ड सरकार को नगद राशि प्राप्त हुई है या जिन-जिन राजनीतिक दलों से राशि प्राप्त हुई है उनके नाम में प्रोजेक्ट पूरा हो तथा समयबद्ध सीमा में हो ।

(5) विज्ञान एवं तकनीक का सहयोग लेकर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था विकसित की जाए ।

(6) बीआरओ को समुचित राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि ग्रामीण सड़कों की भी Connectivity पूरी की जा सके ।

---

* Speech was laid on the Table

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, उत्तराखंड की त्रासदी बहुत विकट हो गयी है और माननीया सुषमा जी व और सदस्यों ने काफी विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। लगता है दुनिया ही खतरे में है और सबसे ज्यादा खतरे में अपना देश है। हिमालय का क्षेत्र जो है उससे देश की अधिकांश नदियां निकलती हैं और उन नदियों का आज क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं है। हम संकटों को बुलाते चले जा रहे हैं और आज जो स्थिति है यह खाली देवी-देवताओं से नहीं रुकेगी। आपने बहुत से देवी-देवताओं के नाम लिये और लोग तो हजारों सालों से इनके नाम लेते आ रहे हैं, लेकिन उनके नाम से आपदाएं नहीं रुकेंगी, यह आपदाएं साइंटिफिक टैम्पर से रुकेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में या तो बिजली के प्लांट हैं या टूरिज्म हैं या फिर नदियां हैं। उत्तराखंड की त्रासदी को देखकर उसका कोई हल हिमालय को बचाने के लिए निकाला जाना चाहिए। हालात यह है कि जिस समय यह त्रासदी हुई, देश हड़बड़ा गया और अपनी स्थिति के अनुसार हम लोगों ने वहां फौज की मदद से इंतजाम किया। दुनिया भर में आजकल फौज इस काम में आगे आ रही है। फौज के जो लोग शहीद हुए हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उन्हें ठीक मुआवजा मिलना चाहिए। मैं पूरे देश में घूमता हूं और मैं स्वयं जानता हूं कि अभी तक कोई हिसाब-किताब, जो सरकार की तरफ से घोषित हुआ वह तो राज्य सरकार ने दे दिया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई विशेष सहायता जो पहुंचनी चाहिए, वह नहीं पहुंची है। उस काम में जरूर विलम्ब किया जाता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे इलाके में कोसी में त्रासदी आई थी और उसे संभालने में कुछ समय लगा क्योंकि हिंदुस्तान के पास ऐसे इंतजाम नहीं हैं और त्रासदी के समय तो अमरीका भी सिर झुका देता है। जिस सभ्यता को सबसे ऊंचा मानते हैं, उसी सभ्यता ने यह सारा काम शुरू किया है। हम उनकी नकल कर रहे हैं। प्रकृति के साथ मेल का हमें जो सबक मिला था, वह महात्मा जी ने दिया था। इस देश की कोई खूबी थी, तो वह थी कि हम प्रकृति के साथ दोस्ती रखते थे। प्रकृति के साथ दोस्ती से यह देश सदियों से ज्यों का त्यों खड़ा है। आज हमने इतनी छेड़खानी कर दी है, चारों तरफ देश की नदियों से रेत निकाल रहे हैं, चारों तरफ नदियों को एक जगह नहीं, दस जगह, बीस जगह उसके गले को बांध रहे हैं। नरौदा के बाद गंगा में हिमालय का एक बूंद पानी नहीं आता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ रुपए की सहायता से वहां के लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। वहां आदमी वैसे ही बहुत दिक्कतों में रहता है। ऊंचे पहाड़ों में रहता है और वहीं खेती करता है। वहां बहुत मश्किलों से लोगों का जीवन चलता है। उनके जीवन में जो थोड़ा-बहुत सुख था, वह भी छिन गया है। अब उस छिने हुए सुख की सरकार को जल्दी से जल्दी भरपाई करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिमालय के साथ इस देश का पूरा आने वाला भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हिमालय नीति बननी चाहिए। दुनिया के दूसरे देश बच जाएंगे, लेकिन अगर

हिमालय नहीं बचा, तो यह देश नहीं बचेगा। यह देश दो तिहाई चला जाएगा। सारी नदियां हिमालय से निकल रही हैं। ग्लेशियर पिघल गए, गंगा ही पीछे हटती जा रही है लेकिन हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है। हां, हम लोग हाय-तौबा जरूर मचा रहे हैं। अब यह जो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, इस पर हाय-तौबा जरूर मचा रहे हैं। एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह त्रासदी हमने खुद बुलाई है। दुनिया के जो इंसान हैं, जानवरों ने, पक्षियों ने प्रकृति को नहीं बिगाड़ा, प्रकृति तो इंसानी कौम ने बिगाड़ी है। बेला-ठेला, यानी जो भी हो सकता है, किसी तरह से भी हम नदी के साथ छेड़खानी करने को तैयार हैं, हम मानते ही नहीं हैं। हम पूजा करते हैं लेकिन उस पूजा के अनुसार हमारा व्यवहार ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिमालय नीति बननी चाहिए। हिमालय की नीति बनने से देश की सुरक्षा से लेकर इस देश की आने वाली परिस्थिति ठीक हो सकती है। हिमालय बचाना है तो नदियां बचाओ। हिमालय बचाना है तो हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी वाला, ऐसा सदियों में कभी हिमालय में तबाही नहीं हुई। हजारों-हजार बरस से हिमालय खड़ा है। लोग सुकून के लिए वहां जाते थे, लेकिन वहां अब व्यापार के लिए जा रहे हैं। पहाड़ को खोद रहे हैं, अलग कर रहे हैं मिट्टी को। हम सड़क बना रहे हैं तो उसका कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। बांध बना रहे हैं तो उसका कोई साइंटीफिक तरीका नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक मिनिस्ट्री बननी चाहिए, हिमालय नीति बननी चाहिए और हिमालय पर एक मिनिस्ट्री बननी चाहिए और मिनिस्ट्री का काम है हिमालय को पहले बचाओ। यदि हिमालय को नहीं बचाओगे तो यह देश नहीं बचेगा, किसी कीमत पर नहीं बचेगा। उत्तराखण्ड ही नहीं, उत्तराखण्ड की तबाही आने वाले इतिहास को एक तरह से दिखाता है कि आने वाला इतिहास में अंधेरा है, डूबने वाला है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हिमालय की नीति बनाओ और हिमालय की नीति बना कर के इस देश को बचाने का काम करो। बिजली आ जाएगी लेकिन यह पानी कभी नहीं आएगा। पानी चला गया तो जीवन चला गया। जल ही जीवन है और यदि जल ही हमने नाश कर दिया तो फिर धरती बचती नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं लंबे तौर पर नहीं बोलना चाहता हूं, मैंने आज तैयारी भी नहीं की थी, अचानक मुझे बुला लिया गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

MR. CHAIRMAN : Members, who want to lay their speeches, can do so.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the disaster that took place in Uttarakhand in the month of June. You are a representative of those areas and your speech was anguished today and I felt that the pain of the people is reflected. Maharani of Tehri Garhwal is also here. She represents those people, particularly Chamoli, Uttarkashi and Pithoragarh. All these districts are affected. The main two *dhams*, Kedarnath and Badrinath were severely affected.

Today we have three things to do. It is almost three months or two-and-a-half months since the disaster took place. One should really ponder over the causes of the disaster because it was a wake up call. Geologists and everybody knows that Himalayas are a seismically and ecologically sensitive zone and it is based on tectonic plates, which rest on one another. So, earthquakes and landslides can take place at any time.

But what have we done? Experts say that massive deforestation, violation of all construction norms in hydro power projects, of which there are 336 operational hydro power projects in Uttarakhand, and complete absence of disaster management plans led to the massive scale of destruction in the Himalayas. Also, there is human greed where we lived on the course of the rivers where in a State of one crore people, there are 2.5 crore pilgrims. This total thing needs to be looked into and there should be controlled access of people to places of pilgrimage and tourism. Like for Mansarovar, every year the Government regulates the number of pilgrims. There should be also some control on the entry of pilgrims. All of them go with pious wishes but they cannot violate the ecological norms.

The scale of devastation is massive. In a reply to a Parliament Question given on 6th August, it has been stated that the number of human lives lost is 540; number of missing persons is 5474; number of houses damaged 4726; and number of persons rescued to safer places 108000.

Now, the main thing is that two institutions were found lacking. One was the Uttarakhand Government which did not have a disaster management

programme in place. The second organization which failed was the NDMA, National Disaster Management Authority, headed by the Prime Minister. It was found that it had no immediate response to the whole problem. Had it not been for our Armed Forces and Para-Military Forces, the disaster would have been total, and I give my salute to the members of the Armed Forces who risked their lives. You know that in an helicopter accident, so many IAF personnel were killed. I pay my tribute to them. The best performance was by the IAF which deployed 45 helicopters and rescued 23775 persons. They are the best. The NDRF, National Disaster Response Force, rescued 9500 people.

ITBP, Indo-Tibetan Border Police, which patrols the Indo-China Border in Maharani's constituency, rescued 33,000 persons. The Indian Army deployed 8000 personnel and 12 Army helicopters. They evacuated about 12,000 persons. Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi formed five rescue teams, one of which was headed by Bachendri Pal, the Everester, and they rescued 6,500 persons. If it was not for these specialised organizations, the disaster would have been more massive.

Sir, the other point I want to make is that the Prime Minister, after his aerial survey, sanctioned Rs.1,000 crores for the relief and rehabilitation work. The kith of each dead person was given an amount of Rs.5 lakh. It seems that they have accepted the recommendation that those missing persons, who are registered missing, their families will also get Rs.5 lakh, which is a good thing.

Now a massive reconstruction exercise should be started. But, it does not mean that immediately you allow all the hotels and big houses which were built on the site of Alaknanda and Mandakini, should be allowed. Very carefully, the Uttarakhand Government should now control new construction and a proper attention should be paid on it. I think, Sir, the at national level, a conference should be called with top geologists in the world, who should discuss as to what the way should be to maintain the sensitive zone of Uttarakhand. It is absolutely necessary. It is a national disaster. These are the holiest places for Hindus.

Therefore, it is necessary to preserve them as well as the nature and the lives and security of the Uttarakhand people.

Sir, I shall conclude by saying that you asked the hon. Members of Parliament to contribute money from their MPLAD funds for this cause. I can humbly state that I contributed Rs.20 lakh from my MPLAD fund for Uttarakhand reconstruction and Rs.1 lakh to the Prime Minister Relief Fund from my own income. But, only 223 MPs have come forward. Through you, Sir, I appeal to all MPs – there are 800 MPs and odd – that they should contribute at least Rs.10 lakh for relief and rehabilitation work. An amount of Rs.50 lakh by each MP from his MPLAD fund is allowed. They should at least contribute Rs.10 lakhs for this purpose. Only 223 MPs have come forward for this, which I find very little. We should all unite to rehabilitate the Uttarakhand people. And, I hope, Sir, before long under your stewardship, Uttarakhand finds back its normal life. Their cattle – you were mentioning even mules – died because they could not get food. All these people who have lost cattle, who have lost mules, should be rehabilitated and normal life should start again in Uttarakhand. We should learn from the mistakes of the past. Our human greed should not destroy the Himalayas rather a considerate approach towards rebuilding of the Himalayas should be started.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Respected Mr. Chairperson, I am very much thankful to you for giving me an opportunity to speak on the Discussion under Rule 193, regarding Government of India's response and measures taken for relief and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand.

Sir, it is really a shocking incident that had happened in the holy land. My heart beat increases while I recapitulate the pictures and sceneries that we have seen in various media. While speaking on this issue related to the devastating natural calamity of Uttarakhand, think of those who have experienced this disaster personally there in Uttarakhand.

Hats off to the Army personnel, paramilitary forces, Indian Air force and other allied agencies, who have made it possible and saved thousands of helpless people and their valuable lives, while thousands of children, men and women, elderly people have gone to the pilgrimage of Badrinath, Uttarkashi, Gangotri, Yamunotri and other places.

During the relief and rescue operation, due to the bad weather and heavy rainfall, there was a tragic incident of a helicopter crash in which one Army Officer from Tamil Nadu lost his life. I honour the memory of these people.

Our hon. Prime Minister visited Uttarakhand to take stock of the situation on 19th June. He announced assistance of Rs.1,000 crore to the State. That is not enough; more funds need to be allocated by the Central Government.

I would like to add one point that after every big disaster happens we debate it for a while. But, this is very alarming and a wake up call for all of us. I would like to recall the disaster caused by tsunami in 2004 when thousands of innocent lives were lost. We are being hit by one after another disaster in various parts of our country.

On this occasion I would like to emphasize on the disaster caused by sea erosion. In my constituency 47 villages are in sea-shore area. All over India, thousands of villages are in sea-shore areas. Due to sea erosion, sea water enters

into villages causing massive loss to the lives of people including destruction of houses, land, crops, animals and other valuables. Due to disasters like sea-erosion, a number of people belonging to the fishermen and other communities die or their families are severely affected. I would like to draw the attention of the Government that no relief and rehabilitation operations are carried out by the Government after these disasters strike. I urge upon the Government that sea-erosion must be declared as a natural calamity and it should figure in the list of natural calamities. The fishermen go deep into the sea and in case any disaster occurs, they lose their lives. To deal with such cases, adequate welfare measures and schemes should be launched by the Government.

The fishermen families do not even get the death certificate when they go to deep sea for fishing and lose their lives. Death certificates should be issued to them within a period of six months to one year. Now it takes seven years for the Government to give the death certificate after the death of a fisherman.

In Tamil Nadu, whirlwind is causing damage to cash crops like banana. When banana plants are destructed due to whirlwind, its cultivators suffer a huge monetary loss. Since whirlwind does not come under natural calamities, the Central Government is not allocating funds to the State Government. Therefore, I would like to urge that whirlwind damage should come under the head of natural calamities.

I would like to say that cutting across party-line, we must together rise to the occasion setting aside our differences and affirm our commitment to the welfare and wellbeing of the people of Uttarakhand and also those who are affected by the natural disasters.

प्रो. सौगत राय : सर, केदारनाथ और बद्रीनाथ आपकी कॉन्सिट्यूएंसी मे हैं?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी हाँ। यमुनोत्री गंगोत्री इनका है।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, please permit me to speak from here.

MR. CHAIRMAN: Okay, you are permitted.

SK. SAIDUL HAQUE : We all know about the tremendous devastation, death and destruction that happened in Uttarakhand, due to cloudburst, landslide and also flash floods. We know that Kedarnath, Gaurikund, Badrinath, Rudra Prayag were severely devastated.

I congratulate the Indian Army, Indian Air Force, ITBP and Border Road Organisation for doing tremendous work. But I wonder, what is alarming is that the State Government is callous to face this situation. I am saying this only because of the slow pace of rescue operations. When the Chief Minister was heckled by a group of women, only then he admitted that the State was not prepared to face this kind of a tragedy.

Not just that; the irony of the situation is that 48 hours before the disaster happened on June 15th, on June 13th the Regional Meteorological Centre in Delhi forecast heavy rains across Uttarkhand. But the State Government paid no attention to it. There was a warning from the Meteorological Department, but the Uttarakhand Government issued a warning only on 16th, that is, after two days and took the help of the Indian Army on 18th. So, two days passed in-between that also. Had it been done earlier, so much of devastation could have been avoided.

Not only the present Congress Government, but I also accuse the previous BJP Government. It is because the previous BJP Government and the present Congress Government ignored the National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem which was launched in 2008. Here, I would also refer to the 2008 report of the C&AG. That report categorically told about the rampant destruction of the Garhwal Himalayas and cautioned that it would bring about a great environmental impact.

I would tell what happened during the tenure of the BJP Government and the present Congress Government. They allowed to have 242 hydro-electric projects out of which 42 are already in operation while 200 are in the pipeline which would be built on the Bhagirathi and Alakananda Rivers. What is more interesting is that 70 hydel projects are proposed on the two main tributaries of the

Ganga-Alakananda and the Mandakini and two 20 kilometre long tunnels are being built to divert the flow of these rivers for hydel projects, and constant blasting of riverbanks has affected the local ecology. That is not all. The green cover in the hills that checks and absorbs the flow of water has been eroded in the name of hydel energy. So, by what they did in the name of development, they invited death and destruction. So many geoscientists and environmentalists had talked about this kind of a thing, but both the Governments paid no attention to check it so as to maintain the ecological balance.

In fact, landslides are a regular feature in Uttarakhand. I am quoting from ISRO. After the Malpa (Pithoragarh) tragedy in 1999, ISRO told that landslides are a regular feature in Uttarakhand. In 1970, there was a landslide in Alakananda Valley. In 1978, Kanodiya landslide took place. In 2003, Varunavat Parvat landslide happened. In 2009, Munisiyari landslide took place. In 2010, large scale landslide took place in the State. In 2012, landslide in Uttarkashi and flash flood in Ukhimath took place.

All these events of the history tell us that this zone is vulnerable to such calamities, but there has not been done any local planning or local effort to control them. A number of hotels and residential and commercial buildings have been built without proper planning. The number of cars, jeeps and taxis increased more than six times. The total population of Uttarakhand is about one crore while the number of tourists and pilgrims visiting the State is almost 2.5 crore each year. This unchecked construction of buildings and increase in the number of tourists led to damage of ecological system in the area of the Bhagirathi River and the Alakananda River.

The Central Government cannot shirk its duty. I say this because the Central Government had assured the Supreme Court that it would not allow construction of any dam within 135 kilometres of the Ganga. In spite of that, 70 dams had been built within a distance of 150 kilometres of the Alakananda and the Mandakini. So, the Central Government also cannot shirk its duty. It is need of the

time that there should be development and there should electricity, but it should not be at the cost of death and destruction.

Now, I come to relief and rehabilitation. The Prime Minister has already announced a relief of Rs. 1,000 crore. All the CPI (M) Members of Parliament, from this House as well as the Upper House, have given Rs. 50 lakh each from the MPLADS. We are ready to donate more for the relief and rehabilitation work, but the question is what the Ministry of Home Affairs is doing. The Home Ministry is the nodal Ministry for providing financial assistance. They have constituted the National Disaster Management Authority. They have also established the National Disaster Response Fund, Distress Response Fund and National Disaster Mitigation Fund, but what is the Central Government doing in the case of both the NDRF and the SDRF? The Central Government should provide 70 per cent for NDRF. It should provide 90 per cent in the case of special States. But the Central Government is not doing its action.

My last point is about the National Disaster Management Authority whose *ex officio* Chairman is the Prime Minister himself, but there is lack of performance on the part of the NDMA. The Uttarakhand tragedy has exposed its defunct status. It needs to be addressed because C&AG presented its Report on Disaster Preparedness in India in April, 2013. What is the C&AG's observation? It says,

> "1. No national plan for disaster management was formulated till date;
> 2. None of the major projects undertaken by NDMA have been completed;
> 3. National Disaster Mitigation Fund not yet established;
> 4. Communication system for disaster management not developed;
> 5. Effective national disaster response force has been hampered for shortage of trained manpower and training facilities."

That is why I am calling the attention of the House, through you, Sir, to the fact that both the National Disaster Management Act, 2005 and the National Policy on

Disaster Management, 2009 have not been properly implemented. This House, in the past, has discussed the issue of pollution of the Ganga River twice. The Standing Committee on Water Resources has also discussed this issue, but it has not yielded any results.

That is why I urge upon the Government to take appropriate action so that such kinds of incidents do not happen in the future.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for this opportunity. I stand here today to participate in the discussion on the Statement made by the hon. Minister of Defence regarding Government of India's response and measures taken for relief and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand raised by Shrimati Sushma Swaraj on 30th August, 2013.

At the outset, I would say that one does not need an Usain Bolt to predict that India's response time is poor. The disease spreads across the board and in almost every sphere. Little wonder then that when disaster strikes, all we manage to do is indulge in blame game.

Had we been a little bit proactive, a number of lives could have been saved, along with it property worth crores. But neither the National Disaster Management Authority nor the Uttarakhand Government chose to act when the country's premier scientific body, ISRO, sounded the alarm bells. An alarm was sounded out by ISRO's MOSDAC (Meteorological and Oceanographic Satellite Data Archival Centre), a facility set up to promote the exchange of satellite data, on the day the disaster struck.

Unfortunately, both the NDMA and the State Government authorities chose to sleep over the highly important alert. This MOSDAC alert was sounded a good 16 hours before the monsoon came down with all its fury, but it failed to get the authorities into action mode. MOSDAC showed clearly that eleven places were feared to be affected by severe rain and cloud burst and listed Barkot, Kirtinagar, Muni-ki-Reti, Pauri, Raiwala, Rishikesh, Rudraprayag, Srinagar, Tehri and Uttarakashi. NASA had also predicted 25 days before through a satellite picture that the Chorabari Glacier's soft ice is melting very fast, but Indian scientists could not gauge the devastation that it may cause.

When warnings are there stating heavy to very heavy rains coupled with landslides at places, is it not enough to suggest that there is going to be crisis of this magnitude? It is beyond debate, the debate that the mountainous terrain is inherently risky and because of its proximity to Himalayas is extremely prone to

sudden changes in weather. Between 15th and 18th June, Uttarakhand saw an unusual 261 centimeters of rain, when the State normally gets only 16 centimeters of rain through the whole month of June. What is surprising in this entire episode is that there is lack of preparedness to deal with a disaster of this magnitude.

The Indian Armed Forces played a heroic role in rescue and evacuation, but several official agencies were found to be lacking in their job. What has become apparent is that the civilian administration has been less than responsive. National Disaster Management Authority needs to be revamped. Their inadequacies have been exposed in almost every emergency they have tackled, Uttarakhand being the most glaring example. We need professionals with experience in different fields.

The interface between NDMA and the civil administration also needs to be better structured and better tuned. In our country, the level of preparedness for disaster management is extremely uneven and requires considerable strengthening. Since the civil administration remains ill-equipped for undertaking quick response to major disasters, the armed forces have been the primary option to handle major disasters. The involvement of the armed forces in disaster response and relief operation is important in civil-military relations. Efforts should be made for using the expertise of the armed forces to bolster the capacity of the civil authorities including the disaster response forces. It should achieve self-reliance and thus, reduce the dependence on the armed forces. The Department of Disaster Management should not be the changed name of Department of Relief and Rehabilitation, Home Guards and Emergency Fire Services with *ad-hoc* personnel. It should work like a crack-team.

Sir, we are informed that a Task Force set up to review functioning of the NDMA has submitted its Report to the hon. Home Minister recommending changes to the Disaster Management Act, 2005 which governs NDMA. What have they suggested? They have said that it is necessary to slim down the body and there is an urgent need to integrate it with other Government agencies to ensure smooth coordination and accountability. The C&AG has very recently

come down very heavily in the functioning of NDMA and the report says and I quote:

> "The performance of NDMA in terms of project implementation had been abysmal. So far, no major project taken up by NDMA has been completed. It was noticed that NDMA selected projects without proper ground work and as a result, either the projects were abandoned mid-way or were incomplete after a considerable period".

Lastly, Sir, I would say that there are two practical steps the State of Uttarakhand Government need to take to prevent occurrences in future. One, it needs to create a pilgrim and tourist management system and two, it ought to devote more attention and money to regulating tourism infrastructure to service tourists, hotels, shops, parking lots, and mini-malls which have come up, not just on road side but even on river beds, crumbling slopes and forest areas. There is a need to have a regulatory body to oversee land use. The Uttarakhand population is 1.08 crore and as per the Ministry of Tourism, tourist arrivals are 2.5 crore. This is a recipe for disaster. Builder's greed has led to nature's fury. Rampant construction has brought this disaster. One of our eminent engineers Shri Bishnu Prasad Das who is known throughout the country has written an article very recently on 31st August, 2013 in *The Hindu* that the devastating landslides that have occurred were caused by the undercutting of the fragile hill-slopes for highways rather than by dams which actually helped to mitigate the floods. I read that small portion though it is a big article.

> "On the contrary, the Tehri reservoir on the Bhagirathi held back the incoming devastating flood which attained a peak of 7000 cubic meter per second and since the release was restricted to a mere 400 cubic meter per second causing the reservoir to rise by 25 meters a day, the flood damage below the Tehri dam was minimal. Without the Tehri dam, the combined flood of the Alkananda and the Bhagirathi would have exceeded 35,000 cubic metre at Rishikesh possibly wiping out the prosperous urban river stretch at Rishikesh, Haridwar and Saharanpur."

This needs to be stressed upon. There is an idea that is being quoted that dams are actually the culprits. But what this engineer has stated here is that it has

protected these three major urban areas besides the banks of River Ganga. The path ahead should be to learn lessons by an informed debate. The immediate need is to enforce flood plain zoning below Rudraprayag on the Alkananda and Maneri Bhali on the Bhagirathi and disallow permanent structures in flood prone zones.

Finally, I would say that three 'R's should always be kept in mind -- first, is Rescue followed by Relief which should be followed by Reconstruction and Rehabilitation. The National Disaster Response Force should work in tandem with the State Disaster Response Force. With these words, I conclude.

* **SHRIMATI PRATIBHA SINGH (MANDI) :** I would like to express my views on the matter of urgent public importance concerning my state, particularly my Parliamentary constituency.

The state of Himachal Pradesh has suffered unprecedented loss on account of untimely and heavy monsoon rains this year. The districts of Kinnaur and Sirmaur, which are adjoining to the state of Uttrakhand, were severely affected during the fury unleashed by rain, cloudbursts and even heavy snowfall from 15th to 17th June, 2013. Besides these districts, whole of the State was also affected by the unprecedented rains in particular district Mandi, Kullukangra and Shimla. As per the data of the Indian Meteorology Department, during the monsoon, compare to the other years, the rainfall was 576% to 1358% above normal, has been recorded for these three days.

Timely intervention by the State administrative machinery ensured minimal loss of life, and effective relief and rescue operations were carried out. Still the loss to private and public property has been immense. People in the affected areas have lost their houses, agricultural lands, standing agriculture and horticulture crops, including full-grown orchards thus shattering the rural economy and livelihoods. About 10,000 houses have been either fully or partially damaged in the State; and even the partially damaged ones are not habitable. More than 64 persons have lost their lives during this natural calamity. Public infrastructure especially roads, water supply, irrigation schemes, electricity infrastructure, community assets etc. have been badly damaged requiring years of investment to restore it back to normal.

The state has submitted a detailed memorandum seeking central assistance to the extent of Rs.1972.08 crore for relief and rehabilitation under the National Disaster Response Fund. This memorandum was given to the Government of India in the first week of July. The central team too has visited the state and assessed the situation, but assistance from NDRF is still awaited. The attention of

* Speech was laid on the Table.

this august House is drawn towards this issue of extreme importance in Himachal Pradesh and to deliberate on the steps being taken or planned by the Government of India to ensure rehabilitation of the affected people of the State and restoration of damaged public infrastructure.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदय, आपने उत्तराखण्ड के इस विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रथम, जिन लोगों की वहां मृत्यु हुई, जिनकी जानें गयीं, जो जवान शहीद हुए, उन सभी को मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं। आपको शायद याद होगा कि आप ही के माध्यम से इस आपदा के पन्द्रह दिन पहले मैं अपने परिवारजनों के साथ वहां गया था। घटना होने के बाद जिस दिन मैंने उसे टीवी पर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यही वह जगह है जहां पन्द्रह दिनों पहले मैं गया था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं कितने हजार लोगों की वहां मृत्यु हुई, लेकिन जो भी हुआ, बुरा हुआ। यह कहते हैं कि इंसान धरती पर आता है और उसे यहां से जाना भी पड़ता है। लेकिन वह इस तरीके से जाएगा, शायद किसी ने यह सोचा नहीं होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ के जो अध्यक्ष हैं, वहां के जो विधायक हैं गणेश जी, उनके साथ मैं वहां चला गया था। वहां दर्शन होने के बाद और हमारे पूरे परिवार के वहां से आने के बाद जिस तरह यह आपदा हुई, जिस तरीके से वह क्षत-विक्षत हुई है, उसे देख कर यह लगता नहीं कि यह वही जगह है। जैसे आप ने अपने वक्तव्य में कहा कि उसे बहुत ही तादाद में ताकत देने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि वहां इंसानों के साथ जानवर भी मृत हुए और उनका पता नहीं है। मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो शायद तीस हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की वहां आर्थिक मदद की जरूरत है। मेरे ख्याल से महाराजा जी के इलाके में गंगोत्री-यमुनोत्री है और आपके इलाके में केदारनाथ, बद्रीनाथ है। ये दोनों जगह हमारे हिन्दू धर्म के हिसाब से, हिन्दुस्तान के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती है कि ये जो स्थान हैं, जिन्हें हम उत्तर भारत के चार धाम कहते हैं, इसे आगे के सैंकड़ों-हजारों साल तक आबादी के रहने के लिए इसका मास्टर प्लान बनाएं। आपने जैसा कहा कि सही मायने में आगे आने वाली स्थिति को ध्यान में रख कर, हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ के मंदिर का जब निर्माण हुआ होगा तो शायद ऐसा सोच कर ही बनाया गया होगा क्योंकि अगर आप उसकी दीवारों को देखिए तो बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानों के आने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उसको हटाने में शायद दस-पन्द्रह साल भी लगेंगे। मैंने खुद देखा कि कुछ नदियों का रूप भी बदल गया है। मैं समझता हूं कि इस चीज़ को देखने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक मास्टर प्लान बनाएं। जैसे यह कहा गया कि वहां जो हेलिकॉप्टर जाता है, उसके लिए वहां कच्चे हेलिपैड बने हैं। वे पर्याप्त नहीं हैं। पहले यह कहा जाता था कि चार धाम यात्रा करने में दस-पन्द्रह दिन लगते थे। मैंने डेढ़ दिन में चार धाम यात्रा की। उस से हजारों की

संख्या में लोग वहां आ रहे हैं। मेरी विनती होगी कि सरकार को इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने लोग वहां किस दिन आने वाले हैं, कितने लोग वहां से केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वहां से यमुनोत्री जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे। इसकी वज़ह से हमें आज पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग वहां आए, कितने लोग वहां थे और कितने लोग मृत हुए? आज उनका कोई अता-पता नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक ठोस कदम हमारे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से होना चाहिए।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आप ने बहुत मदद की है। जिन-जिन लोगों ने मदद की है, मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वहां जो गांव हैं, हम ने देखा कि वहां 25 घर, 40 घरों को मिला कर छोटी-छोटी बस्तियां हैं, आप को उन्हें एक जगह पर ला कर एक हजार, डेढ़ हजार, दो हजार घर करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी आपदा भविष्य में हो जाए तो उससे बचने के लिए सरकार को इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी आपदा के लिए वहां बड़े गोदाम बनाने की आवश्यकता है ताकि आने वाले भविष्य में लोग वहां भुखमरी से न मरें। इसी तरह से जैसा आप ने कहा कि फन्नीकुलर लगाया जाए तो यह लगाना जरूरी है। अगर हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा यात्री आ सकेंगे क्योंकि हम रहें न रहें, जब तक ये धरती रहेगी तब तक वे धाम रहने वाले हैं।

20.00 hrs.

मैं समझता हूं कि आगे के सौ साल, दो दौ साल, पांच सौ साल इस तरीके से फन्नीकुलर की जरूरत है, जिससे ज्यादा यात्री भी आ सकते हैं और वे दर्शन भी कर सकते हैं। वहां पर बहुत सी जगहों से श्रद्धालु आते हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि वहां मंदाकिनी नदी से सबसे ज्यादा खतरा है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, उसका प्लान अच्छी तरह से करना पड़ेगा। मैं वहां आने वाले भविष्य की बात रखते हुए केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि आप पैसे जरूर भेजेंगे, लेकिन प्लान बनाने के लिए ज्यादा संख्या में वहां उसकी प्लानिंग करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दर्ख्वास्त करूंगा कि इन सब चीजों को रखने के लिए पांच साल, दस साल लगें, इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, ये न देखते हुए, यह हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान है, इसको देख कर आप उसके ऊपर गौर करेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Hon'ble Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak in the discussion on natural disasters in Uttarakhand under Rule 193. The State of Uttarakhand has so many tourist centres. Large number of tourists from all over the country and abroad visit Uttarakhand every year. The Union and Uttarakhand State governments are responsible for planning and providing basic infrastructure facilities including lodging, transport, road and medical facilities to the visiting tourists and pilgrims. Uttarakhand witnessed a natural disaster of such a huge magnitude and destruction was so unprecedented due to unplanned activities and shortcomings in providing basic infrastructure and amenities in the State. Thousands lost their lives. Large number of people lost their belongings. Losses incurred in the State of Uttarakhand due to natural calamity amounted to several thousands of crores of rupees. While overcoming such a natural calamity the State concerned and the Union government have together failed to undertake relief measures efficiently. It is a matter of concern. Tourists were stranded for so many days in many places of Uttarakhand without proper food, clothing, medical facilities and even without any hope of returning to their respective native places. I also wish to state that Union government had not instantaneously undertaken the relief and rescue measures in the State of Uttarakhand. As soon the information regarding stranded tourists belonging to Tamil Nadu was received, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma had sent a team headed by the Tamil Nadu State Revenue Secretary immediately to the disaster-affected Uttarakhand. This team stayed in Uttarakhand for 15 days. Pilgrims from Tamil Nadu, who were stranded in Uttarakhand, were airlifted and sent to Delhi. These pilgrims were then made to stay in a camp set up with helpline facilities in Tamil Nadu House, New Delhi. The government of Tamil Nadu had provided food, accommodation and air travel

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

to Tamil Nadu free of cost to all such pilgrims. Not only pilgrims from Tamil Nadu but also the pilgrims of other States were also helped by the government officials of Tamil Nadu ensuring their safe return to their respective native places. I also recall that an helicopter pilot named Mr. Praveen sacrificed his valuable life while engaging in rescue work in Uttarakhand. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththlaivi* Amma is a towering personality who remains a frontrunner among leaders of the world. She has displayed swift action and efficiency at a time when natural calamity of such a huge magnitude struck. When disastrous *Tsunami* struck Tamil Nadu, there was huge devastation in the State and Hon. Chief Minister Dr. *Puratchiththalaivi* Amma undertook several relief measures in a laudable way which were appreciated by world nations. Former US President Mr. Bill Clinton had felicitated Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma in this regard. The government of Sri Lanka had also invited a team of government officials from Tamil Nadu to visit their country to impart training on successful implementation of relief work. Union government should have taken relief and rescue measures in the State of Uttarakhand soon after such a devastating disaster. At the time of such a natural disaster that had taken place outside Tamil Nadu, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Dr. Puratchiththalaivi* Amma with utmost generosity had donated Rs. 5 Crore as immediate financial aid to the State of Uttarakhand. Union government should work in such a way to mitigate the destruction caused by natural disasters. In Tamil Nadu when farmers were affected due to drought like condition and their crops were damaged, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma announced a financial assistance of Rs.15,000/- per acre to each of the drought-affected farmers. Union government has not still provided crop insurance amount to Tamil Nadu. I urge that the Union government should take necessary action to release the crop insurance assistance that is due to the State of Tamil Nadu.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय, आपने जो मुझे उत्तराखण्ड के बारे में बात करने का मौका दिया है, उसके बारे में हम आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब उत्तराखण्ड का डिजास्टर हुआ था, इस ऑपरेशन में 9 दिन हम उन सब लोगों के साथ थे। इसलिए हमको कम से कम 9 मिनट इसके ऊपर बात करने का मौका दीजिए।

महोदय, जब इस तरह का डिजास्टर हुआ, काफी एक्सपर्ट्स और टेक्निकल लोगों की तरफ से कई तरह की बात सामने आयी हैं। उसमें बहुत लोगों ने तो इसे मैन मेड डिजास्टर कहा है। बहुत लोगों ने इसे फ्लड ऑफ दी पॉलिसी फेल्योर कहा है, मगर जो भी हुआ है, वह हुआ है। इस तरह से जब डिजास्टर होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीएमए की होती है, मगर वह भी पूरा फेल्योर हो गया। एनडीएमए के चेयरमैन हम लोगों के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए, उत्तराखण्ड दिल्ली के बगल में होते हुए जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसमें यह गवर्नमेंट टोटली फेल हुयी है।

चेयरमैन साहब, आपकी बात का ईच एंड एवरी वर्ड हमने सुना। एक तो आपने उत्तराखंड के बारे में कहा, दूसरा आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम आपके साथ एग्री नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी और प्राइम मिनिस्टर वहां गए। प्राइम मिनिस्टर केवल एरिया का सर्वे करके आए। आज के दिन आप बोलेंगे कि वहां एक मिनिस्टर की कमेटी बना दी है, अभी वह यह सब देख रही है। ये मिनिस्टर उस टाइम में उत्तराखंड में जाकर देहरादून में क्यों नहीं बैठे हैं? आज के दिन देश में यह सबसे बड़ा डिजास्टर है। लाखों लोग इसमें प्रभावित हैं। पार्लियामेंट के अंदर इसी सैशन में जो क्वैश्चन दिया था, उसका आंसर देखा तो पता चला कि सोलह सौ गांव प्रभावित हुए हैं। उसी तरह से आज भी 5,474 लोग मिसिंग हैं। आज भी उनको लोकेट नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों हुआ? प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हजार करोड़ रूपए एनाउंस किया तो सब लोग सोच रहे थे कि एक हजार करोड़ रूपए मिल गए। स्टेट गवर्नमेंट ने जो 13 हजार करोड़ रूपए की डिमांड की है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट तीन परसेंट भी नहीं दे पायी। 13 हजार करोड़ रूपए की जो डिमांड है, वहां 13 हजार करोड़ रूपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन वहां मात्र 395 करोड़ रूपए अभी तक रिलीज किए गए। एक दफा 250 करोड़ रुपए दिया और दूसरी दफा 145 करोड़ रुपए दिए। ये पार्लियामेंट में प्रश्न का उत्तर लिख कर दे रहे हैं कि जो भी स्टेट के लिए चाहिए हम लोग पूरी मदद करेंगे, फाइनैंशियल सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, इसी सत्र में 13.08.2013 को प्रश्न का जवाब आता है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतना अफेक्टेड होने के बाद भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आंख नहीं खोली है। सभापति महोदय, यह घटना 16 तारीख को हुई थी। हम और हमारे नेता चन्द्रबाबू नायडु जी दोनों मिल कर इधर दिल्ली में आए, तब तक कुछ

लोग आंध्र प्रदेश के लोगों को ले कर दिल्ली में आए। सबसे ज्यादा पिलग्रिम्स आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश के 2,780 पिलग्रिम्स उस समय स्टक अप हो गया। हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस है, हम लोगों ने सोचा था कि ये तेलुगू लोगों को बचाएंगे। यह घटना 16 तारीख को हुई है। हम लोग 23 तारीख को दिल्ली आए। दिल्ली के आंध्र भवन में उन लोगों को कोई खाना देने वाला नहीं था। छः-छः दिन तक महिलाएं स्नान नहीं कर पाईं, ये आंध्र प्रदेश के भवन के रूम्स को ओपन नहीं करा पाए। हम लोगों को धरणा करना पड़ा। हम और चन्द्रबाबू नायडु जी ने रोड पर धरणा कर के आंध्र भवन में जितने भी रूम्स हैं, उनको खुलवा कर, उस समय 120 आदमी आंध्र भवन में थे, उन लोगों को रोड के ऊपर बैठाया गया था, उन लोगों को रोड के ऊपर खाना दे रहे थे। हम ने कहा कि कैंटीन को खोलो, छः दिन से इन लोगों को खाने के लिए नहीं है, नहाने के लिए नहीं है। हम लोगों ने रूम्स को खुलवा दिया। इसके बाद हम लोग देहरादून गए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से मिले। जिस तरह से आंध्र प्रदेश के कम से कम 3000 लोग इधर स्टक अप हो गए, उसी तरह से देश भर के पिलग्रिम्स वहां स्ट्रक अप हो गए। हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को बचाएंगे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : सभापति महोदय, हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है, यह इतनी दुःख की बात है कि ऐसी घटना होने के बाद, सेन्ट्रल गवर्नमेंट में हमारे 13 मंत्री हैं, 30 आंध्रा कांग्रेस के एमपी हैं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मगर उन लोगों को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी नहीं कर पाए । पहली दफा हमने स्पेशल फ्लाइट डायरेक्ट लगा दिया। पांच फ्लाइट्स को लगा कर, आंध्रा के लोगों को हैदराबाद ले जाया गया, ट्रांस्टपोर्टेशन को अरेंज कर, हम लोग नौ दिनों तक उनके साथ थे। एक औरत के सर पर पत्थर पड़ने के कारण सर फूट गया था, और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी वह छः किलोमीटर चल कर आई। एक 70 साल का वृद्ध भी है, वह छः दिनों तक, जहां घोड़े रहते थे, वहां पड़ा रहा। ...(व्यवधान) अभी भी गवर्नमेंट को जिस तरह से केयर करना चाहिए, जिस तरह से अफैक्टेड पिपुल को प्रोटैक्ट करना चाहिए, इसमें टोटल फेल हो गई। बगल में सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हुए, कोई भी कन्सन्ट्रेट नहीं कर पाया। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट कन्सन्ट्रेट करती तो हम लोग बहुत लोगों को बचा लेते, उन्हें बचाने के बहुत चांसेज थे। मगर गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से पूरे देश से जो पिलग्रिम्स आए थे, उनमें से बहुत लोगों की मौत हो गई और बहुत लोग मिसिंग हो गए।

फाइनली हम यही बोलना चाहते हैं कि अभी कम से कम 13 हजार करोड़ रुपये की जो डिमांड है, उसमें से आपने सिर्फ 3 परसेंट, 395 करोड़ रुपये अभी तक दिए गए हैं, बाकी बैलेंस ये दे दें। सभापति महोदय, आपको मालूम है, बहुत सारे गांव बर्बाद हो गए हैं।

आखिरी में मैं यही बोलना चाहता हूं कि आगे भी इस तरह का फेल्योर नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि ये आगे के लिए पॉलिसी बना कर देश के लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, आज हम आपके माध्यम से यहां बहुत भीगी आंखों से उन सब परिवारों को सांत्वना देना चाहते हैं जिनके परिवार के लोग हंसते-खेलते घर से गए थे और वापिस नहीं आए और शायद कभी भी नहीं आएंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। जिस पर गुजरती है वही इसे जानता है। मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहूंगा। यह एक प्राकृतिक आपदा थी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत हिम्मत के साथ, जब इतनी बड़ी विपत्ति आती है चाहे घर में आए, राज्य में आए या देश में आए, उसे संभाला। एक व्यक्ति होता है जिसे जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आप सब लोगों ने उसे हिम्मत के साथ संभाला।

मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हिन्दुस्तान धार्मिक आस्थाओं का देश है। धार्मिक पर्यटन और आनंद के लिए पर्यटन में कोई न कोई अंतर बनाने की नीति जरूर होनी चाहिए। हमारे धार्मिक स्थल पर्यटन का केन्द्र बनते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोडेड होते जा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी जो मान्यताएं थीं या जो सिद्धान्त होने चाहिए, वहां उनका पालन नहीं होता। इसकी मौनीटरिंग के लिए वेष्णो देवी, अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड उदाहरण हैं। हर धार्मिक स्थल पर एक योजनाबद्ध तरीका होना चाहिए।

दूसरा, जो लोग गायब हुए हैं, उनका सात साल वाले कानून का मामला न हो। उसके लिए लॉ में चाहे कुछ भी अमैंडमैंट करना पड़े, सरकार के स्पैशल इफैक्ट से उन्हें जल्दी से जल्दी सर्टीफिकेट मिलना चाहिए कि they are deemed dead. तीसरा, मैं पेड़ों के विषय में कहना चाहूंगा। मान्यवर, आप वहां के ज्ञाता हैं, आपकी बात सुनने के बाद कुछ और कहने का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आपराधिक कृत्य किया गया है। किसी की भी सरकार रही हो, मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। उत्तरांचल में पेड़ों का जिस तरह कटाव हुआ, वह आपराधिक है। उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे लिए इनवायर्नमैंटली जो पेड़ ठीक हैं, उन पेड़ों को लगाया जाए। गंगा ने हमें बर्बाद नहीं किया, बल्कि हम गंगा के रास्ते में आए। हमने बहुत सी चीजों का वॉयलेशन किया, जिसका हमें फल भुगतना पड़ रहा है।

मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र बिजनौर की सीमा उत्तरांचल से शुरू होती है। मेरे क्षेत्र से 155 किलोमीटर लम्बी गंगा नदी होकर गुजरती है, लेकिन हम उसके लिए कोई नीति नहीं बना पाए। गंगा के आसपास कोई ऐसा कानून बने, जिससे लोग प्रभावित न हों। हर वर्ष सैंकड़ों लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लोग बर्बाद होते हैं। यह मेरा एक वेक-अप कॉल है, हमें खतरे की घंटी सुनाई दी है। इसके आधार पर आज यह बहस हुई है। यह बहुत गंभीर बहस है। लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इसलिए यह सिर्फ बहस

होकर समाप्त न हो जाए, बल्कि इस पर विचार करके हिमालय के पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, जो हमारे मुकुट हैं, उनके लिए एक पूरी नीति बनाई जाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि गंगा मैया सब पर कृपा रखे। हमारे ये राज्य फिर से फले-फूलें और इनमें लोगों का आना-जाना उसी तरह शुरू हो।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I express my profound sorrow and pay tribute to the persons who lost their lives due to the unprecedented catastrophe which occurred in Uttarakhand.

Sir, you might be remembering that in this House itself, we had discussions twice on pollution of the Ganga and the situation of the Himalayas. But I do not understand what sense of the House has been taken by the Government. It seems no sense has been taken up and only discussions took place for the sake of discussion.

I am not going to narrate the catastrophe. It has already been mentioned by several Members and it has been coming out in media also. But if we go through the chronology of events, the catastrophe occurred with the combination of massive rainfall, glaciers flow, snow melt, debris and thousands of land slides.

I listened to your speech very attentively as you are coming from that area which has been affected the most. You very rightly mentioned about the global warming. So far as global warming is concerned, what would be our task? Our task is not to create more problems. The opinion of the experts is that the reservoirs and tunnels built for the dams contribute in increasing the localised temperature, disturbing the ecological balance. It is pertinent to mention that due to the proximity of the Himalayas, this can be of immense danger. Cloudbursts are reported increasingly after the construction of Tehri and other projects in recent years. The Government should take this point into account.

I am just going to mention some points. The Char Dham Yatra is the main economic source of thousands of families in the hills, but no yatra plan or management plan was ever initiated and implemented by the Uttarakhand Government. … (*Interruptions*) So, there should be a plan. But so far there is no plan.

The second point is, highways, hotels and massive building construction near the river banks caused a great loss too.

The third point is, the main reason behind the catastrophe is commercial exploitation of the Himalayas in the name of bumper to bumper developmental hydro projects. More than 500 sites have been identified for hydro power projects in the Ganga basin. Out of this, 70 projects are in pipeline in the main Ganga-Bhagirathi and her tributary Alaknanda and Mandakini.

The existing and the under-construction projects have severely affected the entire vicinity. Loss of grazing lands, dried water sources, disrupted flora, fauna and wild life due to uncontrolled heavy blasting for tunnelling, road building and power houses are seen besides massive de-forestation and unchecked dumping of muck in the river bed at all construction sites. This causes landslides and land sinking in monsoons and unstable the entire area.

So, what is meaning of development? In case of development, all these points should be taken into consideration. In the name of development, everything cannot be done. Not even a single village in the vicinity of the already existing projects can be termed as developed. So, these are the points.

So, my first suggestion is, implement the eco-zone notification keeping in mind the rights and privileges of local people; and further construction of roads and buildings should be carried out under proper master plan and guidelines of eco zone.

My second suggestion is, 150 kms. of the valley from the glacier line all across Himalayas must be declared and framed as Cultural Eco Sensitive Zone to maintain the original pristine state of the area.

My third suggestion is, scrap all the under construction dams, tunnelling, barrage and reservoir formation in Himalayas.

So, all these points should be taken into consideration.

I have two more questions to ask about the mismanagement of the Disaster Management Authority. … (*Interruptions*) There is no correct figure about the rain fall, landslides, etc. What is the role of the Central Water Commission? What was

the forecast of Meteorological Survey of India? So, all these things should be taken into consideration. So, these are my suggestions.

My last suggestion is that, we should not have discussions just for discussion sake. We should think of something for the coming days. Please constitute a High Power Committee from the Centre to monitor everything. That cannot left only to the State Government. Or, this is not the case of a particular Department or Ministry. Please constitute a High-Powered Committee. If you involve the Members of Parliament from both the Houses, it will be better. If it is not possible, it should be constituted involving experts. That should really be a High-Powered Committee to monitor everything above the developmental works, relief works and all these things.… (*Interruptions*)

Lastly, Sir, I would just respond to your last sentence:

Sarve bhavantu sukhinah,

Sarve santu niramayah,

Sarve bhadrani pashyantu,

Ma kashcit duhkha bhagbhavet.

Only good wishes will not do. You have to do something. If you have to do something, you should be honest, you should be sincere to the cause. Otherwise, everything will be a futile exercise… (*Interruptions*) It will be a great loss. So, this is my suggestion.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, आपने मुझे उत्तराखण्ड की पीड़ा के साथ अपने को जोड़ने का मौका दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, पूरे सदन का एक स्वर है, चाहे यह पीड़ा भले ही उत्तराखण्ड की हो, लेकिन अभिव्यक्ति में इस देश के जिस किसी भी सांसद ने जो अपनी बातें कही, उसमें कहीं अंतर नहीं आया। ऐसे ही मौके पर हम सबों को याद आता है कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। यह पीड़ा उत्तराखण्ड की है। इस पीड़ा का कारण गंगा के कैचमेंट इलाके में है, जो हिमालय का उत्तराखण्ड है, उसमें एक भयानक वर्षा - अनप्रिसिडेंटेड रेन के चलते, शायद उत्तराखण्ड के इतिहास में इसकी कभी कल्पना नहीं की गयी थी, इससे भयानक बारिश, इससे भयानक त्रासदी कभी नहीं आयी होगी। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि उससे कितनी बड़ी दुर्घटना घटी, उससे कितने लोग मारे गये, कितनी परेशानियां आयीं। लेकिन मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, जिस वर्षा के साथ यह त्रासदी आयी, उसे कोई रोक नहीं सकता था। जब आसमान से बादल फटते हैं, तो कोई भी विज्ञान उस आसमान के बारिश को,फटे हुए बादल के पानी को रोक नहीं सकता है। जब 400 प्रतिशत बारिश एक सीमित समय में होगी, तो जो दुर्घटना घटी है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें सड़कें बह गयीं, घर बह गये, वर्षों से पैदा किये गये सारे विकास के साधन बह गये। उसके ये नतीजे होने थे। लेकिन जब आज हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा का मुख्य विषय 70-75 दिनों के बाद एक होना चाहिए कि उस उत्तराखण्ड का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए? जब मैं यह सुनता हूं कि उत्तराखण्ड की सरकार पंगु बन गयी थी, कोई कार्य नहीं कर सकी। मैं बिहार से संबंध रखता हूं। मैंने वर्षों तक पानी और बाढ़ को देखा है। मैं जानता हूं, जिस इलाके में पानी आता है, वहां का स्थानीय प्रशासन बिल्कुल पंगु हो जाता है क्योंकि वह भी आम नागरिकों के साथ पानी में घिर जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है, मान्यवर प्रधानमंत्री जी गये, भारत की जो हमारी संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, वे उत्तराखण्ड को सही रूप से सहयोग नहीं कर पायीं। लेकिन फिर मैं दूसरी बात सुनता हूं कि वायुसेना की तारीफ हुई, थल सेना की तारीफ हुई, ये भारत और केन्द्रीय सरकार की संस्थाएं हैं। आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों ने वहां पर जाकर जो सहयोग किया, वह भारत सरकार के निर्देश पर ही हुआ। महोदय, यदि देश नहीं दौड़ा होता, यदि सभी लोग सहयोग नहीं किये होते, तो उत्तराखण्ड का, जिसका खण्ड-खण्ड विखंडित हो चुका था, रास्ते बंद हो चुके थे, आवागमन के कोई साधन नहीं थे, कोई पहाड़ पर फंसा था, कोई नदियों के किनारे अपने जीवन को बचा रहा था, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि जब कोसी की त्रासदी आयी

थी, तो उसे हम सभी ने झेला था और हम लोगों ने देखा था, यदि पूरा देश नहीं दौड़ा होता, तो बिहार में कोसी की त्रासदी के बाद बिहार को कोई नहीं बचा पाता।

महोदय, जिस तरह से कोसी की त्रासदी के बाद पुनर्निर्माण के कार्य शुरू हुए, उसी तरह से अब सारी बहस का केन्द्र एक होना चाहिए कि उत्तराखण्ड का पुनर्निर्माण कैसे हो? हमारे चारों धाम वहीं पर हैं। हमारे पर्यटक वहां जाएंगे। उनके लिए जो जो भी सुविधाएं थीं, वे सब नष्ट हो चुकी हैं। बात उसके आगे बढ़ने की है। जितने विकास के बिन्दु खड़े किए गए हैं उत्तराखण्ड में, जब मैं सुनता हूं कि वे कारण हैं इस विनाश का, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। उत्तराखण्ड के पास जल, जंगल और हमारी देवभूमि के रूप में आस्था के केन्द्र हैं। ये ही उत्तराखण्ड की पूंजी हैं। हम जिस दिन जल के प्रबंधन को रोक देंगे, जिस दिन हिमालय के पहाड़ों पर जल का प्रबंधन रुक जाएगा और हमारे जितने विकास के बिन्दु खड़े होते हैं, उनको रोक डालेंगे, तो न ही उत्तराखण्ड, न ही हिमाचल प्रदेश, आप सिक्किम, भूटान और अरूणाचल प्रदेश तक चले जाइए, कोई वहां बच नहीं सकता है, वहां के जीवन का आधार यही है। यदि टिहरी डैम नहीं हुआ होता, सचमुच ही पता चल गया होता कि उत्तराखण्ड का यह पानी किस तरह से इस देश के सभी हिस्सों में नुकसान कर देता। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल निचले हिस्से हैं, लेकिन एक अकेले टिहरी के जलाशय ने, अलकनंदा और मंदाकिनी के पानी छोड़कर भिलांगना, धौलीगंगा, भागीरथी के पानी को टिहरी में जो एक बड़ा जलाशय बना है, उसने सारे पानी को एब्जार्ब कर लिया। यदि वह पानी निकला होता, उस पानी के साथ रुद्रप्रयाग के बाद, जहां से गंगा का असली स्वरूप निकलता है, तो पता चल गया होता कि नीचे के इलाकों में कितना नुकसान हो सकता है। इस बहस को वहां केंद्रित न किया जाए कि उत्तराखण्ड का गलत विकास के कारण वर्तमान में नुकसान हुआ है। वहां विकास के सारे कार्यों को पर्यावरण और जंगल के नाम पर हम उत्तराखण्ड को विकास के रास्ते पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत मर्यादित ढंग से हम जब कष्ट और पीड़ा में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो हम उत्तराखण्ड के भविष्य को खतरे में न डाल दें क्योंकि जल ही वहां की सबसे बड़ी पूंजी है। जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट हों, यदि वहां उसकी निकासी बंद हो जाए, उसी तरह जल के प्रबंधन को रोक दिया जाए, तो उत्तराखण्ड का भविष्य में बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का उचित प्रबंधन हो क्योंकि बादल फटेंगे तो सड़कें टूटेंगी, लेकिन पुनर्निर्माण देश के लोगों को मिलकर करना है। जिस स्वर में हम लोगों ने एक बात यहां कही है, उसी तरह से एकजुट होकर उत्तराखण्ड का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है, अन्य बातों से हम कहीं उत्तराखण्ड का नुकसान न कर दें।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to take part in this discussion under Rule 193 on the tragedy that occurred in Uttarakhand. It is fortuitous that you are in the Chair and you were the man on the spot but let me also at this point thank the Uttarakhand Government and the Government of India that several families from Sikkim were rescued in time. I would like to place on record the gratitude to the Government of Uttarakhand and the Government of India from our State.

This morning, it was very apparent in the discussions that ensued in `Zero Hour' that many MPs from Bihar made their representations with respect to either drought or flood or both droughts and floods that are happening in their States. It is with regularity every year that we hear this. Every year, we hear of one big tragedy. In 2011, on September 18, we had a massive earthquake in Sikkim. Even as recent as two days ago, several families in West Sikkim were washed away because of landslides. This kind of regularity of natural disasters, as we would like to call them, is happening on an absolute regular basis. Therefore, that brings us to the question as to how prepared are we in dealing with these kinds of natural disasters.

I recall that when Tsunami happened, the Government of India made a provision and quickly put up early warning systems for the Tsunami. Now this is something which, I hope and pray, will give us early warning if there were to be a tsunami. But what is important to understand is that the entire Himalayan belt is a seismic zone, it is a very fragile mountain system and, with climate change, the precipitation of rain is going to become increasingly more vociferous, and, therefore, I think, early warning systems, as you have rightly said, should be immediately put up all across the Himalayas so that any part of the Himalayas which is susceptible to disaster gets early warning.

The other thing which I would like to reiterate, and which the hon. Member Shri Sharad Yadav said today, is that we need to have a new Ministry, a Ministry that looks after the mountains. These geographical formations, be it a desert area,

be it coastal areas, are today recognised as biodiversity hot spots and, therefore, we need to see as to how we can deal with environmental disasters or environmental development that needs to take place.

Finally, I would just like to make one more point and this is with regard to the NDRF. I think much has been said with respect to the kind of work and the kind of valour that our people from the Armed Forces have shown. I can tell you that we did not have to import the kind of forces for rescue and rehabilitation because in the State of Sikkim, what we have done is, we have taken disaster management to the grassroots and each panchayat is being equipped with disaster management techniques. I think that is the way forward. It is not that by sitting at the Centre that we need to do this kind of disaster management training. Capacity building has to be done at the grassroots, at the level of panchayats. I think our State has shown the way forward.

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): माननीय सभापति जी, उत्तराखण्ड में, खासकर केदारनाथ क्षेत्र में पिछली 16-17 जून को जो प्राकृतिक आपदा आई, मैं उसकी ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं और अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहती हूं। उत्तराखण्ड के टिहरी इलाके में उत्तरकाशी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग में जो प्राकृतिक आपदा आई वह कल्पना से परे है। मैं 18 तारीख से करीब एक महीने तक उत्तरकाशी एरिया में थी इसलिए मुझे उसका अनुभव है। आज इस विषय पर चर्चा हो रही है और कई बातों को यहां कहा गया है, मुझे काफी अच्छा लगा। करीब हर राज्य के सदस्यों ने यहां पर उस विभीषिका के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूं।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर हमारी डिफेंस के लोग नहीं होते तो हमारे उत्तराखण्ड के लोग और देश के विभिन्न भागों से आए हुए इतने लोग भी नहीं बच सकते थे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखण्ड सरकार का जो सहयोग होना चाहिए था, वह वहां के निवासियों को नहीं मिला। यह फैक्ट है, क्योंकि मैं एक महीने तक जहां यह आपदा आई थी, उत्तरकाशी के लोगों के बीच रही थी। वहां मैंने देखा और जो मुझे अनुभव हुआ, वह मैं यहां बताना चाहती हूं।

उत्तरकाशी, जो हिमालय क्षेत्र है, वहां की हालत बहुत ही खराब है। खासकर उत्तरकाशी में हर गांव को आप देखें तो वहां की हालत बहुत खराब है, रास्ते बहुत खराब हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। जो लोकल लोग हैं, उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई है। जो खाद्यान्न वहां गया वह अच्छी तरह से बांटा नहीं गया। मैं वहां थी और जानती हूं कि वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? शुरु में जो काम वहां होने चाहिए थे वे नहीं हुए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 19 तारीख को जब मैंने सब देखा और चूंकि मैं डिफेंस कमेटी में हूं तो मैंने डिफेंस कमेटी के लोगों को फोन करवाया और बोला कि हमें एयर-फोर्स के प्लेन चाहिए क्योंकि छोटे हैलीकोप्टर में केवल दो-तीन आदमी ही जा सकते हैं और उनसे काम नहीं चल रहा था। उनके आने के बाद लोगों की बहुत सहायता हुई। जैसा कि आपने बोला कि डिफेंस की जरूरत सिक्किम में नहीं पड़ती है, मैं उसे समझती हूं लेकिन हमारे वहां वह सिस्टम नहीं है। हमारे को बचाने वाले डिफेंस वाले, लोकल लोग और पुलिस के जवान ही थे। जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों को, लोकल लोगों को और टूरिस्ट्स को बचाया है मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जहां डिफेंस के लोग रुके थे मैं भी वहीं रुकी थी। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूं। त्रासदी की जगह के अनुभव में और ऑफिस में बैठने के अनुभव में अंतर होता है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि डिफेंस के लोग सुबह 6 बजे हैलीकोप्टर लेकर जाते थे और उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की और जो लोग वहां थे वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह

का रिस्क लिया। एक हैलीकोप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जो उसके कैप्टेन और कमांडर थे मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से पहले से ही जानती थी और हम लोग साथ थे। मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि हरसिल और गंगोत्री में मैं गयी थी और गंगोत्री में मैं सबसे पहले गयी थी। वहां की हालत बहुत खराब थी। हरसिल में जिस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था मैं उसमें आने वाली थी, किसी कारण मैं उसमें नहीं आ सकी और बच गयी। मैं डिफेंस को लोगों को सबसे ज्यादा सैल्यूट करना चाहती हूं जिन्होंने हमारे लोगों को बचाया। आज उत्तरकाशी की हालत बहुत खराब है लेकिन सरकार अगर पहले से ही सजग होती तो ऐसा नहीं होता। आपदा वर्ष 2012 में भी आई थी और उस समय जो पैसा दिया गया था अगर उसका अच्छी तरह से उपयोग किया गया होता तो आज उत्तरकाशी का यह हाल नहीं होता। उत्तरकाशी चिन्यालिसोर के गांव में कनैक्टिविटी नहीं रह गयी है। वहां गांव में 46 महिलाएं प्रैग्नेंट हैं जिनकी डिलीवरी इसी महीने होने वाली है लेकिन वहां कनैक्टिविटी नहीं है और उनकी सहायता कैसे होगी? मैं अभी वहां गयी थी और जो पैसा उन लोगों को मिलना था वह भी थोड़ा-थोड़ा ही मिला है। आप यकीन नहीं करेंगे ऐसे गांव भी थे जहां पटवारी लोग लैंड के लिए केवल 255 रुपये दे रहे थे जबकि 255 रुपया तो टैक्सी का किराया भी नहीं होता है। मैंने तो खुद बोला कि 255 रुपये लेकर आप क्या करोगे? इतनी बेइंसाफी होनी नहीं चाहिए। मैं वहां जो हो रहा है वही आपको बता रही हूं क्योंकि जिसे वहां का अनुभव है वही वहां के फैक्ट्स के बारे में बता सकता है। मेरी माननीय प्रधान मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें बताया कि वहां फंड नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तो वे कहते हैं कि पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इतना पैसा वहां भेजा है। आपने पैसा भेजा होगा मगर गया कहां? पैसा आया है और हरेक जगह से आया है it has not been given to the proper people, I do not know where the money is. मैं यह जानना चाहती हूं कि जो पैसा गया और जो हमारे एमपीज लोगों ने भी डोनेट किया, वह पैसा गया कहां? हमारे टिहरी के लोगों को तो वह पैसा मिला नहीं, वह पैसा गया कहां, यह मैं जानना चाहती हूं। उन लोगों को जो खाना दिया गया है, आप यकीन नहीं करेंगे जो लोग चल नहीं पाते थे, उनके कंधों पर खाना लेकर जाते थे। वहां आटे की जगह गेहूं दिया गया है और उनके पास गेहूं पीसने के लिए चक्की नहीं है। नमक भी नहीं दिया गया। वहां खाना खराब हो रहा था, लेकिन बंटवाया नहीं जा रहा था। हरसिल में गरीब लोग अपने घर से खाने का सामान बंटवा रहे थे। मैंने कहा कि जो खाना सड़ रहा है, उसे लोगों में बंटवा दिया जाए लेकिन सही मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब ऐसा डिजास्टर होता है, तो यह भेदभाव नहीं करना चाहिए यहां यह सरकार है या कोई दूसरी सरकार है। यह मानवीयता की बात है।

आज मेरी पहली स्पीच है। मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूं, I hope you don't mind. मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सिर्फ आफिस में बैठ कर करना और स्पॉट पर काम करना, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जैसा श्री राव ने कहा, उनमें बहुत फीलिंग आई क्योंकि वे भी वहीं पर थे और मैं भी स्पॉट पर थी। मैं सांसद की हैसीयत से बोलना चाहती हूं कि हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारा जो टिहरी गढ़वाल है, यहां हमने सब कुछ खो दिया है लेकिन हमारे लोगों को अभी तक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। सभापति जी, आप तो जानते हैं कि विस्थापित लोगों को अभी तक घर नहीं मिला है। प्रताप नगर में आज तक डोबराचाटी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। यह बहुत छोटा पुल है। मुम्बई में बहुत बड़ा पुल बना है और हमारे यहां इतना छोटा पुल क्यों नहीं बन सकता है? यह बहुत दुख की बात है कि पुल बनाने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है। जैसा हमें ट्रीट किया जा रहा है, यह बहुत दुख की बात है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे लोगों की तरफ देखा जाए। जब यह डिजास्टर हुआ था, तब सभी लोगों का ध्यान पर्यटकों पर था, लेकिन लोकल लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वहां के लोकल लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। वे तो अपने टूटे घरों में भी नहीं जा सकते हैं। आप उनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दें। उन लोगों को पूरा मुआवजा देना चाहिए। उनके लोन माफ कर देने चाहिए। आप जानते हैं कि पहाड़ों में जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। ऐसे समय में यह नहीं देखना चाहिए कि बीपीएल से संबंधित है या एपीएल का है। सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, अगर उनका सब कुछ लुट गया है, तो सभी को एक जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे वहां जो स्कूल हैं या अस्पताल हैं वहां कोई बंदोबस्त नहीं है। वहां अस्पताल में प्रोपर डाक्टर और मशीनरी नहीं है। किसी-किसी अस्पताल में तो ब्लड टैस्ट की जगह भी नहीं है। एक्सरे वगैरह के लिए कोई इक्वीपमेंट्स भी नहीं हैं। सिर्फ टिहरी गढ़वाल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में जहां-जहां भी डिजास्टर हुआ है, सभी के लिए मैं मांग करना चाहती हूं कि they should be treated well and they should be given whatever they need. मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो फंड वहां गया है, it has not been distributed. आप भी गये हैं लेकिन मैं यह बोलना चाहती हूं कि It should be fair and it should be distributed. It should be given to everyone who needs it. उनको भी देना चाहिए जिन्होंने अपने घर से सब चीजें निकालकर दूसरों की मदद की। They should also be treated equally.

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सर्वप्रथम यूपीए सरकार के प्रधान मंत्री जी को और यूपीए चेयरपर्सन को, पक्ष को, प्रतिपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में सब उत्तराखंड के साथ खड़े हुए हैं। आज भी सभी माननीय सदस्यों ने उत्तराखंड के प्रति अपना दर्द व्यक्त किया। इस बार जो उत्तराखंड में त्रासदी आई, यह अभूतपूर्व थी। इसने उत्तराखंड के किसी कोने को नहीं छोड़ा। एक तरफ हमारा उत्तरकाशी का जिला हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ है और दूसरी ओर मेरा जो लोक सभा क्षेत्र का पिथौरागढ़ जिला है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा को छूता है, वहां तक यह पूरी त्रासदी एक साथ आई है क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में इस समय यात्रा का सीजन था। हजारों तीर्थयात्री इसमें फंस चुके थे। इसलिए पूरे देश का ध्यान उस त्रासदी की ओर गया जिसमें बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजडी भी हुई। यह इसी साल की बात है। मेरा पांचवा साल चल रहा है और हर बरसात में, जब बारिश होती है यानि जून-जुलाई-सितम्बर तक दिल डरता रहता है क्योंकि यह आज की बात नहीं है। वर्ष 2009 में मेरे ही क्षेत्र में बादल फटने से मुन्स्यारी में 40 लोगों की मौत हुई। उसके बाद अगले साल 2010 में सूमगढ़-बागेश्वर में एक स्कूल में दबकर मासूम बच्चे शहीद हो गये। वहां भी बादल फटा था। 2011 में अल्मोड़ा जिले के अंदर 3-4 गांव वॉश-आउट हो गये। कई लोगों की मौत हुई। पिछली बार मेरे ही संसदीय क्षेत्र के बागेश्वर के कपकोट में पोथिंग में एक गांव है, वहां भी त्रासदी हुई। वहां बादल फटा और वहां ह्यूमन कैजुअल्टी हुई। इस साल धारचूला-मुन्स्यारी पूरी तरह से शेष दुनिया से कट गया।

आज पूरे उत्तराखंड की यही स्थिति है। हम सभी का ध्यान हजारों तीर्थयात्री जो दूर अंचलों से वहां आए थे क्योंकि पीक सीजन था और इस बार जो बरसात आई, वैसे भी देश के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा भी था कि मानसून 10-15 दिन पहले आया और शुरुआती बारिश ने ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहर बरपाया। राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो संभव सहायता थी, वह करने की कोशिश की। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई, यह इतनी बड़ी त्रासदी थी कि वहां की सरकार और भारत सरकार ने जो संभव था, वह किया और मैं नहीं समझता हूं कि ये सब उतनी बड़ी त्रासदी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयार थे। लेकिन अपने संदर्भ में राज्य सरकार ने तमाम कोशिशें कीं। सवाल है कि यह त्रासदी हर साल क्यों आ रही है? हर साल कभी बादल फट रहे हैं, कभी लैंड-स्लाइड हो रहा है, कभी वहां पर अर्थक्वैक आ रहे हैं। पिछले 8-10 सालों से यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। यह सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? हम इस सारे सिलसिले को प्राकृतिक आपदा कहकर नहीं बच सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदा के साथ इसमें कुछ न कुछ ह्यूमन कंटेंट भी है।

यह मानव निर्मित प्राकृतिक आपदा है। इन दोनों का कहीं न कहीं संबंध है। इसको भी समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों हो रहा है? इस बार जितनी नदियां आईं, चाहे गंगा थी, चाहे अलकनंदा थी और मेरे क्षेत्र में कालीधौली नदियां थीं। वे नदियां जो जीवनदायिनी थीं, वे इस बार मौत के दानव के साथ आईं थीं। उनमें इतना पानी बहा लेकिन उनमें जो रेत है, जो डस्ट है, जो मड है, वह आखिर कहां से आया? तबाही का कारण वह क्यों बना? वो कौन सी ऐसी नीतियां हैं? उनके संदर्भ में भी हम सबको सोचना पड़ेगा। सब कह रहे हैं कि हिमालय बहुत ही सेंसिटिव ज़ोन है। फ्रेजाइल ज़ोन है। यह हिमालय अर्थक्वैक के हिसाब से ज़ोन-5 में आता है। क्या उस संदर्भ में हमको अपनी नीतियां बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? सड़कों की जो तकनीक पुरानी है उस पर नए सिरे से विचार की आवश्यकता है। आज पूरे उत्तराखंड में इस त्रासदी के बाद जब सारे लोगों को हमने रैस्क्यू कर लिया है तो हमारे सामने सबसे बड़ा विकल्प है कि हमारी उन कनैक्टिविटी को जोड़ सकें? मेरे क्षेत्र में धारचुला से ले कर, मैं स्वयं 18 तारीख को वहां पर पहुंचा, यह क्षेत्र कैलाश मानसरोवर, तिब्बत और नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। सबसे पहला पॉइंट था जॉलजीबी। जॉलजीबी से ले कर धारचुला तक, लगभग 20-30 किलोमीटर की यात्रा या तो मैंने पैदल की या बीच-बीच में जीप से यात्रा की। सबसे पहले जॉलजीबी में भारत और नेपाल को जोड़ने वाला पैदल पुल, जो ऐतिहासिक पुल है, वहां पर हर साल मेला लगता है, वह पुल वाशआउट हो गया। उसके बाद बलवाकोट है, 20-25 दुकानें, जिस तरह से आपने बहुत से टीवी दृश्यों में उत्तरकाशी की दुकानें देखी होंगी कि कैसे वे एक साथ नदी में वाशआउट हो गईं। लोगों के बड़े-बड़े घर नदी में वाशआउट हो गए। इतने गांव, बलवापुर से आगे गोठी, नईबस्ती, न्यू सोवला, घट्टाबगड़ आदि के सब लोग हमसे कह रहे थे कि वे टेंटों में रह रहे हैं कि अब हम दो-तीन महीने बाद जाएंगे। कहां जाएंगे? वह पूरा का पूरा गांव वाशआउट हो चुका है, सोबला-डार के पास। वहां सरकार को टेंट लगाने के लिए जमीन नहीं मिली। जब मैं धारचुला में गया और देखा कि वहां पर टेंट नहीं लगे थे। मैंने सोचा कि लोगों ने प्रशासन को शिकायत की क्योंकि हैलिकॉप्टर के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। चार मोटरब्रिज वहां पर वाशआउट हो चुके थे। हैलिकॉप्टर्स में बड़े-बड़े टेंट नहीं जा सकते है। मैं खुद वहां पर गया तो देखा कि वहां कहां टेंट लगाएंगे? आज वे जीआईसी धारचुला में रह रहे हैं। मैं और आपदा मंत्री वहां पर थे। उन्होंने कहा कि तीन महीने बाद, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जिस इंटर कॉलेज में, जहां आज हम रह रहे है, यहां के बच्चे कहेंगे कि हमारी कक्षाएं कहां चलेंगी तो उस दिन हम कहां जाएंगे।

घट्टाबगड़ में, वहां पर जो अधिकांश कमज़ोर वर्ग के लोग थे, आज जंगलात की जमीनों पर अस्थायी रूप से टैण्टों में रह रहे हैं। उनके सामने भी यह समस्या है कि दो-तीन महीने बाद, बरसात के बाद

फिर वे कहां जाएंगे। राज्य सरकार ने भी पुनर्वास के लिए, रीहैबिलटेशन के लिए एक प्लान भेजा, आपसे अनुरोध भी किया है, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि इस समय उत्तराखण्ड के अंदर 290-292 गांवों को राज्य सरकार ने आईडेंटीफाइ किया था, कुछ गांव, उनकी संख्या 300 से ऊपर है, इनको री-एलोकेट करना ही करना है। सवाल है कि इन गांवों को कहां री-ऐलोकेट करना है इसमें दो तरह के गांव हैं। एक तो जिनको हमने सेंसिटिव जोन कर दिया है। उनके लिए हमको एक दीर्घकालीन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कुछ गांव हैं जहां के लोग इस वक्त भी टेंटों में रह रहे हैं, हमारी सरकार उनके लिए शेल्टर बना रही है, लेकिन वे उन शेल्टरों में कितने दिन रह पाएंगे? किसान और गांवों के लोगो को बसाने के लिए या तो उन्हें उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में ही बसाया जा सकता है या तराई के अंदर बसाया जा सकता है। लेकिन अगर उन्हीं पहाड़ियों में आप उनको बसाएंगे, तो वहां की ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी, वहां जंगल व जमीन कम है। पिथौरागढ़ जिले के अंदर लगभग 14 सौ परिवार है, उनको भी बसाने की समस्या है। उन 14 सौ परिवारों के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार को सोचना है। क्या हम उनको एक एकड़ जमीन देंगे? किसान को अगर खेती की जमीन नहीं मिलेगी, वह किसी भी घर में दूसरी जगह नहीं जाएगा। इस विषय में राज्य सरकार ने 8 हज़ार करोड़ रूपये का रीसैटलमेंट और रीहैबिलटेशन का जो प्रस्ताव बनाया है, उसके संदर्भ में आपका अधिकतम सहयोग, केंद्र सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी का और सब का सहयोग मिलेगा। उन गांवों के लिए हमको एक मुकम्मल नीति तो बनानी ही पड़ेगी। मेरा कहना है कि तराई के अंदर जो हमारी तराई है, उधम सिंह नगर की तराई में, हमने बहुत लंबे समय से, तरह-तरह से लोगों को जमीन दी है। वहां पर इंडस्ट्री के लिए जगह दी है, हमने वहां पर लोगों को रियल-एस्टेट के लिए जगह दी है। हमने वहां पर दूसरे राज्यों से शरणार्थी बने लोगों के लिए जगह दी है। उत्तराखण्ड के जो दूरस्थ इलाकों के लोग थे, जो उजड़ गए, सोबला-डार के लोग उजड़ गए, जो पूरा गांव वाशआउट हो गया, उनके लिए कहीं कुछ जगह नहीं बची है। वे लोग भी कह रहे हैं कि क्या हमारे लिए भी एक एकड़ जमीन वहां मिलेगी या नहीं मिलेगी? भारत सरकार के सहयोग से ही राज्य सरकार यह कर सकती है। सन् 1977 में जब मैं विद्यार्थी था, हमारे उसी तवाघाट में लैण्डस्लाइड आया था। एक पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। उसमें 30-40 लोग मरे थे। बाद में राज्य सरकार ने तय किया कि इस गांव को नई जगह बसाना होगा। वह सितारगंज उधम सिंह नगर में बसाया गया। एक-एक एकड़ जमीन दी गई। आज वे लोग अमन चैन से रह रहे है।

सभापति जी, मैं आपके मध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आज वहां पर सबसे बड़ी समस्या कनैक्टिविटी की है। तवाघाट से ले कर गूंजी तक, पूरी की पूरी रोड़ को ठीक करने में लगभग 6 महीने से ऊपर का समय लगेगा।

21.00 hrs.

धारचुला से तवाघाट तक छोटी जीपें जा रही हैं, लेकिन तवाघाट से आगे, ऊपर का जो हमारा क्षेत्र है, जो धारचुला का ऊपर का क्षेत्र है, जहां हमारे ट्राइबल लोग 6 महीने जाते हैं और 6 महीने माइग्रेट करके नीचे आ जाते हैं। उसी तरह से मुन्स्यारी तहसील के ऊपर जोहार का क्षेत्र है, जहां हमारे लोग 6 महीने जाते हैं, उनकी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। उसके लिए हमने बीआरओ से बात की, हमारे जिला प्रशासन ने भी बात की, अगर वह कनेक्टिविटी जोड़नी है तो भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय की जरूरत है। उन रोड्स को ठीक करने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से सपोर्ट की जरूरत है और वहां के बीआरओ ने इसके लिए डिफेंस मंत्रालय को लिखा भी है। अगर इसके लिए भारत सरकार का सहयोग मिल जायेगा तो उसके संदर्भ में मैं समझता हूं कि वह कनेक्टिविटी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जायेगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन महोदय मैं आपके माध्यम से अंत में एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि हिमालय को हिमालय की नजरों से देखना पड़ेगा। हिमालय को हमको शेष देश की जरूरतों के हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा, हिमालय को हिमालय की नजरों से देखना पड़ेगा और उसी आधार पर प्लानिंग कमीशन ने एक टास्क फोर्स बनायी थी। बी.जी. मुखर्जी जो भारत सरकार के ट्राइबल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट के पास आज भी वह पड़ी है, वह रिपोर्ट मेरे पास भी है।

महोदय, वर्ष 1982 में स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिलाया था कि हिमालय के लिए हमको हिमालय की नीति बनानी चाहिए। एस.जेड.कासिम जी के नेतृत्व में भी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था कि पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए या तो हिमालय डेवलपमेंट अथॉरिटी बना लीजिए। हिमालय के विकास के लिए एक नयी सोच की जरूरत है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, वे जीवनदायिनी हैं, उनका रूप बिगाड़ा है। हम वहां जो रोड्स बना रहे हैं, जिस डायनामाइट का हम वहां उपयोग कर रहे हैं, वह डायनामाइट पहाड़ के फ्रेजाइल को तोड़ रहा है। यह जो मिट्टी, मग वहां पर आया, आज तवाघाट से पहले जो एनएचपीसी का पावर प्रोजेक्ट है, 280 मेगावाट का जो अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट था, इस बरसात में वह पावर प्रोजेक्ट बंद हो गया। पावर प्रोजेक्ट बहा नहीं, वह वहीं का वहीं है, लेकिन ऊपर से डांग से टनल के माध्यम से जो पानी आया, जो मिट्टी आयी, जो गाद आयी तो वह 280 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट समाप्त हो गया। आज हमको हिमालय के अन्दर इस बात को देखना होगा कि जो हिमालय के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हम बड़े डैम नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो टनल बना रहे हैं, उन टनलों में जो विस्फोट हो रहे हैं, वे पहाड़ को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए बड़े डैमों के बाद रन- ऑफ-दी-रीवर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में हमें नये सिरे से सोचना

पड़ेगा। यह कमेटी की रिपोर्ट ने भी कहा है कि भारत सरकार को एन्टायर हिमालय जोन में जो सेन्सिटिव जोन हैं, उस क्षेत्र में इस तरह की चीजों को, विकास के मॉडल पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। वहां की रोड्स की तकनीक, जो आज दुनिया में रोड्स बन रही हैं, यूरोप के अन्दर रोड बन रही है, अमेरिका के अन्दर रोड बन रही है, चाइना हमारे पास तक लेकर आ चुका है, वहां पर लैंड स्लाइड का खतरा क्यों नहीं आया? वहां ऑल वेदर रोड्स बननी चाहिए।

अंत में मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हमारी बहुत सी कनेक्टिविटी की सड़कें हैं, कुछ सड़कें डिफेंस के द्वारा बनायी जा रही हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा बनायी जा रही हैं, लेकिन पिछले आठ-दस सालों से उन रोड्स की गति में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। मुन्स्यारी एक जोन है, 150 किलोमीटर का यह एरिया है, यह कनेक्टिविटी से दूर है, यहां की 60 किलोमीटर की सड़क पिछले दस सालों से बन रही थी, लेकिन वह अभी तक बन नहीं पायी है। उसकी गति को तेज करना पड़ेगा। सोबला-डार-बालिंग तक की हमारी सीमा तक की जो सड़क है, इस सड़क के निर्माण को और तेज करना पड़ेगा। तवाघाट-गुंजी की जो सड़क है, वह सड़क ऊपर से बन रही है, लोगों का कहना है कि अगर नीचे से भी उसका तेजी से विकास होगा तो लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। जो बरसात के समय इसमें लोग फंस जाते हैं, उसमें सुविधा होगी। जो हम सिर्फ हेलीकॉप्टर के ऊपर डिपेंड हैं, उसकी जगह इन सड़कों के माध्यम से भी हम आगे बढ़ पायेंगे। अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, चूंकि तीर्थयात्रा की बात आयी है, इस पूरी यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा तो साथ-साथ है ही, इस त्रासदी में हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बंद हो चुकी है। पूरे भारतवर्ष में कैलाश मानसरोवर यात्रा मेरे ही संसदीय क्षेत्र से, तवाघाट से होते हुए जाती है। इस समय इस त्रासदी में गुंजी से लेकर कैलाश तक वह यात्रा गई। तवाघाट से लेकर गुंजी तक पैदल सड़कों के माध्यम से जाते थे, लेकिन भारत सरकार ने वह यात्रा रोक दी है। मेरा भारत सरकार से और राज्य सरकार दोनों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में उसको रोका न जाए। वह हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत भी है। साथ ही साथ जब तक वहाँ पैदल रास्तों को ठीक न किया जा सके, तब तक पिथौरागढ़ से या धारचूला से, चूँकि गुंजी में हैलीपैड राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ है, पिथौरागढ़ में भी हमारी एयर स्ट्रिप है, धारचूला में भी है, वहाँ से उस यात्रा को हैलीकॉप्टर के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। उसके लिए अगर किसी प्रकार से यात्रियों को ट्रांसपोर्ट में सबसिडी दी जा सकती है तो कैलाश-मानसरोवर यात्रा शुरू की जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। मैं फिर एक बार भारत सरकार का और राज्य सरकार का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि इस कष्ट में हमारा साथ दिया।

[*] **SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM) :** I would like to express my views on the statement made by the Minister of Defence on 06.08.2013 regarding Government of India's response and measures taken for relief and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand raised by Shrimati Sushma Swaraj on the 30th August, 2013.

The Uttarakhand tragedy is a man-made disaster of unforgivable magnitude, and not death and devastation caused by nature's fury. This unmitigated failure happened due to sand mining, stone quarrying forest cutting and construction mafias by bending or breaking about rules and regulations that strike at the ecological balance of a sensitive region. Uttarakhand Chief Minister, Vijay Bahuguna called the calamity a "Himalayan Tsunami".

The extensive death and destruction wreaked by the heavy rain, cloudbursts, flash floods and landslides in the hills of Himachal Pradesh and Uttarakhand foremost serve to remind man how small he is compared to the power of nature.

In this connection, I would like to commend up on the exemplary search rescue and relief operations carried out by the Army, Air Force, NDRF, ITBP and SSB in Uttarakhand and Himachal Pradesh.

What we witnessed in the Himalayas in June 2013 was nature's fury that was waiting to happen. Nature has been giving us enough indications which we choose to ignore. The Himalayan zone is ecologically very sensitive zone, while rampant construction in unscientific manner has made thing worse. It is high time we strictly regulate all such construction activities to minimize damage to the hills.

---

[*] Speech was laid on the Table.

[*]**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** उत्तराखण्ड त्रासदी पर नियम 193 के अंतर्गत हो रही चर्चा पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस त्रासदी की भयंकरता, इसके कारण तथा परिणाम आपदा प्रबंधन की स्थिति, सेना तथा सुरक्षा बलों द्वारा राहत कार्यों में किए गए असाधारण साहसिक परिश्रम इत्यादि पर विस्तार से सदन को अवगत कराया है । इस प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप उत्तराखंड की वर्तमान दशा तथा उत्तराखण्ड के तुरंत पुनर्निर्माण किए जाने के लिए अपेक्षित प्रयासों की भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है । इन सब विचारों के साथ स्वयं को संबद्ध करते हुए दो-तीन बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

पहली बात यह है कि इस त्रासदी के समय प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता अत्यंत पीड़ादायक तथा चिंताजनक थी । इस संवेदनहीनता के अनेक आयाम थे । उत्तराखण्ड की यह आपदा बहुत भयानक थी । किन्हीं भी कारणों से इसका समय से अनुमान लगाने में सरकार विफल रही, मैं उन कारणों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता परंतु 18-19 मई तक सरकार को इस आपदा की भयंकरता की जानकारी मिल गयी थी। पूरी केदारघाटी समाप्त हो गई थी, पुल टूट गए थे, सैकड़ों धर्मशालाएँ, होटल बह गए थे परंतु सरकार की संवेदनहीनता का हाल यह था कि पहले दिन से लेकर त्रासदी के एक-डेढ़ महीने बाद तक सरकार के मंत्री जनहानि को बहुत कम बताते रहे । उत्तराखण्ड के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जब दस हजार से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने का बयान दिया गया तो सरकार के संवेदनहीन मुखिया द्वारा इस बयान का तुरंत खण्डन किया गया । मुख्यमंत्री महोदय बरामद किए गए शवों की संख्या को ही मारे गए व्यक्तियों की संख्या बताते रहे । अध्यक्षा जी मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा करके मुख्यमंत्री जी क्या करना चाहते थे ? संवेदनहीनता का एक अन्य आयाम राहत कार्यों की व्यवस्था में दिखाई देता था । मुख्यमंत्री जी कहीं भी तथा कभी भी राहत कार्यों का समन्वय, निरीक्षण अथवा नियोजन करते नहीं दिखाई दिये । इसके विपरीत मुख्यमंत्री तथा उनकी सरकार डिजेस्टर टूरिज्म में व्यस्त थे, राहत सामग्री में अपने नेताओं के चित्र भेजने की योजना बनाने में लगे थे । संवेदनहीनता की यह स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी ।

राष्ट्रीय आपदा का यह चुनौतीपूर्ण क्षण राष्ट्रीय आह्वान का विषय बन सकता था । उत्तराखण्ड के ये तीर्थ संपूर्ण देश के हैं, सारे देश से तीर्थयात्री वहाँ आते हैं परंतु केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की क्षुद्र दृष्टि ने इस आपत्ति में सम्पूर्ण देश को एकजुट होकर खड़े करने का अवसर गँवा दिया । प्रत्येक राज्य से सहायता के लिए व्यक्ति गए परन्तु उनके प्रयासों का अपेक्षित सम्मान उत्तराखण्ड सरकार नहीं कर सकी ।

---

[*] Speech was laid on the Table

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र है । इसकी भौगोलिक दृष्टि से चिंता किया जाना आवश्यक है। प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ करने का यह प्रतिफल हमें मिला है, अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से इस संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है - मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता परंतु भविष्य के लिए इस त्रासदी से शिक्षा लिया जाना आवश्यक है ।

अन्त में उत्तराखण्ड त्रासदी में पीड़ित हुए परिवारों के प्रति संवेदना प्रगट करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Mr. Chairman, Sir, I express my deep gratitude to all the distinguished Members, who have actively participated in the meaningful discussion on Uttarakhand disaster. … (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): रिप्लाई तो कल के लिए बोला था। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रिप्लाई अभी है। कल के लिए नहीं बोला था।

...(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Shrimati Sushma Swaraj has initiated the discussion and she has immensely contributed to this debate. Her speech was insightful. She has given a graphic picture about the Uttarakhand disaster as also the aftermath of the disaster. I specially thank her for her valuable suggestions and observations.

Sir, this august House has benefited greatly from the observations made by the hon. Chairman, Shri Satpal Maharaj as also Raje Lakshmi ji and Pradeep Tamta ji. These hon. Member are coming from the State of Uttarakhand.

Sir, 16 other hon. Members have also contributed to this fruitful discussion. I thank each one of them for their contribution.

Sir, Uttarakhand disaster, as everybody has explained, is a disaster which is unprecedented, and which is beyond all imaginations. The rescue and relief operation was done under extremely hostile conditions, inclement weather and difficult terrain. Fighting against all odds, we were able to rescue 1,35,000 persons to safer places within a short span of time. This is something which we should admire and, in fact, recognize.

Sir, this massive operation is the largest operation in such heights under inclement weather and difficult terrain. It is a remarkable feat. There is no doubt about that. This is a landmark operation under such conditions and it is a world record that is being acknowledged by the world community at large.

Before I start my speech, I wish to pay homage to the known and unknown persons who have lost their lives in this harrowing disaster. The Indian Air Force, the Indian Army, ITBP, NDRF, the Border Roads Organisation, the Armed Forces Medical Services, NGOs, etc. have done commendable role in the rescue and evacuation operations.

Sir, you know that 20 personnel of Indian Air Force as well as ITBP and NDRF personnel have sacrificed their lives in the tragic helicopter accident. You must understand that. Those people have done a commendable job during this rescue operation. Their valour, their commitment and their courage will be long remembered. I salute them for this.

Sir, the solidarity of the people is praiseworthy. In such a colossal disaster, people from all sections of society, forgetting their differences and cutting across political affiliations, came together to save their brothers. It was a Herculean task; it was a stupendous task. The world over the rescue as well as the evacuation operations were praised by one and all. It was a collective action. The Union Government, the State Government, Ministries, Departments and other agencies have put in their efforts in these rescue and evacuation operations. There was remarkable coordination in the rescue and relief operations, leaving no room for any major complaint as such.

Before I come to reply to the significant questions posed by the hon. Members, I draw the attention of this august House to the alarming trend of disasters which are taking place globally. We all know that disasters are taking place at an alarming proportion. A study by the Centre for Research on Epidemiology of Disasters, an organisation which has got direct collaboration with the World Health Organisation, indicates that in the first decade of the 20^{th} century, there were only 73 disasters globally. Now, when it comes to the question in the first decade of the 21^{st} century, the disasters have gone up to 4495. This is an alarming global trend and this is to be seriously addressed by each and everyone who is present here and also by those who are outside this House.

What are the reasons for increase in disasters? The reasons could be many. There will be pressure of population, interference of man with nature, global warming and as we all know climate change has also contributed to a great extent for such disasters globally. It is a fact that disasters cannot be prevented altogether. But, we will be able to reduce the risk, impact and severity of disasters using modern technology, timely mitigation measures, constant training and capacity building, etc. In such a situation what is required is the involvement of the community in a bigger way. Then only will we be able to mitigate or reduce the intensity or severity of these calamities. This must be a continuous ongoing process.

I come to the question of Uttarakhand disaster. We all know and Maharaja knows better that the Uttarakhand calamity occurred two weeks before the monsoon set in over there. Uttarakhand received rainfall of 385.1 mm during the period from 1st June to 18th June 2013. This is against the normal rainfall of 71.3 mm and in excess by 440 percentage points; that is, five times more than the normal rainfall Uttarakhand receives. From 16th June to 18th June, it was extremely heavy rain over there. It was torrential rainfall over there. That was the condition in Uttarakhand immediately after the disaster had taken place.

A question has been raised whether the State Government has done anything after this disaster had taken place. As Smt. Mala Rajya Laxmi Shah has already pointed out, this is no time for us to indulge in blame game and we should appreciate what the State Government has done during such a calamity. I wish to inform this august House that in all such calamities the first responder will be the State Government. In this case also, on receiving the Indian Meteorological Department warning, the State Government issued advisories to all the concerned agencies; district and police administration. Announcement was made by the police at Kedarnath, Rambada, Gaurikund, alerting the general public about the disaster. The district administration stopped further movement of pilgrims. Paying

heed to the announcement, a good number of pilgrims halted at Rishikesh – hon. Maharaja knows about it.

On 16th June itself, the State Government requisitioned the services of ITBP, Army, Indian Air Force, NDRF, etc. A concerted effort of these forces and the local civil officials, NGOs, etc., could evacuate more than 1.35 lakh people in the shortest possible time. That is a record.

Sir, if I do not make a mention of the great services rendered by our Indian Army, Indian Air Force as well as our paramilitary forces, that will be a wrong thing on my part. I would like to make a mention of the services rendered by them. You all know that the Indian Air Force has done a heroic job. You will not believe that for the first two days, nobody could take off an aircraft or a helicopter for rescue operations. Against all odds, our daring and adventurous pilots, risking their lives, took off their helicopters and landed along the banks of the gushing river. They rescued 38,700 persons and 3,470 sorties have been carried out by them. That is an adventurous feat on their part. You all know that Indo-Tibetan Border Police Force guard our borders in Uttarakhand. The ITBP has rescued the largest number, 33,000 persons from difficult terrains. That is also a record.

Coming to the question of State Civil Aviation Department, they have also done their job. They rescued 13,000 people. Hon. Members know that wherever the National Disaster Response Force has been deployed, the State Government has been able to obtain the service promptly. The kind of adventure and the kind of commitment that they have shown in the past is commendable. They have rescued 9,500 persons. The Nehru Institute of Mountaineering in Uttarkashi, about which some of the hon. Members have already made a mention, was able to rescue 6,500 persons. It is not a small thing.

All the hon. Members were mentioning about the relief camps. I would like to tell that 69 relief camps had been set up for 1,51,080 persons. Some camps, as you all know, are still running for local residents. Food, medicine, kerosene, blankets and other essential commodities or items were supplied either by way of air-dropping or by land.

A Missing Persons Cell, that is to be admired, was set up in the capital of Uttarakhand. It was working in the most professional manner. All the scientists, officials as also the NGOs, who had gone over there, saw for themselves how it was working and they were all in praise of this Missing Persons Cell. You all must bear this in mind.

Sir, a sum of rupees five lakh has been declared to be given to the next of the kin of the dead or feared to be dead or missing. The next of kin of 113 dead persons and 818 missing persons have been granted *ex gratia* so far. The rest of the people will also be given money. Whenever we get a clearance certificate or verification certificate from the concerned State Government. Immediately on receiving that, we will be paying the *ex gratia* amount to the tune of rupees five lakh to the next of the kin of the deceased or missing persons. In this amount of rupees five lakh, rupees two lakh are being given by the hon. Prime Minister from the Prime Minister National Relief Fund, Rs. 1.5 lakh are coming from National Disaster Response Fund and Rs. 1.5 lakh are coming from the kitty of the State Government.

Sir, every hon. Member was asking about the road connectivity. Border Roads Organisation and PWD have to reconstruct 1,956 roads which are totally destroyed because of the flash floods and fury of the nature. Of these, 1,681 roads have been opened for vehicular traffic. I do not claim or say that pucca roads have been constructed over there. No, it is not possible. Still heavy rain is going on there, inclement weather is there and climate is very bad. Since adverse climatic conditions are prevailing over there, it is not possible to construct pucca roads, but temporary roads have been constructed over there. Normal vehicular traffic has

been disrupted on 271 roads. We are seized of the matter. The mule tracks are also to be reconstructed, about which Maharaja was telling me yesterday. The work of reconstruction of mule tracks as well as foot tracks is hampered due to heavy monsoon as also recurring landslides. Time frame has been fixed for BRO and PWD by the Government of India and the State Government for opening of mule tracks, jeepable and motorable roads in some major sectors.

Coming to the question of power supply, in 3,758 habitations, power supply was totally disrupted due to the disaster. Normal power supply was restored in 3,741 habitations; 17 habitations are without normal electricity still. We have alerted the State Government. The State Government is doing its best, but because of the inclement weather, it is not possible for them to provide electricity to the rest of the habitations.

Coming to the question of drinking water, drinking water supply has been disrupted in 968 habitations. It has been restored in 950 habitations; eighteen habitations are without water supply and that is a major matter. We have taken up the matter with the State Government to provide water as early as possible. They have reported back that because of the difficult terrain and inclement weather, it is not possible for them to provide water over there.

Coming to the communication network, you all know that immediate point-to-point communication by telephone was established in Kedarnath, Badrinath and Harsil. More than 100 satellite phones, somebody has been referring to the satellite phones, have been provided to various Central and State Government agencies immediately after the disaster.

Coming to the question of tourism, which is the mainstay and the backbone of the people over there, in order to augment the livelihood of the people, Uttarakhand Tourism is planning to conduct a study – that is exactly what everybody was, in fact, informing the House – on carrying capacity of various tourist destinations in the State. Uttarakhand Tourism is also planning to evolve regulation, registration system to control tourists’ movement with biometric

support at all important points. This was one demand raised by the hon. Members. It is also planned to ask the Tour Operators to get the tourists insured before entering Uttarakhand.

Sir, I have contacted the Minister of Tourism the other day. He has sanctioned an amount to the tune of Rs. 100 crore as a special package for the development of tourism infrastructure over there.

Now, I am coming to the services being rendered by the Union Government immediately after getting the information about this gruesome disaster. Sir, the Government of India has promptly mobilised all the Ministries and agencies to supplement the efforts of the State Government. I have already mentioned about the services being rendered by the Army, Indian Air Force and the Paramilitary forces in this great crisis.

The National Crisis Management Committee, you all know, has coordinated all the efforts with the Central Government agencies in concert with the State Government. The hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh as also the Chairperson of the UPA Shrimati Sonia Gandhi have paid visit to Uttarakhand on 19th June itself. The Prime Minister on reaching over there announced an amount to the tune of Rs. 1,000 crore to the hapless people of Uttarakhand. The hon. Home Minister Shri Sushilkumar Shinde, who is sitting here, visited Uttarakhand twice – on 22nd June and on 28th June. He has gone over there to have a special meeting with the hon. Chief Minister of Uttarakhand as also senior officers there. He reviewed the relief and rehabilitation activity over there. Although he is my senior, I know that what he has done from the Home Ministry's side. Throughout the crisis, he was the person who was monitoring the activities, while sitting in the office in North Block.

Sir, in view of the magnitude of the calamity, a Cabinet Committee under the hon. Prime Minister has been constituted, we are all aware of that, for providing broad guidelines for expeditious rehabilitation and reconstruction. The Inter-Ministerial Group under the Cabinet Secretary is drawing up a time-bound action plan for reconstruction of Uttarakhand.

Sir, a member of NDMA, who was the former Secretary of the Home Ministry, has been specially deputed to go over there and coordinate the activities of the State Government and Union Government in a perfect manner. I would like to make it clear that his service was commendable.

Sir, the Government of India supplemented the efforts of the State Government with 80 doctors, 11 psychiatrists and public health team with required equipments.

Another important thing which I would like to place on record is this. It is commendable that there has not been any outbreak of epidemic or infectious disease despite the death of numerous people and animals. That is also a record. An inter-ministerial team has been sent by no less a person than our hon. Home Minister, who is sitting here. They have visited Uttarakhand to make an on the spot assessment of the loss over there. The team has submitted its report. It was discussed in the Inter-Ministerial group led by the Secretary, Ministry of Home Affairs. It now has gone to the High Level Committee; that High Level Committee is led by no less than a person than our Agriculture Minister Shri Sharad Pawar, wherein our hon. Home Minister, Finance Minister and Vice-Chairman of the Planning Commission are the other Members. They have assessed the gravity of the situation and from the National Disaster Relief Fund, they have announced an amount to the tune of Rs. 1,187.87 crore to the State of Uttarakhand.

Sir, the Cabinet Committee under the Chairmanship of our Prime Minister is examining long-term rehabilitation of Uttarakhand. You all know that the Planning Commission is the nodal department to coordinate the Central Government assistance to State for medium and long-term rehabilitation and reconstruction of infrastructure as well as for the livelihood package. An external assistance package is being worked out –it is for the information and benefit of the hon. Members from Uttarakhand, by the State Government with the support of the World Bank, Asia Development Bank and International Fund for Agriculture Development with the coordination of Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance.

Sir, a mention has been made by some Members about the Indian Meteorological Department's warning at the time of this crisis. We all know that the main responsibility of the IMD is forecasting the weather. That warning is of general nature and you all must understand that. Some misunderstandings have been created that IMD has given a warning about this sort of flash flood and disaster and all that. No such information was given by the Indian Meteorological Department. I had a discussion with the scientists of the Department yesterday and day before. They gave me information about that general warning of heavy to very heavy rain on 15th and 16th of June, 2013. Sir, immediately after getting information, as I mentioned earlier, the State Government alerted all agencies to be on their toes and they have done their maximum at that particular point of time. Sir, monsoon as I said, set in Uttarakhand, two weeks early. Pilgrims had already reached higher levels before warning could be issued. When the catastrophe struck on 16th and 17th, it was humanly impossible to evacuate a single person because of continuous inclement weather and difficult terrain.

Sir, we need to improve and we need to examine the technical feasibilities of enhancing our capabilities and scientific organisations. In this connection, I would like to say that the Ministry of Earth Sciences has decided to go in for Mountain Meteorological Services and Integrated Himalayan Meteorological

Service. Under this project, nine Doppler weather radars are proposed for the fragile Himalaya region alone. The IMD has already prepared a comprehensive proposal for about Rs. 360 crore for Integrated Himalayan Meteorological Programme.

Sir, I made a mention about the Missing Persons Cell. This Missing Persons Cell – is in fact functioning in a most professional manner. I already mentioned about it. They collected details from various districts, States sources like E-mails, websites, SMS, police department, call data from different towers, between 14th and 19th June, 2013, from and to pilgrims mobiles were traced for cross-checking last calls with date, time and location. What all information is there with the Missing Persons Cell, is an accurate information. We are collecting more information from the centres. We will have fool-proof information about the number of persons who have lost their lives or are missing. The information as on 27th July, 2013 reflects 5,359 persons as missing which includes 4,421 pilgrims from other States and 938 local residents. 91 Nepali citizens are also missing. We are very seriously collecting the details about the missing persons. About 396 bodies have been cremated. … (*Interruptions*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : उन्हें कब तक मिसिंग माना जायेगा? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : उन्हें कब तक मिसिंग माना जायेगा। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि मंत्री जी खड़े हैं। ...(व्यवधान) उन्हें कब तक मिसिंग माना जायेगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : He is talking about the death certificates.

… (*Interruptions*)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: I will come to that.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is coming to that. Please have patience.

… (*Interruptions*)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: About 396 bodies have been cremated by the police with full honour and rituals after DNA sampling. Some bodies were cremated by the villagers because de-composed bodies were scattered here and there. A number of bodies were washed in the gushing waters. Many are presumed to be buried under debris.

Coming to the question of national disaster management, every Member, almost all the Members have in fact, expressed their apprehensions.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, he has a very relevant question.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: What is it about?

MR. CHAIRMAN: It is regarding issuing of the death certificates to the missing persons.

… (*Interruptions*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : एक चीज और है ...(व्यवधान) उनके कारोबार का विषय है या कोई भी चीज है जैसे मकान वगैरह हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं वही कह रहा हूं।

…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): इसमें एक विषय और है। उत्तराखंड सरकार डेथ सर्टीफिकेट जारी नहीं कर रही। ...(व्यवधान) वह कहती है कि संबंधित राज्य सरकार डेथ सर्टीफिकेट देगी। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उत्तराखंड सरकार डेथ सर्टीफिकेट नहीं दे सकती है, वह तो संबंधित राज्य सरकार ही देगी।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, they have a question regarding the issuance of a death certificate for the persons who are missing.

… (*Interruptions*)

श्री राधे मोहन सिंह (गाज़ीपुर): सभापति महोदय, मिसिंग वाला मामला हर जगह का है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, मंत्री जी ने बात सुन ली है। वे उसका जवाब देंगे।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Could you throw some light on this?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. He is coming to that. Please be seated.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप बैठिये, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने आपकी भावना समझ ली है।

…(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Sir, I can collect the information and provide to the Members. I will pass it on to the hon. Members.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is a technical question. When will the persons who are missing, be treated as dead? The persons who are missing, when will the Government issue death certificates to them? That is the question.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Inquiry is still going on by the State Government, the Police and the local authorities. As soon as all information is collected, we will direct the State Government to carry out this information and do it quickly within two, three months.… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Who will issue the death certificate?… (*Interruptions*)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : यदि गुजरात, राजस्थान का आदमी मिसिंग है, तो उसकी इन्फोर्मेशन पुलिस में दी जायेगी। …(व्यवधान) यह इन्फोर्मेशन दी जायेगी कि यह आदमी यात्रा पर गया था। ऐसी मिसिंग रिपोर्ट करायी जायेगी, तो उसके बाद वे पुलिस से वेरीफाई करेंगे तभी उसको मिसिंग माना जायेगा। वे ऐसे ही सर्टीफिकेट नहीं मानेंगे।…(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी, सदस्यों की भावना यह है कि उनको कम्पेशनेट ग्राउंड पर, अनुकम्पा के आधार पर सहायता दी जाये।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी ने बता दिया है।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी हां, समझ गये। मंत्री जी बता रहे हैं कि जब सूचना आ जायेगी, तब कार्रवाई करेंगे।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He has the answer now. Please be seated. He will now give the answer.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

MR. CHAIRMAN: Let him speak. Let the Minister speak.

श्री सुशीलकुमार शिंदे : वे दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकरण में कई गलत लोग भी आ सकते हैं इसलिए हमें पूरी इन्वेस्टीगेशन करके पाच लाख रुपये देने पड़ते हैं। हम स्टेट गवर्नमैंट को फिर बोलेंगे, डायरेक्शन दे देंगे कि जल्द से जल्द जितने मिसिंग हैं, उन सबके रिकार्ड एक बार फिर मंगवा लीजिए, क्योंकि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यह बहुत क्लीयरली बताया। इतना ही नहीं, डी.एन.ए. रिपोर्ट भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। आज भी उधर मौसम खराब है। सभापति जी आप वहां के हैं, आपको पता है कि वहां हेलीकॉप्टर नहीं जाते हैं, कितने लोग डेबरीज के नीचे दबे हुए हैं, यह भी अभी पता नहीं है। जैसे-जैसे बारिश कम हो जाएगी, वैसे-वैसे वहां खुदाई हो जाएगी।

सभापति जी, आपको भी पता है कि खुदाई करने की मशीन जे.सी.बी. ऑडिनरी हेलीकॉटर- 17 से नहीं भेजे जा सकते हैं। इसके लिए 126 जो स्पेशल प्लेन है, उसे मंगवाया गया है और पाट्र्स डिस्एसेम्बल करके, वहां केदारनाथ पर जाकर एसेम्बल कर रहे हैं और खुदाई का काम कर रहे हैं। यह काम चालू है। आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी सदस्यों की चिंता यह है कि कम्पेनसेशन के लिए वे मान लेंगे कि मर गया है, पर उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो जाए और उनके बच्चों को कम्पेनसेटरी ग्राउंड पर नौकरी मिल जाए।

…(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिन्दे : यदि आज भी डेबरीज के नीचे बॉडी मिलती है, तो हम उसका डी.एन.ए. कलेक्ट करते हैं …(व्यवधान) और जहां भी उसके ऊपर एक-आधा निशान मिला है, तो उस निशान के आधार पर हम स्टेट को लिखते हैं और उससे टैली हो गया, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है।…(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

सभापति महोदय : मंत्री जी बता रहे हैं, सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Let the Minister speak.

(Interruptions) …[*]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): …(व्यवधान) आप कहें, तो मैं लिखकर दे देता हूं। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : हाँ, आप लिखकर दे दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: I am coming to that point. There is no need to wait for seven years. The Registrar General of India has given a detailed circular. Death certificate will be issued by Uttarakhand officers based on the inquiry report from the respective States. That is all. There ends the matter.

MR. CHAIRMAN: Okay. That is done.

SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN: Coming to the question of the National Disaster Management Authority, disaster preparedness, and the Disaster Management Act of 2005, every single Member has mentioned this point. Everybody is apprehensive of the functions being carried out by NDMA.

In this connection I wish to inform the august House that in the year 2011 a task force was constituted by Government of India to study the functioning of the National Disaster Management Authority as also the National Disaster Management Act of 2005, as also the disaster preparedness of this country. The task force has already submitted its report last April and we are examining the report. We will definitely be coming out with very positive steps in this connection. The task force recommends restructuring of NDMA and amending the Disaster Management Act, apart from other matters.

Some Members have expressed concern about the fragile ecology and environment of Uttarakhand. This is a very serious matter and I fully share the sentiments of the hon. Members about the ecologically fragile nature of

---

[*] Not recorded.

Uttarakhand. The Government of India is seriously seized of the matter. The Central and the State Governments in fact have sensitized all the agencies to involve the stakeholders in preservation of ecological balance, forest cover and planned development.

21.39 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

The revered Himalayas is one of the youngest mountain ranges on the planet. It is home to one of the richest biodiversities of the world. It is the 'water tower' of the world. It is very critical for 40 per cent of humanity. Therefore, we are sensitizing the State Government and we are sensitizing all the Ministries. The Environment Ministry has been contacted. Every other Department has been alerted and sensitized. They have been apprised of the importance of the ecology of the fragile Himalayas.

Coming to the question of Char Dham, we all know that Char Dham consist of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. Puja was unaffected at the three Dhams except Kedarnath. It has been decided that Kedarnath temple will also be restored and daily puja will be commenced on 11th September, 2013.

Coming to the foot bridge on River Mandagini at Shri Kedarnath Ji has been constructed. It is planned to be replaced by iron bridge by 10th September 2013. The bridge on Mandagini at Rambada is also expected to be completed by 10th September 2013. The road connectivity up to Soneprayag has been restored. The pedestrian route from Soneprayag to Rambada is nearing completion. The pedestrian route from Rambada to Kedarnath is also to be restored by 10th September 2013. As I said, the regular pooja at Kedarnath will be resumed on 11th September 2013.

Sir, as I have already mentioned, the primary responsibility in any disaster lies with the State Government. The Central Government provides necessary logistic and financial support to the State Government. As disasters are becoming more and more complex due to large ecological global environmental changes, the disaster management, as all the hon. Members shared the view, needs continuous

upgradation. I wish to mention that the response to the Uttarakhand disaster was tremendous. All, irrespective of the differences, came together to save maximum number of people – 1,35,000 people have been evacuated and rescued. It comes from our observation that we need to further strengthen and augment the disaster management mechanism. The report of the task force is, as I said, under the examination of the Government of India. We will come out with an action plan as early as possible. I place on record my deep gratitude to the hon. Members who have taken part in this discussion. I am sure that the State Disaster Management Plans and the National Disaster Management Plans will take into account the learnings from Uttarakhand so that the systems are improved significantly and the losses due to the natural calamities are reduced to the minimum.

Sir, our dream is to build a disaster-resilient India. That would be the true homage that we can pay to the people who lost their lives in this horrendous disaster.

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up 'Zero Hour'.

श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इलाहाबाद में आई भीषण बाढ़ और उससे हुई तबाही के संबंध में आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं कि इलाहाबाद के शहरी क्षेत्र सलोरी-शिवकुटी, छोटा बघाड़ा, बेलीगांव, भारद्वाजपुरम, रसूलाबाद, जोधवल बक्शी सहित दारागंज, मेयोराबाद, उमरपुर नींवा आदि दर्जनों मुहल्ले तथा ग्रामीण क्षेत्र के करेंहदा, असरावल, फुलवा, बिसौना व सोरावं तहसील के मुबारकपुर, फत्तोपुर, पीरदल्लू, अहमदपुर, रंगपुरा, मनसैता, जगदीशपुर आदि तथा फूलपुर तहसील के बदरा, सोनौटी, धोकरी, पैगम्बरपुर, लीलापुरकलां, दक्षिणी कोटवा, ककरा, जमुनीपुर, लीलापुरखुर्द, बेलवार, तिवारीपुर सहित दर्जनों गांव बाढ़ से तबाह हैं और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इन गांवों के कई मकान दो-तीन मंजिलों तक डूबे हुए हैं और लोग दूसरी एवं तीसरी मंजिलों पर रहने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी गांव छोड़कर पलायन कर गयी है। बाढ़ के कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कई मकान जमींदोज हो गए हैं।

महोदय, डेढ़ माह से गंगा एवं यमुना नदियों का जलस्तर निरंतर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे बाढ़ का व्यापक असर बना हुआ है। बाढ़ के कारण कई मकान गिर गए हैं, कई लोगों की जान चली गयी है और हजारों मकान डेढ़ माह से डूबे होने के कारण जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ से किसानों की हजारों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गयी है। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। पशुओं के लिए चारे की बहुत बड़ी समस्या हो गयी है। पशुओं के लिए चारा न मिल पाने से जानवर भी तड़प रहे हैं।

सभापति महोदय, बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ राहत शिविर केन्द्रों की स्थापना की गयी है, लेकिन उनमें शुद्ध पेयजल, भोजन व शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नाव की व्यवस्था भी ठीक से नहीं की गयी है, जिसकी वजह से लोग बाढ़ से अभी तक प्रभावित हैं और बाढ़ से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ राहत शिविरों की व्यवस्था का आलम यह है कि एनीबेसेंट स्कूल में जो शिविर लगाया गया है, उसमें एक बच्चे को सुअर ने दबोच लिया, बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया। बाढ़ से जिन लोगों के मकान गिर गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। बाढ़ के बाद उस एरिया में महामारी फैलने की आशंका है। इसलिए उसे रोकने के लिए दवा आदि के छिड़काव की व्यवस्था की जाए, अन्यथा महामारी फैल सकती है। मैं अंत में आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बाढ़ से बचाने के लिए वहां गंगा और यमुना नदी के किनारे एक नया बांध बनाया जाए।

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. Members to be very brief as many Members are interested in making submissions during the 'Zero Hour'. You please mention only the points.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, बाढ़ से ग्रसित इलाकों में बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें प्रमुख बक्सर और भोजपुर जिला है। वहां पर लाखों की आबादी आज से नहीं करीब दो महीने से बाढ़ से घिरी हुई है। उत्तराखंड की बारिश के बाद जो वहां परेशानी हुई, उस पानी ने नीचे जाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सारे इलाकों को डुबो दिया है। पानी की मात्रा से अधिक परेशानी इस बाढ़ की अवधि से है। हम लोगों ने कभी नहीं देखा था कि गंगा का पानी दो महीने तक लोगों को प्रभावित करता हो। लोग बांध पर अपने मवेशियों के साथ शरण लिए हुए हैं। आवागमन के कोई साधन नहीं हैं। मजदूरों को कोई काम नहीं है, किसानों की खरीफ की खड़ी फसल चली गई है। इतनी परेशानी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वह परेशानी हमें झेलनी पड़ी है। उत्तराखंड की तरफ पूरे देश की निगाह चली गई, लेकिन उसी समय यदि भारत सरकार सोचती कि गंगा का पानी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए समुद्र में जाएगा, तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। बिहार सरकार अपने सीमित साधनों के तहत जो कर पा रही है, वह लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। दवाओं के लिए लोगों को नाव में बैठकर दो-तीन और चार किलोंमीटर तक अपने रोगियों को ले जाना पड़ता है। मजदूरों के लिए कोई काम नहीं इसलिए भूखे लोग परेशान हैं। उनके मवेशियों के लिए चारा नहीं है। इस पानी के चलते रोगों की भरमार हो गई है। इतनी परेशानी है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बक्सर का सेमरी प्रखंड, चौसा, बक्सर, ब्रह्मपुर और चक्की इत्यादि सारे प्रखंड पानी में डूबे हुए हैं। गंगा की सहायक नदियां ठोरा, मैसहा, धर्मावती, गगिया और जो जुड़े हुए भागड़ हैं, सबमें काफी पानी है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि यह ठीक है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य और केन्द्र दोनों को मिलकर आपदा प्रबंधन को करते हैं, वह करना चाहिए। अभी बिहार सरकार नहीं सुनती है तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे और वहां के लोगों के जन-जीवन की रक्षा करे। वरना भूख से तड़पते हुए लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, जानवरों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए चारा उपलब्ध कराना है, दवा उपलब्ध कराना है और बाढ़ के बाद जो समस्या होगी, उससे भी निपटने की तैयारी निश्चित रूप से करनी होगी।

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम): सभापति जी, वैस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में बनाघाट में एक आदिवासी महिला पर बलात्कार हुआ है। यह घटना 27 अगस्त की शाम को घटी थी। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इस विषय को सदन में उठाएं और आज मौका मिला है। इसलिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए।

सबको पता है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ जगह है, लेकिन अब साबित हो गया कि बंगाल खासकर कोलकाता और जलपाईगुड़ी महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ जगह है। एनसीआर की जगह अब वैस्ट बंगाल का इस मामले में पोजिशन नम्बर एक हो गई है। आप जानते होंगे कि कामधूनी की घटना वहां हुई है और कटुआ में जिस तरह से ट्राइबल लड़के की जान ली गयी। खड़गपुर में भी एक घटना घटी है और जलपाईगुड़ी में पुलिस का जो रोल है उसमें पुलिस कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाई और विक्टिम की स्थिति बहुत नाजुक है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गयी है और उसे बोलने में मुश्किल हो रही है। एससीएसटी और ट्राइबल्स लोगों के लिए एट्रोसिटी प्रीवेंशन करने के लिए एक्ट भी है जो 1989 में पारित हुआ था वह भी लागू नहीं हो रहा है। मैं उनके लिए कंपनसेशन की मांग करता हूं और मांग करता हूं कि इस विाय में पुलिस तुरंत कार्रवाई करे और कल्प्रिट को तुरंत एरेस्ट किया जाए। जो लड़की के ऊपर अन्याय हुआ है उसे रिलीफ और एडीक्वेट कंपनसेशन देना चाहिए। इसके लिए गंभीरता से विचार किया जाए।

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : All right, you send the slip.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shrimati Susmita Bauri is permitted to associate herself with the issue raised by Dr. P. Baske during the 'Zero Hour".

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों की ओर आकर्ाित करना चाहता हूं। महोदया, ये शिक्षा मित्र गत् 8-10 वाौं से नियमित रूप से अपनी सेवाएं राज्य के विभिन्न विद्यालयों में प्रदान कर रहे हैं। अब इनका समायोजना सहायक अध्यापक के रूप में होना है। ऐसे में 22 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्ति पत्र या नियुक्ति पा चुके शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनने के लिए जब टी.ई.टी. की बाध्यता नहीं है, तो बार-बार इस मुद्दे को उठाकर क्यों इन लोगों को असमंजस में डाला जाता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो प्रशिक्षित गुरिल्ला हैं उनका समायोजन राज्य में आपदा के लिए गठित होने वाली एन.डी.आर.एफ में करें जिससे उन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की सेवाओं का लाभ आपदा में लिया जा सके।

आशा कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाना चाहिए और आंगनवाड़ी कर्मियों का अवकाश व मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे 22 अगस्त 2010 से पहले नियुक्ति पाये शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक बनने के लिए जब टी.ई.टी की बाध्यता नहीं है तो उसकी स्पट जानकारी उन तक पहुंचाये।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

I request the Government to revoke the recent circular of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), which has adverse impact on the Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and farmers in the country. The circular seeks to transfer the assets of Primary Agricultural Credit Societies to District Cooperative Banks so that the former may function as a business correspondent to the latter.

The cooperative movement in India was started with an aim to encourage and promote thrift and mutual help among the farmers in the country and to protect farmers from the exploitation of the money lenders. Keeping in view these objectives, the Primary Agricultural Credit Societies were formed under the Cooperative Societies Act of 1904. These credit societies are easily

accessible to the farmers in the country than the Nationalized and Scheduled Banks do. Today, the Primary Agricultural Credit Societies are not only playing a major role in protecting the farmers from the exploitation of the money lenders but also they are doing the best in availing seeds and fertilizers in a reasonable price and also procuring food grains by ensuring maximum returns to the farmers. The Primary Agricultural Credit Societies are finding their financial resources for these farmers' supportive programmes from the reasonable interests collected from the agricultural loans. If the NABARD circular is implemented, then the Primary Agricultural Credit Societies will not be able to grant agricultural loans and their income would be confined to only one per cent commission allocated by the District Cooperative Banks. The Primary Agricultural Credit Societies cannot sustain in such a condition and the fading of them will ultimately affect the agricultural sector in the country as a whole.

Therefore, I would request the Government to kindly protect the interests of the farmers in the country by revoking the recent circular on the Primary Agricultural Credit Societies issued by the NABARD.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वर्तमान में कोलांचल का जो क्षेत्र है खासकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बनियाडी कोलरी है, यहां पर लगभग 16 पंचायतें हैं और पंचायती राज गठित होने के बाद अभी तक इन 16 पंचायतों में न तो मनरेगा का कोई काम हो सका, न ही पंचायत भवन बन सका, न ही किसी दलित परिवार का इंदिरा आवास बन सका और इसका कारण लोग कहते हैं कि एनओसी न मिलने के चलते यहां पर काम नहीं हो सकता है। हकीकत यह है कि वहां पुलिस लाइन बनी, पार्क बना, गैस्ट हाउस बना तथा झारखंड सरकार की और बहुत सारी चीजों का निर्माण हुआ। लेकिन जब दलित परिवारों के लिए इंदिरा आवास की बात आ रही है, पंचायत भवन बनने की बात आ रही है तो वहां पर कोल इंडिया के अधिकारीगण इसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं। आपसे मेरा आग्रह होगा कि इस पर अविलम्ब कार्रवाई की जाए ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके, अन्यथा पंचायत को ही समाप्त कर दिया जाए।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. The subject matter relate to the National Highways Authority of India (NHAI). Salem city in Tamil Nadu, which has the population of 8.5 lakhs, is facing severe drinking water problem. The Tamil Nadu Government under the leadership of hon. *Puratchi Thalaivi Amma* is now implementing a special drinking water scheme to provide safe and clean drinking water to the people of Salem city. The work of laying pipeline is in progress. Nearly 90 per cent work has been completed. The remaining work is pending because of the delay in giving permission by the NHAI. Salem Municipal Corporation has sent a proposal to the NHAI seeking its permission for laying pipeline across the NH-7 at one point near Karuppur, along the Service Road for a short distance. Local officers of the NHAI, the Project Director at Salem, Chief General Manager at Chennai have also recommended. Salem Municipal Corporation was asked to deposit an amount of Rs.5.5 crore, which the Corporation has agreed to remit the amount but the permission is yet to be accorded.

As the Member of the Parliamentary Constituency, I represented the matter several times. Considering the importance and urgency, the hon. Minister of Road Transport and Highways may be pleased to expedite the matter and direct the NHAI to grant permission for laying the pipeline as early as possible.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं।

आजादी के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं में नॉन-कॉम्बेटेंट एनरोल्ड श्रेणी थी। इस श्रेणी में रसोइया, मोची, धोबी आदि आते थे। धीरे-धीरे थल सेना में और नेवी में इस नॉन-कॉम्बेटेंट एनरोल्ड श्रेणी के लोगों को सिपाही का दर्जा दे दिया गया और उन्हें मिलिट्री सर्विस पे दो हजार रुपए दे दिया गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीन अंग हैं। यह दुख की बात है कि भारतीय सेना के दो अंग आर्मी और नेवी में तो इसे लागू कर दिया गया, लेकिन वायु सेना में आज तक 12 हजार नॉन-कॉम्बेटेंट एनरोल्ड लोगों को सिपाही का दर्जा नहीं दिया है और मिलिट्री सर्विस पे नहीं देते हैं। एक ही देश की सशस्त्र सेनाओं के दो अंगों को एक सुविधा दी जा रही है और एक अंग को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। वायु सेना में केवल 12 हजार लोग हैं। इस कारण वायु सेना के अंदर लोगों में जबरदस्त रोष है। लोगों की जुबान भले ही चुप है, लेकिन मन में जो गुबार है, उसे ध्यान में रखना चाहिए और वायु सेना में भी लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाए।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन मेघवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री दिलीप गांधी और श्री ए.टी. नाना पाटील अपने आपको श्री हर्ष वर्धन द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): महोदय, आज लगभग 65 प्रतिशत देश के निवासी देहाती इलाकों में रहते हैं। आज भी गांवों के अंदर की ज्यादातर सड़कें कच्ची हैं। वहां नाली नहीं है या पानी का निकास सही नहीं है या ढलान सही नहीं है, तो वहां कीचड़ हो जाता है।

22.00 hrs.

जब स्कूल के सामने की सड़क या आस-पास की सड़क कीचड़ वाली सड़क होती है तो छात्रों और बच्चों को वहां पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत आती है। खासकर जब बरसात का मौसम होता है तो दिक्कत ज्यादा होती है। मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई न कोई योज़ना बने या कोई पहल हो ताकि गांवों की सड़कें पक्की हों और खास कर स्कूलों के आस-पास की सड़कें पक्की बन सकें।

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): सभापति महोदय, बिहार के बगहा से पनिअहवां, उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए रेल पुल सह सड़क का निर्माण कराया गया है। बगहा से उत्तर प्रदेश के पनिअहवां, पडरौना जाने वाली एन.एच. 28बी सड़क का निर्माण कराया गया है। यह जमीन पहले वन विभाग की थी। इसलिए रेलवे ने उक्त जमीन के बदले मदनपुर के पास दूसरी जमीन खरीद कर उस पर पेड़-पौधे लगवा दिए। इसके बावजूद जंगल विभाग द्वारा नाजायज तरीके से अड़ंगा लगाकर कई वर्षों से उक्त पथ की मरम्मत नहीं होने दी जा रही है। इतना ही नहीं उसकी जर्जर हालत होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जानें जाती हैं।

मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि वन विभाग द्वारा नाजायज अड़ंगे का शीघ्र समाधान कराते हुए जनहित में उस पथ की मरम्मत कराई जाए ताकि आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से निजात मिल सके और लोगों का आवागमन सुरक्षित हो सके।

DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Central Government, through you, and particularly the Ministry of Road Transport and Highways to a matter of urgent public importance relating to four laning of Panvel-Indapur (84 km.) section which is included in NHDP-III and awarded by the National Highways Authority of India. The remaining length of this section between Indapur and Zarap (366.170 km.) stretch is included in NHDP-IV requires urgent four laning due to heavy traffic on the highway. The hon. Minister of Road Transport and Highways has been urged by the hon. Chief Minister of Maharashtra to include this stretch under NHDP-IV

during the meeting held on 21st September, 2011 at Mumbai. Accordingly, the stretch is included under NHDP-IV *vide* Ministry's letter dated 26th September, 2011. The MoU for appointing the State PWD as the implementing agency and preparing the feasibility report has also been submitted to the Ministry by the State PWD and signing of MoU is solicited. The approval of feasibility report is required to enable the State PWD to process LA estimates for financial approval.

Sir, the compliance report is submitted to the Central Government on 16.10.2012 regarding the issues raised by the Ministry on the feasibility report on four laning of National Highway No. 17 from Indapur to Zarap. So, I request the Government that this project should be implemented as soon as possible as this is a very important stretch of the National Highway No. 17.

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा): सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा, मध्यम प्रदेश में गत दिवस, सायपुर थाना प्रभारी, ...*

MR. CHAIRMAN : The names will be deleted from the record.

श्री देवराज सिंह पटेल : जो रीवा की जनता को वर्दी का रौब जमा कर डराने, धमकाने और सताने के लिए माहिर हैं। इन्होंने गौरीबरिया के ... * हफ्ता न देने के कारण गोली मार दी।

MR. CHAIRMAN : Names will not go on record. Please don't mention any name.

श्री देवराज सिंह पटेल : गोली मारने के बाद इन्हें अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल का प्रशासन भी एक सप्ताह तक इनके शरीर के अंदर जो गोली लगी थी, उस गोली को निकाला नहीं गया। मैं उनको अस्पताल में देखने के लिए गया था। मैंने देखा कि वे दोनों पीड़ित व्यक्ति कराह रहे थे। जब मैं पहुंचा तब तो अस्पताल प्रशासन ने उनको इंजैक्शन वगैरह दिया। वहां से मेरे वापस आने के बाद उनका किसी भी तरह का उपचार नहीं हुआ। वे एक सप्ताह तक कराहते रहे। उसके बाद उनको जेल के अंदर ठूंसा गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या थाना प्रभारी के पास इनकी गिरफ्तारी का न्यायालय द्वारा सर्च वारंट था या नहीं था। दूसरा, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा गोली चलाने का इन्हें अधिकार था या नहीं था। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि इन्हें न्याय दिलाया जाए।

MR. CHAIRMAN : It is a State subject. Shri Arjun Meghwal. Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...***

MR. CHAIRMAN: It is a State subject.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है। ऐसा ही एक प्रकरण मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का है। प्रकरण 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सिफारिश की है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी यूजीसी को सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है। जब राजस्थान के राज्यपाल बीकानेर आये थे तब हमने उनसे मिलकर, हम एक डेप्युटेशन के माध्यम से मिले और उन्होंने भी एक सिफारिशी पत्र यूजीसी को भेजा है। मेरा आपके माध्यम

---

* Not recorded as ordered by the Chair.
**Not recorded.

से यह कहना है कि मैंने यह मामला नियम 377 के तहत भी उठाया था और उसके बाद एचआरडी मिनिस्ट्री की एक टीम बीकानेर गयी। उन्होंने इन्स्पेक्शन किया और कहा कि यहां सभी चीजें मौजूद हैं।

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बीकानेर स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता दिलवाने की व्यवस्था करे, जिससे बीकानेर संभाग के सभी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत उपलब्ध हो सके ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am having a list of number of speakers, therefore, you have to cooperate with me. So, you may please take one minute each and if you take more time I will not be in a position to accommodate all of you and that will not form part of the record. That is why I would request you to be brief do that I can accommodate all of you. Shri Mahendra Singh Chauhan.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा दलित एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र की अधिकांश आबादी जीविकोपार्जन हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती है। आजादी के 67 वर्षों में इस क्षेत्र में एक भी सरकारी उद्योग नहीं लगा है। हमारे क्षेत्र के बेराजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न महानगरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जहां पर वे नारकीय जीवन जीने को विवश होते हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं।

महोदय, आज तक यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से वंचित है। कुछ निजी उद्योगों के अलावा आज तक यहां कोई भी सरकारी उपक्रम नहीं लगाया गया है। इस क्षेत्र में सड़क, पानी तथा बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं के अलावा मानव श्रम भी सस्ते दर पर उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास न हो पाना विस्मयजनक है।

महोदय, इस संबंध में आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु तत्काल कदम उठाने की कृपा करें, ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सीमा पार से चलाये जा रहे आतंकवादी अभियानों के सम्बन्ध में यह सदन अनेक बार अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुका है तथा सरकार द्वारा इस दृष्टि से किये जा रहे विभिन्न उपायों को भी सदन के माध्यम से देश को बताया जाता रहा है। परन्तु देश की सीमाओं पर सीमा पार से आने वाले सामान के बारे में किस प्रकार की घातक लापरवाही की जा रही है, मैं इसकी ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दुनिया के सभी प्रमुख बन्दरगाहों पर कन्टेनर स्कैनर्स का प्रयोग किया जाता है ताकि कंटेनर को बिना खोले

आयात या निर्यात किये जाने वाले सामान की पहचान हो सके। अपने देश में ऐसा स्कैनर केवल मुम्बई पोर्ट पर लगा हुआ है। मैं अभी लगभग तीन माह पहले मई मास में अमृतसर के पास भारत-पाक के बीच वाघा बार्डर गया था। बड़ी संख्या में वहां ट्रकों का आना-जाना होता है, परन्तु वहां भी कोई कंटेनर स्कैनर नहीं है।

महोदय, नेपाल जाने वाले कंटेनर्स को भारत सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। कोलकाता पोर्ट से लेकर नेपाल तक भारत का कस्टम विभाग कहीं भी इनकी जांच नहीं करता।

MR. CHAIRMAN: What do you want from the Government, please tell me? Do not quote others, please.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, मैं केवल दो वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आतंकवादियों द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए नेपाल के मार्ग का उपयोग करने की जानकारी हम सबको है। नेपाल जाने वाले इन कंटेनर्स की जांच के लिए स्कैनर्स न लगाना अत्यंत चिन्ताजनक है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश की सीमाओं पर आवागमन के प्रत्येक स्थान पर कंटेनर्स स्कैनर्स लगाये जायें ताकि किसी भी अवांछित सामान को देश में आने से रोका जा सके।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[*]**SHRI RAVNEET SINGH (ANANDPUR SAHIB) :** Sir, a language or a mother-tongue unites the people speaking that language. It serves as a bonding-link among its speakers. Punjabi is a rich language spoken in about 70 countries of the world by around 15 crore people. However, it is unfortunate that step-motherly treatment is being meted out to Punjabi in Chandigarh – the capital of Punjab. It is being discriminated against in this city.

Sir, Chandigarh city of today was built only by displacing people of 28 villages of Punjab. The mother-tongue of the residents of these 28 villages was Punjabi. The mother-tongue of a majority of people residing in Chandigarh today is also Punjabi or Hindi. However, the Chandigarh administration has accorded official language status to English, ignoring these facts and the ground-reality. Sir, constitutional norms have been violated by the Chandigarh administration in this regard. It is also an injustice to the 11 lakh residents of Chandigarh. As per our constitution, only the mother-tongue of the residents of a particular area can be accorded the status of official language over there.

Sir, I would like to ask the powers-that-be as to how they have accorded English as the official language of Chandigarh despite the fact that there is not a single person in Chandigarh whose mother-tongue is English?

Sir, in this august House today, I urge upon the Central Government to immediately accord Punjabi the status of official language of Chandigarh. The Government must put an immediate end to the step-motherly treatment being meted out to Punjabi in Chandigarh.

---

[*] English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज पूरे देश में विकास के नाम पर किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है किन्तु उनको न तो उचित मुआवज़ा दिया जा रहा है, और अधिग्रहीत भूमि पर विकास के नाम पर बनने वाली किसी इंडस्ट्री - रेल, सड़क, वाहन, ऐसे किसी भी विभाग में उनके परिवार के किसी सदस्य को समुचित नौकरी भी नहीं दी जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अकबरपुर कानपुर देहात में एक रेल मालगाड़ी के लिए नई रेल लाईन स्थापित की जा रही है, जिससे हज़ारों किसान प्रभावित हो रहे हैं। किसी की ¼, किसी की 1/3 तो किसी की पूर्ण ज़मीन उस रेल लाईन में प्रभावित हो रही है। मुआवज़े के नाम पर चंद रुपये दिये जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है, अधिग्रहीत समय से पचास वर्ष बाद का आकलन करके मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, तथा प्रभावित परिवार और उसके आश्रित व्यक्ति को रायबरेली कोच फैक्ट्री से प्रभावित किसानों की तरह उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। मैंने माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय आदरणीय चेयरपरसन यूपीए सोनिया जी को भी पत्र लिखकर इस विषय से अवगत कराने का काम किया है। मेरे क्षेत्र के किसान आंदोलनरत हैं, धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूँ कि वे रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली की तर्ज पर हमारे किसानों को मुआवज़ा देने का काम करें।

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, more than 1500 students of the prestigious Indian School of Mines (ISM), Dhanbad are observing their peaceful demonstration at Jantar Mantar from 2nd September onwards. Their need is conversion of the institute, ISM, into IIT (Indian Institute of Technology). It is the best institute in Asia. Now it has become a full-fledged engineering institute with branches such as computer science, electrical, electronics, mechanical; all the courses are there.

The proposal of conversion has been passed in Jharkhand State Assembly also. National Development Council, Planning Commission also accepted this one. The Governor of Jharkhand also sent the letter to the Central Government to convert this institute into an IIT during September, 2009.

Sir, this institute has all the infrastructure facilities. Our hon. Minister, Shri Oscar Fernandes and myself went there to find out the grievances of the students. Their only demand is, it must change it as an IIT. This is the demand. The

genuine demand must be fulfilled by our Government. It is very important because 5000 students are studying. They come from all over India from all the States, from Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh etc. Students from almost all the States are studying in that institute. I urge upon the Government to fulfill the reasonable and essential request of the student.

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): I want to speak in my mother tongue, Tamil.

MR. CHAIRMAN : The Interpreter is not available.

SHRI J.M. AARON RASHID : Okay I will speak in Englih. Sir, in 2009, Bodi metre gauge conversion project has been taken up. So far, it has not been completed. In the first year, 2010-11, they have given Rs. 20 crore; in 2011-12 they have given Rs. 15 crore; in 2012-13 they have given only Rs. 3 crore. People are accusing me like anything. All the 75-kilometre area is full of bushes. Now, every year, people are transporting 25 lakh tonnes of tea, cardamom, pulses, food grains and all other things. These people are suffering a lot. Highway problems are there. A lot of people, who are taking advantage of the situation, are threatening the small farmers and are taking money from them. So, my request is that this gauge conversion project should be taken up at once and immediate solution should be given to be people of Theni district. It is a long-pending matter.

Sir, two bridges have to be constructed. They have not yet been constructed so far. It had already been announced that they would construct the over bridges in Theni as well as in the Collectorate area. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You talk about the railway line.

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, I am talking about the railway line. There is a lot of traffic in Theni. I had made this request earlier also. The hon. Railway Minister also had sent a team to inspect that. So, my request is that the over bridges should be constructed and also the gauge conversion should be taken up and completed in time.

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा रही है कि न्यायपालिका का विकेन्द्रीकरण करके जनमानस को सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से देश में विभिन्न राज्यों की अनेक तहसीलों में मुनसिफ न्यायालयों की स्थापना भी हो चुकी है। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र मिसरिख के अंतर्गत तहसील बिल्लोहर, जो कि एक प्राचीन एवं बड़ी तहसील है जिसके अंतर्गत 409 राजस्व ग्राम हैं और नगर पंचायत तथा नगर परिषद भी है। साथ ही में मुख्यालय तहसील जो कि कानपुर नगर से संबंधित है 60 किलोमीटर दूर पड़ता है और उसी के साथ ही में इसको कानपुर देहात की तरफ उसको संबद्ध किया जा रहा है। जिसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और सुदूर क्षेत्र जो कि कानपुर नगर से करीब 75 किलोमीटर दूर पड़ता है और कानपुर देहात का 125 किलोमीटर दूर पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि जनता को कानपुर नगर की अपेक्षा कानपुर देहात से काफी दूरी का सामना करना पड़ेगा और यातायात में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी और 6 से 60 घंटे का समय लगता है। इससे गरीब न्याय पाने में असमर्थ रहेंगे जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का भी सभ्य समाज तथा उच्चतम न्यायालय की मंशा के विपरीत है। मुख्यालय परिषद बिल्लोहर न्यायालय की स्थापना हेतु पर्याप्त उचित स्थल उपलब्ध भी है और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अवलोक के अनुसार बिल्लोहर तहसील के आसपास क्षेत्र भी है परंतु सिविल कोर्ट की स्थापना आसपास हो चुकी है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अवलोक में तहसील बिल्लोहर जनपद कानपुर नगर की अपेक्षा सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुनसिफ न्यायालय की स्थापना करा के पुनः कानपुर नगर के न्यायिक क्षेत्र से संबद्ध किए जाने की आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बाढ़ से आयी त्रासदी के ऊपर डालना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पहाड़ी नदियां हैं घाघरा, राप्ती, आमी, कुवानो। आमी नदी में बाढ़ आने के बाद करीब 50-50 मीटर सड़कें कट गई हैं मगर आज तक नहीं बनी हैं, तीन महीने का समय हो गया और घाघरा नदी का दो किलोमीटर तक तटबंध कट गया है, जिसके कारण सैंकड़ो गांव प्रभावित हैं और सैंकड़ो गांवों में रहने वाली करीब लाखों की आबादी दो जनपद में, संत कबीर नगर जनपद का दहीसर ब्लॉक और जनपद गोरखपुर का बेलघाट ब्लाक बुरी तरह से प्रभावित है। डेढ़ महीने से लगातार पानी गांव में पड़ा हुआ है। पानी सड़ रहा है। बीमारियां धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। यह बीमारियां महामारी का रूप न धारण करें क्योंकि पूर्वांचल में इन्सीफ्लाइटिस, कालाजार और इस तरह की तमाम बीमारियां हैं, जिनसे लोग प्रभावित होते हैं और हर साल हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह विनती है कि उसकी एक जांच करा कर के कि बंधा

किन कारणों से कटा? अधिकारियों की लापरवाही से बंधा कट गया और आज तक प्रदेश सरकार ने, डेढ़ महीने का समय हो गया है कोई राहत लोगों को नहीं पहुंचायी है और लोग वहां से पलायित होने को मजबूर हैं। वहां बीमारियां हैं और तमाम सारे घर गिर गए हैं। पांच-छः गांव पानी में समा गए हैं और उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से और विशेष रूप से आपदा राहत मंत्रालय से आग्रह है कि उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जाए। वे लोग कहीं सड़क पर और कहीं बंधे पर मारे-मारे फिर रहे हैं। वह भी इसी देश के नागरिक हैं और सम्मानपूर्वक जीने का हक उनको भी है और जो अधिकार भारत सरकार से मिले हैं, वह उनको मिलने चाहिए। जिससे वह अपनी दिनचर्या और जिंदगी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें।

श्री राधे मोहन सिंह (गाज़ीपुर): माननीय सभापति जी, आप ने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ का जो ज़िक्र हो रहा है, पैंतीस साल पहले वर्ष 1978 के बाद इस तरह की भीषण विभीषिका देखी गयी है। गाज़ीपुर, बलिया, इलाहाबाद, बनारस में गंगा का उफान इतना तेज है कि जैसे लग रहा है कि समुद्र की तरह गंगा दिखायी दे रही है। फसल से लेकर खेतों तक चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में जानवर से लेकर इंसान तक सब परेशान और बेहाल है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने कुम्भ जैसे मेले का सफल आयोजन किया, उसी तरह बाढ़ जैसी विभीषिका पर उन्होंने तीसरी बार खाद्यान्न में पांच किलो आटा, चावल, मसाला, साबुन, तेल और यहां तक कि मिट्टी के तेल आदि का सारा प्रबंध एवं सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी है। सवाल सिर्फ यह है कि मैं सिर्फ बाढ़ के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा सब देने के बावजूद भी जो सबसे बड़ी समस्या है, वह वहीं की वहीं है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बाढ़ के इलाके के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाए तो मुझे लगेगा कि यह सबसे बड़ा कार्य हुआ है। बाढ़ कहां पर है? बाढ़ से जमनियां के 82 गांव, करंडा के 20 गांव और सैदपुर के 15 गांव प्रभावित हैं। आज सेना इन क्षेत्रों में काम कर रही है।

MR. CHAIRMAN: What is your demand?

श्री राधे मोहन सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह चाहता हूं कि धरम्मरपुर, कटरिया, सोकनी और बड़हरिया- ये सदर तहसील के गांव हैं। जो जमनियां के गांव हैं वे बारा, गहमर, सब्बलपुर, देवरिया, पासैयदराजा हैं। सैदपुर के खरौना, पटना और मन्झरिया गांव हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह

कहना चाहता हूं कि अगर इन गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाए तो आगे जब बाढ़ की विभीषिका आए और जब पानी बढ़े तो अपने जानवरों को लेकर औरत, बच्चे, मर्द सब इन सड़कों से बाहर निकल सकते हैं। इससे इन को बचाया जा सकता है। यह आपके माध्यम से हमारी मांग है।

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): Thank you, Mr. Chairman, Sir for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Due to the failure of monsoon and denial of Cauvery water by the Karnataka Government, our State of Tamil Nadu faced a severe drought during the year 2012-13. There was no rain throughout the year in Tamil Nadu. All the agricultural activities were severely affected due to this. The shortage of ground water also spoiled the coconut trees severely.

The farmers lost their livelihood. The Tamil Nadu Government under the able leadership of Dr. Puratchi Thalaivi Amma announced so many welfare schemes to save the poor farmers from the severe drought. The Tamil Nadu Government paid Rs. 15,000 as compensation for those who are holding one acre of cultivable land. A team from the Central Government also visited the drought affected places to assess the damage of crops in Tamil Nadu and submitted a report to the Central Government. But till now, the Centre has not taken any action on the report. No compensation has been announced by the Centre.

The share of the Central Government which is to be paid through the Crop Insurance Scheme to the affected agriculturists, is till now pending. I would therefore request that the Centre should come forward to pay the arrears crop insurance for the year 2012-2013 immediately.

.

MR. CHAIRMAN: Dr. Venugopal.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Sir, I do not want to speak. I would just associate with what Shri Manian has spoken.

MR. CHAIRMAN: All right. The name of Dr. P. Venugopal will be associated on the matter raised by Shri Manian.

The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 5th September, 2013 at 11 a.m.

22.25 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, September 5, 2013/Bhadrapada 14, 1935 (Saka).